लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 62
Dated 12 Nov 2007

(खण्ड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

एस.एस. चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 25, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)
अंक 6, शुक्रवार, 2 मार्च, 2007/11 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1-3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 80	3-44
अतारांकित प्रश्न संख्या 494 से 702	44-547
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
सभा की बैठक का रद्द किया जाना	547-548
सभा पटल पर रखे गए पत्र	548-569
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ इक्यानवेवां प्रतिवेदन	569
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	570
(एक) पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	570
(दो) एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड का विलय	
श्री प्रफुल पटेल	575-576
सभा का कार्य	571-574
कार्य मंत्रणा समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव	576
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	577-578
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	578-584
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	585-586
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	586-588

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

---

2 मार्च, 2007/11 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष महोदय: महासचिव महोदय, श्री विजय बहुगुणा को टायम लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के लिए बुलायेंगे।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल)

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न काल सस्पैंड करने का नोटिस दिया है। आपने आज के समाचार पत्रों में पढ़ा ही होगा, यह श्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक पोलिटिकल साजिश है और राजनीतिक साजिश के उद्देश्य से ही तमाम असत्य तथ्यों को सामने लाकर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं आपसे इस मुद्दे को 12 बजे उठाने का अनुरोध करता हूं। मैं उसकी 12 बजे अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम गोपाल यादव: यह एक गम्भीर मामला है।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): यह कांग्रेस की साजिश है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे प्रो. राम गोपाल यादव का एक नोटिस प्राप्त हुआ है। मैंने उनसे इस मामले को 12 बजे उठाने का अनुरोध किया है।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रा (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, इस मामले में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है; मुझे नहीं पता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका के आधार पर किया गया है। इसमें भारत सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। भारत सरकार इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकती है। भारत सरकार इसमें शामिल नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम तो साजिश में नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रो. राम गोपाल यादव जी से एक बार पुनः इस मामले को 12 बजे उठाने का अनुरोध करता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस नहीं दिया है। आप अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं दोपहर 12 बजे आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा। प्रश्न काल आरम्भ किया जाए। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यह सब दोपहर 12 बजे कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा ग्यारह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

पूर्वाह्न 11.30½ बजे

(इस समय श्री तूफानी सरोज तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बैंक ऋण के पुनर्भुगतान में चूक

***61. श्री एम. अंजनकुमार यादव:**

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऋणियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को अदा न की गई कुल धनराशि का बैंकवार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक बैंक में ऐसे ऋणियों के कितने रिकार्ड हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता के सूचनार्थ ऐसे चूककर्ताओं की सूची प्रकाशित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या चूककर्ता कंपनियों को काली-सूची में डाला गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) चूक की समस्या से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) के खातों की संख्या और सकल राशि का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (छ) 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि के मुकदमा दायर खातों तथा 25 लाख रुपए या उससे अधिक राशि के जानबूझकर चूक करने वालों के मुकदमा दायर खातों की सूची के बारे में जानकारी ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) (सी.आई.बी.आई.एल.) की वेबसाइट www.cibil.com पर सार्वजनीक उपयोग के लिए उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक भी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक राशि के चुककर्ताओं (बिना मुकदमा दायर खातों) और 25 लाख रुपए और उससे अधिक राशि के जानबूझकर चूक करने वालों (बिना मुकदमा दायर खातों) के बारे में आंकड़े एकत्र करता है और उन्हें समेकित कर उनके गोपनीय उपयोग के लिए आवधिक आधार पर उन्हें भेजता है। यह जानकारी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अपने भावी उधारकर्ताओं की उधार पात्रता के बारे में पर्याप्त रूप से निर्णय लेने में समर्थ बनाती है।

(ज) बैंक अपनी समग्र ऋण नीति के अनुसार, बकाया ऋणों की वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई करते हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण खातों पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई, सिविल न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमे दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई.) अधिनियम, 2002

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के अधीन कार्रवाई, समझौता निपटान और विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य आस्तियों की निगरानी और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है जिससे बैंक/वित्तीय संस्थाएं ऋण सूचना कंपनियों द्वारा एकत्रित और प्रसारित व्यापक ऋण सूचना का लाभ उठा सकती हैं और इसकी सहायता से नई अनुपयोज्य आस्तियों के सृजन पर रोक लगा पाती हैं।

विवरण

मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों के खातों की कुल संख्या तथा अनुपयोज्य आस्तियों की सकल राशि (सकल एन.पी.ए.)

क्र. सं.	बैंक का नाम	सकल एन.पी.ए.	
		खातों की संख्या	राशि करोड़ रुपए में
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	146389	1184
2.	आन्ध्रा बैंक	67338	437
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	138537	2390
4.	बैंक ऑफ इंडिया	276300	2479
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	117844	944
6.	केनरा बैंक	263296	1793
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	273110	2684
8.	कार्पोरेशन बैंक	58404	626
9.	देना बैंक	57501	949
10.	आई.डी.बी.आई. बैंक	4194	1116
11.	इंडियन बैंक	105702	669
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	112764	1228
13.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	77225	2116
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	62281	942
15.	पंजाब नैशनल बैंक	249731	3138
16.	सिंडिकेट बैंक	243230	1506
17.	यूको बैंक	171984	1235
18.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	288512	2098
19.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	321635	744
20.	विजया बैंक	61091	540
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	37711	389
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	40378	453
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1078374	10376
24.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	30754	363
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	31174	398
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	44209	543
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	14890	168
28.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	47629	610
	कुल	4422187	42118

आंकड़ा स्रोत: भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी 2005-06 तथा बैंकों द्वारा प्रस्तुत स्थलेत्तर विवरणियां (अनंतिम)।

विदेशी मुद्रा भण्डार

***62. श्री गिरधारी लाल भार्गव:**

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी मुद्रा भण्डार के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय विदेशी मुद्रा भण्डार कितना है;

(ग) क्या पिछले छह महीनों के दौरान विदेशी मुद्रा भण्डार के संचयन में कोई अस्थिरता आयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार का विचार विदेशी मुद्रा भण्डार के कितने प्रतिशत भाग को मूलभूत अवसंरचना क्षेत्र के विकास पर खर्च करने का है;

(च) क्या सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र के विकास हेतु विदेशी मुद्रा भण्डार से इस क्षेत्र हेतु रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनायी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या अवसंरचना क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने हेतु भारत निवेश निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) विदेशी मुद्रा भण्डार, जो मार्च, 2006 के अन्त में 151.6 बिलियन अमरीकी डालर था, में वृद्धि हुई है और यह 16 फरवरी, 2007 को 188.9 बिलियन अमरीकी डालर स्तर पर था। भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार की कड़ी मॉनीटरिंग की जाती है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सांख्यिकीय सूचना इसके साप्ताहिक प्रकाशन "साप्ताहिक सांख्यिकीय परिशिष्ट" के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने अर्ध-वार्षिक प्रकाशन "विदेशी मुद्रा भण्डार संबंधी रिपोर्ट" में विदेशी मुद्रा भण्डार का मूल्यांकन करता है।

(ग) जी, हां। भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार जो मार्चान्त, 2006 को 151.6 बिलियन अमरीकी डालर था, गत छह महीनों में घट-बढ़ होने के साथ मौजूदा वर्ष में (16 फरवरी, 2007 तक) 37.3 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई है।

(घ) मौजूदा वर्ष में विदेशी मुद्रा भण्डार में हुई तीव्र वृद्धि अधिक पूंजीगत और अन्य अन्तर्प्रवाहों तथा मूल्यन लाभों के कारण हुई है।

(ङ) से (झ) इस समय, आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्रा भण्डार को इस्तेमाल में लाने की कोई योजना नहीं है। तथापि, वर्ष 2007-08 के बजट में निम्नलिखित का प्रस्ताव किया गया है:

"आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए श्री दीपक पारेख की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं। उनमें से एक सिफारिश मौद्रिक विस्तार का जोखिम उठाए बिना विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का एक छोटा भाग इस्तेमाल करने के बारे में है। समिति ने आई.आई.एफ.सी.एल. की दो पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी अनुषंगी कम्पनियों की स्थापना की सिफारिश की है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

(i) भारतीय रिजर्व बैंक से निधियां उधार लेना और भारत में आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही भारतीय कम्पनियों को उधार देना; अथवा ऐसी परियोजनाओं के लिए उनके विदेशी वाणिज्यिक उधारों को केवल भारत से बाहर के पूंजीगत व्यय के लिए वित्तपोषित करना; और

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से निधियां उधार लेना, ऐसी निधियों को उच्च दर वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों में निवेशित करना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में संसाधनों को जुटाने हेतु भारत में आधारभूत संरचना की परियोजनाओं को "ऋण कवच" बीमा उपलब्ध कराना।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन दो अनुषंगी कम्पनियों को दिए जाने वाले ऋणों को भारत सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक अपने वृद्धिशील निवेश पर प्रतिफल की औसत दर की अपेक्षा अधिक प्रतिफल के प्रति आश्वस्त होगा। सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके इस सिफारिश के विधिक और विनियामक पक्षों की जांच करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

मुद्रास्फीति की दर

***63. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

श्री जे. एम. आरुन रशीद:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुद्रास्फीति की दर में लगातार वृद्धि हो रही है जिसके कारण पिछले एक वर्ष के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका माहवार ब्यौरा क्या है तथा इसके नियंत्रण के बाहर होने के क्या कारण/बाध्यताएं हैं;

(ग) क्या सरकार ने मुद्रास्फीति की दर को कम करने तथा महंगाई पर काबू पाने के लिए कई वस्तुओं पर से शुल्क घटाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की कितनी हानि हुई है;

(ङ) क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निगरानी रखने संबंधी वर्तमान उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने मुद्रास्फीति की दर तथा महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कोई सिफारिश की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार द्वारा मुद्रास्फीति की दर को कम करने तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ज) क्या मुद्रास्फीति और महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार का विचार 'एस्मा' लागू करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जनवरी, 2006 से जनवरी, 2007 की अवधि में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है:

सारणी: थोक मूल्य सूचकांक आधारित मासिक मुद्रास्फीति (%)

माह	मुद्रास्फीति
जनवरी, 2006	4.1
फरवरी, 2006	4.0
मार्च, 2006	3.9
अप्रैल, 2006	3.9
मई, 2006	4.7
जून, 2006	5.1
जुलाई, 2006	4.8
अगस्त, 2006	5.1
सितंबर, 2006	5.4
अक्तूबर, 2006	5.5
नवम्बर, 2006	5.5
दिसम्बर, 2006*	5.4
जनवरी, 2007*	6.2

*अनन्तिम

(ग) और (घ) मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए, सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न वस्तुओं पर शुल्कों में कटौती की है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उपर्युक्त छूटों के कारण एक पूरे वर्ष में लगभग 5000 करोड़ रुपए की कुल राजस्व हानि होने का अनुमान है।

(ङ) और (च) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को मॉनीटर करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने मुद्रास्फीति पर रोक लगाने के लिए अनेक अनुशंसाएं की हैं।

(छ) मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार द्वारा हाल, में किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पहले नवम्बर, 2006 में और दोबारा फरवरी, 2007 में पेट्रोल के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल के खुदरा मूल्यों में 1 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई।
- घरेलू उपलब्धता की अनुपूर्ति करने के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा 55 लाख टन गेहूं के आयात की संविदा की गई, जिसमें से 13 फरवरी, 2007 तक 49.4 लाख टन की आवक हो चुकी थी।
- 50 प्रतिशत की सामान्य प्रयोज्य दर की तुलना में, निजी व्यापारियों को 28 जून, 2006 से 5 प्रतिशत शुल्क पर गेहूं का आयात करने और 9 सितम्बर, 2006 से शून्य शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी गई।
- फरवरी, और मार्च, 2007 में खुली बाजार बिक्री योजना के अन्तर्गत 4 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया गया।
- 9 फरवरी, 2007 से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई।
- 8 जून, 2006 को दालों के आयात पर सीमा-शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया।
- 22 जून, 2006 से दालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।
- नेफेड 49,300 टन दालों का आयात कर रहा है। 30,000 टन दालों का आयात करने के लिए नेफेड द्वारा दिसम्बर, 2006 में निष्पादित नई संविदा के अंतर्गत, 13 फरवरी, 2007 तक 10,675 टन का जहाज में लदान कर दिया गया था।
- गेहूं, चीनी और दालों की भावी कीमतों की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए, वायदा बाजार आयोग (एफ.एम.सी.) ने खुली स्थिति पर सीमाएं लगाईं, दैनिक मूल्य संबंधी घट-बढ़ की लगी सीमाओं को घटाया, और अतिरिक्त विशेष सीमाएं लागू कीं।
- 24 जनवरी, 2007 से तूर और उड़द और 28 फरवरी, 2007 से गेहूं और चावल के वायदा कारोबार पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

- अगस्त, 2006 में पाम समूह के तेलों के आयात शुल्क में 10 प्रतिशतांक की कमी की गई और जनवरी, 2007 में 10-12.5 प्रतिशतांक की और कमी की गई। आयात शुल्क निर्धारण के लिए टैरिफ मूल्य को जुलाई, 2006 के स्तर पर अपरिवर्तित रखा गया।
- बजट 2007-08 में, कच्चे एवं परिष्कृत खाद्य तेलों को 4 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। सूरजमुखी तेल, कच्चे एवं परिष्कृत दोनों पर शुल्क में 15 प्रतिशत की कटौती की गई है।
- वसा रहित दूध पाउडर के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रारक्षित नकदी अनुपात और रेपो दरों में वृद्धि करके अर्थ-तंत्र में नकदी में कमी करने के उपाय किए।

(ज) जी, नहीं।

(झ) उपर्युक्त (ज) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न विनिर्दिष्ट वस्तुओं के सीमा शुल्कों में कटौती

क्र. सं.	वस्तु	शुल्क की सामान्य दर	रियायती शुल्क	वह तारीख जब रियायत दी गई	वह तारीख जब तक यह प्रयोज्य है
1	2	3	4	5	6
1.	गेहूं	50%	शून्य	9-9-2006	28-02-2007
2.	दालें	10%	शून्य	8-6-2006	31-7-2007
खाद्य तेल					
3.	कच्चा पाम तेल	80%	70% 60%	11-8-2006 24-1-2007	समय सीमा नहीं
4.	परिष्कृत पाम तेल	90%	80% 67.5%	11-8-2006 24-1-2007	समय सीमा नहीं
5.	कच्चा सूरजमुखी तेल	75%	65%	24-1-2007	समय सीमा नहीं
6.	परिष्कृत सूरजमुखी तेल	85%	75%	24-1-2007	समय सीमा नहीं
7.	मक्का (15% की दर पर 5 लाख मी. टन की टी.आर.क्यू.)	50%	शून्य	25-1-2007	31-12-2007
8.	चीनी	60%	शून्य	23-6-2006	30-9-2006*
अन्य वस्तुएं (जनवरी, 2007 में किए गए परिवर्तन)					
9.	पोर्टलैंड सीमेंट	12.5%	शून्य	22-1-2007	समय सीमा नहीं
10.	अकार्बनिक रसायन (आक्सीजन, क्लोरीन आदि)	10%	5%	22-1-2007	समय सीमा नहीं
11.	फेरो सम्मिश्र, स्टेनलैस स्टील और अन्य सम्मिश्र इस्पात	7.5%	5%	22-1-2007	समय सीमा नहीं

1	2	3	4	5	6
12.	तांबा	7.5%	5%	22-1-2007	समय सीमा नहीं
13.	अल्यूमिनियम	7.5%	5%	22-1-2007	समय सीमा नहीं
14.	जस्ता	7.5%	5%	22-1-2007	समय सीमा नहीं
15.	अन्य आधार धातुएं (टंगस्टन, मैग्नीशियम, टिन, कैडमियम आदि)	7.5%	5%	22-1-2007	समय सीमा नहीं
16.	पाइप, टयूब, एल्यूमिनियम के पाइप या टयूब फिटिंग, तांबा और जस्ता	12.5%	7.5%	22-1-2007	समय सीमा नहीं
17.	रिफरेक्ट्री	7.5%	5%	22-1-2007	समय सीमा नहीं
18.	रिफरेक्ट्री का कच्चा माल	10%/7.5%	5%	22-1-2007	समय सीमा नहीं
19.	पूंजीगत माल और उनके हिस्से, चाप 84, 85 और 90 के वाइंडिंग वायर	12.5%/10%	7.5%	22-1-2007	समय सीमा नहीं
20.	परियोजना आयात (परियोजना आयात के अंतर्गत अधिसूचित वायु पत्तन विकास परियोजनाएं और मेट्रो रेल परियोजनाएं)	10%	7.5%	22-1-2007	समय सीमा नहीं

*यह तारीख बढ़ाई नहीं गई है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन क्षमता

*64. **श्री काशीराम राणा:**

श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अनुमानतः कितने मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी; और

(घ) सरकार द्वारा देश की भावी विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) 10वीं योजना (2002-07) के दौरान 41,110 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परियोजना तैयारी के आधार पर मध्यावधि मूल्यांकन के समय योजना आयोग ने आकलन किया कि 10वीं योजना के दौरान 31,290 मे.वा. व्यवहार्य है। किन्तु वर्तमान मूल्यांकन से पता चलता है कि 10वीं योजना के दौरान 23,250 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि संभावित है।

(ख) 10वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाने के मुख्य कारण निम्नानुसार है:

(i) योजना में आरंभ में देश में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने का विचार था। किन्तु, प्रौद्योगिकीय समझौते में विलंब होने कारण कुल मिलाकर 3960 मे.वा. की ये परियोजनाएं शुरू नहीं की जा सकीं।

(ii) स्वीकृतियों, निवेश निर्णय, कार्य सौंपने में विलंब, भू-वैज्ञानिक जोखिमों तथा अदालती मामलों के कारण 6200 मे.वा. से भी अधिक की हाइड्रो परियोजनाएं समय से पिछड़ गईं।

(iii) लगभग 1200 मे.वा. की निजी परियोजनाएं आरंभ नहीं हो सकी क्योंकि इन परियोजनाओं का वित्तीय समापन प्राप्त करने में विलंब हुआ था।

(iv) 5000 मे.वा. से अधिक क्षमता की परियोजनाओं के मामले में संविदात्मक प्रतिबद्धता के अनुसार आरंभन का पालन नहीं किया गया और परियोजनाएं उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण आपूर्ति में विलंब के कारण निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो सकीं।

(v) पर्याप्त गैस की अनुपलब्धता के कारण 1700 मे.वा. से भी अधिक की परियोजनाओं को चालू करने में बिलंब हुआ तथा 1450 मे.वा. कुल की अन्य परियोजनाओं का काम शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विद्युत नीति में संकल्पना है कि "वर्ष 2012 तक सभी के लिए विद्युत" उपलब्ध हो जाए तथा वर्ष 2011-12 तक प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता बढ़ाकर 1,000 यूनिट से भी अधिक की जाए। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि 10वीं एवं 11वीं योजनावधियों के दौरान लगभग 1,00,000 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि आवश्यक है। 10वीं योजना के दौरान संभावित 23,250 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्ध किए जाने के मद्देनजर 11वीं योजना के दौरान 76,000 मे.वा. से भी अधिक क्षमता जोड़ा जाना आवश्यक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) 11वीं योजना के दौरान 76,460 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि प्रस्तावित है। 11वीं योजना में शामिल करने हेतु परियोजनाओं का चयन अभिज्ञात मानदंडों के अनुसार तैयारी के अग्रिम चरण में हैं। साथ ही कुल 44,358 मे.वा. क्षमता की परियोजनाएं (प्रस्तावित क्षमता का 58%) पहले से ही निर्माणाधीन हैं।

(ii) ईंधन अनुपात में कोयला मुख्य आधार बना रहेगा। 11वीं योजना के दौरान ताप विद्युत क्षमता अभिवृद्धि के रूप में 57,047 मे.वा. प्रस्तावित है। इसमें से 51,355 मे.वा. कोयला आधारित होगा। प्रस्तावित कोयला आधारित क्षमता के 84% के मामले में कोल लिंकेज/कोल ब्लॉक पहले से उपलब्ध हैं।

(iii) 16,253 मे.वा. प्रस्तावित जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि में से 12,863 मे.वा. (79%) पहले से निर्माणाधीन हैं तथा 2905 मे.वा. (18%) को राज्यों/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पहले ही सहमति दे दी है।

(iv) कुल 3160 मे.वा. परमाणु क्षमता पहले से निर्माणाधीन है।

(v) 11वीं योजना में कार्यान्वयन हेतु 4242 मे.वा. क्षमता की गैस आधारित परियोजनाओं को गैस आपूर्ति करार प्राप्त है।

उपर्युक्त के अलावा मांग पक्ष में वृद्धि के अनुरूप विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनेक अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय किए जा रहे हैं, जैसे:

अल्पावधिक

(i) कोयला स्टेशनों के उन्नत पी.एल.एफ. को पूरा करने के लिए ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश के सभी प्रमुख कोयला संयंत्रों में कोयला उत्पादन, परिवहन व भंडारण की कड़ी मानीटरिंग की जा रही है। घरेलू कोयले के उत्पादन में बाधाओं का सामना करने की दृष्टि से कोयले का आयात।

(ii) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अधिशेष विद्युत का दोहन।

(iii) गैस आधारित स्टेशनों की उपयोग में न लाई गई क्षमता का तरल ईंधन पर उपयोग।

(iv) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी करने के उपाय के तौर पर त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत राज्य में उप पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार।

(v) अन्त:राज्य तथा अन्तर क्षेत्रीय पारेषण को सुदृढ़ बनाकर उपलब्ध विद्युत का इष्टतम उपयोग।

(vi) मौजूदा उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन व अनुरक्षण।

(vii) मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन देना।

(viii) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के अग्रदूत के रूप में बेहतर निष्पादन कर रही विद्युत यूटिलिटियों के साथ तालमेल के जरिए मौजूदा थर्मल पावर स्टेशनों के संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) पद्धतियों

को अपनाकर "उत्कृष्टता में भागीदारी" (पार्टनरशिप इन एक्सीलेंस) कार्यक्रम की शुरुआत।

(ix) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा ऋण पर ब्याज सब्सिडी देकर पुरानी और अकुशल उत्पादन इकाईयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण व जीवन विस्तार।

दीर्घकालिक

(i) उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग और अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण के लिए राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना।

(ii) जल विद्युत क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए 50,000 मेगावाट क्षमता की पहल की गई है।

(iii) 1,00,000 मेगावाट से अधिक थर्मल क्षमता के लिए स्थलों की पहचान।

(iv) पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने इस तरह के प्रयास किए हैं ताकि निधियों के अभाव में अच्छी परियोजनाएं बाधित न हों।

(v) चल रही उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता संवृद्धि की कड़ी निगरानी की जा रही है।

(vi) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन क्षमता संवृद्धि परियोजनाओं की अग्रिम आयोजना।

(vii) आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए 4000 मेगावाट प्रत्येक की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम राहत

***65. श्री हरिभाऊ राठौर:**

श्री फ्रांसिस फैन्थम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छठे वेतन आयोग की अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम राहत प्रदान करने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) 26-02-2007 की स्थिति के अनुसार, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की 8 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों/एसोसिएशनों की सुनवाई भी शामिल है। छठे वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में आयोग की सिफारिशों के आने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार करने तक किसी अंतरिम राहत को मंजूर करने की वांछनीयता और जरूरत की जांच शामिल है।

वेतन आयोग से इस संबंध में संस्तुति मिलने के बाद ही सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया जाएगा।

मलिन बस्तियों के लिए नई नीति

***66. श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मलिन बस्तियों के लिए नई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) मलिन बस्तियों का विकास राज्यों का विषय है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के माध्यम से मलिन बस्तियों में रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए उपाय करती आ रही है।

सरकार द्वारा दिसम्बर, 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में मलिन बस्तियों के विकास हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसमें शहरी गरीबों के लिए बुनियादी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान भी है। इस मिशन का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जा रहा है।

सीमा शुल्क में कमी

***67. श्री चन्द्र भूषण सिंह:**

श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान खाद्य तेल जैसी कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस कमी से खुदरा स्तर पर ऐसी वस्तुओं के मूल्यों में वस्तुवार कितनी कमी आई है;

(ग) क्या कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी करने से राजस्व प्राप्ति के साथ-साथ घरेलू उत्पादकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) जून, 2006 से खाद्य तेल और कतिपय अन्य वस्तुओं के संबंध में सीमा शुल्क दरों में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

- **दाल:** दिनांक 8-06-2006 को मूल सीमा शुल्क 10% से घटाकर शून्य कर दिया गया जो दिनांक 31-07-2007 तक वैध है।
- **चीनी:** दिनांक 23-06-2006 को मूल सीमा शुल्क 60% से घटाकर शून्य कर दिया गया जो दिनांक 30-09-2006 तक वैध था।
- **पाम ऑयल:** दिनांक 11-08-2006 को मूल सीमा शुल्क कच्चे/रिफाईन्ड तेल पर 80%/90% से घटाकर 70%/80% कर दिया गया और पुनः दिनांक 24-01-2007 को 70%/80% से घटाकर 60%/67.5% कर दिया गया है। यह रियायत बिना किसी समय सीमा के वैध है। इसके अलावा पाम ऑयल के लिए टैरिफ मूल्य जुलाई, 2006 के स्तरों पर निर्धारित कर दिया गया है।
- **सूर्यमुखी तेल:** दिनांक 24-01-2007 को कच्चे/रिफाईन्ड तेल पर मूल सीमा शुल्क 75%/85% से घटाकर 65%/75% कर दिया गया जिसे पुनः दिनांक 1-03-2007 (बजटीय परिवर्तन) से घटाकर 50%/60% कर दिया गया है।
- **गेहूं:** मूल सीमा शुल्क 50% से घटाकर 5% कर दिया गया जिसे पुनः घटाकर शून्य कर दिया गया जो दिनांक 28-02-2007 तक वैध थी।
- **मक्का:** मूल सीमा शुल्क 50% से घटाकर शून्य कर दिया गया जो दिनांक 31-12-2007 तक वैध है।
- **सभी खाद्य तेल:** सभी खाद्य तेल को इस वर्ष के बजट में 4% अतिरिक्त सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

इस अवधि के दौरान इन वस्तुओं की कीमतें निम्न प्रकार थीः

क्र.सं.	वस्तु	जुलाई, 2006 में कीमत	जनवरी, 2007 में कीमत (रु. प्रति टन)
1.	आर.बी.डी. पाम ऑयल (मुम्बई)	43414	47377
2.	रिफाईन्ड सोयाबीन तेल (मुम्बई)	42447	47449
3.	सूर्यमुखी तेल (मुम्बई)	42592	51440
4.	चना दाल (हापुड़)	26490	30180
5.	अरहर (दिल्ली)	26220	29240
6.	उड़द (दिल्ली)	38710	37940
7.	चीनी मध्यम ग्रेड (दिल्ली)	19210	16357
8.	गेहूं (बहराईच, उत्तर प्रदेश)	8150	10362
9.	मक्का (रतलाम, मध्य प्रदेश)	6635	8432

[स्रोतः भारतीय अर्थव्यवस्था मानीटरिंग केन्द्र]

(ग) से (ङ) उपर्युक्त परिवर्तनों के कारण पूरे वर्ष में राजस्व हानि लगभग 2300 करोड़ रु. का है। सीमा शुल्क दरों को कम कर दिया गया था क्योंकि घरेलू कीमतें काफी ऊंची थी और आयात शुल्क में ऐसी कटौती का घरेलू उत्पादकों पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

जल विद्युत नीति

***68. श्री संतोष गंगवार:**

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी जल विद्युत दोहन क्षमता की पहचान की गई है और उसमें से अभी तक कितनी मात्रा का दोहन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी क्षेत्रों में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक जल विद्युत नीति तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 11वीं योजना में अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय की जाएगी; और

(घ) इस नीति के कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) अधिष्ठापित क्षमता के रूप में दोहन योग्य जल विद्युत शक्यता लगभग 148700 मे.वा. अनुमानित की गई है जिसमें से 30,164 मे.वा. (20.3%) क्षमता विकसित की जा चुकी है और 13616 मे.वा. (9.2%) क्षमता विकासाधीन है।

(ख) से (घ) जी नहीं। जल विद्युत विकास नीति 1998, विद्युत अधिनियम 2003, विद्युत नीति 2005, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास राष्ट्रीय नीति 2003, एन्वायरनमैंट प्रोटैक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना 1994, राष्ट्रीय जल नीति 2002 और संशोधित ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 में जल विद्युत विकास हेतु आधारभूत कार्य ढांचे का प्रावधान किया गया है।

तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं से संबद्ध विशेष समस्याओं के मद्देनजर एक सुझाव जांचाधीन है कि भारत सरकार की टैरिफ नीति 2006 के खंड 5.1 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया में जनवरी 2011 तक की छूट निजी क्षेत्र को भी दी जाए।

11वीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए निधियों की आवश्यकता लगभग 411000 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। इस धनराशि में 12वीं योजना स्कीमों के अग्रिम कार्यों के लिए अपेक्षित निधियां भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

नई विद्युत परियोजनाओं में निजी भागीदारी

***69. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**

श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में उन क्षेत्रों को सीमांकित किया है जहां पर स्वदेशी/निजी क्षेत्र की भागीदारी और विदेशी भागीदारी की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्युत दरों और प्रति गारंटी के बारे में कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि उन जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति आवश्यक है जिनकी अनुमानित पूंजीगत व्यय निर्धारित सीमा से अधिक हो। केन्द्र सरकार ने यह सीमा निर्धारित की है।

विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं व्यापार में शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति दे दी गई है। कोई भी इकाई या व्यक्ति, अर्थात् सरकार या निजी क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उनके अधीन जारी विनियमों के अनुसार ये कार्य शुरू कर सकते हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत् टैरिफ नीति अधिसूचित कर दी है। नीति में अन्य शर्तों के साथ यह भी प्रावधान है कि विद्युत की भावी सभी आवश्यकताओं की, पूर्ति मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार या अभिज्ञात विकास कर्ता राज्य नियंत्रित/स्वामित्व वाली कंपनी है या जहां विनियामकों को मानदंडों के आधार पर टैरिफ निर्धारण करने की आवश्यकता है, को छोड़कर वितरण लाइसेंसियों द्वारा प्रतिस्पर्धी तरीके से

की जानी चाहिए, बशर्ते कि इस उद्देश्य से निजी विकास कर्ताओं द्वारा उत्पादन क्षमता की वृद्धि एक बार में मौजूदा क्षमता के 50% से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए भी सभी नई विद्युत उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण पांच वर्षों की अवधि के बाद प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर या जब विनियामक आयोग संतुष्ट हो कि ऐसी प्रतिस्पर्धा शुरू करने के लिए स्थिति अनुकूल है, किया जाएगा।

केन्द्र सरकार ने वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

टैरिफ नीति सरकार द्वारा कोई काउन्टर गारंटी देने का प्रावधान नहीं करती है। नीति में वर्णित है कि विद्युत खरीद समझौते द्वारा विद्युत उत्पादन कंपनियों को पर्याप्त एवं विश्वसनीय भुगतान सुरक्षा प्रबंध देने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा साख-पत्र, नकद आवक संबंधी एस्क्रो आदि जैसे उपलब्ध भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बाकी राशियों के मामले में विद्युत उत्पादन कंपनियां इन्हें अन्य खरीददारों को बेच सकती हैं।

समान बिक्री कर

***70. श्री शिशुपाल एन. पटले:**

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर उपकर को कम करने का है जैसाकि दिनाक 21 जनवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली ऊर्जा समन्वय समिति (इ.सी.सी.) ने पूरे देश में समान बिक्री कर की दरें लागू करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस समान बिक्री कर से राज्यों के राजस्व पर पड़ने वाली प्रभाव और सीमावर्ती क्षेत्रों में डीलरों की दयनीय दशा के बारे में भी कोई आकलन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या राज्यों में उक्त कर दरों को तर्कसंगत बनाया जा रहा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 की वजह से बिक्री कर राज्य का विषय है। राज्य के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार-प्राप्त समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, बिक्री कर से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने और राज्यों को सिफारिशें करने के लिए गठित्त की गई है। अधिकार-प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार, पेट्रोल, डीजल और हवाई टरबाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) कर की 20 प्रतिशत की न्यूनतम दर के अध्यधीन है और ये वैट से बाहर है। इस प्रकार, राज्य 20 प्रतिशत से अधिक दर से बिक्री कर लगा सकते हैं और बहुत से राज्य ऐसा कर रहे हैं। जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों का संबंध है, अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा सिफारिश की गई कर की दरें समान निश्चित दरें हैं और ऐसे उत्पाद वैट का अनिवार्य अंग है। ऊर्जा समन्वय समिति (ई.सी.सी.) ने अब तक पूरे देश भर में समान बिक्री कर दरों के लिए कोई विशेष सिफारिश नहीं की है। पेट्रोल और डीजल पर उपकर के संबंध में, यह केन्द्र सरकार द्वारा देश में एकसमान रूप से 2 रुपए प्रति लीटर की दर से लगाया जाता है और इस उपकर से वसूलियां केन्द्रीय सड़क निधि में जाती हैं।

(ङ) से (ज) चूंकि राज्यों द्वारा बिक्री कर की दरें समान रखने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए राजस्व हानि का प्रश्न नहीं उठता है। राज्यों में करों को युक्ति-युक्त बनाने के संबंध में, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ राज्यों ने पेट्रोल और/अथवा डीजल पर बिक्री कर की दरों को कम करने के लिए कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

सांविधिक तरलता अनुपात

***71. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को सांविधिक तरलता अनुपात की वर्तमान सीमा में कमी करने की शक्ति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में विकास और ऋण की बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति के संचालन में अधिक परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करना आवश्यक समझा है। इस प्रकार 40 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को बनाए रखते हुए 25 प्रतिशत की विद्यमान न्यूनतम सीमा को हटाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 में संशोधन आवश्यक हो गया था। इसलिए, सरकार ने 23 जनवरी को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 जारी किया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को बिना किसी न्यूनतम सीमा के सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस.एल.आर.) विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है।

न्यायिक सुधार

***72. श्री भर्तृहरि महताब:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का न्यायिक सुधार उपायों को क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुधार उपायों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) न्यायिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इसे परिवर्तनशील समय, दशाओं और लोगों की अपेक्षाओं का सम्मान करते हुए कार्यान्वित किया जाता है। सरकार आम व्यक्ति को शीघ्र और सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार द्वारा विभिन्न न्यायिक सुधार संबंधी उपाय किए जा रहे हैं जिनके अंतर्गतः त्वरित निपटान न्यायालय और कुटुंब न्यायालयों की स्कीम, कंप्यूटरीकरण सहित न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सहायता, न्यायिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि करना, न्याय प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, न्यायाधीशों का उत्तरदायित्व, लोक अदालतों का आयोजन और वैकल्पिक विवाद समाधान के ढंगों को प्रोत्साहन, विशेष अधिकरणों का गठन करना आदि, हैं।

शिक्षा ऋण

***73. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंक-वार कितनी शिक्षा ऋण राशि वितरित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त वर्गों को शिक्षा ऋण वितरित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उनके द्वारा इसमें से कितना लक्ष्य हासिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा ऋण के संवितरण के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखते।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करने हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, शिक्षा ऋण योजना से संबंधित दिशानिर्देशों में यह बल दिया गया है कि किसी योग्य/मेधावी विद्यार्थी को वित्तीय सहायता की कमी के कारण शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए।

(ग) और (घ) अग्रिमों पर ब्याज दरें अविनियमित कर दी गई हैं और बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से स्वयं ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे निधियों की लागत, लेन-देन लागत, जोखिम घटक, मार्जिन एवं अन्य उपरि व्यय को ध्यान में रखते हुए अपनी बेंचमार्क मूल उधार दर (बी.पी.एल.आर.) निर्धारित करें। मॉडल शिक्षा ऋण स्कीम, 2004 के अनुसार बैंकों को 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज बेंचमार्क मूल उधार दर के आधार पर

तथा 4 लाख रुपए से अधिक के शिक्षा ऋण पर ब्याज बेंचमार्क मूल उधार दर +1 प्रतिशत के आधार पर लेना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना का कार्यनिष्पादन

***74. श्री एन.एन. कृष्णदास:**

श्री बालेश्वर यादव:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत रोजगार के कितने अवसरों का सृजन किया गया है तथा इस योजना की शुरुआत से अब तक राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत और उपयोग की गई है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में कितनी कमी आई है;

(ग) क्या सरकार इस योजना की प्रगति से संतुष्ट है;

(घ) यदि हां, तो कितनी संतुष्ट है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इसके असंतोषजनक कार्यकरण के लिए किन कारणों को जिम्मेदार पाया है और इन्हें समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) योजना आयोग ने इस योजना के विस्तार के मुद्दे पर क्या सिफारिशें की हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) इस योजना पर प्रभावी निगरानी रखने और इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एवं इसके अंतर्गत राज्यों को और अधिक धनराशि आबंटित करने तथा इस योजना के विस्तार पर खर्च होने वाली धनराशि की कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के कार्यान्वयन की स्थिति, सृजित रोजगार, स्वीकृत एवं उपयोग की गई निधियों, वास्तविक कार्य-निष्पादन और सृजित श्रम दिवसों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) एन.आर.ई.जी.ए. का उद्देश्य रोजगार की मांग करने वाले ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। एन.आर.ई.जी.ए. एक वित्तीय वर्ष में अकुशल शारीरिक कार्य के द्वारा केवल 100 दिन तक के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। कुल 1.71 करोड़ परिवारों ने कार्य की मांग की थी, जिनमें से 1.66 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। राज्यवार कार्य निष्पादन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) से (ङ) यह कार्यक्रम अभी प्रारंभिक स्थिति में है और अधिनियम के स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र, जिसके लिए राज्य से लेकर पंचायत तक सभी स्तरों पर सुदृढ़ प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, को देखते हुए राज्यों को अभी भी इच्छित उपलब्धि हासिल करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। इस पहलू की नियमित और कड़ी निगरानी की जाती है और राज्यों को प्रशिक्षण, कार्मिकों के विकास, संचार एवं कार्य की आयोजना के सन्दर्भ में कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए कहा जाता है।

(च) योजना आयोग के परामर्श से इस कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान 130 अतिरिक्त जिलों को कवर किया जाएगा।

(छ) केंद्र सरकार अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करती है। ग्रामीण विकास मंत्री और सचिव (ग्रामीण विकास) ने समय-समय पर आवधिक समीक्षा बैठकें की हैं। अधिनियम की प्रगति पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय स्तरीय निगरानीकर्ता (एन.एल.एम.) और मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारी विभिन्न जिलों का दौरा करते हैं। व्यापक एम.आई.एस. तैयार किया गया है जिसमें सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी महत्वपूर्ण आंकड़े रखे जाते हैं। स्थानीय तौर पर निगरानी के लिए ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां स्थापित की जानी होती हैं। कार्यक्रम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय संचार अभियान शुरू किया गया है। कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए प्रिन्ट, श्रव्य-दृश्य मीडिया एवं सांस्कृतिक मंचों का उपयोग किया गया है। मंत्रालय न केवल वास्तविक मानदंडों बल्कि गुणात्मक संकेतकों की भी नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। एन.आर.ई.जी.ए. मांग आधारित कार्यक्रम है और यह मंत्रालय बजटीय आबंटन के माध्यम से केंद्र सरकार की सहभागितापूर्ण वचनबद्धता को पूरा करता है।

विवरण

(लाख रु. में)

राज्य	रिलीज (2005-06)	रिलीज (2006-07) फरवरी, 2007 तक	व्यय (2006-07) जनवरी, 2007 तक	सृजित श्रम-दिवस रोजगार (2006-07) (जनवरी, 07 तक) (श्रमदिवस लाख में)	परिवार (जनवरी, 2007 तक)	
					मांगा गया रोजगार	दिया गया रोजगार
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	16474.81	91461.46	46542.63	503.32	1788112	1788112
अरुणाचल प्रदेश	446.31	1211.85	221.34	4.53	16926	16926
असम	33650.13	13970.85	32130.55	295.87	500433	446981
बिहार	30806.3	41581.38	45176.18	297.24	893728	886916
छत्तीसगढ	785	55716.74	44074.37	467.9	1122846	1045279
गुजरात	4241.12	6165.94	5799.71	67.89	146943	146943
हरियाणा	873.82	3129.39	2384.24	17.35	39128	39128
हिमाचल प्रदेश	898.37	2207.64	2153.96	17.34	56823	52632
जम्मू-कश्मीर	1135.29	2776.37	1062.65	9.65	39579	16079
झारखण्ड	23429.66	48618.59	36959.43	308.14	868919	846401
कर्नाटक	4402.1	17595.69	18383.74	163.41	508796	478767
केरल	1169.18	2179.51	870.97	7.41	67271	60391
मध्य प्रदेश	13713.82	178129.2	138284.72	1590.73	2619570	2582117
महाराष्ट्र	19743.56	19235.64	16733.46	229.04	321898	353338
मणिपुर	461.63	1252.89	950.00	8.26	17800	17880
मेघालय	1457.87	2064.68	121.28	2.01	12644	12642
मिजोरम	770.91	783.9	1028.34	2.37	19358	6666
नागालैण्ड	1031.28	430.11	1327.91	11.82	27800	27800

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	7384.75	75456.49	42468.08	506.64	1277280	1264957
पंजाब	822.54	2755.75	1727.12	11.08	31008	30868
राजस्थान	4142.11	72961	50622.15	806.21	1094229	1094229
सिक्किम	722.16	451.5	167.5	1.55	4211	4111
तमिलनाडु	6571.72	14389.21	10787.8	129.13	508243	508243
त्रिपुरा	2572.97	1456.66	4200.56	45.58	66666	66656
उत्तर प्रदेश	33242.07	48655.69	60449.88	617.64	2419669	2326348
उत्तरांचल	1269.11	2710.6	3201.54	26.46	107393	107192
पश्चिम बंगाल	17038.15	30858.84	25852.8	280.98	2573380	2425415
कुल	229256.74	738207.57	593682.91	6429.55	17150655	16653017

[हिन्दी]

टेक्नो-एन्टरप्रेनरशिप पार्क

***75. श्री पुन्नू लाल मोहले:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में टेक्नो-एन्टरप्रेन्योरशिप पार्क स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ में ऐसे और पार्क स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पार्कों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा अनुसंधान तथा विकास उत्पादों के शीघ्र वाणिज्यीकरण के लिए अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, शिक्षण संस्थानों और उद्योग के बीच आंतरिक कार्यकलाप को और घनिष्ठ बनाने के मूल उद्देश्य से साफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमवृत्ति और व्यवसाय के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं एवं सेवाओं की स्थापना हेतु अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति पार्क (एस.टी.ई.पी.) को बढ़ावा देता है जिसकी स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित व्यक्तियों के बीच नवोन्मेष और उद्यमिता के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट शैक्षिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में तथा इसके आसपास की जाती है। डी.एस.टी. द्वारा जानकारी पर आधारित और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित उद्यमों के विकास का सम्पोषण करने के लिए टेक्नोलोजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टी.बी.आई.) को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, डी.एस.टी. द्वारा आधारिक स्तर पर सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यकलापों के संवर्धन के लिए ग्रामीण/महिला प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की जा रही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) द्वारा जैव प्रौद्योगिकी पार्कों एवं इन्क्यूबेटरों का संवर्धन किया जा रहा है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) ने समुचित हस्तचालित कार्यतंत्रों के माध्यम से शुरुआत करने वाले, आरंभिक स्तर के नवोन्मेषों का सम्पोषण करने के लिए सी.एस.आई.आर. की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए हाल में एक योजना शुरू की है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.आई.टी.) द्वारा साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एस.टी.पी.आई.) के माध्यम से उच्च गति आंकड़ा संचार संयोजनों

का उपयोग कर साफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों (एस.टी.पी.) का संवर्धन किया जा रहा है।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अब तक स्थापित एस.टी.ई.पी., टी.बी.आई. तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.आई.टी.) द्वारा अब तक स्थापित एस.टी.पी. का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में जैव प्रौद्योगिक पार्कों और इन्क्यूबेटरों की स्थापना करने के लिए पहलें की हैं।

(ग) ऐसे पार्कों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों सहित विभिन्न संगठनों से आवधिक रूप से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और इन्हें संबंधित विभाग/मंत्रालय की विशिष्ट योजना के ढांचे एवं दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। छत्तीसगढ़ से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

दिनांक 31-12-2006 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों (एस.टी.ई.पी.एस.) का राज्यवार वितरण

क्रम सं.	राज्य	स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मेटेरियल्स, हैदराबाद
2.	गुजरात	राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन, राजकोट
3.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
4.	कर्नाटक	– एस.जे. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैसूर
		– राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, कर्नाटक, सुरथकल
		– बसावेश्वर इंजीनियरिंग कालेज, बगलकोट
5.	झारखण्ड	बिरला प्रौद्योगिक संस्थान, मेसरा, रांची
6.	मध्य प्रदेश	मौलाना आजाद प्रौद्योगिक कालेज, भोपाल
7.	महाराष्ट्र	पुना विश्वविद्यालय, पुणे
8.	पंजाब	– गुरू नानक इंजीनियरिंग कालेज, लुधियाना
		– थापर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला
9.	तमिलनाडु	– राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली
		– पी.एस.जी. कालेज ऑफ टेक्नोलोजी, कोयम्बतूर
10.	उत्तर प्रदेश	हारकोर्ट बटलर टेक्नोलोजीकल ईस्टीट्यूट, कानपुर
11.	उत्तरांचल	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की
12.	पश्चिम बंगाल	भारत प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), खड़गपुर

विवरण-II

दिनांक 31-12-2006 तक टेक्नोलोजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टी.वी.आई.) की राज्यवार सूची

क्रम सं.	राज्य	स्थान	प्रौद्योगिकी क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सेमी एरिड ट्रोपिक्स, हैदराबाद	कृषि प्रौद्योगिकी
2.		आई.सी.आई.सी.आई. नोलेज पार्क, हैदराबाद	जीवन विज्ञान
3.	गुजरात	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	उदीयमान प्रौद्योगिकी
4.		नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद	डिजाइन
5.		निरमा लैब्स, अहमदाबाद	सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार
6.	कर्नाटक	कम्पोजिट डिजाइन सेंटर, बेंगलूर	प्राकृतिक कम्पोजिट पदार्थ
7.	केरल	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट	सूचना प्रौद्योगिक एवं इलैक्ट्रोनिक्स
8.	राजस्थान	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, पिलानी	वी.एल.एस.आई. डिजाइन, एम्बेडेड उत्पाद
9.	तमिलनाडु	जैव प्रौद्योगिक केन्द्र, अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई	औद्योगिक जैव प्रौद्योगिक
10.		कोंगू इंजीनियरिंग कालेज, इरोड	एम्बेडेड प्रणालियां, अंकीय सिग्नल प्रसंस्करण।
11.		मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	जैव प्रौद्योगिकी
12.		पी.एम. कालेज ऑफ टेक्नोलोजी, तंजावुर	स्वास्थ्य उत्पाद
13.		वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लोर	आटोमोबाइल जैव प्रौद्योगिकी
14.		भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	आई.सी.टी.
15.	उत्तर प्रदेश	जे.एस.एस. एकडेमी ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन, नोएडा	सूचना प्रौद्योगिक
16.		कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी, गाजियाबाद	आई.टी. इलैक्ट्रोनिक्स और यांत्रिक इंजीनियरिंग

विवरण-III

भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

क्र.सं.	राज्य	एस.टी.पी.आई. केन्द्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		तिरूपति
3.		विजयवाड़ा
4.		विजग
5.		वारंगल
6.		काकीनाडा

क्र.सं.	राज्य	एस.टी.पी.आई. केन्द्र
7.	असम	गुवाहाटी
8.	छत्तीसगढ़	भिलाई
9.	गुजरात	गांधीनगर
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
11.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
12.		जम्मू
13.	झारखण्ड	रांची
14.	कर्नाटक	बंगलौर
15.		हुबली
16.		मंगलौर
17.		मनिपाल
18.		मैसूर
19.	केरल	तिरूवन्तपुरम
20.	मध्य प्रदेश	इंदौर
21.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
22.		नागबुर
23.		नासिक
24.		नवी मुम्बई
25.		कोल्हापुर
26.		पुणे
27.	मणिपुर	इम्फाल
28.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
29.		राउरकेला
30.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
31.	पंजाब	मोहाली
32.	राजस्थान	जयपुर
33.		जोधपुर
34.	सिक्किम	गंगटोक
35.	तमिलनाडु	चेन्नई
36.		कोयम्बटूर
37.		मदुरै
38.		तिरूनेलवेली
39.		त्रिची
40.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
41.		लखनऊ
42.		नोएडा
43.		इलाहाबाद
44.	उत्तराखण्ड	देहरादून
45.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
46.		दुर्गापुर
47.		खड़गपुर
48.		सिलिगुड़ी

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय की खंडपीठों की स्थापना

***76. श्री पी. मोहन:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय की चार और खंडपीठों की स्थापना करने का प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के विचारार्थ भेजा है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में की जाने वाली भावी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ङ) दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग से संबंधित गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने क्रमशः वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2003-2004 की अनुदान मांगों संबंधी अपनी 56वीं, 61वीं और 101वीं रिपोर्टों में और कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की

अनुदान मांगों संबंधी 6ठी रिपोर्ट में दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना करने की सिफारिश की है।

संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर अधिविष्ट होगा, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियत करें।" तथापि, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और साथ ही पूर्ण न्यायालय देश के दक्षिणी और अन्य क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के प्रस्तावों का निरंतर विरोध करता रहा है। किन्तु अब अभिलेख-अधिवक्ता या स्वयं याची इंटरनेट के माध्यम से भारत के उच्चतम न्यायालय में मामले फाइल कर सकता है।

कृषि ऋण पर ब्याज दर

***77. श्री जुएल ओराम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कृषि ऋण पर ब्याज की दर में कमी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) खरीफ और रबी 2005-06 के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋणों की ब्याज दरों पर, ब्याज के भार को कम करने के लिए 1,00,000/- रुपए तक की मूल राशि पर उधारकर्ता के दायित्व के दो प्रतिशत बिन्दुओं के बराबर राशि उनके खाते में जमा कर दी गई थी। तत्पश्चात्, खरीफ 2006 से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को मूल राशि की 3 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ अल्पावधि उत्पादन ऋण 7 प्रतिशत की दर पर प्राप्त हो, सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनके अपने संसाधनों में दिए गए उधार पर 2 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज सहायता और सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से ली गई उनकी उधार राशियों पर रियायती दरों पर पुनर्वित्त प्रदान कर रही है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन

***78. डा. एम.जगन्नाथ: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो नए दिशा-निर्देशों को कब तक लागू किया जाएगा?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान यह देखा गया कि इस स्कीम के दिशानिर्देशों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी और शहरी गरीबी की समस्या का समाधान करने में इस स्कीम की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ संशोधन अपेक्षित होंगे।

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान एस.जे.एस.आर.वाई. स्कीम को जारी रखने तथा इस स्कीम का अध्ययन आधारित मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया। इसके दिशानिर्देशों में संशोधन, यदि कोई हों, इस अध्ययन के निष्कर्षों पर निर्भर करेंगे।

ग्रामीण विद्युतीकरण

***79. श्री राम कृपाल यादव:**
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक राज्य में संपूर्ण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया है;

(ख) इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि जारी की गई और उनके द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या अधिकांश गांवों के वन क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण राज्यों में विद्युतीकरण कार्य को करने में कोई कठिनाई सामने आ रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान कितने जिलों/गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) देश में गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण और सभी ग्रामीण घरों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) तैयार की है। कार्यक्रम में आरंभ से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वर्ष-वार उपलब्धि निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	वर्ष	उपलब्धि (विद्युतीकृत गांवों की संख्या) .
1.	2005-06	9,819
2.	2006-07	20,743 (23-2-2007 तक)
	कुल	30,562

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत राज्य-वार उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(ख) दिनांक 23-2-2007 के अनुसार आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी पूंजी सब्सिडी 3285.75 करोड़ रुपये है।

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत निधियां कार्यान्वयन एजेंसियां, जिन्होंने अब तक उन्हें वितरित राशि को खर्च कर देने की सूचना दी है, द्वारा सूचित प्रगति के अनुरूप जारी की जाती है। राज्यवार संवितरण के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं।

(ग) और (घ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों के जरिए लाइनों के निर्माण हेतु शीघ्र वन स्वीकृति के लिए सिर्फ झारखंड सरकार ने विद्युत मंत्रालय से सहायता मांगी है। तदनुसार विद्युत मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालय के सारे मामले का उठाया है।

(ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत 40,000 गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरा किया जाएगा।

विवरण-I

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत राज्यवार ग्रामीण विद्युतीकरण

क्र. सं.	राज्य	2005-06 के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या	2006-07 के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या	विद्युतीकृत गांवों की कुल सं. (कॉलम 3+4)
1.	उत्तर प्रदेश	7503	12986	20489
2.	बिहार	1600	5012	6612
3.	पश्चिम बंगाल	352	1455	1807
4.	राजस्थान	230	618	848
5.	उत्तराखंड	87	672	759
6.	कर्नाटक	47	0	47
	कुल	9819	20743	30562

विवरण-II

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर.ई.सी. द्वारा राज्यवार वितरित राशि

क्र. सं.	राज्य	23-2-2007 के अनुसार वितरित राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	1659.28
2.	बिहार	427.69
3.	पश्चिम बंगाल	233.80
4.	कर्नाटक	134.32
5.	उत्तराखण्ड	106.58
6.	राजस्थान	105.41
7.	मध्य प्रदेश	104.66
8.	आन्ध्र प्रदेश	19.80

1	2	3
9.	छत्तीसगढ़	15.97
10.	हरियाणा	12.33
11.	गुजरात	9.77
12.	झारखण्ड	3.50
13.	उड़ीसा	3.50
	उप जोड़	**2836.61**
	बी.पी.एल. हेतु संवितरण	55.46
	कुल	2892.07*

* इसमें परियोजना लागत का 10% ऋण घटक शामिल है।

[हिन्दी]

मतदाता सूची

***80. श्री आलोक कुमार मेहताः**

श्री के. धनराजूः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई राज्यों में ग्राम पंचायतों के चुनावों, स्थानीय निकायों के चुनावों और विधान सभा/संसद के चुनावों के लिए अलग-अलग मतदाता सूची है जिसके कारण भ्रम पैदा होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मतदाता सूचियों को अद्यतन नहीं किया जाता है और कुछ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कुछ राज्यों में जांच करने पर 50 प्रतिशत मतदाता सूचियों को गलत पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही करने और उसे उद्यतन करने तथा सभी चुनावों के लिए केवल एक ही मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के लिए अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और जो ऐसे वर्ष की, जिसके प्रतिनिर्देश से नामावली पुनरीक्षित/अद्यतन की जा रही है, 1 जनवरी, को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है और जो अन्यथा संविधान या देश की किसी अन्य विधि के अधीन, निवासी न होने, मनःस्थिति ठीक न होने, अपराध या भ्रष्ट या अविधिपूर्ण कार्य करने के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं है, मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा तद्धीन बनाया गया निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंध विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने से संबंधित सभी मामलों के लिए लागू होते हैं। स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का उत्तरदायित्व अनुच्छेद 243ट और अनुच्छेद 243यक के अधीन संबंधित राज्य सरकार के राज्य निर्वाचन आयुक्त का है। देश भर में विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार किया जाता है, तैयार/पुनरीक्षित करने के लिए अर्हक तारीख एकसमान रूप से उस वर्ष की 1 जनवरी, है, जिसमें पुनरीक्षण आरंभ किया जाता है। सभी राज्यों के स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण की तारीख के लिए अर्हक तारीख संबंधी विषय को संबंधित राज्य निर्वाचन आयुक्तों से पूछा जा सकता है। स्थानीय निकायों की नामावलियों में प्रविष्ट नाम विधान सभा/संसद् निर्वाचन क्षेत्रों की नामावलियों में सम्मिलित किए जाने के लिए स्वतः ही अर्हित नहीं होते हैं। इस प्रकार, विभिन्न विधायी निकायों की निर्वाचक नामावलियों में भ्रम की कोई संभावना नहीं है।

(ग) निर्वाचन आयोग की सुसंगत नीति के अनुसार, विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को, सिवाय अपरिहार्य परिस्थितियों के, प्रत्येक वर्ष, आगामी वर्ष की 1 जनवरी की अर्हक तारीख के प्रतिनिर्देश से अद्यतन किया जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि एक गैर-सरकारी संगठन ने वर्ष 2005 में बंगलौर नगर के राजाजी नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के तीन मतदान केंद्रों की नामावलियों की शुद्धता के संबंध में एक अध्ययन आरंभ किया था। गैर-सरकारी संगठन ने यह पाया कि त्रुटि लगभग 70 प्रतिशत थी। इस विषय की जांच मुख्य निर्वाचक अधिकारी, कर्नाटक द्वारा की गई थी और यह पाया गया था कि गैर-सरकारी संगठन द्वारा सत्यापन करने के लिए अपनाई गई पद्धति में कुछ दोष अंतरनिर्हित थे जैसे कि (क) चूंकि गैर-सरकारी संगठन द्वारा नियोजित स्वयं सेवक मुख्यतः अन्य राज्यों से थे और वे महाविद्यालयों के ऐसे विद्यार्थी थे जो कन्नड़ या कोई अन्य दक्षिण भाषा नहीं जानते थे इसलिए वे बड़ी संख्या के घरों की अवस्थिति का पता नहीं लगा सके थे; (ख) ऐसी कोई अंतिम तारीख (नामावलियों में प्रविष्टियों की शुद्धता के संबंध में विनिश्चय करने के लिए या अन्यथा सर्वेक्षण की कोई तारीख या अर्हक कोई तारीख नियत नहीं की गई थी) नहीं ली गई थी जिसके प्रतिनिर्देश से अध्ययन किया गया था; (ग) उसने राज्य के लगभग 4 करोड़ मतदाताओं में से केवल 0.04 प्रतिशत रजिस्ट्रीकृत निर्वाचकों का सत्यापन किया था।

गैर-सरकारी संगठन से सत्यापन कार्य के लिए स्थानीय राजस्व पदधारियों की सहायता लेने का अनुरोध किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप रिपोर्ट में पहले सूचीबद्ध नामों के छूट जाने का पता चल गया था और पूर्व में प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम को काफी गलत पाया गया था क्योंकि अशुद्धता का प्रतिशत पहले रिपोर्ट किए गए 70 प्रतिशत से कम होकर 49 प्रतिशत रह गया था। इस सब को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने कर्नाटक राज्य की नामावलियों का गहन अध्ययन किया और घर-घर जाकर प्रत्येक विद्यमान नाम की जांच करने के उपबंध के साथ 46 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में गहन प्रकृति के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया था। शेष निर्वाचन क्षेत्रों में, साफ्टवेयर उपयोजन द्वारा नामावलियों को शुद्ध करके संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही की गई है।

(घ) भारत निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि जहां तक सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए समान निर्वाचक नामावली रखने का संबंध है, आयोग ने पहले ही इस मामले में पहल की थी और सभी राज्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ चर्चा की थी। पहली ऐसी बैठक 27-8-1997 को आयोजित की गई थी और तत्पश्चात् समय-समय पर ऐसी बैठकों का आयोजन किया गया है और ऐसी अंतिम बैठक 16-5-2006 को आयोजित की गई थी। आयोग ने जुलाई, 2000 में विभिन्न मुद्दों पर, जिनके अंतर्गत समान निर्वाचक नामावली और स्थानीय निकाय निर्वाचनों के लिए संपूर्णतः विधान सभा/संसदीय नामावलियों को अपनाए जाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो राज्य विधियों और नियमों को संशोधन करना है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखे थे। इन बैठकों में भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए समान निर्वाचक नामावली रखने के संबंध में आम सहमति थी। आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचक अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावलियों की मुद्रित प्रतियां निःशुल्क दिए जाने हेतु आवश्यक अनुदेश भी जारी किए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ कंप्यूटरीकृत निर्वाचक नामावली डाटा बेस शेयर करने के लिए भी निदेश जारी किए गए हैं ताकि वे अपने स्थानीय निकायों, अर्थात् नगरपालिका/पंचायत वार्डों के विस्तार के अनुसार निर्वाचक नामावलियां बना सके। निर्वाचक नामावली डाटा बेस को शेयर करने के लिए निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु बनी निगरानी समितियों का परिसमापन

494. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित योजनाओं की जांच और निगरानी के लिए गठित निगरानी समितियों को परिसमाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन समितियों के परिसमापन के पश्चात् कोई नई प्रणाली शुरू किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपनी स्थापना के बाद से आज की तिथि तक नियमानुसार कितने जिलों में उक्त समितियों की बैठकें हुई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्यों तथा जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों के पुनर्गठन के पश्चात्, अक्तूबर, 2004 से मार्च, 2005 तक 125 जिलों ने, 2005-06 के दौरान 341 जिलों ने तथा 2006-07 (आज की तारीख तक) के दौरान 345 जिलों ने, जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की कम से कम एक बैठक आयोजित की।

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्व-सहायता समूह

495. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ग्रामीण निर्धनता और ग्रामीण बेरोजगारी समाप्त करने के लिए अब तक राज्यवार कुल कितने स्व-सहायता समूहों की स्थापना की गई है;

(ख) इनमें से कितनों को I, II और अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इनमें से प्रत्येक में राज्यवार कितने लोगों को सम्मिलित किया गया है;

(ग) ऐसी कौन सी श्रेणियां हैं जिन्हें अभी तक ऋण और अन्य सहायता नहीं दी गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) एस.जी.एस.वाई. की शुरुआत अर्थात् 1-4-1999 से लेकर

अब तक योजना के अंतर्गत बनाए गए स्व-सहायता समूहों, ग्रेड-I, II के रूप में श्रेणीकृत स्व-सहायता समूहों और ग्रेड-II पास करने के पश्चात् आर्थिक सहायता की प्रतीक्षा कर रहे स्व-सहायता समूहों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ग्रेड-II पास कर चुके और आर्थिक सहायता की प्रतीक्षा कर रहे स्व-सहायता समूहों की संख्या 324526 है। ऐसे स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहायता उपलब्ध न करा पाने का मुख्य कारण, एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पर्याप्त निधियों की कमी है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विगत वर्षों के पिछले बकाया को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान में वृद्धि करने के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से अनुरोध किया है। ग्यारहवीं योजनावधि के प्रथम वर्ष (2007-08) के लिए एस.जी.एस.वाई. कार्यक्रम के लिए आबंटन में 600 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। आशा है कि आबंटन में वृद्धि के फलस्वरूप पिछला बकाया कुछ हद तक पूरा हो जाएगा।

विवरण

योजना की शुरुआत (1-4-99) से लेकर 2006-07 (दिसम्बर, 06) तक एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बनाए गए स्व-सहायता समूहों की सं.	ग्रेड-I पास कर चुके स्व-सहायता समूहों की सं.	ग्रेड-II पास कर चुके स्व-सहायता समूहों की सं.	आर्थिक सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की सं.	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों के सदस्य	सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	आर्थिक सहायता की प्रतीक्षा कर रहे स्व-सहायता समूह (5-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	468948	424511	380727	50991	624548	145711	770259	229736
2.	अरुणाचल प्रदेश	376	161	82	213	2819	9309	12128	0
3.	असम	132180	79695	35647	24233	288798	23240	312038	11414
4.	बिहार	108242	46768	21228	24625	264941	675685	940626	0
5.	छत्तीसगढ़	51780	21887	7308	5955	63826	117455	181281	1353
6.	गोवा	700	379	184	239	1820	2195	4015	0
7.	गुजरात	91852	26722	8018	5569	40500	142544	183044	2449
8.	हरियाणा	11825	7926	4933	4608	48732	67845	116577	325
9.	हिमाचल प्रदेश	5801	5073	4331	4284	40596	24600	65196	47
10.	जम्मू-कश्मीर	7420	3976	1180	3103	29194	38190	67384	0
11.	झारखण्ड	36405	21599	7985	12607	184378	249528	433906	0
12.	कर्नाटक	42292	24376	19234	19137	242674	56159	298833	97
13.	केरल	60303	42979	15856	8100	91754	96108	187862	7756
14.	मध्य प्रदेश	255395	91284	33878	29148	279076	201050	480126	4730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	महाराष्ट्र	140737	91631	44372	28157	295097	257770	552867	16215
16.	मणिपुर	705	139	36	17	2166	158	2324	19
17.	मेघालय	5413	3136	1035	828	18254	2783	21037	207
18.	मिजोरम	1455	740	789	1335	14883	900	15783	0
19.	नागालैण्ड	2868	1609	1561	2583	17584	7165	24749	0
20.	उड़ीसा	160399	85376	33325	22075	254068	241800	495868	11250
21.	पंजाब	4483	2722	1554	1813	19401	31005	50406	0
22.	राजस्थान	29219	16474	5589	4074	44705	213226	257931	1515
23.	सिक्कम	1395	796	284	311	3313	8830	12143	0
24.	तमिलनाडु	270399	171213	41457	27669	424925	38809	463734	13788
25.	त्रिपुरा	18873	7936	2653	6376	25423	48745	74168	0
26.	उत्तर प्रदेश	339931	172833	74448	67447	777833	441056	1218889	7001
27.	उत्तरांचल	19432	13342	7945	6322	57918	16190	74108	1623
28.	पश्चिम बंगाल	174359	122704	23925	9106	95178	145582	240760	14819
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	373	230	72	153	4110	156	4266	0
30.	दमन व दीव	0	0	0	0	45	68	113	0
31.	दादर व नगर हवेली	16	0	0	0	0	250	250	0
32.	लक्षद्वीप	5	2	0	1	3	80	83	0
33.	पांडिचेरी	1300	1141	539	357	4948	597	5545	182
	कुल	2444881	1489360	680175	371436	4263510	3304789	7568299	324526

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासों का निर्माण

496. श्री नरहरि महतो: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के निर्धन लोगों और अन्य कमजोर तबके के लिए राज्यवार कितने आवासों का निर्माण किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली गैर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के अन्य बी.पी.एल. परिवारों को आबंटित मकानों का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों के लिए बनाए गए मकानों का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(इकाई सं. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04				2004-05				2005-06			
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	43100	19190	43005	105295	50915	20425	54699	126039	56536	19239	56746	132521
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	6602	44	6646	0	4162	0	4162	0	5327	0	5327
3.	असम	17977	28536	32239	78752	29695	48997	50803	129495	23324	36722	44307	104353
4.	बिहार	103714	5309	74769	183792	141564	7342	103120	252026	178659	8043	144949	331651
5.	छत्तीसगढ़	3341	9374	5587	18302	3404	10254	6476	20134	5162	12568	8848	26578
6.	गोवा	10	1	222	233	15	16	397	428	10	50	555	615
7.	गुजरात	7825	12982	10382	31189	7340	14308	12006	33654	13302	28469	23831	65602
8.	हरियाणा	5840	0	3335	9175	5725	0	3120	8845	6090	0	3653	9743
9.	हिमाचल प्रदेश	1829	116	1896	3841	2240	308	2201	4749	1523	224	1284	3031
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	8412	8412	0	0	7252	7252	0	0	8231	8231
11.	झारखण्ड	13608	28059	18623	60290	17398	28192	20491	66081	18619	33805	22979	75403
12.	कर्नाटक	21639	7554	20640	49833	22880	7339	20488	50707	24621	9158	23165	56944
13.	केरल	20508	2431	16886	39825	22071	2002	15758	39831	18817	1981	15615	36413
14.	मध्य प्रदेश	20660	23351	21757	65768	23594	27052	24719	75365	17727	22522	19171	59420
15.	महाराष्ट्र	34555	29793	38787	103135	37504	27620	40325	105449	31793	25880	36601	94274

16.	मणिपुर	95	1367	204	1666	122	5250	448	5820	60	4429	473	4962
17.	मेघालय	252	6015	198	6465	93	4533	39	4665	222	6305	151	6678
18.	मिजोरम	0	2202	0	2202	0	2052	0	2052	0	2182	0	2182
19.	नागालैण्ड	0	5966	0	5966	0	5099	0	5099	0	7949	0	7949
20.	उड़ीसा	60495	32747	60963	154205	33643	23917	32331	89891	32083	21770	33217	87070
21.	पंजाब	5093	0	957	6050	3806	0	654	4460	6730	0	1138	7868
22.	राजस्थान	16837	10213	14838	41888	13374	6951	10745	31070	17609	7733	13129	38471
23.	सिक्किम	120	859	1062	2041	221	604	759	1584	230	388	678	1296
24.	तमिलनाडु	33304	2109	21656	57069	35306	1425	21956	58687	39032	1384	26018	66434
25.	त्रिपुरा	3395	7080	4528	15003	2386	5359	4387	12132	2392	5183	4327	11902
26.	उत्तर प्रदेश	117404	96	73450	190950	120411	560	78125	199096	112072	452	73017	185541
27.	उत्तरांचल	10743	1586	9337	21666	11687	2304	12385	26376	6931	1875	12916	21722
28.	पश्चिम बंगाल	47025	11074	32502	90601	76623	20070	58905	155598	47277	14852	37130	99259
29.	अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	0	402	269	671	0	217	120	337	0	0	90	90
30.	दादर नागर हवेली	0	14	0	14	0	108	0	108	0	101	0	101
31.	दमन व दीव	0	2	5	7	0	8	1	9	0	5	1	6
32.	लक्षद्वीप	0	14	0	14	0	16	0	16	0	48	0	48
33.	पांडिचेरी	104	0	160	264	53	0	35	88	76	0	162	238
	कुल	589473	255044	516713	1361230	662070	276490	582745	1521305	660897	278644	612382	1551923

[अनुवाद]

कर संग्रह हेतु लक्ष्य

497. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और लक्ष्य की तुलना में कितना कर संग्रह हुआ है;

(ख) क्या इस वर्ष के दौरान अभी तक निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व अर्जित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्व अर्जन में कोई कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्व में कमी के क्या कारण है; और

(च) निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) वर्ष 2006-07 (जनवरी, 2007 तक) के दौरान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के लक्ष्यों और संग्रहण का विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ों में)

कर का शीर्ष	लक्ष्य (बजट अनुमान) 2006-07	जनवरी 2007 तक संग्रहण	प्राप्त लक्ष्य का प्रतिशत
निगमित कर	133010	97315	73.16%
व्यक्तिगत आयकर (एफ.बी.टी., एस.टी.टी. और बी.सी.टी.टी. सहित)	77409	57990	74.91%
अन्य प्रत्यक्ष कर	265	272	102.63%
सीमा शुल्क	77066	70872	91.96%
*उत्पाद शुल्क	117967	90677	76.86%
**सेवा कर	34500	25662	74.38%

*राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर सहित

**सेवा कर संग्रहण के आंकड़े दिसम्बर, 2006 तक के हैं।

(घ) से (ङ) चूंकि वर्ष 2006-07 के लिए वास्तविक संग्रहण की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, अतः उसके परिणामों का इस स्तर पर उल्लेख नहीं किया जा सकता।

(च) अधिक कर राजस्व की वसूली के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें कार्य दल द्वारा बकाया की निगरानी, कर कानूनों के स्वेच्छापूर्वक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए बहुमीडिया अभियान, टैरिफ संरचना का योक्तिकीकरण, जहां कहीं आवश्यक हो, कर रियायतों की वापिसी और समीक्षा, चोरी-रोधी उपायों के माध्यम से राजस्व की चोरी को समाप्त करना, आयातित वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की निगरानी एवं प्रसार करना, कर अनुपालन को सुधारने के लिए कर संग्रहण प्रक्रियाओं का सरलीकरण इत्यादी शामिल है।

गोदाम निर्माण हेतु ऋण

498. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक की विभिन्न सहकारी संस्थाओं ने राज्य

के ग्रामीण इलाकों में 5000 गोदाम बनाने की योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित इन ग्रामीण गोदामों को ऋण देने से मना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में बैंकों को अनुदेश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भारत सरकार की ग्रामीण भण्डारण योजना के अंतर्गत 8.39 मीट्रिक टन की क्षमता वाले 1043 ग्रामीण गोदामों का निर्माण विभिन्न राज्यों में किसानों, भागीदारी फर्मों, सहकारिताओं, निगमों तथा अन्य उद्यमियों द्वारा अब तक (1 अप्रैल, 2001 से आज तक) कर दिया गया है। गोदामों के निर्माण के लिए ऋण सहायता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों सहित सभी वित्तपोषक बैंकों द्वारा दी जा रही है। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कुल 29.42 करोड़ रुपए की राशि की पूंजी सब्सिडी संवितरित कर दी गई है। बैंकों ने 1043 गोदामों के वित्तपोषण हेतु 87.58 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 28 गोदामों के लिए कर्नाटक सरकार को आर.आई.डी.एफ. के तहत 17.06 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

[हिन्दी]

उत्तराधिकारियों को संदाय

499. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एकमात्र खाताधारक की मृत्यु की अवस्था में उसके उत्तराधिकारी को धनराशि का संदाय तभी किया जाता है जब वह उत्तराधिकारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान प्रणाली से मृतक के उत्तराधिकारी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने पाया है कि किसी मृतक जमाकर्ता के दावे के संबंध में लागू जटिल कार्यपद्धतियों के कारण परिवार के सदस्यों को बहुत दुख होता है। मृतक जमाकर्ताओं के दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित को सुनिश्चित करने की सलाह दी है:-

(i) मृतक जमाकर्ता के उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/नामिति (नामितियों) को भुगतान करते समय, बैंक को मृतक खाताधारक के खाते में जमा राशि को ध्यान में रखे बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन पत्र अथवा वसीयत प्रमाण पत्र, आदि प्रस्तुत करने का आग्रह नहीं करना चाहिए।

(ii) ऐसे मामले जिनमें मृतक जमाकर्ता ने कोई नामांकन नहीं किया था अथवा "दोनों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी" प्रकार के खातों से इतर खातों के लिए, बैंक न्यूनतम प्रारंभिक सीमा को उस सीमा तक निर्धारित कर सकते हैं जिसमें मृतक जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का निपटान क्षतिपूर्ति पत्र से इतर किसी कागजात को प्रस्तुत करने का आग्रह किए बिना किया जा सकता है।

(iii) मृतक जमाकर्ताओं के संबंध में दावा प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर दावों का निपटान जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा दावेदार की उचित पहचान के संबंध में बैंक द्वारा संतुष्ट होने पर ही किया जाता है तथा उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/नामिति (नामितियों) को भुगतान की राशि जारी की जाती है।

(iv) नामांकन सुविधा तथा उत्तरजीविता खण्ड के लाभों के संबंध में व्यापक प्रचार किया जाता है और जमा खाताधारकों को मार्गदर्शन दिया जाता है।

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत क्षमता

500. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत की अनुमानतः कितनी क्षमता है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में जल विद्युत क्षमता का इष्टतम उपयोग

करने के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस समूह के विचारार्थ विषय क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में मौजूद जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) अधिष्ठापित क्षमता के सम्बन्ध में सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अनुमानित जल विद्युत क्षमता लगभग 63,250 मेगावाट है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 1998 में भारत सरकार द्वारा घोषित जल विद्युत विकास सम्बन्धी नीति और फरवरी, 2005 में घोषित राष्ट्रीय विद्युत नीति देश में विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और अन्य हिमालयन राज्यों में व्यवहार्य जल विद्युत क्षमता के तीव्र विकास पर बल देती है। भारत सरकार ने 2003-04 में 50,000 मेगावाट की जल विद्युत पहल भी शुरू की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित कुल 162 योजनाओं, जिनके लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई हैं, में से लगभग 32,000 मेगावाट की 72 योजनाएं सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त, 20,822 मेगावाट की औसतन वाली 34 योजनाएं इस क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं जांच के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त, 7,875 मेगावाट की 14 योजनाएं 11वीं योजना के दौरान लाभ प्राप्त करने हेतु इस क्षेत्र में अनंतिम रूप से चिन्हित की गई हैं।

[हिन्दी]

ऋण वसूली प्राधिकरण में लंबित मामले

501. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार ऋण वसूली प्राधिकरण के पास कितने मामले लंबित हैं और इनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) क्या ऋण वसूली प्रक्रिया में कोई खामियां हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऋणी इन खामियों का फायदा उठा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन खामियों को दूर करने और मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) आज की तिथि तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) दिनांक 31-12-2006 तक ऋण वसूली अधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या 27,250 है। इनमें 100,461 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है।

(ख) सरकार के ध्यान में कोई खामियां नहीं आई हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) प्रीमियम में कटौती

502. श्री नवीन जिंदल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सभी श्रेणियों के वाहनों पर तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) प्रीमियम में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो पहले इसकी दर में वृद्धि करने और तत्पश्चात् इसमें कमी करने के क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न प्रकार के वाहनों के तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) प्रीमियम की संशोधित दरें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) प्रशुल्क सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) ने दिनांक 1 जनवरी, 2007 से बीमा कारोबार के विभिन्न वर्गों में प्रशुल्क की समाप्ति को अधिसूचित किया है। वाहनों पर तृतीय पक्ष बीमा के अनिवार्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तथा दावों के उच्च अनुपात के कारण इसके प्रीमियम में अत्यधिक वृद्धि का पूर्वानुमान करते हुए, आई.आर.डी.ए. अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आई.आर.डी.ए. ने सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि सभी वाहन मालिकों को बिना किसी समस्या के वाहन तृतीय पक्ष बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए वाहन तृतीय पक्ष दायित्व सुरक्षा के लिए प्रीमियम दरों की सूची निर्धारित की है। वाहन ट्रांसपोर्टर्स की विभिन्न एसोसिएशंस का विचार था कि वाहन तृतीय पक्ष प्रीमियम की

दरें बहुत अधिक है तथा आई.आर.डी.ए. और सरकार को इसके बारे में उन्होंने अभ्यावेदन दिए। वाहन ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशंस और साधारण बीमा कंपनियों के साथ बातचीत के पश्चात् आई.आर. डी.ए. ने 23 जनवरी, 2007 को वाहन बीमा प्रीमियम दरों की संशोधित सूची जारी की।

(ग) वाहन तृतीय पक्ष दायित्व के लिए प्रीमियम दरों की संशोधित सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(परिपत्र संदर्भ: 043/आई.आर.डी.ए.)/डी-औरिफ जनवरी 07 दिनांक 23 जनवरी, 2007 के साथ संलग्न सूची)

(संशोधित)

मोटर तृतीय पक्ष दायित्व से प्रीमियम दरों की सूची

(मोटर बीमा पालिसी के नए बीमा और नवीकरण के लिए दिनांक 1 जनवरी, 2007 से प्रभावी)

1	2	3
वाहन की श्रेणी	प्रीमियम	
प्राइवेट कार		
वाहनों की क्यूबिक कैपेसिटी	(रु.)	
1000 सीसी से अनधिक	670	
1000 सीसी से अधिक लेकिन 1500 सीसी से अनधिक	800	
1500 सीसी से अधिक	2500	
दो-पहिया वाहन		
वाहनों की क्यूबिक कैपेसिटी		
75 सीसी से अनधिक	300	
75 सीसी से अधिक लेकिन 150 सीसी से अनधिक	300	
150 सीसी से अधिक लेकिन 350 सीसी से अनधिक	300	
350 सीसी से अधिक	620	
सामान लाने ले जाने वाले वाहन-सार्वजनिक वाहन (तीन पहिया वाहनों के अलावा)		
कुल वाहन भार (जी.वी.डब्ल्यू.)		
7500 कि.ग्रा. से अनधिक	5580	
7500 कि.ग्रा. से अधिक लेकिन 12000 कि.ग्रा. से अधिक	5920	
12000 कि.ग्रा. से अधिक लेकिन 20000 कि.ग्रा. से अनधिक	6090	
20000 कि.ग्रा. से अधिक किन्तु 40000 कि.ग्रा. से अधिक	6260	
40000 कि.ग्रा. से अधिक	6770	

1	2	3
सामान लाने ले जाने वाले वाहन-सार्वजनिक वाहन (तीन पहिया वाहनों के अलावा)		
कुल वाहन भार (जी.वी.डब्ल्यू.)		
7500 कि.ग्रा. से अनधिक	5000	
7500 कि.ग्रा. से अधिक लेकिन 12000 कि.ग्रा. से अनधिक	5300	
12000 कि.ग्रा. से अधिक लेकिन 20000 कि.ग्रा. से अनधिक	5440	
20000 कि.ग्रा. से अधिक किन्तु 40000 कि.ग्रा. से अधिक	5610	
40000 कि.ग्रा. से अधिक	6050	
सामान लाने ले जाने वाले यांत्रिकृत तिपहिया वाहन और यांत्रिकृत पैडल साइकिल-सार्वजनिक वाहन	1530	
सामान लाने ले जाने वाले यांत्रिकृत तिपहिया वाहन और यांत्रिकृत पैडल साइकिल-सार्वजनिक वाहन	1450	
ट्रेलर्स	कृषि ट्रैक्टर्स 6 एचपी तक	विविध सहित अन्य वाहन तथा विशेष प्रकार के (श्रेणी घ) वाहन
प्रत्येक ट्रेलर के लिए	350	550
(एक से अधिक ट्रेलर के लिए कृपया ट्रेलर की संख्या द्वारा गुणा करें)		
यात्रियों के आवागमन के लिए प्रयोग होने वाले चार पहिया वाहन अनुबंध के लिए या प्रतिफल सहित वहन क्षमता 6 (छ:) यात्रियों से अनाधिक वाहनों की क्यूबिक कैपेसिटी	**प्रीमियम (लाइसेंस) (क)**	**प्रीमियम (यात्री क्षमता पर) (ख)**
1000 सीसी से अनधिक	1650	350
1000 सीसी से अधिक लेकिन 1500 सीसी से अनधिक	2330	350
1500 सीसी से अधिक	2840	350
● टीपी प्रीमियम एक मूल राशि (क) का कुल है जमा एक राशि (ख) द्वारा लाइसेंसीकृत क्षमता गुणा करने पर प्राप्त राशि		
सी-2 किराये या प्रतिफल के लिए छः यात्रियों से अधिक वहन क्षमता सहित चार या उससे अधिक पहिया वाहन	3160	235
किराये या प्रतिफल सहित यात्रियों के आवागमन के लिए वहन क्षमता 6 (छ:) यात्रियों से अधिक के लिए प्रयोग में आने वाले तिपहिया वाहन	510	315

1		2	3
●	टीपी प्रीमियम एक मूल राशि (क) का कुल है जमा एक राशि (ख) द्वारा लाइसेंसीकृत क्षमता गुणा करने पर प्राप्त राशि		
सी-3	यांत्रिकृत तिपहिया किराये या प्रतिफल सहित यात्रियों के आवागमन के लिए वहन क्षमता 6 (छ:) लेकिन 17 यात्रियों से अनधिक के लिए यांत्रिकृत तिपहिया यात्री वहन वाहन	1560	315
●	टीपी प्रीमियम एक मूल राशि (क) का कुल है जमा एक राशि (ख) द्वारा लाइसेंसीकृत क्षमता गुणा करने पर प्राप्त राशि		
सी-2	17 यात्रियों से अधिक वहन क्षमता सहित तिपहिया	3160	235
●	टीपी प्रीमियम एक मूल राशि (क) का कुल है जमा एक राशि (ख) द्वारा लाइसेंसीकृत क्षमता गुणा करने पर प्राप्त राशि		
सी-4	किराये या - के लिए यात्रियों के आवागमन के लिए प्रयुक्त यांत्रिकृत		
	दो पहिया		
	वाहनों की क्यूबिक क्षमता		
	75 सीसी से अनधिक	300	
	75 सीसी से अधिक लेकिन 150 सीसी से अनधिक	300	
	150 सीसी से अधिक लेकिन 350 सीसी से अनधिक	300	
	350 सीसी से अधिक	680	
डी	**विशेष प्रकार के वाहन**		
	(i) 6 एचपी एवं अनाधिक होर्स पावर रेटिंग सहित मानव द्वारा नियंत्रित कृषि ट्रैक्टर्स; हीयर्स एंड प्लेन लोडर्स	400	
	(ii) अन्य विविध तथा विशेष प्रकार के वाहन	800	
ई	**मोटर ट्रेड (सड़क जोखिम)**		
	(i) 2400 कि.मी. से अनधिक दूरी	500	
	(ii) 2400 कि.मी. से अधिक दूरी	600	
	मोटर ट्रेड (सड़क जोखिम) (यांत्रिकृत दो पहिया के अतिरिक्त)		
	नामित ड्राईवर या ट्रेड सर्टिफिकेट		
	पहला नामित ड्राइवर सर्टिफिकेट	550	
	अतिरिक्त ड्राईवरों के लिए/सर्टिफिकेट 5 तक	265/- प्रति ड्राईवर/सर्टिफिकेट	
	अतिरिक्त ड्राईवरों/सर्टिफिकेट के लिए 5 लेकिन 10 से अनधिक	175/- प्रति ड्राईवर/सर्टिफिकेट	
	अतिरिक्त ड्राईवरों/सर्टिफिकेटल के लिए 10 से अधिक लेकिन 15 से अनधिक		

1	2	3
मेटर ट्रेड (रोड जोखिम) (यांत्रिकृत दो पहिया)		
नामित ड्राईवर या ट्रेड सर्टिफिकेट		
पहला नामित ड्राईवर या सर्टिफिकेट	300	
प्रत्येक अतिरिक्त ड्राइवरों/सर्टिफिकेट के लिए	150	

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम राज्यों को अंतरित करना

503. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) राज्यों को अंतरित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) राज्यों को हस्तांतरित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महासागर और वायुमंडलीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ

504. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विश्वविद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां पर महासागर और वायुमंडलीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ मौजूद हैं;

(ख) मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयों में महासागर और वायुमंडलीय विज्ञान तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को किस प्रकार से सहायता दी जा रही है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र द्वारा वर्षवार कितनी अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(घ) इन अनुसंधान परियोजनाओं के क्या परिणाम निकले हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में स्थापित नौ समुद्र वायुमण्डलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेलों (ओ.ए.एस.टी.सी.) के सेट के माध्यम से, समुद्री अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। ये सेल 8 विभिन्न राज्यों में स्थित हैं अर्थात् बहरामपुर विश्वविद्यालय, बहरामपुर, उड़ीसा; भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर, गुजरात; आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश; कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि, केरल; गोवा विश्वविद्यालय, गोवा; अन्नामलाई विश्वविद्यालय, परंगी पेटै, तमिलनाडु; तमिल विश्वविद्यालय, तंजावुर, तमिलनाडु; मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर, कर्नाटक तथा आई.आई.टी., खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। दो उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.ई.) अन्नामलाई विश्वविद्यालय, परंगीपेटै (समुद्री जीव-विज्ञान) और गोवा विश्वविद्यालय, गोवा (समुद्री सूक्ष्म जीव विज्ञान) में स्थापित किए गए जो इस समय पूर्ण सुविधायुक्त केन्द्र बन गए हैं। परियोजनाओं की मॉनीटरिंग एक संचालन समिति द्वारा की जा रही है और ओ.ए.एस.टी.सी./सी.ओ.ई. की कार्य-प्रणाली का संचालन संबंधित प्रबंधन बोर्ड करते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इनकॉयस), विगत तीन वर्षों से विशेष रूप में तीन मूल अनुसंधान परियोजनाएं अर्थात् हिंदमहासागर मॉडलिंग और गतिकी अध्ययन (इंडोमोड), उपग्रह तटीय समुद्र विज्ञानी अनुसंधान (सैटकोर) तथा भारतीय आर्गो परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

परिणामों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

10 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा चलाई जा रही इंडोमोड परियोजना विशेष रूप से (i) समुद्र और जयवायु, (ii) तटीय समुद्र, (iii) हानिकारक मौसम स्थितियों, (iv) डाटा समावेशन और एटलस (v) वैधीकरण के लिए प्रेक्षणों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का समाधान करने के लिए मुख्य रूप से व्यापक रेंज वाले समुद्र-वायुमण्डलीय मॉडलों के सूट के विकास के लिए बनाई गई है। इस परियोजना के तहत, भारतीय मानसून की परिवर्तनीयता को समझने के लिए समुद्र तथा वायुमण्डलीय सामान्य परिसंचरण मॉडलों (जी.सी.एम.) का उपयोग करते हुए अनेक प्रयोग किए गए। इसके अलावा, हुगली और खंभात की खाड़ी के लिए तलछट परिवहन मॉडलों को भी अनुरूप बनाया

गया। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, हिंद महासागर में विषुवत रेखा के समानान्तर (93⁰ पूर्वी, 83⁰ पूर्वी और 76⁰ पूर्वी देशान्तर पर) तीन धारा मीटर एरे लगाए गए तथा चार वर्ष की अवधि के लिए बहुमूल्य डाटा प्राप्त किए। साथ हीसतह मौसम विज्ञानी और ऊपरी समुद्री डाटा प्राप्त करने के लिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 60 से अधिक ड्रिफ्टर लगाए गए। इस परियोजना से प्राप्त परिणामों को प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और 90 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित किया गया।

इस सैटकोर परियोजना के तहत भारतीय तथा विदेशी दोनों उपग्रहों से उपग्रह पैरामीटरों (अर्थात् समुद्र सतह तापमान, पवनों, तरंग क्लोरोफिल, ऐरोसोल, जलवाष्प और बादलों) की पुनः प्राप्ति के लिए अनेक क्षेत्रीय एल्गोरिथ्म विकसित किए गए। इनमें से कुछ पैरामीटरों को पहले से ही इनकॉयस में प्रचालनीय सेवाओं के उपयोग के लिए कार्यान्वित किया जा चुका है।

भारतीय आर्गो परियोजना के तहत, मॉड्यूलर समुद्र मॉडल (एम.ओ.एम.) पर आधारित एक उच्च विभेदन हिंद महासागर मॉडल और एक क्षेत्रीय समुद्र मॉडलिंग प्रणाली (रोम्स) को स्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम की स्थिति

505. श्री कीरेन रिजीजू: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चालू मौसम के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बर्फबारी के न होने से आगामी मौसम पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने मौसम की स्थितियों/जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों की एक समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) यह सत्य नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई है। परंतु बर्फबारी, विशेष रूप से जनवरी 2007 में सामान्य से काफी कम थी। फरवरी 2007 के दौरान काफी अच्छी बर्फबारी हुई। वस्तुतः पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 4-5 अवधियों के दौरान बर्फबारी हुई और फरवरी 2007 के दूसरे तथा अंतिम सप्ताह के दौरान दो अवधियों में बर्फबारी बहुत अधिक हुई।

(ख) विशेष रूप से शीत ऋतु के दौरान जिन पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई उनमें जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। जनवरी के दौरान इन क्षेत्रों में बहुत कम बर्फबारी हुई। बाद में कुछ सक्रिय पश्चिम विक्षोभों से वर्षा होनी शुरू हो गई और 8 से 14 फरवरी, 2007 तथा 26 फरवरी, 2007 के बाद काफी अच्छी वर्षा/बर्फबारी हुई। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में शीत ऋतु में बर्फबारी बढ़ी है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि नवम्बर एवं दिसम्बर, 2006 के दौरान रिपोर्ट की गई बर्फबारी, कई स्टेशनों के लिए निकाले गए दीर्घावधि औसत से भी अधिक थी। परंतु, कुल मिलाकर जनवरी, फरवरी 2007 के दौरान बर्फबारी हुई।

(ग) इससे, आगामी मानसून की वर्षा संबंधी सक्रियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) और (ङ) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना 'पर्वत' वर्ष 1999 में शुरू की है जो रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.), हिम एवं हिम-स्खलन अध्ययन स्थापना (एस.ए.एस.ई.), सेना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (आई.एम.डी. एवं एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.) तथा भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.) का संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त 26 सतह आधारित तथा 3 उपरितन वायु वेधशालाओं की स्थापना करके पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की मौसमविज्ञानी वेधशालाओं के नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य मौसम तथा हिम-स्खलन पूर्वानुमान में सुधार करने तथा जलवायु विज्ञानी अध्ययन करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य करना है, इस परियोजना के कार्यक्षेत्र का मध्य हिमालय क्षेत्र तक विस्तार किए जाने की भी योजना है।

- उत्सर्जन: देश के कई संस्थान वैश्विक गर्मी तथा जलवायु परिवर्तनों संबंधी मुद्दे का समन्वित प्रयास से समाधान खोज रहे हैं।
- सरकार ने ऐसी स्थितियों में कमी लाने के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एम.डी.एम.ए.) का गठन किया है।

[अनुवाद]

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2004

506. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2004 के प्रस्तावित मसौदे पर राज्यों के विचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) अर्जन प्रक्रिया को समयबद्ध तथा कारगर बनाने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के कुछेक प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2004 के प्रस्तावित प्रारूप को राज्य सरकारों को, उनके विचार प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया था। सभी राज्य सरकारों से उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। तदनुसार, इन प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अतः संशोधित विधेयक को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र

507. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार पंजाब में ऐसी कोई परियोजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, अनुरक्षण और संचालन के लिए एक विशेष उद्देश्य साधन के निर्माण की परिकल्पना की जा रही है। सरकार अक्षय ऊर्जा के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.) की स्थापना को सुगम बनाने के लिए सहायता देगी बशर्ते कि इस संबंध में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों।

(घ) और (ङ) ऊपर बताई गई स्थिति के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

508. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित और वितरित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत रोजगार सृजन की राज्यवार स्थिति क्या है और इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और उनमें से महिलाओं का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार कार्यक्रम के अंतर्गत अल्प-विकसित और पिछड़े राज्यों के लिए धनराशि आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान 31 दिसंबर, 2006 तक महाराष्ट्र के लिए इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) पिछले तीन वर्षों के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत केन्द्रीय धनराशि का राज्यवार अनन्तिम आबंटन और वितरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न घटकों के अंतर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के तहत सहायता प्रदान किए गए लाभार्थियों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एस.जे.एस. आर.वाई.) के कार्यान्वयन के दौरान राज्यों को केन्द्रीय धनराशि के अतिरिक्त शहरी गरीबी प्रभाव पर आधारित अनंतिम आबंटन उनके अनुरोध, वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन के साथ-साथ अधिशेष धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2006-07 के दौरान 3-12-2006 तक महाराष्ट्र को कोई अतिरिक्त धनराशि जारी नहीं की गई थी। तथापि, हाल ही में, 15-2-2007 को उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर वर्ष 2006-07 के दौरान महाराष्ट्र को 32.76 करोड़ रुपए के इसके अनन्तिम आबंटन के अतिरिक्त 5.00 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

विवरण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आवंटित/जारी राज्यवार केन्द्रीय अंश दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2003-04 के दौरान आवंटन	वर्ष 2003-04 के दौरान वितरण	वर्ष 2004-05 के दौरान आवंटन	वर्ष 2004-05 के दौरान वितरण	वर्ष 2005-06 के दौरान आवंटन	वर्ष 2005-06 के दौरान वितरण	वर्ष 2006-07 के दौरान आवंटन	वर्ष 2006-07 के दौरान वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	790.19	1390.19#	773.35	1116.41#	1126.17	1526.17#	1938.99	1938.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	53.63	7.84	53.26	7.69	60.76	0.00	93.36	46.68
3.	असम	506.43	0.00	496.32	245.07	776.37	0.00	1234.44	0.00
4.	बिहार	425.38	425.38	468.09	468.09	681.66	681.66	1173.65	0.00
5.	छत्तीसगढ	235.88	229.65	278.58	119.31	405.67	405.67	698.46	349.23
6.	गोवा	7.66	0.00	7.50	0.00	10.91	0.00	18.79	0.00
7.	गुजरात	364.59	260.19	356.82	164.36	519.62	0.00	894.65	894.65
8.	हरियाणा	69.95	569.95#	68.47	668.47#	99.71	681.12#	171.67	571.67
9.	हिमाचल प्रदेश	44.77	32.58	44.75	2.17	5.36	45.36#	9.24	9.24
10.	जम्मू-कश्मीर	52.93	30.41	52.88	128.17#	1452.81	9.06	15.61	0.00
11.	झारखंड	212.31	0.00	156.02	0.00	227.16	0.00	391.11	0.00
12.	कर्नाटक	577.46	577.46	565.15	1165.15#	822.99	822.99	1416.98	1416.98
13.	केरल	260.50	610.50	254.95	554.95#	371.26	681.26#	639.22	639.22
14.	मध्य प्रदेश	818.32	818.32	753.15	931.49#	1096.76	1596.76#	1888.35	2388.35
15.	महाराष्ट्र	1335.21	322.56	1306.75	1508.66#	1902.92	2552.92#	3276.34	3776.34
16.	मणिपुर	140.43	0.00	137.64	0.00	222.78	111.39	342.32	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय	72.36	0.00	70.91	0.00	114.77	0.00	176.35	0.00
18.	मिजोरम	95.76	522.79	93.84	491.04#	151.90	351.90#	233.40	533.40
19.	नागालैण्ड	59.58	1.90	58.38	34.02	94.51	194.51#	145.23	145.23
20.	उड़ीसा	329.69	0.00	322.65	48.91	469.86	469.86	808.97	808.97
21.	पंजाब	55.69	0.00	54.49	0.00	79.36	39.68	136.63	135.71
22.	राजस्थान	347.59	122.96	340.19	256.29	495.38	495.38	852.93	852.93
23.	सिक्किम	17.55	163.21	17.47	0.00	13.50	0.00	20.75	0.00
24.	तमिलनाडु	648.58	648.58	634.76	511.69	924.36	924.36	1591.51	1891.51
25.	त्रिपुरा	104.26	354.26	102.18	352.18#	165.40	0.00	254.15	0.00
26.	उत्तरांचल	76.49	46.27	74.82	160.31#	109.14	309.14#	187.91	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	1453.55	1571.74#	1422.61	2622.61#	2071.43	3071.43#	3566.49	4566.49
28.	पश्चिम बंगाल	433.26	883.26	424.02	424.02	617.47	617.47	1063.13	531.57
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	117.01	0.00	131.03	0.00	55.48	0.00	55.79	0.00
30.	चंडीगढ़	136.98	278.37	154.29	28.64	104.03	0.00	104.61	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	14.63	14.63	16.38	0.00	6.94	0.00	6.97	0.00
32.	दमन व दीव	24.38	0.00	27.30	0.00	11.56	0.00	11.62	0.00
33.	दिल्ली	132.30	0.00	132.47	0.00	165.37	0.00	165.37	0.00
34.	पांडिचेरी	58.70	191.00	58.53	191.00	25.63	0.00	25.63	0.00
	कुल	10074.00	10074.00	9910.00	12200.70$	15459.00	15588.09$	23610.62	21497.16

* दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए गुजरात सरकार को मई 2002 में 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।.

#गैर-निष्पादन राज्यों से बेहतर निष्पादन राज्यों को अतिरिक्त धनराशि अंतरित किए जाने के कारण जारी अतिरिक्त धनराशि।

$अन्य शीर्ष/स्कीमों से पुनर्विनियोजन के जरिये प्राप्त अतिरिक्त धनराशि।

विवरण-II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04			2004-05			2005-06			2006-07		
		व्यक्तिगत/ समूह माइक्रो उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त किए गए शहरी गरीबों की सं.	प्रशिक्षण दिए गए शहरी गरीबों की सं.	सृजित कार्य दिवसों की सं. (लाख में)	व्यक्तिगत/ समूह माइक्रो उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त किए गए शहरी गरीबों की सं.	प्रशिक्षण दिए गए शहरी गरीबों की सं.	सृजित कार्य दिवसों की सं. (लाख में)	व्यक्तिगत/ समूह माइक्रो उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त किए गए शहरी गरीबों की सं.	प्रशिक्षण दिए गए शहरी गरीबों की सं.	सृजित कार्य दिवसों की सं. (लाख में)	व्यक्तिगत/ समूह माइक्रो उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त किए गए शहरी गरीबों की सं.	प्रशिक्षण दिए गए शहरी गरीबों की सं.	सृजित कार्य दिवसों की सं. (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	56712	8244	1.94	17704	5631	6.11	5887	11613	0	2195	4945	0.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	136	149	3.07	40	0	3.88	64	100	2.59	0	3	0.82
3.	असम	3067	548	1.23	1150	4638	0.94	-289	2085	0.63	0	0	1.64
4.	बिहार	0	0	0	0	0	3.28	0	0	0	0	0	0.00
5.	छत्तीसगढ़	1909	2400	3.73	1903	4559	0.56	2155	602	0.25	766	1642	0.06
6.	गोवा	148	10	0	53	345	0	0	0	0	0	0	0.00
7.	गुजरात	4314	6195	7.94	4307	5958	0.27	4892	2776	0.12	2937	735	1.13
8.	हरियाणा	3016	3231	0.36	2362	4171	0.37	5215	7965	0.69	1264	3182	0.21
9.	हिमाचल प्रदेश	255	987	0	302	839	0	89	394	0.06	137	256	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	जम्मू-कश्मीर	681	838	0.08	1265	1748	0.29	918	5165	0	0	0	0.56
11.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
12.	कर्नाटक	8499	39329	7.56	4572	2709	1.24	3451	1241	1.28	25917	14396	0.00
13.	केरल	2193	5112	0.04	3007	4736	0.12	3847	4527	0.53	1994	2499	0.29
14.	मध्य प्रदेश	4799	9353	0.74	8704	7524	1.47	9187	19645	0.52	249	6154	1.24
15.	महाराष्ट्र	9720	21758	3.19	19114	14518	0.53	20611	20140	2.77	2304	865	1.02
16.	मणिपुर	638	0	0.9	0	2506	0	0	0	2.47	0	628	0.76
17.	मेघालय	0	939	0.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
18.	मिजोरम	1546	597	3.66	1175	379	0	48	1346	22.36	0	1906	1.92
19.	नागालैण्ड	665	650	0.21	265	250	0	-346	333	0.53	0	0	0.28
20.	उड़ीसा	5244	3126	0.92	3967	2273	0.76	8375	1703	0	2473	931	0.33
21.	पंजाब	923	2475	0.45	527	1440	0.25	17	597	0.01	0	0	0.03
22.	राजस्थान	4606	1799	1.69	4660	1957	0.5	6643	3340	0.16	1941	1210	0.65
23.	सिक्किम	30	173	0.55	76	176	0.56	44	118	0	0	0	0.13
24.	तमिलनाडु	3920	3033	2.24	2356	5016	0.59	7434	19920	0	6036	3054	20.47
25.	त्रिपुरा	621	1915	0.42	544	4783	1.07	578	4253	0.48	1020	561	0.17
26.	उत्तरांचल	0	0	0.07	153	1212	0	0	0	0	0	0	-0.07
27.	उत्तर प्रदेश	5653	23847	3.63	6919	29031	4.2	11789	24255	4.69	6496	16871	7.42

28. पश्चिम बंगाल	4354	9372	2.42	4033	2361	1.92	5579	3986	1.46	534	12850	0.31
29. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	1.58	4	0	0.87	6	0	0.62	15	0	1.24
30. चंडीगढ़	54	649	0	72	961	0	24	794	सूचित नहीं	18	515	0.00
31. दादर व नगर हवेली	0	0	0.04	10	98	0	0	0	0	0	0	0.00
32. दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
33. दिल्ली	148	400	0	214	220	0	-165	775	सूचित नहीं	61	0	0.00
34. पांडिचेरी	644	1124	0.39	1108	1792	1.46	2738	4400	0.64	0	0	0.00
योग	124555	148253	49.63	90566	111831	31.24	98791	142073	42.86	56357	73203	26.95

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) का वोटिंग स्ट्रक्चर

509. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) का वोटिंग स्ट्रक्चर सरकार की राय में संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारत द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है;

(ग) आई.एम.एफ. में प्रशासनिक ढांचे, सदस्य देशों और मताधिकार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आई.एम.एफ. में विकसित और विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) 185 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मतदान संरचना, कोटे की एक प्रणाली द्वारा निर्धारित की जाती है, जो जटिल सूत्रों के एक सेट पर आधारित है। मोटे तौर पर विकसित देशों को कुल कोटे का 63 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है जबकि विकासशील देशों के पास 37 प्रतिशत हिस्सा है। (185 सदस्य देशों के ब्यौरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वेबसाइट www.inf.org पर देखे जा सकते है) सदस्यों के बीच कोटा शेयरों का संवितरण मुख्यतया ऐतिहासिक स्थिति से प्रभावित है, जब वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। अन्य देशों के साथ-साथ भारत का विचार है कि यह देशों की विद्यमान आर्थिक क्षमता को, विशेषकर उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था को नहीं दर्शाता। भारत ने तर्क प्रस्तुत किया है कि परिवर्तित वैश्विक आर्थिक स्थिति के मद्देनजर कोटा शेयर को बेहतर बनाने की आवश्यकता है और सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए संशोधित कोटा सूत्र में सकल घरेलू उत्पाद को प्रमुखता देकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रशासनिक ढांचे और दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन, प्रबंधक निदेशक द्वारा किया जाता है, जिसको कार्यकारी निदेशकों द्वारा सहायता दी जाती है। गवर्नरों का बोर्ड जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का वित्त मंत्री शामिल होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का शीर्षतम-निर्णायक निकाय है।

गांवों का विकास

510. श्रीमती करुणा शुक्ला: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता के बाद से देश में अनेक गांव पिछड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अद्यतन ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) रोजगार योजनाओं के नाम क्या-क्या हैं और ऐसी योजनाएं किन-किन गांवों में कार्यान्वित की जा रही हैं;

(घ) मौजूदा रोजगार योजनाओं में क्या त्रुटि पाई गई है; और

(ङ) ग्रामीण विकास के लिए ऐसी त्रुटियों को दूर करने के बाद आगामी वर्षों के लिए किन-किन योजनाओं को तैयार किया जा रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक के जनगणना आंकड़ों के अनुसार, 1991 में गांवों की संख्या (जिनमें निर्जन गांव शामिल हैं) 634321 तथा 2001 में 638635 थी अर्थात गांवों की संख्या में 4314 ग्रामों की वृद्धि हुई।

(ग) से (ङ) रोजगार सृजन के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) नामक बड़ी रोजगार योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। संघ राज्य क्षेत्रों चण्डीगढ़ तथा दिल्ली के अलावा देश के सभी गांवों में एस.जी.एस.वाई. की स्वरोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है। 2 फरवरी, 2006 से इस योजना के कार्यान्वयन के लिए चुने गए 200 जिलों के सभी गांवों में एन.आर.ई.जी.ए. कार्यान्वित किया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़कर शेष जिलों के बचे हुए गांवों में एस.जी.आर.वाई. कार्यान्वित की जा रही है। एस.जी.आर.वाई. में पाई गई कमियों को एन.आर.ई.जी.ए. शुरू करते समय दूर कर दिया गया है। एन.आर.ई.जी.ए. को अगले कुछ वर्षों में सभी गांवों/जिलों में लागू किया जाना है।

कापार्ट द्वारा सहायता प्राप्त एजेंसियों द्वारा अनियमितताएं

511. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कापार्ट) द्वारा अपनी स्थापना के बाद से राज्यवार और स्थानवार कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कापार्ट द्वारा प्रत्येक एजेंसी को स्वीकृत और वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एजेंसियों द्वारा कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जलापूर्ति योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

512. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मध्यम कस्बों में जलापूर्ति योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) महाराष्ट्र की राज्य स्तरीय मंजूरी समिति ने अपनी दिनांक 28-9-2006 को आयोजित दूसरी बैठक में राज्य के 10 कस्बों में 10 जल आपूर्ति परियोजनाओं की सिफारिश की है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) शहरी विकास मंत्रालय ने, स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के लिए धनराशि के नियतन को देखते हुए 26.12 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त जारी करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को 7 जल आपूर्ति परियोजनाओं की सिफारिश की है और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 13-2-2007 को महाराष्ट्र राज्य को यह किस्त जारी कर दी गई है।

विवरण

महाराष्ट्र से यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत प्राप्त जल आपूर्ति परियोजनाओं के ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कस्बे/शहर का नाम	मूल्यांकित परियोजना लागत	ए.सी.ए. की प्रथम किस्त के लिए एस.एल. एस.सी. द्वारा अनुमोदित लागत	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के संस्तुत प्रोत्साहन सहित राशि	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी
1	2	3	4	5	6
1.	कोल्हापुर	58.44	30.00*	सिफारिश नहीं की गई	–
2.	सांगली, मिराज, कुपवाड़	79.02	50.00*	सिफारिश नहीं की गई	–
3.	जालना	123.99	50.00*	सिफारिश नहीं की गई	–
4.	इस्लामपुर	1454.00	1454.00	603.410	603.410
5.	पुसद	838.90	838.90	348.14	348.14
6.	अशाटा	673.50	673.50	279.50	279.05
7.	चोपडा	486.00	486.00	201.69	201.69

1	2	3	4	5	6
8.	मंगलवेधा	796.50	796.50	330.54	330.54
9.	भोर	319.20	319.20	132.468	132.468
10.	भद्रावती	1725.20	1725.20	715.958	715.958

* परियोजना लागत विभाजन से वित्तपोषण पद्धति प्रभावित होगी, जो स्कीम के दिशानिर्देशों के विपरीत है। अतः इन परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की गई।

[अनुवाद]

कानूनी सहायता केन्द्र

513. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने अधीन कार्य कर रहे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राधिकरणों और निःशुल्क कानूनी सहायता केन्द्रों के कार्यों और गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राधिकरण और केन्द्र गरीब विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता और संरक्षण प्रदान करने के लिए आगे आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) विधिक सहायता कार्यक्रमों के कृत्यों की मानीटरी और मूल्यांकन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4(i) के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) जी हां। राज्य प्राधिकरणों के पैनल पर विधिक सहायता वकील उपरोक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन पात्र/विचारणाधीन कैदियों को विधिक सलाह इत्यादि देने के लिए नियमित रूप से कारागार जाते हैं।

दिल्ली मेट्रो रेल

514. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डी.एम.आर.सी.) अपर्याप्त फीडर बस सेवाओं के कारण कम सवारियों की समस्या से जूझ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डी.एम.आर.सी. का बढ़ते यातायात को सुचारू करके सुखद यात्रा कराने के लिए नई फीडर बस सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डी.एम.आर.सी.) ने यह सूचित किया है कि वह अपर्याप्त फीडर बस सेवाओं के कारण यात्रियों की कमी की समस्या से नहीं जूझ रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) डी.एम.आर.सी. द्वारा प्रारम्भ में प्रथम चरण में 27 मेट्रो स्टेशनों को बेहतर सम्पर्क प्रदान करने हेतु सी.एन.जी. प्रचालित मिनी बसों को 36 मार्गों पर नए फीडर बसों के रूप में चलाए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) डी.एम.आर.सी. ने यह सूचित किया है कि इस प्रस्ताव को छः महीने के अंदर अंतिम रूप दिए जाने की आशा है।

डी.डी.ए. फ्लैटों के निर्माण के बारे में दिशा-निर्देश

515. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी.ए. फ्लैटों की छत पर अतिरिक्त मंजिल

के निर्माण के बारे में एम.पी.डी.-2021 में कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और डी.डी.ए. फ्लैटों के स्वामियों द्वारा पहले से निर्मित और निर्मित की जा रही मंजिलों का भविष्य क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) दिल्ली मास्टर प्लान 2021 (एम.पी.डी. 2021) में ग्रुप हाउसिंग के लिए स्वीकार्य एफ.ए.आर. 167 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है तथा सांविधिक स्वीकृति के अध्यधीन ऊंचाई के प्रतिबंध को हटा दिया गया है। सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर अधिसूचित दरों पर प्रभार लगाकर अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्राप्त किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना सहायता के लिए ब्याज दर

516. श्री पी.सी. थामस: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए ब्याज दर में कमी, पात्रता आय सीमा में वृद्धि, परियोजना लागत में वृद्धि राजसहायता में वृद्धि और वित्तीय संस्थाओं की सूची के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण बैंकों को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) को और सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से उपाय सुझाने के लिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया था। अन्य बातों के साथ-साथ, केरल सरकार ने भी इस योजना में सुधार संबंधी प्रस्ताव भेजे थे। पी.एम.आर.वाई. प्रतिमानकों में संशोधन सुझाने तथा पी.एम. आर.वाई. के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार के लिए योजना आयोग, भारत सरकार के सलाहकार (वी.एस.ई.) की अध्यक्षता में अंतर्मंत्रालयी समूह गठित किया गया है। इसकी कुछ सिफारिशें नामतः अर्हता आय सीमा में वृद्धि, वित्तीय सहायता सीमा में वृद्धि, प्रशिक्षण लागत, परियोजना लागत तथा पूर्वाभिमुख प्रशिक्षण अभियानों के प्रावधान को सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित माइक्रो एवं लघु उद्यमों हेतु प्रचार पैकेज में शामिल किया गया है।

विज्ञान विश्वविद्यालय

517. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्वतंत्र रूप से विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोई परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) देश में विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विज्ञान में भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई.आई.एस. ई.आर.) नामक विश्व स्तरीय संस्थान कोलकाता और पुणे में स्थापित किये हैं तथा इन संस्थानों के शैक्षिक सत्र पहले से ही अगस्त, 2006 से आरंभ हो चुके हैं।

यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान

518. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मौजूदा व्यवस्था को बदलने का है जैसा कि दिनांक 6 फरवरी, 2007 के "हिन्दुस्तान" (हिन्दी) में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत को कितना लाभ होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) भारत-ई.यू. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

करार द्विपक्षीय सहयोग के लिए संरक्षण व्यवस्था के रूप में जारी है। नई दिल्ली में 7 फरवरी, 2007 को संपन्न भारत-ई.यू. मंत्रालयी विज्ञान सम्मेलन में 'नई दिल्ली विज्ञप्ति' को अंगीकृत किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संसाधनों के संयुक्त निवेश और साझेदारी आधार पर इनके लाभों की हिस्सेदारी को शामिल कर परस्पर हित के कार्यनीतिक अनुसंधान क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित किया गया है।

रामपुर जल विद्युत परियोजना में इक्विटी

519. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रामपुर जल विद्युत परियोजना में इक्विटी 25% से बढ़ाकर 30% करने पर सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) एस.जे.वी. एन.एल. और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित कार्यान्वयन समझौते के अनुसार निगम को रामपुर जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वित्त का प्रबंध अपने आंतरिक साधनों की बढ़ोत्तरी, ऋण, डिबेंचर तथा अन्य परियोजनाओं से प्राप्त आय से करना होगा तथा आवश्यकतानुसार और अधिक इक्विटी निवेश करनी होगी। इक्विटी हिस्से में से पुनः वित्तपोषित किए जाने वाले हिस्से में से 30% इक्विटी अंशदान का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा और शेष 70% अंशदान का भुगतान भारत सरकार करेगी।

जब कभी भी पुनः इक्विटी निवेश करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि वे रामपुर एच.ई. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित नवीन इक्विटी के हिस्से का 30% का भुगतान करें।

नेशनल पावर ग्रिड

520. श्री सुग्रीव सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल पावर ग्रिड के उन्नयन हेतु नई प्रौद्योगिकी लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथा मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) नेशनल पावरग्रिड की वर्तमान क्षमता कितनी है तथा नई प्रौद्योगिकी लागू होने के पश्चात् इसमें कितनी बढ़ोत्तरी होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) पी.जी. सी.आई.एल. वर्तमान पारेषण लाइनों को विद्युत अंतरण क्षमता बढ़ाने के लिए तथा दीर्घावधि विद्युत पारेषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक क्षमता वाली लाइनों के निर्माण हेतु निरंतर नई तकनीकें अपना रहा है। अपनाई गई अथवा अपनाई जाने वाली तकनीकों के ब्यौरे निम्नवत है:-

I. पारेषण प्रणाली की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए

(i) क्रमवत मुआवजे का प्रयोग निर्धारित के साथ-साथ गतिशील जैसे कि टी.सी.एस.सी. (थारीसटर कन्ट्रोलड सीरीज कम्पोनसेशन)

(ii) अधिक वोल्टेज वाले लाइन का उन्नयन

(iii) पारेषण लाइन की री-कन्डकटरिंग

II. दीर्घावधि हेतु

(i) 800 के.वी. पर ई.एच.वी.ए.सी. पारेषण प्रणाली तथा 1200 के.वी. तक पारेषण वोल्टेज लगाने की सम्भाव्यता की खोज करना

(ii) ±800 के.वी., 6000 मे.वा. एच.वी.डी.सी. वाइपोल ट्रांसमिशन

(iii) पारेषण लाइन सर्वेक्षण (जी.आई.एस. से सर्वेक्षण/डीजिटल टैरेन मॉडल/एयरबार्न लेजर टैरेन मैपिंग)

(iv) हाई सर्ज इम्पेन्डेन्स लाइन्स

(v) काम्पैक्ट टावर/मल्टी कन्डक्टर बन्डल लाइन/हाई कैपेसिटी मल्टी सर्किट लाइन

(vi) सब-स्टेशन का ऑटोमेशन

(vii) हैलीकाप्टर और रॉबोटिक्स के माध्यम से लाइव लाइन गतिविधियां

(viii) गैस इन्सूलेटिड लाइन

(ix) गैस इन्सूलेटिड सब-स्टेशन (765 के.वी./1200 के.वी.)

(x) वेल्टेज सोर्स कन्वर्टर आधारित पारेषण - एच.वी.डी.सी. लाइट

(xi) हाई रप्चरिंग क्षमता सर्किट ब्रेकर

(xii) उच्च ताप इन्डोरेन्स कन्डक्टर

(xiii) कन्डक्टर टैम्परेचर सीमा में वृद्धि

(ग) राष्ट्रीय ग्रिड की वर्तमान अन्तः क्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता 11,450 मेगावाट है जिसे 11वीं योजना के अंत तक 37,000 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना है। इसमें नई तकनीकों के आरम्भ के परिणामस्वरूप विद्युत पारेषण क्षमता में वृद्धि शामिल है।

केन्द्रीय और राज्य करों को समेकित करना

521. **श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के 'एसोचेम' अध्ययन ने यह उद्घाटित किया है कि केन्द्रीय और राज्य स्तर के करों को सिंगल-प्वायंट जी.एस.टी. (वस्तु और सेवा कर) के रूप में समेकित करने पर अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) हाल ही में जनवरी, 2007 में एसोचेम द्वारा प्रकाशित "जी.एस.टी.: आर्थिक वृद्धि के लिए अनिवार्य" शीर्षक वाली अध्ययन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि "जी.एस.टी. कर आधार को विस्तृत बनाएगा और कर अनुपालन को बेहतर बनाएगा जिसके परिणामस्वरूप कर : स.घ.उ. का अनुपात बढ़ेगा। एफ.आर.बी.एम. रिपोर्ट के अनुसार कर : स.घ.उ. के अनुपात में 2% की वृद्धि की आशा की जाती है।" संदर्भित एफ.आर.बी.एम. रिपोर्ट का यहां पर अभिप्राय वित्तीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन पर कार्यदल की रिपोर्ट से है। एफ.आर.बी.एम. रिपोर्ट जुलाई, 2004 में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट को केलकर समिति की रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि कार्यदल की अध्यक्षता श्री विजय एल. केलकर द्वारा की गई थी। सरकार का यह भी मत है कि एकीकृत माल और सेवा कर की शुरुआत के परिणामस्वरूप एक सरल और कुशल कर प्रणाली होगी जिसके परिणाम में अन्य बातों के साथ-साथ बेहतर कर राजस्व होगा। इसी कारण से सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को लागू करने की अपनी मंशा पहले ही घोषित कर दी है।

नई पेंशन योजना

522. **श्री मिलिन्द देवड़ा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गयी नई पेंशन योजना को कुछ राज्यों द्वारा नकारा जा रहा है/उसका विरोध किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) दिनांक 22-1-07 को आयोजित पेंशन सुधार के संबंध में मुख्य मंत्री सम्मेलन में केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ने परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में अपने विरोध को दुहराया है। सरकार अन्य बातों के साथ-साथ, सम्मेलन में व्यक्त चिंताओं का ध्यान रखेगी और संबंधित सभी संस्थाओं के साथ पेंशन सुधारों के संबंध में सर्वसम्मति कायम करने हेतु परामर्श जारी रखेगी।

कमजोर बैंकों का विलय

523. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री रशीद मसूद:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने कमजोर बैंकों का अधिग्रहण करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समेकन हेतु अपनी योजनाओं को पुनर्जीवित करने का है जैसा कि 22 जनवरी, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार छपा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिनका विलय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) सरकार द्वारा कर्मचारियों और निवेशकों के हित के रक्षार्थ क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार को कमजोर बैंकों का अधिग्रहण करने हेतु विदेशी बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने कमजोर बैंकों के अधिग्रहण के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कोई अनुदेश जारी नहीं किया है। सरकार का यह मानना है कि सरकारी क्षेत्र के एक बैंक के साथ उसी क्षेत्र के दूसरे बैंक का विलय करके समेकन हेतु कोई प्रस्ताव संबंधित बैंक से आना चाहिए जहां सरकार सामान्य शेयरधारक के रूप में एक सहायक की भूमिका निभाती है। विलय प्रस्ताव का समर्थन करते समय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विलय किए जाने वाले बैंकों के शेयरधारकों और कर्मचारियों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा हो।

(च) और (छ) कुछ विदेशी बैंकों ने भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के कतिपय बैंकों का अधिग्रहण करने में अपनी रुचि दिखाई है। सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर ऐसे प्रस्तावों और लागू नियमों और विनियमों की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करता है कि जमाकर्ताओं और शेयरधारकों के हितों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा हो।

स्वरोजगार हेतु जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

524. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने विशेषकर जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्वरोजगार हेतु जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक, हरियाणा, उत्तरांचल, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा स्थित ग्रामीण जैव-संसाधन केन्द्रों के कार्यकरण और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जम्मू व कश्मीर में ग्रामीण जनसंख्या के सशक्तीकरण और आर्थिक उन्नयन हेतु जैव-संसाधन काम्पलेक्स खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जबकि विभाग के पास अनुसूचित जाति/जन-जाति, महिलाओं एवं ग्रामीण लोगों के हित में सामाजिक विकास के लिए जैवप्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों की एक योजना है, लेकिन विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कोई योजना नहीं है। इस योजना के माध्यम से पूरे देश में रोजगार एवं आय सृजित किए जाने संबंधी गतिविधियों के अनेक प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) जैसा कि, विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए स्वरोजगार के प्रयोजन से जैवप्रौद्योगिकी कार्यक्रम पर कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है। फिर भी, इन राज्यों को प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ग) कर्नाटक, हरियाणा, उत्तरांचल, महाराष्ट्र और उड़ीसा में प्रोत्साहित पांच ग्रामीण जैव संसाधन काम्पलैक्स, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और गांव तथा क्षेत्र आधारित गतिविधियों को अपने उत्तरदायित्व में लिए जाने के लिए संबद्ध गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। कर्नाटक में 6067 परिवारों को शामिल करते हुए परियोजना कार्यान्वयन क्षेत्र में 15 माध्यमों को प्रोन्नत किया जा रहा है। लाभग्राहियों के लिए 42 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और लाभदायक अंतरों सहित उत्पाद के विक्रय के लिए बाजार संपर्क स्थापित किए गए हैं। महाराष्ट्र में, प्रत्यक्ष रूप से 678 लाभग्राहियों को शामिल करते हुए 278.6 हैक्टेयर क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। 75 किसानों को लाभान्वित करते हुए 75 एकड़ क्षेत्र पर अनार की खेती पूरी की गई है। बकरी पालन के माध्यम से 40 भूमिहीन लाभग्राहियों को सुविधा प्रदान की गई है। 40 भूमिहीन लाभग्राहियों के कार्यस्थल पर एक कम लागत की पूर्णरूप से पूर्व संरचित कुक्कटशाला निर्माणाधीन है। आज तक, 843 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से और 2297 परिवारों को परोक्ष रूप से लाभान्वित किया गया है। हरियाणा, उत्तरांचल और उड़ीसा में भी ग्रामीण जैव संसाधन काम्पलेक्स में अच्छी प्रगति हो रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

आवास ऋण के संबंध में दिशानिर्देश

525. श्री अनन्त नायक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को आवास ऋण के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों द्वारा आवास ऋण स्वीकृत करने/आवास ऋण की वसूली करने में ग्राहकों को परेशान किए जाने के उदाहरण सामने आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो बैंकों द्वारा ग्राहकों को परेशान किए जाने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने आवास ऋण के संबंध में बैंकों को दिनांक 1 जुलाई, 2006 के आवास वित्त से संबंधित अपने मास्टर परिपत्र डी.बी.ओ.डी.सं.डी.आई.आर. (ई.एक्स.पी.).बी.सी.04/08.12.01/2006-07 तथा 17 नवम्बर, 2006 के परिपत्र डी.बी.ओ.डी. डी.आई.आर.बी.सी.सं.43/08. 12.01/2006-07 के तहत दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये परिपत्र आर.बी.आई. की वेबसाइट अर्थात www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) आर.बी.आई. के मास्टर परिपत्र के अनुसार, बैंक प्रतिभूति, मार्जिन, निवास इकाई की आयु, चुकौती संबंधी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, आदि जैसे पहलुओं के संबंध में अपने बोर्ड के अनुमोदन से स्वयं के दिशानिर्देश तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंकों को आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों तथा स्वयं के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहकों को आवास ऋण उपलब्ध कराना है। तथापि, ग्राहकों की शिकायतों, यदि कोई हों, को निवारण हेतु संबंधित बैंक के साथ उठाया जाता है। आर.बी.आई. ने बैंकों द्वारा ग्राहकों के उत्पीड़न के किसी मामले का उल्लेख नहीं किया है।

फर्जी बिल्डर और रियल एस्टेट एजेण्ट

526. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिल्डरों, बिल्डिंग ठेकेदारों, फाइनान्सरों और रियल एस्टेट एजेण्टों का कोई प्रमाणन अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भोले-भाले क्रेताओं और विक्रेताओं का जोखिम समाप्त करने हेतु फर्जी बिल्डरों और रियल एस्टेट एजेण्टों की छंटनी करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है अथवा की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण

527. **श्री अधीर चौधरी:**

श्री उदय सिंह:

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केन्द्र सरकार ने देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण हेतु 442 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण से मामलों के निपटान में होने वाले विलम्ब में कमी आएगी और देश की न्याय प्रणाली कुशल बनेगी; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (घ) न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने को ध्यान में रखते हुए और देश की न्यायिक प्रणाली को और दक्ष बनाने के लिए सरकार ने 8 फरवरी, 2007 को सभी जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए तथा उच्चतर न्यायालयों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए एक स्कीम अनुमोदित की है। स्कीम के प्रथम चरण का क्रियान्वयन 442 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए निधियां स्कीम क्रियान्वयन करने का अभिकरण, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) को प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु जारी की जानी है।

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

528. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

श्री सुग्रीव सिंह:

श्री रामजीलाल सुमन:

श्री जीवाभाई ए. पटेल:

श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ऋण संवितरण का एक हिस्सा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों हेतु आरक्षित रखने के लिए बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं जैसाकि 20 जनवरी, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जारी किए गए ये अनुदेश बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया (बी.सी.एस.बी.आई.) द्वारा जुलाई, 2006 में ग्राहकों से किए गए बैंक वादे का उल्लंघन है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 जुलाई, 2006 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक) को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया था कि अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक ऋण सुगमता से उपलब्ध कराया जाए।

नए "अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम" के तहत, 01 सितम्बर, 2006 को घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सुनिश्चित करने का भी परामर्श दिया गया था कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के कुल लक्ष्य और कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत के उप-लक्ष्य में से, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए कि अल्पसंख्यक समुदायों को भी ऋण का एक समान हिस्सा मिले।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा 'फेरा' का उल्लंघन

529. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एक अपीलीय प्राधिकरण ने विदेशी मुद्रा विनियामक अधिनियम (फेरा) का उल्लंघन करने पर ग्यारह (11) बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दोषसिद्ध किया है तथा उनके विरुद्ध 36.12 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम क्या हैं जो 'फेरा' के उल्लंघन के दोषी है और उनसे अर्थदण्ड वसूलने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) 'फेरा' के उल्लंघन में शामिल अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अंतर्ग्रस्त है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (ए.टी.एफ.ई.) ने 10 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा दायर की गई अपीलों में 36.12 करोड़ रुपए के शास्तियों वाले न्यायनिर्णयन आदेशों की पुष्टि की है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन में संलिप्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम, संलिप्त शास्ति की राशि और उनके द्वारा दायर की गई अपीलों में विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण/उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उनके द्वारा जमा कराई गई शास्ति की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

(ग) इस प्रकार के मामलों में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन में संलिप्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सूची, अधिरोपित शास्ति की राशि के रूप में भी संलिप्त विदेशी मुद्रा की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

विवरण-I

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन में संलिप्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ब्यौरा

क्र. सं.	बहुराष्ट्रीय कम्पनी/ कार्मिकों के नाम	संलिप्त शास्ति की राशि (रुपयों में)	विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण/दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जमा कराई गई शास्ति की राशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	दी फ्यूजी बैंक लि.	1 करोड़	दस लाख + दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप दी गई शास्ति की बकाया राशि के लिए दी गई बैंक गारन्टी

1	2	3	4
2.	नोकिया इण्डिया (प्रा.) लि.	5 करोड़	पच्चीस लाख + दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप दी गई शास्ति की बकाया राशि के लिए दी गई बैंक गारन्टी
3.	मोटरोला इण्डिया (प्रा.) लि.	1 करोड़	पांच लाख + दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप दी गई शास्ति की बकाया राशि के लिए दी गई बैंक गारन्टी
4.	यू.एफ.जे. बैंक लि.	45 लाख	11.25 लाख + दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप दी गई शास्ति की बकाया राशि के लिए दी गई बैंक गारन्टी
5.	ड्यूश बैंक ए. जी	25 लाख	25 लाख + दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप दी गई शास्ति की बकाया राशि के लिए दी गई बैंक गारन्टी
6.	एरिकसन इण्डिया (प्रा.) लि.	15 करोड़	75 लाख + दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप दी गई शास्ति की बकाया राशि के लिए दी गई बैंक गारन्टी
7.	बैंक ऑफ टोकियो मितसुबिशी लि.	5.5 करोड़	5.50 करोड़ + दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप दी गई शास्ति की बकाया राशि के लिए दी गई बैंक गारन्टी
8.	सुमोटोमो मितसुई बैंकिंग कार्पोरेशन (इसे पहले सकूरा बैंक के नाम से जाना जाता था)	35 लाख	8.75 लाख + दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप दी गई शास्ति की बकाया राशि के लिए दी गई बैंक गारन्टी
9.	मै. सोनी इण्डिया (प्रा.) लि.	5 करोड़	20 लाख + दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप दी गई शास्ति की बकाया राशि के लिए दी गई बैंक गारन्टी
10.	एच. शिराकी एवं अन्य मै. सोनी इण्डिया (प्रा.) लि. के कार्मिक	1,57,10,000	6,90,500 + दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप दी गई शास्ति की बकाया राशि के लिए दी गई बैंक गारन्टी
11.	सेमसंग कार्पोरेशन	1 करोड़	1 करोड़ के लिए दी गई बैंक गारन्टी
	कुल	36.12 करोड़	

विवरण-II

इसी प्रकार के मामले में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन में संलिप्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विवरण

क्रम सं.	बहुराष्ट्रीय कम्पनी का नाम	कारण बताओ नोटिस में संलिप्त राशि (रुपए लाखों में)	अधिरोपित शास्ति की राशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	मितसुबिशी कार्पोरेशन, नई दिल्ली	2052.92	2 करोड़

1	2	3	4
2.	एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली	80.63	10 लाख
3.	आल निप्पॉन एयरवेज, नई दिल्ली	147.33	63.50 लाख
4.	देवू मोटर्स, नई दिल्ली	266.68	1.50 करोड़
5.	मेरुबेनी (आई) प्रा. लि., नई दिल्ली	983.72	3.39 करोड़

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. हेतु आरक्षण

530. श्री रामदास आठवले: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोक सभा, राज्य सभा, विधान मंडलों, विधान परिषदों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुरूप आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) संविधान लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीधे निर्वाचनों द्वारा भरे जाने के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध करता है। सरकार इसी प्रकार के स्थानों के आरक्षण को विधान मंडल के ऊपरी सदन तक विस्तारित करना उचित नहीं समझती है।

जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का संबंध है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.आस.सी.) के अंतर्गत शामिल करना

531. श्री हितेन बर्मन:

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

श्री एस.के. खारवेनथन:

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

श्री एम. अंजनकुमार यादव:

श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) की शुरुआत समय से इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ख) किन राज्यों ने इस कार्यक्रम को नहीं अपनाया है;

(ग) पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शामिल गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा उनमें से कितनों को पूर्ण स्वच्छ (टोटली क्लीन) घोषित किया गया है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य में पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शामिल ग्रामीण जनसंख्या की संख्या/प्रतिशतता कितनी है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राज्यवार कितनी निधियां आबंटित और उपयोग की गयी हैं;

(च) प्रत्येक राज्य में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गयी है तथा उसका किस हद तक उपयोग किया गया है; और

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के अंतर्गत दिल्ली राज्य तथा चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) संपूर्ण स्वच्छता अभियान को जिलों को एक इकाई मानकर कार्यान्वित किया जा रहा है। जिले के सभी गांव टी.एस.सी. के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। वर्तमान में कार्यक्रम के अंतर्गत 570 जिले कवर किए गए हैं। अब तक 798 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त घोषित किया गया है। राज्य-वार जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) जानकारी संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है और कार्यक्रम के अंतर्गत कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार रिलीज और खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(च) संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं जिलों के लिए मंजूर की जाती हैं। वर्तमान में 570 जिलों में परियोजना चल रही है। जिला प्राधिकारी जरूरत पड़ने पर गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा केवल कुछेक गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी गई है। इन गैर-सरकारी संगठनों को दी गई निधियां तथा इनके उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

(छ) सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता कवरेज बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें संपूर्ण स्वच्छता अभियान की गति को तीव्र करना, वित्तीय प्रोत्साहन सह-पुरस्कार योजना, पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, जागरूकता सृजन क्रियाकलाप और विभिन्न स्टेकहोल्डरों का क्षमता विकास आदि शामिल है। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आी.एच.एच.एल.) की इकाई लागत को संशोधित कर 625 रु. तथा 1000 रु. से बढ़ाकर क्रमशः 1500 रु. और 2000 रु. कर दिया गया है। शौचालय के निर्माण के लिए 'परिक्रामी निधि' तंत्र के जरिए आसान ऋण उपलब्ध कराकर जरूरतमंद ए.पी.एल. परिवारों के लिए प्रावधान किए गए हैं। विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय सुविधाएं मुहैया कराने की गति को तीव्र करने के लिए विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालयों के निर्मण के लिए सामुदायिक अंशदान की आवश्यकता को हटा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता सृजन तथा लोगों एवं बच्चों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और सर्व शिक्षा अभियान के साथ तालमेल बिठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण पैन और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केन्द्र बनाए गए हैं।

विवरण-I

टी.एस.सी. के अंतर्गत प्रारंभ से वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य	परियोजना उद्देश्य							
		आईएचएचएल बीपीएल	आईएचएचएल एपीएल	कुल आईएचएचएल	स्वच्छता परिसर	विद्यालय शौचालय	बालवाड़ी शौचालय	आर.एस.एम	पीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	6718607	3715088	10433695	575	113871	15040	220	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	144556	11453	156009	234	3461	1500	71	0
3.	असम	1226788	667859	1894647	25	13193	2735	93	0
4.	बिहार	5011126	3348116	8359242	7562	41775	2921	364	0
5.	छत्तीसगढ़	1529088	1501581	3030669	589	46023	8272	95	6
6.	दादर नागर हवेली	2480	0	2480	12	0	0	1	0
7.	गोवा	15000	0	15000	150	283	116	0	0
8.	गुजरात	2070056	1969908	4039964	1632	22425	22505	94	0
9.	हरियाणा	550500	421787	972287	1285	7029	6531	10	1
10.	हिमाचल प्रदेश	108017	383831	491848	606	6926	1090	57	0
11.	जम्मू-कश्मीर	587833	115112	702945	578	7297	451	79	4
12.	झारखण्ड	2252501	1273816	3526317	2184	36664	11558	229	0
13.	कर्नाटक	2103342	2805388	4908730	1846	36471	23810	301	6
14.	केरल	928146	84907	1013053	1050	3974	798	98	0

15.	मध्य प्रदेश	3323660	4433818	7757478	831	57471	7513	279	28
16.	महाराष्ट्र	3207264	6085051	9292315	2723	72782	50433	283	27
17.	मणिपुर	76430	8192	84622	81	844	399	18	0
18.	मेघालय	188699	8839	197538	260	4950	1068	22	0
19.	मिजोरम	59679	15321	75000	560	3219	912	20	0
20.	नागालैण्ड	110984	13622	124606	1199	981	443	18	0
21.	उड़ीसा	4378064	2583872	6961936	720	64409	22133	289	
22.	पांडिचेरी	18000	0	18000	0	26	16	3	0
23.	पंजाब	413498	224365	637863	334	12411	995	69	0
24.	राजस्थान	2034256	4845659	6879915	1708	68852	14163	317	0
25.	सिक्किम	51302	375	51677	789	1604	340	12	0
26.	तमिलनाडु	4132124	4053871	8185995	1386	40708	25291	244	0
27.	त्रिपुरा	361409	107511	468920	528	3643	2950	31	0
28.	उत्तर प्रदेश	7292165	11949159	19241324	1930	190242	77354	389	25
29.	उत्तरांचल	324030	417398	741428	80	8750	2584	71	10
30.	पश्चिम बंगाल	5080527	3164173	8244700	2336	43563	14988	338	32
	कुल योग	54300131	54210072	108510203	33802	913847	318909	4115	139

क्र. सं.	राज्य	परियोजना निष्पादन							
		आईएचएचएल बीपीएल	आईएचएचएल एपीएल	कुल आईएचएचएल	स्वच्छता परिसर	विद्यालय शौचालय	बालवाड़ी शौचालय	आर.एस.एम	पीसी
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	3420697	794857	4215554	541	45698	1269	415	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	10310	1129	11439	0	400	13	7	0
3.	असम	120370	3629	123999	0	1349	41	31	4
4.	बिहार	241997	35166	277163	437	8911	37	221	339
5.	छत्तीसगढ	185881	75422	261303	33	5274	1052	71	10
6.	दादर नागर हवेली	37	0	37	1	0	0	0	0
7.	गोवा	13392	0	13392	0	96	8	0	0
8.	गुजरात	445727	481489	927216	923	16328	11355	332	1
9.	हरियाणा	223151	224466	447617	513	4181	2759	78	7
10.	हिमाचल प्रदेश	20577	47052	67629	50	893	75	7	2
11.	जम्मू-कश्मीर	58225	18104	76329	273	4405	19	11	0
12.	झारखण्ड	187801	9503	197304	20	7023	177	168	290
13.	कर्नाटक	302539	304830	607369	173	19946	15884	191	14
14.	केरल	545344	70858	616202	557	1765	825	57	23
15.	मध्य प्रदेश	836716	679455	1516171	362	32248	2405	384	46
16.	महाराष्ट्र	858469	1894390	2752859	1947	38448	23481	1229	42

17.	मणिपुर	1587	0	1587	12	111	0	9	0
18.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	मिजोरम	21953	8950	30903	145	628	332	0	0
20.	नागालैण्ड	28401	0	28401	71	291	34	3	0
21.	उड़ीसा	1036145	167349	1203494	10	15286	5262	269	619
22.	पांडिचेरी	900	0	900	7	26	7	2	0
23.	पंजाब	24550	0	24550	57	471	0	7	0
24.	राजस्थान	158291	174436	332727	166	21194	2294	156	31
25.	सिक्किम	31807	34364	66171	301	1506	340	0	0
26.	तमिलनाडु	2063337	2207752	271089	1457	27777	20495	173	65
27.	त्रिपुरा	370058	71597	441655	143	3497	3702	95	432
28.	उत्तर प्रदेश	2953615	2624743	5578358	958	37764	4640	244	56
29.	उत्तरांचल	85493	58636	144129	37	761	100	26	4
30.	पश्चिम बंगाल	3511446	1564809	5076255	227	27518	3219	345	207
	कुल योग	17758816	11552986	29311802	9421	323795	99825	4531	2215

1. आईएचएचएल - वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
2. बीपीएल - गरीबी रेखा से नीचे
3. एपीएल - गरीबी रेखा से ऊपर
4. आरएसएम - ग्रामीण स्वच्छता दूकान
5. पीसी - उत्पादन केन्द्र

विवरण-II

पूर्णतया स्वच्छ घोषित ग्राम पंचायतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायत
1.	आन्ध्र प्रदेश	10
2.	असम	1
3.	बिहार	4
4.	गुजरात	5
5.	केरल	7
6.	मध्य प्रदेश	1
7.	महाराष्ट्र	393
8.	उड़ीसा	8
9.	तमिलनाडु	131
10.	त्रिपुरा	37
11.	उत्तर प्रदेश	40
12.	पश्चिम बंगाल	136
13.	छत्तीसगढ़	12
14.	उत्तरांचल	13
	कुल	798

विवरण-III

टी.एस.सी. के अंतर्गत कवर की गई ग्रामीण जनसंख्या की राज्यवार संख्या/प्रतिशतता

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण परिवार 2001 की जनगणना के अनुसार	उपलब्धि टीएससी 28-02-2007 की स्थिति अनुसार	कवर किए गए प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	12,676,218	4215554	33.26%
2.	अरुणाचल प्रदेश	164,501	11439	6.95%
3.	असम	4,220,173	123999	2.94%
4.	बिहार	12,660,007	177163	2.19%
5.	छत्तीसगढ़	3,359,078	261303	7.78%
6.	दिल्ली	169,528		0.00%
7.	गोवा	140,755	13392	9.51%
8.	गुजरात	5,885,961	927216	15.75%
9.	हरियाणा	2,454,463	447617	18.24%
10.	हिमाचल प्रदेश	1,097,520	67629	6.16%

1	2	3	4	5
11.	जम्मू-कश्मीर	1,161,357	76329	6.57%
12.	झारखण्ड	3,802,412	197304	5.19%
13.	कर्नाटक	6,675,173	607369	9.10%
14.	केरल	4,942,550	616202	12.47%
15.	मध्य प्रदेश	8,124,795	1516171	18.66%
16.	महाराष्ट्र	10,993,623	2752859	25.04%
17.	मणिपुर	296,354	1587	0.54%
18.	मेघालय	329,678	0	0.00%
19.	मिजोरम	79,362	30903	38.94%
20.	नागालैण्ड	265,334	28401	10.70%
21.	उड़ीसा	6,782,879	1203494	17.74%
22.	पंजाब	2,775,462	24550	0.88%
23.	राजस्थान	7,156,703	332727	4.65%
24.	सिक्किम	91,723	66171	72.14%
25.	तमिलनाडु	8,274,790	4271089	51.62%
26.	त्रिपुरा	539,680	441655	81.84%
27.	उत्तर प्रदेश	20,590,074	5578358	27.09%
28.	उत्तरांचल	1,196,157	144129	12.05%
29.	पश्चिम बंगाल	11,161,870	5076255	45.48%
30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	49,653		0.00%
31.	चंडीगढ़	21,302		0.00%
32.	दादर नागर हवेली	32,783	37	0.11%
33.	दमन व दीव	22,091		0.00%
34.	लक्षद्वीप	5,351		0.00%
35.	पांडिचेरी	72,199	900	1.25%
	कुल	138,271,559	29311802	21.20%

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार रिलीज तथा व्यय

क्र. सं.	राज्य का नाम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07 (28-2-07 तक)	
		रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	4660.35	5113.66	3362.27	3907.62	4300.09	1885.20	9455.20	2641.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	224.01	100.00	22.69	382.42	11.77	541.74	68.23
3.	असम	199.31	106.12	254.95	157.19	1355.65	97.26	0.00	581.22
4.	बिहार	0.00	234.92	120.00	706.88	5796.27	606.81	710.79	3233.95
5.	छत्तीसगढ़	0.00	47.69	1100.17	155.47	2663.38	140.18	4677.48	2581.95
6.	गोवा	0.00	0.00	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	217.66
7.	गुजरात	0.00	35.65	3690.44	80.37	188.79	1662.17	4781.15	5305.16
8.	हरियाणा	62.06	128.40	811.13	277.09	9.97	555.02	2334.61	1810.97
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	163.51	50.00	21.08	641.06	42.65	27.01	427.19
10.	जम्मू-कश्मीर	76.48	0.01	1044.88	24.37	0.00	0.00	0.00	913.14
11.	झारखण्ड	294.61	430.10	1946.71	350.66	2077.87	587.41	2747.69	4080.96
12.	कर्नाटक	0.00	296.22	461.99	40.13	5752.61	1619.91	356.92	4229.93
13.	केरल	864.13	888.39	805.53	589.19	736.90	853.57	363.18	1070.50
14.	मध्य प्रदेश	4640.07	1137.71	2242.97	2412.75	2024.68	1574.40	3189.52	3998.91
15.	महाराष्ट्र	725.05	1460.71	3493.05	1238.91	1494.98	2013.63	7603.40	5963.21

16.	मणिपुर	103.56	5.00	0.00	0.00	29.59	0.00	210.40	16.65
17.	मिजोरम	11.51	0.00	60.00	5.12	209.33	0.00	600.89	731.98
18.	मेघालय	221.37	0.00	0.00	5.42	73.40	0.00	607.14	3.81
19.	नागालैण्ड	0.00	112.96	62.69	994.46	159.68	0.00	89.61	13.01
20.	उड़ीसा	344.16	999.72	4582.48	10.69	2346.29	1440.01	4495.64	4269.41
21.	पंजाब	0.00	25.26	699.94	714.55	194.06	14.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	119.12	220.12	700.88	30.14	4241.57	827.28	1148.29	3279.99
23.	सिक्किम	38.37	109.90	74.07	3317.07	344.90	74.39	137.64	161.34
24.	तमिलनाडु	2770.53	2254.23	2972.06	517.71	7786.94	4164.46	4234.17	3813.36
25.	त्रिपुरा	819.21	697.73	368.73	5296.89	361.72	379.90	0.00	340.31
26.	उत्तर प्रदेश	3120.44	492.04	3475.35	38.81	11732.16	3868.47	14926.71	19761.44
27.	उत्तरांचल	13.40	3.97	503.23	1805.32	97.50	68.69	99.42	605.11
28.	पश्चिम बंगाल	1181.10	1372.61	1566.85	1.67	4640.37	1822.57	240.77	4648.24
29.	दादर नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	पांडिचेरी	0.00	0.72	47.42	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00
	कुल योग	20264.83	16561.36	34732.44	22747.64	59642.18	24313.63	63579.37	74768.94

विवरण-V

गैर-सरकारी संस्थाओं को दी गई निधियों का ब्यौरा

क्र. सं.	संस्थान का नाम	रिलीज की तारीख और वर्ष	राशि (लाख रु. में)	उद्देश्य	उपयोग
1.	पर्यावरणीय स्वच्छता संस्थान, अहमदाबाद	20-03-2003 2002-03	100.00	प्रशिक्षण के लिए भवन का निर्माण	पूर्ण रूप से उपयोग की गई
2.	पर्यावरणीय स्वच्छता संस्थान, अहमदाबाद	06-01-2004 2003-04	12.50	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	पूर्ण रूप से उपयोग की गई
3.	रामकृष्ण मिशन लोक शिक्षा परिषद, नरेन्द्रपुर, कोलकाता	09-08-2004 2004-05	19.80	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	14.02 लाख रु. की राशि उपयोग की गई

विद्युत भागीदारी के संबंध में भारत-नेपाल समझौता

532. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु नेपाल सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने दोनों देशों के बीच विद्युत की आपूर्तियां, पारेषणों, अनुरक्षण और वितरण के संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत नेपाल विद्युत भागीदारी हेतु "पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट ऑफ 1971" को संशोधित करना होगा; और

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के वाणिज्यीकरण से दोनों देशों को क्या लाभ होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) भारत सरकार ने विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु हाल ही में नेपाल सरकार के साथ कोई करार हस्ताक्षरित नहीं किया है। तथापि 1996 महाकाली संधि में पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना (5600 मे.वा.) का संयुक्त रूप से विकास करने की परिकल्पना है।

(ग) विद्युत के संबंध में सीमा-पार व्यापार को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार अभिज्ञात कोरिडोरों के साथ सीमा-पार उच्च वोल्टता पारेषण लाईनों के विकास में सहायता कर रहे है।

(घ) "पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट ऑफ 1971" के तहत दोनों देश सीमा क्षेत्रों में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सहमत टैरिफ और सहमत मात्रा में विद्युत का आदान-प्रदान करते हैं। करार की समीक्षा समय-समय पर की जाती है।

(ङ) यह प्रत्याशा की जाती है कि नेपाल में बड़ी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के साथ ही वाणिज्यिक शर्तों पर विद्युत व्यापार होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के आपसी लाभ हेतु नेपाल के विद्युत क्षेत्र में निवेश तेज गति से बढ़ेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अनियमितताएं

533. श्री रघुराज सिंह शाक्य:

श्री हेमलाल मुर्मू:

श्री बालाशोवरी वल्लभनेनी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के अस्तित्व में आने के समय से अब तक सरकार की जानकारी में आई अनियमितताओं का ब्यौरा और प्रकृति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न हिस्सों में श्रमिकों के पास जॉब कार्ड होने के बावजूद उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम और बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो राज्य-वार ऐसे कितने श्रमिकों को काम मुहैया कराया गया है और बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया है तथा इस प्रकार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ङ) इस अधिनियम को प्रभावशाली रूप से क्रियान्वित करने के दौरान अनियमितताओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) पंजीकृत कुछ ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड जारी न करने, महिला श्रमिकों को मजदूरी का कम भुगतान करने आदि संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय राज्यों से प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के बारे में बातचीत करने पर अधिक ध्यान दे रहा है जिससे इन मुद्दों को उचित ढंग से सुलझाया जा सके।

(ख) से (घ) ग्रामीण परिवारों द्वारा काम की मांग को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है जिससे पता चलता है कि रोजगार की मांग करने वाले 97.10% परिवारों को रोजगार दिया गया है। रोजगार के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना होता है। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) अनियमितताओं का पता लगाने के लिए प्रभावी निगरानी करने और अधिनियम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कुछ मुख्य उपाय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं (i) राष्ट्र स्तरीय स्वतंत्र निगरानीकर्ताओं और क्षेत्र अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों का दौरा किया जाता है, (ii) कार्यक्रम की गुणवत्ता को परखने के लिए जिलों में नमूना आधार पर अभिलेखों और प्रक्रियाओं का विस्तृत सत्यापन, जहां निधियों का अधिक उपयोग हुआ है, करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन दलों का गठन किया गया है, (iii) ग्रामीण विकास मंत्री तथा सचिव (ग्रामीण विकास) समय-समय पर आवधिक समीक्षा बैठकें करते हैं, (iv) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में एन.आर.ई.जी. अधिनियम के कार्यान्वयन और प्रगति पर अपनी तरफ से तीन वक्तव्य पेश किए हैं। लोकसभा में वक्तव्य 3 मार्च, 2006, 23 मई, 2006 तथा 25 अगस्त, 2006 को प्रस्तुत किए गए हैं। राज्यसभा में वक्तव्य 8 मार्च, 2006, 23 मई, 2006 तथा 25 अगस्त, 2006 को प्रस्तुत किए गए थे। (v) मंत्री द्वारा 12/13 मई, 2006 को नई दिल्ली में राज्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की, (vi) मंत्री द्वारा मई-जून, 2006 को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखण्ड तथा जम्मू व कश्मीर में राज्य विशिष्ट समीक्षाएं कीं, (vii) ग्रामीण विकास मंत्री ने सितम्बर, 2006 में आंध्र प्रदेश में सामाजिक लेखा-परीक्षा में भाग लिया, (viii) मंत्री द्वारा 26-9-2006 को दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक तथा 12/13 सितम्बर, 2006 को कोलकाता में पूर्वी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें कीं, (ix) सितम्बर, 2006 में सचिव द्वारा केरल तथा पूर्वोत्तर राज्यों की समीक्षा, (x) 27-9-2006 को केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् की बैठक बुलाई गई और एन.आर.ई.जी.ए. की पूर्ण रूप से समीक्षा की गई, (xi) 9-10-2006 को नई दिल्ली में दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्र की कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक बुलाई गई, (xii) 16-17 अक्तूबर, 2006 को नई दिल्ली में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों का सम्मेलन हुआ, (xiii) एन.आर.ई.जी.ए. के संबंध में 1-11-2006 को राज्य सचिवों एवं जिला कार्यक्रम समन्वयकों की बैठकें बुलाई गई, (xiv) ग्रामीण विकास मंत्री और सचिव (ग्रा.वि.) ने भी राज्य मुख्यालयों में राज्यों के एन.आर.ई.जी.ए. के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की (xv) जिन राज्यों में कार्यक्रम की प्रगति धीमी थी, उन राज्यों के संसद सदस्यों के साथ ग्रामीण विकास मंत्री की बैठक भी तय की गई है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय राज्य–जम्मू-कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और केरल शामिल हैं। (xvi) राज्यों को ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर शत-प्रतिशत, 10% और 2% निरीक्षण एवं सत्यापन कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं और केन्द्र इस संबंध में की गई कार्रवाई की निगरानी कर रहा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परिवार सं.		प्रतिशत
		मांगे गए	प्रदान किए गए	
1		2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1788112	1788112	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	16926	16926	100.00
3.	असम	500433	446981	89.32
4.	बिहार	893728	886916	99.24
5.	छत्तीसगढ़	1122846	1045279	93.09
6.	गुजरात	146943	146943	100.00
7.	हरियाणा	39128	39128	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	56823	52632	92.62
9.	जम्मू-कश्मीर	39579	16079	40.63
10.	झारखण्ड	868919	846401	97.41
11.	कर्नाटक	508798	478767	94.10
12.	केरल	67271	60391	89.77
13.	मध्य प्रदेश	2619570	2582117	98.57
14.	महाराष्ट्र	321898	353338	109.77
15.	मणिपुर	17800	17880	100.45
16.	मेघालय	12644	12642	99.98
17.	मिजोरम	19358	6666	34.44
18.	नागालैण्ड	27800	27800	100.00
19.	उड़ीसा	1277280	1264957	99.04
20.	पंजाब	31008	30868	99.55
21.	राजस्थान	1094229	1094229	100.00

1	2	3	4
22. सिक्किम	4211	4111	97.63
23. तमिलनाडु	508243	508243	100.00
24. त्रिपुरा	66666	66656	99.98
25. उत्तर प्रदेश	2419669	2326348	96.14
26. उत्तरांचल	107393	107192	99.81
27. पश्चिम बंगाल	2573380	2425415	94.25
कुल	17150655	16653017	97.10

[अनुवाद]

विदेशी बैंक

534. श्री विजय कृष्ण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कई विदेशी बैंकों द्वारा भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी संचालन के मानदंडों का दुरुपयोग करने का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) विदेशी बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के नियमों के किस हद तक दुरुपयोग किए जाने की संभावना का पता लगा है; और

(ङ) सरकार द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कार्य करने से विदेशी बैंकों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

535. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

श्री रनेन बर्मन:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर राज्यों ने वर्ष 2006-07 में घोषित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अंतर्गत बढ़ायी गयी वृद्धावस्था पेंशन योजना को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(घ) एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक योजना के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गयी तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) एन.एस.ए.पी. क्षेत्र के अंतर्गत लाभभोगी कौन हैं तथा उन्हें राज्य-वार और योजना-वार कितनी धनराशि प्रदान की गयी; और

(च) इन योजनाओं को सभी राज्यों में और विलम्ब किए बिना क्रियान्वित करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, दादरा एवं नागर हवेली और

लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बढ़ी हुई दर पर पेंशन के वितरण की पुष्टि की है। गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, पंजाब और मणिपुर राज्य ने बताया है कि मामला विचाराधीन है। मेघालय, दादरा एवं नागर हवेली और लक्षद्वीप से उत्तर प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2002-03 से राज्य योजना में योजना के अंतरण के पश्चात योजना आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय निधियों का आबंटन कर रहे हैं और वित्त मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय की सिफारिश पर सभी तीनों योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.) और अन्नपूर्णा के लिए सम्मिलित रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के रूप में निधियां रिलीज करना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को एन.एस.ए.पी. और अन्नपूर्णा के अंतर्गत उन्हें दी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का उपयोग अपनी-अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार एन.ओ.ए.पी.एस., एन.एफ.बी.एस. अथवा एक अथवा दो अथवा सभी तीनों योजनाओं अथवा किसी अन्य संयोजन में वृद्ध लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की कल्याणकारी योजनाओं के रूप में करना होता है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए दी गई निधियां और राज्यों द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण-II और III में दी गई है।

(च) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों को अनुवर्ती तिमाही के माह की 15 तारीख तक दिए गए फार्मेट में तिमाही वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने को प्रगति की कमी माना जाता है और इसके फलस्वरूप हो सकता है कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रिलीज नहीं की जाए। एन.एस.ए.पी. और अन्नपूर्णा की समीक्षा को जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की कार्य सूची का हिस्सा भी बनाया गया है।

कार्यक्रम की समीक्षा करने और कार्यक्रम को और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर एन.एस.ए.पी. और अन्नपूर्णा से संबंधित राज्यों के नोडल सचिव की बैठकें आयोजित की जाती है।

विवरण-I

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

1. एन.एस.ए.पी. की विभिन्न योजनाओं के लिए लाभ और पात्रता के मानदंड इस प्रकार हैं:-

(i) **राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.)** - 65 वर्ष से अधिक उम्र के निराश्रित व्यक्तियों के लिए प्रति लाभार्थी 200 रुपए प्रतिमाह की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत उन निराश्रित व्यक्तियों को कवर किया जाता है जिनके पास आय के अपने निजी स्रोतों अथवा परिवार के सदस्यों अथवा अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से जीविका के कम साधन हैं अथवा नियमित साधन नहीं हैं। निराश्रित का निर्धारण करने के लिए राज्य/संघ राज्य सरकार में उस समय लागू मानदंड, यदि कोई हो, को अपनाया जाता है। भारत सरकार के पास इन मानदंडों की समीक्षा करने और उपयुक्त संशोधित मानदंड का सुझाव देने का अधिकार है।

(ii) **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.)** - इसी प्रकार, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.) के अंतर्गत मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर मृतक के शोक-संतप्त परिवार को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। योजना में यथाविनिर्दिष्ट मुख्य जीविकोपार्जक में है, चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री, को उस परिवार का सदस्य होना चाहिए जिसकी आय का परिवार की कुल आय में बहुत योगदान होता है। ऐसे जीविकोपार्जक की 18 से 64 वर्ष के बीच की आयु में अर्थात 18 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु होने पर परिवार, योजना के अंतर्गत अनुदान पाने का पात्र हो जाता है।

(iii) **अन्नपूर्णा योजना** - इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना है जो पात्र होने पर भी एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत अब तक कवर नहीं किए गए हैं। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिए जाते हैं। अन्नपूर्णा के लाभार्थियों की अधिकतम संख्या एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत पेंशन पाने वाले पात्र व्यक्तियों का कम से कम 20 प्रतिशत है।

2. **चयन**- ग्राम पंचायत/नगरपालिकाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे तीनों योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

3. **वितरण**- बैंकों में अथवा डाकघर बचत बैंकों में लाभार्थियों के खातों अथवा डाक मनी आर्डर के माध्यम से लाभों के वितरण के अतिरिक्त एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत सहायता का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठकों और शहरी क्षेत्रों में पड़ोस/मोहल्ला समितियों जैसी सार्वजनिक बैठकों में भी किया जा सकता है।

विवरण-II

वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित तथा रिलीज की निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07	
		3 योजनाओं के लिए संयुक्त आबंटन	कुल रिलीज	3 योजनाओं के लिए संयुक्त आबंटन	कुल रिलीज*
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	6746.70	6746.70	14882.08	11161.55
2.	बिहार	13213.06	13213.06	36002.21	27001.65
3.	छत्तीसगढ़	2890.35	2880.35	7321.38	5491.05
4.	गोवा	66.95	66.95	66.95	50.22
5.	गुजरात	3582.50	3582.50	5601.09	4200.82
6.	हरियाणा	1311.73	1311.73	3296.24	2472.19
7.	हिमाचल प्रदेश	547.17	547.17	1389.07	1041.81
8.	जम्मू-कश्मीर	735.10	735.10	1716.73	1287.54
9.	झारखण्ड	4615.34	4615.34	12746.83	9560.13
10.	कर्नाटक	5207.76	5207.76	11238.58	8428.94
11.	केरल	2874.17	2874.17	5040.98	3780.74
12.	मध्य प्रदेश	7649.45	7649.45	17387.81	13040.85
13.	महाराष्ट्र	10234.03	10234.03	22213.90	16660.43
14.	उड़ीसा	5899.77	5899.77	17021.70	12766.29
15.	पंजाब	897.89	897.89	1601.91	1201.43
16.	राजस्थान	3773.48	3754.48	8533.25	6399.93
17.	तमिलनाडु	7043.03	7043.03	13159.75	9869.82
18.	उत्तर प्रदेश	19851.70	19851.70	50432.59	37824.45

1	2	3	4	5	6
19.	उत्तरांखंड	1224.26	1224.26	3217.40	2413.06
20.	पश्चिम बंगाल	7993.56	7993.56	18914.86	14186.15
	कुल	**106358.00**	**106329.00**	**251785.31**	**188839.05**
पूर्वोत्तर राज्य					
21.	अरुणाचल प्रदेश	415.46	415.46	759.10	569.33
22.	असम	8218.02	8218.02	19717.54	14788.16
23.	मणिपुर	628.92	628.92	1320.90	990.69
24.	मेघालय	684.72	684.72	1479.85	1109.88
25.	मिजोरम	195.85	195.85	345.30	258.99
26.	नागालैण्ड	447.02	447.02	1016.70	762.54
27.	सिक्किम	190.69	190.69	378.18	283.65
28.	त्रिपुरा	1119.32	1119.32	2386.93	1790.19
	उप-योग	**11900.00**	**11900.00**	**27404.50**	**20553.43**
संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20.00	20.00	78.42	71.89
30.	चण्डीगढ़	16.00	16.00	16.00	14.67
31.	दादर व नगर हवेली	15.00	15.00	78.42	71.89
32.	दमन व दीव	4.00	4.00	4.00	3.67
33.	एनसीटी दिल्ली	567.00	567.00	567.00	519.75
34.	लक्षद्वीप	5.00	5.00	5.60	5.13
35.	पांडिचेरी	115.00	115.00	115.00	105.42
	उप-योग	**742.00**	**742.00**	**884.44**	**792.41**
	कुल योग	119000.00	118971.00	280054.25	210184.89

विवरण-III

वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित लाभार्थियों की सं.

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित लाभार्थियों की सं.		
		एन.ओ.ए.पी.एस.	एन.एफ.बी.एस.	अन्नपूर्णा
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	466000	16492	93200
2.	बिहार	820193	27920	148483
3.	छत्तीसगढ़	183893	11472	25337
4.	गोवा	3451	282	एन.आर.
5.	गुजरात	63550	7718	20358
6.	हरियाणा	95800	4500	एन.आर.
7.	हिमाचल प्रदेश	22700	3040	5242
8.	जम्मू-कश्मीर	64708	3110	एन.आर.
9.	झारखंड	166236	3744	54939
10.	कर्नाटक	488130	एन.आर.	एन.आर.
11.	केरल	131346	एन.आर.	44980
12.	मध्य प्रदेश	683680	30551	एन.आर.
13.	महाराष्ट्र	659429	18302	120000
14.	उड़ीसा	493381	4635	एन.आर.
15.	पंजाब	45853	1290	एन.आर.
16.	राजस्थान	144555	10426	119162
17.	तमिलनाडु	481028	48977	71974
18.	उत्तर प्रदेश	1461481	30500	एन.आर.
19.	उत्तराखंड	64246	3000	एन.आर.
20.	पश्चिम बंगाल	451579	13296	67611
	उप-कुल	**6991239**	**239255**	**771286**

1	2	3	4	5
पूर्वोत्तर राज्य				
21.	अरुणाचल प्रदेश	12923	260	एन.आर.
22.	असम	614513	15539	26640
23.	मणिपुर	43619	2024	22695
24.	मेघालय	33776	618	9263
25.	मिजोरम	10525	400	2583
26.	नागालैंड	30051	680	एन.आर.
27.	सिक्किम	14869	157	2500
28.	त्रिपुरा	83972	1460	17351
	उप-योग	**844248**	**21138**	**81032**
संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	665	एन.आर.	एन.आर.
30.	चण्डीगढ़	4497	157	एन.आर.
31.	दादर व नगर हवेली	1086	134	एन.आर.
32.	दमन व दीव	372		एन.आर.
33.	एनसीटी दिल्ली	150000	400	एन.आर.
34.	लक्षद्वीप	32	एन.आर.	एन.आर.
35.	पांडिचेरी	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
	उप-योग	**156652**	**691**	
	कुल योग	7992139	261084	852318

एन.आर. - असूचित

आवास एवं वैयक्तिक ऋण

536. श्री एनेन बर्मन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा आवास, कार और वैयक्तिक ऋणों हेतु कितनी राशि जारी की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष इनके प्रचार पर कितना व्यय किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ द्वारा यथा सूचित, निम्नलिखित मदों के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

31 मार्च की स्थिति के अनुसार

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	2003	2004	2005
1. (क) वैयक्तिक ऋण	49387	69358	87245
1. (ख) उपर्युक्त में से आवास हेतु ऋण	22379	34156	47481
2. प्रचार पर व्यय (विज्ञापन व्यय सहित)	151	186	236

कार ऋणों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते

537. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर निम्नलिखित समझौते किये गये हैं:

1. सूडान और माली में सौर फोटो वोल्टेक माड्यूलों और प्रणालियों के निर्माण के लिए सूडान और माली की सरकारों के साथ सेंट्रल इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड (सी.ई.एल.) का समझौता।

2. नारियल - जटा के चूर्ण के पिथप्लस नामक ऑर्गेनिक खाद में जैव रूपान्तरण पर कुवैत के साथ राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन.आर.डी.सी.) का समझौता।

3. नारियल - जटा गूदा का प्रयोग कर उपयोग के लिए तैयार लॉन का निर्माण करने के लिए यू.ए.ई. के साथ राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन.आर.डी.सी.) के साथ समझौता।

(ख) प्रौद्योगिकी के विवरण इस प्रकार हैं:

1. एकल शिफ्ट आधार पर प्रति वर्ष एक मेगावाट की क्षमता से युक्त पी.वी. माड्यूल निर्माण संयंत्र की संस्थापना। प्रणाली एकीकरण की प्रौद्योगिकी और विभिन्न सौर प्रणालियों की संस्थापना और इन्हें चालू करना।

2. "पिथप्लस" एक जैविक (ऑर्गेनिक) खाद है जो कृषि और बागवानी के लिए अच्छी है। इसका उत्पादन नारियल जटा के गूदे से किया जाता है और इसे एक उत्कृष्ट मिट्टी कंडीशनर के रूप में तथा भूमि रि-कंडीशन के प्रयोजन के लिए उपयुक्त पाया गया है। इसके परिणामस्वरूप अनुर्वर जमीन बागवानी और कृषि के लिए प्रयुक्त की जा सकने वाली जमीन में परिवर्तित हो जायेगी। इस प्रकार निर्मित खाद विभिन्न पांस उत्पादों के लिए काफी अच्छा विकल्प भी हो सकता है क्योंकि इसमें जलधारण की उच्च क्षमता और मिट्टी में देर तक बने रहने की क्षमता भी है।

3. "कोकोलॉन" का निर्माण नारियल जटा के गूदे आदि से किया जाता है। यह प्राकृतिक पर्यावरण अनुकूल लॉन है और फिलहाल बनाये जाने वाले सिंथेटिक लॉन का बेहतर विकल्प है। तैयार लॉन को लपटने योग्य आवरणों के रूप में बनाया जा सकता है जिसे किसी सतह पर बिछाया जा सकता है। पर्यटन रिजार्ट, होटलों और खेल के मैदानों तथा छत की छाजन पर भी बाग/लॉन आदि में इसके प्रयोग की विशाल संभावना है।

(ग) इसके संग्रहीत अप्रत्यक्ष लाभ इस प्रकार हैं:- भारत को प्रौद्योगिकी के स्त्रोत के रूप में प्रदर्शित करना; देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करना; भारतीय प्रौद्योगिकियों के लिए विदेशों में घरबार बाजार तैयार करना; विदेशों में भारतीय प्रौद्योगिकियों/सेवाओं को बढ़ावा देना; प्रभावी सूचना और संपर्क और पुनः प्राप्ति के माध्यम से प्रौद्योगिकी निर्यातों/परियोजना निर्यातों के लिए व्यवसायिक अवसर प्राप्त करने में भारतीय उद्योग/सलाहकार संगठनों/अनुसंधान प्रयोगशालाओं की सहायता करना तथा प्रौद्योगिकी और तकनीकी सेवाओं के निर्यातों के क्षेत्र

में मानव संसाधन विकसित करना। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क से उत्पन्न प्रत्यक्ष लाभ इस प्रकार हैं:

1. फोटो वोल्टेक प्रणाली के लिए यूएसडी 614,000
2. पिथप्लस के लिए यूएसडी 40,000
3. कोकोलॉन के लिए यूएसडी 22,000

विद्युत पारेषण लिंक

538. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की तर्ज पर 14 विद्युत पारेषण लिंकों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है और इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां। 14 नई पारेषण परियोजनाओं का विकास प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए किए जाने की योजना है।

(ख) भारत सरकार ने पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार गठित अधिकार प्राप्त समिति ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए 14 पारेषण परियोजनाओं की पहचान की है। सरकार द्वारा अभिज्ञात इन 14 परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। चूंकि इन परियोजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए शुरू किया जाएगा, इस कारण निवेश वास्तविक विकासकर्त्ताओं द्वारा निर्माण तथा अपनाई गई अधिप्राप्ति प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

(ग) उक्त 14 में से 4 परियोजनाएं निर्माण हेतु प्रक्रियाधीन हैं। निम्नलिखित दो परियोजनाओं को पावर फाइनेंस कारपोरेशन के स्पेशल पर्पज व्हीकल के जरिए शुरू किया गया है-

1. मैथान आरबी (1000 मे.वा.), कोडरमा (1000 मे.वा.) और बोकारो विस्तार (500 मे.वा.) की निकासी प्रणाली।
2. उत्तरी क्षेत्र द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र के विद्युत आयात हेतु उचित स्कीम।

निम्नलिखित दो परियोजनाओं को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के स्पेशल पर्पज व्हीकल के जरिए शुरू किया गया है-

1. नार्थ करनपुरा (1980 मे.वा.) की निकासी प्रणाली।
2. तालचेर संवर्धन प्रणाली।

इन चार परियोजनाओं के लिए इच्छा-पत्र जनवरी, 2007 में मंगाए गए थे।

विवरण

क्र. सं.	पारेषण परियोजना का नाम	विद्युत पारेषण की मात्रा	लाभार्थी राज्य/क्षेत्र	अनंतिम लक्ष्य की तारीख
1	2	3	4	5
1.	नार्थ करनपुरा की निकासी प्रणाली (1980 मे.वा.)	1980 मे.वा.	पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के राज्य	2011-12 पारेषण लक्ष्य उत्पादन परियोजना के अनुसार होना है।
2.	तालचेर संवर्धन प्रणाली	तालचेर-II परियोजना में 2000 मे.वा. विद्युत की निकासी के लिए पारेषण में वृद्धि	दक्षिणी क्षेत्र के राज्य	2009-10

1	2	3	4	5
3.	मैथन आरबी की निकासी प्रणाली (1000 मे.वा.)	1000 मे.वा.	पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के राज्य	2011-12 पारेषण लक्ष्य उत्पादन परियोजना के अनुसार होना है।
4.	उत्तरी क्षेत्र द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र के विद्युत आयात हेतु उचित स्कीम	1500 मे.वा.	पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के राज्य	2011-12
5.	दक्षिणी क्षेत्र-पश्चिमी क्षेत्र इनटर-कनेक्टर	1000 मे.वा.	दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र के राज्य	2011-12
6.	कवास-नवासरी 400 केवी डी/सी	1000 मे.वा.	पश्चिमी क्षेत्र के राज्य	2011-12
7.	नवसारी-मुम्बई न्यू लोकेशन, 400 केवी डी/सी	1000 मे.वा.	पश्चिमी क्षेत्र के राज्य	2011-12
8.	बाढ़-II की निकासी प्रणाली (1320 मे.वा.)	1320 मे.वा.	पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के राज्य	2011-12 पारेषण लक्ष्य उत्पादम परियोजना के अनुसार होना है।
9.	नबीनगर की निकासी प्रणाली (1000 मे.वा.)	1000 मे.वा.	पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के राज्य	2011-12 पारेषण लक्ष्य उत्पादन परियोजना के अनुसार होना है।
10.	11वीं योजना में दरियापाली इंटिग्रेटेड प्रोजेक्ट की निकासी प्रणाली (3200 मे.वा.) 800 मे.वा.	3200 मे.वा. (800 मे.वा. 11वीं योजना में)	पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के राज्य	2011-12 पारेषण लक्ष्य उत्पादन परियोजना के अनुसार होना है।
11.	कोडरमा की निकासी प्रणाली (500 मे.वा.)	500 मे.वा.	उत्तरी क्षेत्र के राज्य	2011-12 पारेषण लक्ष्य उत्पादन परियोजना के अनुसार होना है।
12.	मेजिया विस्तार की निकासी प्रणाली (1000 मे.वा.)	1000 मे.वा.	उत्तरी क्षेत्र के राज्य	2011-12 पारेषण लक्ष्य उत्पादन परियोजना के अनुसार होना है।

1	2	3	4	5
13.	11वीं योजना में लारा इंटिग्रेटेड प्रोजेक्ट की निकासी प्रणाली (4000 मे.वा.) 800 मे.वा.	4000 मे.वा. (800 मे.वा. 11वीं योजना में)	पश्चिमी क्षेत्र के राज्य	2011-12 पारेषण लक्ष्य उत्पादन परियोजना के अनुसार होना है।
14.	सिम्हाद्री विस्तार की निकासी प्रणाली (1000 मे.वा.)	1000 मे.वा.	दक्षिणी क्षेत्र के राज्य	2011-12 पारेषण लक्ष्य उत्पादन परियोजना के अनुसार होना है।

आयकर बकाए को बट्टे-खाते में डाला जाना

539. श्री उदय सिंह:

श्री तरित बरण तोपदार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 85000 करोड़ रुपए के कर बकाए को बट्टे-खाते में डालने का है जिनकी वसूली आयकर विभाग द्वारा नहीं की जा सकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या ऐसे बकायों को वसूल करने में आयकर विभाग की विफलता को गंभीरतापूर्क लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे बकायों की वसूली तथा भविष्य में ऐसे बकायों में वृद्धि नहीं होने देने को सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। आयकर बकाया को सारांश रूप में बट्टे खाते में डालने संबंधी ऐसा कोई भी प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयकर विभाग कर बकाया से उच्चतर वसूलियां कर रहा है। 2003-04 के दौरान 5540 करोड़ रुपए की वसूली की तुलना में 2004-05 और 2005-06 के दौरान की गई वसूली क्रमशः 7084 करोड़ रुपए और 8064 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा, आयकर के कुल संग्रहण के प्रतिशत के रूप में आयकर बकाया 2001-02 के 105.91% से घटकर 2003-04 में 83.74% और 2005-06 में 72.76 रह गया। बहरहाल, कर बकाया की उच्चतर राशियों के परिशोधन के लिए सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) बकाया की वसूली एक सतत प्रक्रिया है। कर बकाया के संग्रहण और परिशोधन के लिए आयकर विभाग द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपर्युक्त मामलों की पहचान जहां विशेष प्रयास के जरिए वित्त वर्ष के दौरान बकाया की वसूली की जा सकती है।

- आयुक्त (अपील) और आयकर अपीली न्यायाधिकरण के सम्मुख लंबित उच्च मांग के मामलों, खासकर ऐसे मामलों की पहचान जहां अपील का निपटान होने पर पर्याप्त मांग की वसूली की सम्भावना हो तथा आयुक्त (अपील) से ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु अनुरोध करना।

- उच्च मांग वाले मामलों के शीघ्र निपटान हेतु, निपटान आयोग के साथ सम्पर्क तथा वित्त वर्ष के दौरान ही तत्परिणामी मांग के संग्रहण की मानीटरिंग।

- उपयुक्त मामलों में वसूली को प्रभावी बनाने के वास्ते आयकर अधिनियम की अनुसूची-II के नियम 69 के उपबंधों के अंतर्गत कार्य के लिए प्राप्तकर्ता की नियुक्ति हेतु शक्तियों का प्रयोग करने के निमित्त कर वसूली अधिकारी।

- अनुपालन न करने वाले चूककर्ताओं के संबंध में, अनुसूची-II के नियम 73 से 81 के उपबंधों के

अनुसार कर वसूली अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी और नजरबंदी के उपबंधों का लागू किया जाना।

- ऐसे मामलों में मांग की तत्काल वसूली जहां न्याया-धिकरण/न्यायालय के अनुकूल आदेश प्राप्त होते हैं।
- महत्वपूर्ण मामलों में वसूली हेतु परिसंपत्तियों की पहचान के वास्ते सर्वेक्षण और/या गुप्त छानबीन के रूप में वसूली प्रक्रिया को मदद पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों पर अन्वेषण प्रकोष्ठ।

[हिन्दी]

बैंकों में एकल खाता

540. श्री मो. ताहिर:

श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बैंकों में खाताधारकों के लिए एकल खाता मानदंड तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी एक ग्राहक द्वारा बैंकों की विभिन्न शाखाओं में खोले गए एक से अधिक खातों को बंद किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) बैंकों की वार्षिक आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ग) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एन.आर.ई.जी.एस. का अनुवीक्षण एवं क्रियान्वयन

541. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के आरंभ होने के लगभग एक वर्ष बाद भी 2006 में निर्धारित अधिकांश लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने गत एक वर्ष से इसके सफल क्रियान्वयन के लिए योजना का अनुवीक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके सफल क्रियान्वयन के मार्ग में रोड़ा बनने वाली कौन-सी खामी सरकार के नोटिस में आई है;

(ङ) क्या एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत स्थानीय सतर्कता एवं अनुवीक्षण समितियों की स्थापना किए जाने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके समुचित क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) कुछ राज्यों ने एन.आर.ई.जी.ए. को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टाफ न होने की बात कही है। उनसे कहा गया है कि वे अधिनियम का कारगार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संविदा आधार पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ की भर्ती करें। राज्य सरकारों को यह भी बताया गया है कि स्टाफ, प्रशिक्षण और अन्य प्रशासनिक खर्चों पर होने वाले व्यय का केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में वहन किया जाएगा। कुछ राज्यों ने जागरूकता पैदा करने तथा पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों और सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए संचार प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता बताई है। प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त धनराशि दी गई है और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं।

(ङ) जी हां।

(च) सभी जिलों में संसद सदस्यों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन किया गया है और वे एन.आर.ई.जी.ए. के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए प्राधिकृत हैं। दिशा-निर्देशों में भी गांव स्तर पर स्थानीय सतर्कता और निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है। राज्यों को इन्हें कार्यपरक बनाने और ऐसी समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

आर्कटिक अभियान

542. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अन्य देशों के दलों के साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुसंधान के लिए आर्कटिक अभियान की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(घ) अभियान में किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा; और

(ङ) प्रथम आर्कटिक अभियान के कब तक भेजे जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी हां। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्थान, राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केन्द्र, (एन.सी.ए.ओ.आर.), गोवा, के माध्यम से, अन्तर्राष्ट्रीय ध्रुवीय वर्ष (आई.पी.वाई.) के साथ पड़ने वाले वर्ष 2007 से शुरू होने वाली XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्कटिक क्षेत्र में एक अनुसंधान कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव रखा है। इसे नौरवेजियन ध्रुवीय अनुसंधान संस्थान के सहयोग से भारतीय वैज्ञानिकों के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि स्वालबार्ड क्षेत्र, जहां नी-एलिसुंड में इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय सुविधा उपलब्ध है, अनुसंधान किया जा सके। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "आर्कटिक के लिए अभियान" नामक एक नई अनुसंधान योजना का प्रस्ताव किया है, जिसके लिए अगले वित्त वर्ष में एक करोड़ रुपये की टोकन राशि उपलब्ध करायी गयी है।

(घ) वैज्ञानिक अनुसंधान, वायुमण्डलीय विज्ञान, अंतरिक्ष के मौसम, समुद्री हिम सहित हिमनद विज्ञान और समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में प्रस्तावित है।

(ङ) भारतीय वैज्ञानिकों के प्रथम दल को इस वर्ष आर्कटिक क्षेत्र में भेजे जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन

543. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में विशेषकर बिहार में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सूची सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सूची से भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्य-वार कितना खाद्यान्न आबंटित किया गया है; और

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा यह खाद्यान्न कितनी मात्रा में लिया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु): (क) एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कोई सूची जारी नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत 2003-04 से 2006-07 तक के दौरान प्राधिकृत और उठाया गया खाद्यान्न

(मात्रा मीट्रिक टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		प्राधिकृत खाद्यान्न	चालू वर्ष के दौरान उठाया गया खाद्यान्न	प्राधिकृत खाद्यान्न	चालू वर्ष के दौरान उठाया गया खाद्यान्न	प्राधिकृत खाद्यान्न	चालू वर्ष के दौरान उठाया गया खाद्यान्न	प्राधिकृत खाद्यान्न	चालू वर्ष के दौरान उठाया गया खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	258617	279595	264333	274103	195957	206886	66370	23077
2.	अरुणाचल प्रदेश	5196	0	0	0	0	0	790	असूचित
3.	असम	371484	448329	338737	399535	277421	166531	118472	109603
4.	बिहार	377859	292434	543184	385418	388060	369952	129645	88473
5.	छत्तीसगढ़	208689	152365	146757	211116	109367	117410	30052	21889
6.	गोवा	129	30	2809	0	2810	0	0	असूचित
7.	गुजरात	156512	47160	141721	149981	85795	94395	53189	26510
8.	हरियाणा	60752	53918	61829	65395	45199	48747	36818	30403
9.	हिमाचल प्रदेश	26859	19932	26142	27526	17044	22915	11945	7093
10.	जम्मू-कश्मीर	28480	33494	30241	29668	21398	24583	14966	12137
11.	झारखण्ड	283853	52693	307430	139851	263171		20790	असूचित
12.	कर्नाटक	346261	291110	199111	249269	146337	156627	98755	74209
13.	केरल	94235	61308	91843	97003	65661	81804	49407	3394
14.	मध्य प्रदेश	385152	244639	319569	446024	236183	289292	102593	78341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	महाराष्ट्र	363638	353733	374128	333209	289274	307435	156480	62383
16.	मणिपुर	18883	11437	20057	23911	18620	5202	11216	असूचित
17.	मेघालय	26338	12881	23501	25438	10847	38281	9083	10703
18.	मिजोरम	9189	7809	6134	3014	4828	4843	2596	2011
19.	नागालैण्ड	17253	31333	15066	13135	14310	14577	8179	असूचित
20.	उड़ीसा	277998	302137	291458	293694	221654	232471	58580	49908
21.	पंजाब	50266	47984	67820	60690	50451	42737	4494	11072
22.	राजस्थान	224972	212720	160602	185637	111119	123346	76343	64635
23.	सिक्किम	8534	6221	7002	6935	5344	5411	2626	1969
24.	तमिलनाडु	244627	247381	248294	266318	171352	192181	114738	96992
25.	त्रिपुरा	50210	58939	44118	43451	33621	34798	17828	13908
26.	उत्तरांचल	57984	68132	59768	68168	43740	49754	29951	15907
27.	उत्तर प्रदेश	776170	654964	884534	701851	767830	430769	343984	16172
28.	पश्चिम बंगाल	262879	299350	317849	196691	246322	341128	95320	36831
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1315	510	2457	687	0	0	0	0
30.	दादर नगर हवेली	555	0	1214	0	0	0	0	0
31.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	421	0	0	0	0	0	0	0
33.	पांडिचेरी	1591	562	2292	58	0	553	1690	238
	अखिल भारत	4996901	4293100	5000000	4697775	3843715	3402628	1666900	857856

थोक मूल्य सूचकांक

544. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

डा. चिन्ता मोहन:

श्री के.एस. राव:

श्री अमिताभ नन्दी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थोक मूल्य सूचकांक के परिकलन हेतु शामिल की जाने वाली वस्तुओं की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन वस्तुओं में दैनिक उपभोग की मदों को भी शामिल किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं के नाम क्या हैं और मार्च, 2004 से जनवरी, 2007 के बीच इनके मूल्यों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(घ) क्या मुद्रास्फीति का परिकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) महोदय, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) के परिकलन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले समूह में 435 वस्तुएं शामिल हैं।

(ख) और (ग) इन 435 वस्तुओं में तोक मूल्य सूचकांक समूह में 17.63 प्रतिशत भारांश वाली 30 वस्तुएं, जो रोजमर्रा इस्तेमाल होती हैं, की आवश्यक वस्तुओं के रूप में पहचान की गई है। इनमें चावल, गेहूं, चना, अरहर, आलू, प्याज, चाय, चीनी, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नमक, वनस्पति, ज्वार, बाजरा, मूंग, मसूर, उड़द, दूध, मछली-अंतर्देशीय, मांस, मिर्च (सूखी), आटा, गुड़, नारियल का तेल, कोर्किंग कोयला, मिट्टी का तेल, लांग क्लाथ/चादर, धोती-साड़ी और वायल, धुलाई का साबुन और माचिस शामिल हैं। मार्च 2004, 2005 और 2006 के अंतिम सप्ताहों की स्थिति के अनुसार इन 30 वस्तुओं की वर्षानुवर्ष समिश्र थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर क्रमशः 5.65 प्रतिशत, 3.27 प्रतिशत और 6.22 प्रतिशत थी। चालू वर्ष में 27 जनवरी की स्थिति के अनुसार इस समूह की मुद्रास्फीति की दर 4.96 प्रतिशत के स्तर पर थी।

(घ) मुद्रास्फीति का परिकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नामतः औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.), कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.-ए.एल.), ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.-आर.एल.) और श्रमिकेतर शहरी कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.-यू.एन.एम.ई.) के आधार पर भी किया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैज्ञानिकों की कमी

545. श्री के.एस. राव: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम.एन.सी.) तथा निजी क्षेत्र द्वारा बेहतर वेतन पैकेज की पेशकश किए जाने के कारण तथा उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होने के कारण भी उनके पलायन से देश को वैज्ञानिकों की काफी कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिकों को बेहतर सुविधाएं एवं परिलब्धियां देने के लिए तथा स्कूलों एवं कॉलेजों में युवा छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं। अनुसंधान और अकादमिक संस्थानों से बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों (एम.एन.सी.) और निजी क्षेत्रक में वैज्ञानिकों का पलायन एक वैश्विक घटना है और इसके बहुत से कारण हैं जिनमें बेहतर वित्तीय एवं कैरिअर संभावनाएं शामिल हैं। तथापि, हमारे लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से हमारे देश को वर्ष 2020 तक इसको एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों की जरूरत है।

(ख) सरकार ने वैज्ञानिकों को बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने तथा स्कूल तथा कालेजों में युवा छात्रों को देश में विज्ञान का अनुशीलन करने हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत सी नीतियां एवं योजनाएं तैयार की हैं। समय-समय पर किए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:-

नीतियां:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, 2003।
- प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के लिए परिव्यय में बढ़ोत्तरी।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों हेतु बढ़ी हुई प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- वैज्ञानिकों की कार्य दशाओं में सुधार।

स्कूली छात्रों को आकर्षित करने के लिए विद्यालय केन्द्रित कार्यक्रम:

- बाल विज्ञान कांग्रेस
- न्यू-प्रोब (विद्यालयों में मौसम विभाग की शुरुआत करना)
- राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड कार्यक्रम
- किशोर (सी.पी.वाई.एल.एस.) वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (के.वी.पी.वाई.)
- विज्ञान में नेतृत्व हेतु युवाओं पर सी.एस.आई.आर. कार्यक्रम।

युवा वैज्ञानिकों को लक्षित कार्यक्रम:

- स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्तियां।
- युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रेक स्कीम।
- एस.ई.आर.सी. विजिटिंग फैलोशिप।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में एस.ई.आर.सी. स्कूल।
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थानों का दौरा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुनिंदा क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों हेतु बेहतर अवसर (ब्वायजकास्ट) अध्येतावृत्ति।
- आकांक्षाओं को वास्तविक उद्यम में बदलने (सी.ए.आर.ई.) के उद्देश्य के साथ मिशन होप (उच्चतर शिक्षा-उद्यमिता संवर्धन हेतु अवसर)।
- कैरियर के रूप में अनुसंधान और विकास को अपनाने के लिए प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित एवं अनुप्रेरित करने हेतु सम्पर्क कार्यक्रम।
- कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां, रिसर्च एसोसिएटशिप एवं सीनियर रिसर्च एसोसिएटशिप।
- हीरक जयंती अनुसंधान इंटर्नस् पुरस्कार योजना, जे.आर.एफ. - जी.ए.टी.ई. और अनुसंधानकर्त्ताओं को उद्यमिता सहयोग।
- अर्ली फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य प्रतिभावान और युवा अंडर ग्रैज्युएट छात्रों को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी/फार्मेसी/आर्किटेक्चर आदि के अध्यापन को उनके कैरियर के रूप में अपनाने हेतु आकर्षित करना।
- उद्यमवृत्तिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।
- महिला वैज्ञानिक योजना।

कार्यशील वैज्ञानिकों को लक्षित कार्यक्रम:

- रामानुजन अध्येतावृत्तियां।
- जे.सी. बोस राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां।
- रमन्ना अध्येतावृत्तियां।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्तियां।
- एस.ई.आर.सी. वैयक्तिक परियोजनाएं।
- अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी एवं उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए अल्पकालिक तकनीकी दायित्वों हेतु विदेशों में बसे भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों के लिए अवसर।
- जैव-प्रौद्योगिकी एवं जीवन विज्ञान में पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियां।

अवसंरचना विकास कार्यक्रम:

- उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान का तीव्रीकरण (आई.आर.एच.पी.ए.)।
- उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना के प्रोन्नयन हेतु निधि (एफ.आई.एस.टी.)।
- विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों में उत्कृष्टता/समुन्नत अध्ययन केन्द्रों की स्थापना।
- विज्ञान के नए एवं अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने हेतु आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ पेशेवरों के कोर दलों का गठन।
- नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन।

[हिन्दी]

ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाएं

546. श्री महावीर भगोरा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में प्रत्येक रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों, प्रदत्त निधियों और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के कितने पात्र व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रदत्त अतिरिक्त निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय सहायता मानदण्डों/प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.), काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) नामक रोजगार सृजन की बड़ी योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियों के साथ निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्ध कराई गई तथा इस्तेमाल की गई निधियों का राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जबकि एस.जी.आर.वाई. तथा एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. नामक मजदूरी रोजगार योजनाएं स्वलक्षित कार्यक्रम हैं, एन.आर.ई.जी.ए. मांग आधारित योजना है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

2003-04 से 2006-07 तक के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय रिलीज					उपयोग			
		2003-04	2004-05		2005-06	2006-07 (फरवरी, '07 तक)	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (दिसम्बर, '06 तक)
			कुल	अतिरिक्त						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	3942.42	5305.97		5263.37	4980.56	5631.80	6970.51	7066.03	4986.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	139.60	278.92	61.74	183.89	94.84	176.17	242.38	231.14	26.97
3.	असम	5313.00	6595.62	230.60	6601.52	3669.54	7417.91	8046.89	8164.07	6346.51
4.	बिहार	5488.81	9619.84		11079.65	7517.01	11216.49	13442.98	15875.41	9824.81
5.	छत्तीसगढ़	2025.44	2676.11		2633.11	2886.36	2975.36	3863.97	3740.30	2742.86
6.	गोवा	25.00	27.82		29.36	45.80	51.31	60.93	51.45	38.63
7.	गुजरात	1508.00	1946.40		1996.08	2033.43	2415.12	2814.63	2857.07	1498.01
8.	हरियाणा	932.06	1175.08		1147.48	1304.92	1437.07	1596.25	1888.51	832.10
9.	हिमाचल प्रदेश	304.77	487.42		448.75	383.24	642.77	745.26	678.32	394.00
10.	जम्मू-कश्मीर	427.45	436.74		419.78	468.85	618.44	779.94	703.66	442.53
11.	झारखंड	2817.41	4180.61		3498.87	3598.93	4738.75	5587.89	6518.55	4029.15
12.	कर्नाटक	2777.12	3735.03		3579.36	3909.77	4711.28	5487.70	5590.36	3107.75
13.	केरल	1435.18	1783.56		1797.82	1956.64	2054.13	2445.14	2420.47	1400.52
14.	मध्य प्रदेश	4397.14	5516.04		5722.89	5820.46	7040.11	7592.17	8600.34	4997.18

15. महाराष्ट्र	5712.39	7409.42		7443.34	8443.92	8805.51	10630.89	10878.65	7187.98
16. मणिपुर	56.75	91.05		116.82	69.83			111.36	17.50
17. मेघालय	117.12	190.84	27.76	281.43	105.38	161.90	241.88	364.07	218.00
18. मिजोरम	99.96	146.76	37.52	123.21	119.16	138.00	189.77	200.82	59.85
19. नागालैण्ड	157.80	203.94	38.54	135.90	138.85	301.05	188.77	253.51	86.48
20. उड़ीसा	4553.07	5866.19		6065.95	6561.92	6699.20	8281.82	8073.92	3828.82
21. पंजाब	444.25	442.81		562.17	617.91	671.96	552.73	638.82	654.45
22. राजस्थान	2261.24	2941.56		2662.12	2701.90	3157.57	4051.15	4009.83	2510.30
23. सिक्किम	110.76	179.99	41.54	138.45	135.25	230.30	222.09	247.87	112.56
24. तमिलनाडु	3690.70	4676.06		4691.65	5143.89	5852.91	7066.73	6759.92	4138.69
25. त्रिपुरा	696.74	1102.28	261.28	869.92	676.30	967.15	1136.56	1464.19	540.44
26. उत्तर प्रदेश	11756.85	17293.83		17018.11	19303.20	19564.60	27722.43	26779.42	16504.49
27. उत्तरांचल	686.02	954.59		943.75	1061.01	1356.48	1686.24	2085.78	740.58
28. पश्चिम बंगाल	2617.59	4608.31		5465.50	5256.62	5298.25	7317.61	7525.25	5092.60
29. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	25.00		6.25	0.00	4.24	5.09	7.07	4.40
30. दमन व दीव	0.00	0.00		0.00	0.00		0.06		
31. दादर व नगर हवेली	0.00	12.50		0.00	12.50	4.57	8.28		
32. लक्षद्वीप	0.00	0.00		0.00	0.00	2.53	1.16	2.15	2.30
33. पांडिचेरी	25.00	100.00		100.00	94.01	0.04	104.28	89.22	67.49
कुल	64519.64	90010.29	698.98	91026.50	89110.00	104342.97	129083.18	133877.53	82434.68

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सहायता प्राप्त स्वरोजगारी					
		2003-04	2004-05	2005-06		2006-07	
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	79736	84825	45602	132462	57921	75247
2.	अरुणाचल प्रदेश	1220	1743	2380	2013	3023	72
3.	असम	45480	64814	61839	55753	78544	49754
4.	बिहार	111613	128075	108494	131033	137805	67249
5.	छत्तीसगढ़	22926	28842	24066	28971	30592	22262
6.	गोवा	364	683	430	625	546	473
7.	गुजरात	21462	27457	17165	30948	21803	15500
8.	हरियाणा	11863	14132	10099	14955	12827	5906
9.	हिमाचल प्रदेश	7928	8950	4253	8457	5402	4740
10.	जम्मू-कश्मीर	6965	8039	5264	7185	6686	4463
11.	झारखण्ड	66644	59705	40892	79847	51939	48244
12.	कर्नाटक	43293	52976	34436	46924	43739	27370
13.	केरल	20062	23306	15451	22483	19625	12776
14.	मध्य प्रदेश	41979	48777	51635	56456	65584	33156
15.	महाराष्ट्र	60451	70146	68071	73839	86461	46395
16.	मणिपुर	एन.आर.	0	4146	1964	5266	360

17. मेघालय	5514	7508	4645	1835	5899	1090
18. मिजोरम	1457	1488	1075	1557	1365	5223
19. नागालैण्ड	4177	2981	3186	3508	4047	2071
20. उड़ीसा	59289	65712	52159	63904	66250	38001
21. पंजाब	6554	5246	4908	5923	6234	6180
22. राजस्थान	28618	35225	26148	33476	33212	18034
23. सिक्किम	1942	1598	1190	1466	1511	728
24. तमिलनाडु	61120	74927	40322	39708	51215	27707
25. त्रिपुरा	6581	9301	7485	6188	9507	1598
26. उत्तर प्रदेश	140622	246824	156193	261080	198389	165783
27. उत्तरांचल	10780	12493	8209	17243	10426	6901
28. पश्चिम बंगाल	27008	28280	57965	18829	73624	12359
29. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	350	373	161	1594	205	102
30. दमन व दीव	0	0	161	0	205	0
31. दादर व नगर हवेली	163	87	161	0	205	0
32. लक्षद्वीप	26	6	161	15	205	22
33. पाण्डिचेरी	708	1409	645	875	819	839
कुल	896895	1115928	859230	1151116	1091081	700605

एन.आर. - असूचित

2003-04 तथा 2004-05 के लिए को लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

2003-04 से 2006-07 तक के दौरान संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04			2004-05			2005-06			2006-07 (दिसम्बर, 06 तक)		
		रिलीज की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	सृजित श्रमदिवस (लाख में)	रिलीज की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	सृजित श्रमदिवस (लाख में)	रिलीज की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	सृजित श्रमदिवस (लाख में)	रिलीज की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	सृजित श्रमदिवस (लाख में)
1:	आन्ध्र प्रदेश	23995.50	33965.38	446	24049.88	31922.74	434	29453.70	37705.06	434	6542.37	7823.92	72
2.	अरुणाचल प्रदेश	1560.75	1257.74	18	1368.64	685.09	9	1377.50	675.53	9	842.20	817.25	10
3.	असम	29681.01	41422.14	637	32124.06	39533.75	626	40916.96	46499.28	716	18017.02	33672.91	510
4.	बिहार	34203.10	48593.41	490	49196.29	63479.62	605	59124.30	73195.24	618	12779.62	16788.48	146
5.	छत्तीसगढ़	12023.34	16805.85	309	12931.67	17757.39	349	16605.81	22093.18	257	4853.78	5120.51	55
6.	गोवा	110.36	78.92	0	292.55	282.73	4	242.07	319.55	2	250.58	246.11	2
7.	गुजरात	9654.67	13596.10	323	9941.23	14856.35	265	12648.76	16887.56	186	8171.80	7408.36	63
8.	हरियाणा	5599.45	7442.93	69	5567.67	6794.28	70	6758.76	9531.74	71	6038.82	4785.65	41
9.	हिमाचल प्रदेश	2394.67	3256.44	39	2259.63	3683.45	40	2230.05	3587.90	36	1439.26	1912.00	17
10.	जम्मू-कश्मीर	10803.04	4195.30	48	2715.61	4197.50	44	3229.13	4570.88	42	2185.05	2317.04	16
11.	झारखण्ड	26675.15	40280.58	386	27394.54	39485.11	304	33841.77	52866.14	407	3338.58	2828.65	26
12.	कर्नाटक	19428.39	24748.91	566	18290.28	26682.09	419	21881.83	30855.62	395	14658.15	11366.81	149
13.	केरल	8696.74	10065.14	101	7866.56	13565.39	119	9767.11	15532.67	109	5443.63	6168.59	36
14.	मध्य प्रदेश	26705.26	38744.86	585	28713.84	40023.35	581	34606.57	45496.35	534	15836.54	17261.59	198

15. महाराष्ट्र	31212.10	47411.11	631	33657.28	49000.74	675	40869.63	53360.78	659	22891.99	16595.39	192
16. मणिपुर	1331.40	1071.19	14	2123.41	2387.20	32	2164.50	966.20	14	1499.68	0.00	0
17. मेघालय	2055.44	2716.95	34	2439.01	3199.36	37	2334.13	3503.10	42	1186.06	1072.43	13
18. मिजोरम	757.86	801.68	15	574.44	557.19	7	748.55	988.29	11	460.11	374.98	9
19. नागालैण्ड	1168.08	1170.55	399	1637.97	1433.70	37	1415.70	1989.25	33	1096.12	495.87	5
20. उड़ीसा	24743.95	38608.74	619	26939.86	36291.37	554	33322.45	35694.05	556	9475.27	8300.98	129
21. पंजाब	4620.08	6055.59	46	5818.55	6215.06	43	6412.39	6246.18	37	3400.31	4504.53	23
22. राजस्थान	13860.68	22075.62	269	14564.97	20437.32	219	17945.03	23423.21	183	12060.34	14608.59	122
23. सिक्किम	703.55	760.00	8	685.88	771.95	5	828.75	1076.58	8	338.35	430.16	7
24. तमिलनाडु	23318.54	33602.53	512	22470.43	30960.67	519	25995.76	35587.77	472	18844.77	20143.74	173
25. त्रिपुरा	3991.89	5959.21	127	4079.04	5891.08	108	5213.91	6155.50	130	3191.39	2873.07	41
26. उत्तरांचल	5355.75	7492.65	91	5361.66	8502.94	94	6607.12	9358.23	102	4513.50	3963.97	56
27. उत्तर प्रदेश	65695.85	111863.13	1331	79279.95	106468.40	1750	98576.36	128965.23	1609	52522.35	55969.47	607
28. पश्चिम बंगाल	21453.96	31604.04	445	26731.84	32836.27	378	34453.29	37779.37	540	11727.32	13523.60	102
29. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	97.40	23.77	0	220.94	65.35	3	44.36	88.03	4	0.00	14.06	0
30. दादर व नगर हवेली	41.13	0.00	0	87.28	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
31. दमन व दीव	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
32. लक्षद्वीप	28.57	2.59	0	28.57	11.37	0	126.75	44.20	0	129.55	13.20	0
33. पाण्डिचेरी	136.13	101.69	1	205.09	34.06	0	0.00	186.24	1	166.64	106.96	0
कुल	412103.79	595774.74	8560.24	449618.62	608012.87	8331	5497.43	705228.91	8218	243901.15	261508.85	2822

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष [2003-04 से 2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक)] के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत प्राधिकृत एवं उठाए गए खाद्यान्न का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(मात्रा मीट्रिक टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07 (दिसम्बर, 06 तक)	
		प्राधिकृत खाद्यान्न	उठाए गए खाद्यान्न	प्राधिकृत खाद्यान्न	उठाए गए खाद्यान्न	प्राधिकृत खाद्यान्न	उठाए गए खाद्यान्न	प्राधिकृत खाद्यान्न	उठाए गए खाद्यान्न
1.	आन्ध्र प्रदेश	258617	279595	264333	274103	195957	206886	66370	23077
2.	अरुणाचल प्रदेश	5196	0	0	0	0	0	790	
3.	असम	371484	448329	338737	399535	277421	166531	118472	119724
4.	बिहार	377859	292434	543184	385418	388060	369952	129645	88473
5.	छत्तीसगढ़	208689	152365	146757	211116	109367	117410	30052	21889
6.	गोवा	129	30	2809	0	2810	0	0	
7.	गुजरात	156512	47160	141721	149981	85795	94395	53189	26510
8.	हरियाणा	60752	53918	61829	65395	45199	48747	36818	30403
9.	हिमाचल प्रदेश	26859	19932	26142	27526	17044	22915	11945	7093
10.	जम्मू-कश्मीर	28480	33494	30241	29668	21398	24583	14966	12137
11.	झारखण्ड	283853	52693	307430	139851	263171		20790	
12.	कर्नाटक	346261	291110	199111	249269	146337	156627	98755	74209
13.	केरल	94235	61308	91843	97003	65661	81804	49407	3394
14.	मध्य प्रदेश	385152	244639	319569	446024	236183	289292	102593	86218

15.	महाराष्ट्र	363638	353733	374128	333209	289274	307435	156480	62383
16.	मणिपुर	18883	11437	20057	23911	18620	5202	11216	
17.	मेघालय	26338	12881	23501	25438	10847	38281	9083	10703
18.	मिजोरम	9189	7809	6134	3014	4828	4843	2596	2011
19.	नागालैण्ड	17253	31333	15066	13135	14310	14577	8179	
20.	उड़ीसा	277998	302137	291458	293694	221654	232471	58580	49908
21.	पंजाब	50266	47984	67820	60690	50451	42737	4494	11072
22.	राजस्थान	224972	212720	160602	185637	111119	123346	76343	64635
23.	सिक्किम	8534	6221	7002	6935	5344	5411	2626	2180
24.	तमिलनाडु	244627	247381	248294	266318	171352	192181	114738	103665
25.	त्रिपुरा	50210	58939	44118	43451	33621	34798	17828	13908
26.	उत्तरांचल	57984	68132	59768	68168	43740	49754	29951	15907
27.	उत्तर प्रदेश	776170	654964	884534	701851	767830	430769	343984	16172
28.	पश्चिम बंगाल	262879	299350	317849	196691	246322	341128	95320	36831
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1315	510	2457	687	515	0	0	
30.	दादर एवं नगर हवेली	555	0	1214	0	0		0	
31.	दमन व दीव	0	0	0	0	0		0	
32.	लक्षद्वीप	421	0	0	0	0		0	
33.	पांडिचेरी	1591	562	2292	58	0	553	900	238
	कुल	4996901	4293100	5000000	4697775	3844230	3402628	1666110	882738

2004-05 तथा 2005-06 के दौरान काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का राज्यवार विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05			2005-06		
		रिलीज	उपयोग	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिवस में)	रिलीज	उपयोग	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिवस में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	12214.72	4116.71	39.49	30074.63	19880.75	187.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	190.80	117.27	2.49	658.94	488.45	6.76
3.	असम	16645.79	487.49	1.33	33650.13	10519.65	195.94
4.	बिहार	26456.54	7778.38	54.96	50854.82	27536.63	228.91
5.	छत्तीसगढ़	10410.19	6393.51	130.85	23966.35	24149.14	257.42
6.	गुजरात	3994.69	234.51	3.82	8250.67	4617.72	77.55
7.	हरियाणा	281.85	0.00	0.00	1187.63	335.05	4.55
8.	हिमाचल प्रदेश	303.91	200.58	1.72	1236.75	385.43	3.87
9.	जम्मू-कश्मीर	494.26	145.97	0.00	1685.60	794.56	0.00
10.	झारखण्ड	22595.7	2120.03	13.33	53348.03	41428.14	410.87
11.	कर्नाटक	2925.38	176.15	4.11	7659.21	2962.28	35.35
12.	केरल	547.14	125.37	0.21	1169.18	121.14	0.28
13.	मध्य प्रदेश	15808.32	6787.57	114.07	47623.10	41960.52	525.76
14.	महाराष्ट्र	15495.26	1982.62	0.00	25357.82	0.00	0.00
15.	मणिपुर	399.22	206.98	5.21	1351.41	718.59	12.61
16.	मेघालय	543.85	150.14	1.16	2063.95	298.57	2.51
17.	मिजोरम	95.52	93.35	0.00	877.36	111.06	1.99
18.	नागालैण्ड	455.72	276.39	0.00	1031.28	0.00	0.00
19.	उड़ीसा	22283.67	14921.80	260.27	50606.06	29187.63	461.63
20.	पंजाब	716.32	698.45	0.00	1620.09	902.30	7.05

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	राजस्थान	3532.69	2498.55	33.14	12008.69	7370.11	78.87
22.	सिक्किम	315.73	171.34	1.20	1074.01	350.39	2.47
23.	तमिलनाडु	4851.58	2652.40	28.62	11973.45	6549.71	115.24
24.	त्रिपुरा	1543.37	644.32	15.30	4292.92	2624.07	18.95
25.	उत्तरांचल	1014.86	52.46	0.50	2160.77	981.84	16.73
26.	उत्तर प्रदेश	26378.11	1982.07	29.99	37515.83	15085.95	182.14
27.	पश्चिम बंगाल	11449.81	1959.21	43.42	29786.32	11221.82	209.04
	कुल	201945.00	56973.62	785.19	443085.00	250581.50	3043.56

2004-05 तथा 2005-06 के दौरान काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत खाद्यान्न घटक पर प्रगति राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06	
		उठाए गए खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)	उपयोग किए गए खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)	उठाए गए खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)	उपयोग किए गए खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	68478	32507	139522	129198
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	0	0	68743	53363
4.	बिहार	10445	8670	86213	64134
5.	छत्तीसगढ़	101203	78503	110852	99575
6.	गुजरात	19085	74	42356	39925
7.	हरियाणा	0	0	3417	3047
8.	हिमाचल प्रदेश	3121	2059	6381	4454
9.	जम्मू-कश्मीर	2987	1596	33388	33321
10.	झारखंड	0	0	171804	147572

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	कर्नाटक	2952		2951	28665		28194
12.	केरल	0		0	131		131
13.	मध्य प्रदेश	93565		72772	222040		203958
14.	महाराष्ट्र	13284		0	0		0
15.	मणिपुर	1300		1300	3680		3680
16.	मेघालय	0		0	3562		2261
17.	मिजोरम	0		0	1184		1184
18.	नागालैण्ड	0		0	0		0
19.	उड़ीसा	197966		143234	226151		176445
20.	पंजाब	4962		0	2394		2394
21.	राजस्थान	34766		28156	45601		43299
22.	सिक्किम	0		0	0		0
23.	तमिलनाडु	14450		14310	52345		51357
24.	त्रिपुरा	765		765	4040		4040
25.	उत्तरांचल	2425		195	10223		9396
26.	उत्तर प्रदेश	11738		0	73324		69787
27.	पश्चिम बंगाल	41878		15851	117463		87253
	कुल	625390		402943	1453479		1257968

2005-06 तथा 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का राज्यवार विवरण

(रु. लाख में)

राज्य	रिलीज (2005-06)	रिलजी (2006-07) फरवरी 2007 तक	व्यय (2006-07) जनवरी 2007 तक	सृजित रोजगार श्रमदिवस (2006-07) जनवरी 2007 तक (लाख श्रमदिवस)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	16474.81	91461.46	46542.63	503.32

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	446.31	1211.85	221.34	4.35
असम	33650.13	13970.85	32130.55	295.87
बिहार	30806.3	41581.38	45176.18	297.24
छत्तीसगढ़	785	55716.74	44074.37	467.9
गुजरात	4241.12	6165.94	5799.71	67.89
हरियाणा	873.82	3129.39	2384.24	17.35
हिमाचल प्रदेश	898.37	2207.64	2153.96	17.34
जम्मू-कश्मीर	1135.29	2776.37	1062.65	9.65
झारखण्ड	23429.66	48618.59	36959.43	308.14
कर्नाटक	4402.1	17595.69	18383.74	163.41
केरल	1169.18	2179.51	870.97	7.41
मध्य प्रदेश	13713.82	178129.2	138284.72	1590.73
महाराष्ट्र	19743.56	19235.64	16733.46	229.04
मणिपुर	461.63	1252.89	950.00	8.26
मेघालय	1457.87	2064.68	121.28	2.01
मिजोरम	770.91	783.9	1028.34	2.37
नागालैण्ड	1031.28	430.11	1327.91	11.82
उड़ीसा	7384.75	75456.49	42468.08	506.64
पंजाब	822.54	2755.75	1727.12	11.08
राजस्थान	4142.11	729.61	50622.15	806.21
सिक्किम	722.16	451.5	167.5	1.55
तमिलनाडु	6571.72	14389.21	10787.8	129.13
त्रिपुरा	2572.97	1456.66	4200.56	45.58
उत्तर प्रदेश	33242.07	48655.69	60449.88	617.88
उत्तरांचल	1269.11	2710.6	3201.54	26.46
पश्चिम बंगाल	17038.15	30858.84	25852.8	280.98
कुल	229256.74	738207.57	593682.91	6429.55

[अनुवाद]

किसानों को ऋण

547. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों के कृषि ऋणों को बट्टे-खाते में डालने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों ने कृषि ऋण को बट्टे-खाते में डाला है और इसकी राज्य-वार राशि कितनी है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने किसान लाभान्वित हुए हैं और इसमें कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) संघ सरकार ने हाल ही में किसी कृषि ऋण को माफ नहीं किया है। तथापि, 18-6-2004 को सरकार ने एक कृषि ऋण पैकेज की घोषणा की थी जिसमें अधिस्थगन अवधि के साथ ऋणों की पुनर्व्यवस्था तथा छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिए "एकबारगी निपटान" योजना के द्वारा किसानों को ऋण राहत देने का प्रावधान किया गया था। ऋण राहत का लाभ उठाने वाले किसान बैंकों से नए ऋण प्राप्त करने के पात्र थे।

इसके अतिरिक्त, चार राज्यों यथा महाराष्ट्र (06), आंध्र प्रदेश (16), कर्नाटक (06) तथा केरल (03) के 31 ऋणग्रस्त जिलों में किसानों के लिए घोषित राहत पैकेज में मूल राशि को माफ करने का प्रावधान नहीं है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि 1-7-2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणों पर पूरा ब्याज इस प्रकार माफ किया जाएगा कि उस तारीख के अनुसार सभी किसानों पर पुराने ब्याज का कोई भार नहीं होगा। इससे वे बैंकों से नए ऋण लेने के लिए तत्काल पात्र हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 1-7-2006 की स्थिति के अनुसार किसानों के अतिदेय ऋणों की एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ 3-5 वर्ष की अवधि में पुनर्व्यवस्था की जाएगी।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य बीमा में निजी बीमा कंपनियां

548. **श्री पंकज चौधरी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सस्ती दरों पर गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आशयित सर्वव्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कमजोर वर्गों के लाभार्थ निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को आमंत्रित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यू.एच.आई.एस.) के प्रारम्भ के समय परिकल्पित किए गए वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं और इस योजना की धीमी गति से प्रगति के मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं; (ii) बी.पी.एल. परिवारों की पहचान में कठिनाई; (iii) यू.एच.आई.एस. के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों से अपर्याप्त प्रतिक्रिया; (iv) बी.पी.एल. परिवारों की जागरुकता का तथा इससे संबंधित कार्य का वहन करने की क्षमता का अभाव; (v) ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कंपनियों की पहुंच का अभाव; और (vi) योजना का प्रभावी रूप से प्रचार करने के लिए इसकी कम प्रीमियम संरचना के कारण बीमा कंपनियों की अत्यधिक लागत आती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पुल

549. **श्री अनिल बसु:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए पुलों एवं पुलियों की अपेक्षित लंबाई एवं चौड़ाई की अनुमति दी जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) चूंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) का उद्देश्य सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को बारहमासी

सड़क संपर्क मुहैया कराना है, इसलिए कार्यक्रम के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों में संकल्पना की गई है कि पक्का नदी पथ, पुल और पुलिया सहित क्रास ड्रेनेज (सीडी) कार्यों की पर्याप्त संख्या का प्रावधान, स्थल आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। 25 मीटर कीलम्बाई तक पुलों की लागत को पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यही लम्बाई 25 मीटर से अधिक हो तो 25 मीटर से अधिक की लम्बाई के लिए यथा अनुपात लागत को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

[हिन्दी]

विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन

550. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन के तृतीय चरण के अंतर्गत संस्थापित क्षमता 231 मेगावाट से घटाकर 200 मेगावाट कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार ने स्थिति की समीक्षा के लिए कोई अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) जी, नहीं। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन चरण-III (मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एन.टी.पी.सी. लि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही है), की संस्थापित क्षमता 1000 मेगावाट है, जिसमें 500 मेगावाट प्रत्येक की दो यूनिटें शामिल हैं। प्रारंभ से ही विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन चरण-III की 1000 मेगावाट संस्थापित क्षमता के रूप में परिकल्पना की गयी थी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पी.एम.जी.एस.वाई. की धामी प्रगति

551. श्रीमती सुमित्रा महाजनः

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेयः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में चल रहे निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है और स्तरीय नहीं है';

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत धीमी एवं अपर्याप्त प्रगति के संबंध में राज्य सरकारों को लिखा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण की गति बहुत धीमी नहीं है और प्रत्येक राज्य में वांछित स्तर तक है। तथापि, कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य-दर-राज्य अलग-अलग है। स्वीकृत सड़क कार्यों की कुल संख्या 62895 में से 36870 सड़क कार्य (58.62%) पूरे हो चुके हैं। चरण-I से चरण-III के अंतर्गत शुरू किए गए 33195 सड़क कार्यों में से 30026 (90.45%) कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। केन्द्रीय मंत्री ने उन राज्य सरकारों को पत्र लिखा है जहां कार्यक्रम का कार्यान्वयन धीमा है तथा राज्य सरकारों ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि उठाए गए मुद्दों पर वे पूरा ध्यान दे रहे हैं।

मतदाता सूचियों में विदेशी व्यक्ति

552. श्री ए.साई. प्रताप: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के विभिन्न राज्यों की मतदाता सूचियों में अनेक पाकिस्तान और बंगलादेशी व्यक्तियों ने अपना नाम दर्ज करा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मतदाता सूचियों से उनके नाम हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि उसके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि क्या बांग्लादेशी और पाकिस्तानी राष्ट्रिक, देश के किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपने नाम को मतदाताओं के रूप में दर्ज कराने में सफल हो गए हैं।

कोई भी विदेशी राष्ट्रिक भारत में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए पात्र नहीं है। राज्यक्षेत्रीय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचनों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाती है। इन उपबंधों के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित होने के पात्र हैं। तथापि, कभी कभार गहन पुनरीक्षण, संक्षिप्त पुनरीक्षण या निरंतर पुनरीक्षण के दौरान कुछ ऐसे अपात्र व्यक्तियों के नाम जो भारतीय नागरिकता की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं, व्यष्टियों द्वारा गलत जानकारी उपलब्ध कराए जाने के कारण निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो जाते हैं। जब कभी गलत नाम सम्मिलित होने के ऐसे मामले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों की जानकारी में आते हैं, ऐसे नामों को निर्वाचक नामावलियों से हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।

असम राज्य में, ऐसे निर्वाचकों के, जिनकी नागरिकता संदेहास्पद है या उसके संबंध में विवाद है, मामलों को उनकी नागरिकता संबंधी प्रास्थिति का अवधारण करने के लिए समुचित प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है। तथापि, उनके नामों को निर्वाचक नामावलियों से हटाया नहीं जाता है, किंतु उन्हें तब तक मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाती है, जब तक कि समुचित प्राधिकारी उनके मामलों को उनके पक्ष में न निपटा दें। इन निर्वाचकों को 'डी' मतदाता कहा जाता है और उनकी पहचान करने के लिए निर्वाचक नामावलियों में उनकी प्रविष्टियों के सामने 'डी' अक्षर चिन्हित किया जाता है।

एल.आई.सी. की योजनाएं

553. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) क्या देश में विश्व स्तर की अन्य बीमा कंपनियों से स्पर्धा के मद्देनजर एल.आई.सी. द्वारा चालू वर्ष के दौरान किसी विशिष्ट योजना को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने सूचित किया है कि इस समय यह व्यक्ति विशेष के जीवन के बीमा के लिए 46 योजनाएं प्रदान कर रहा है, जिनका विवरण एल.आई.सी. की वेबसाइट www.licindia.in से प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) एल.आई.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 24 के अनुसार एल.आई.सी. एक समूह निधि रखता है और घोषित अधिशेष सम्पूर्ण निधि के लिए है; योजना अनुसार नहीं। प्रत्येक योजना के लिए बोनस उस योजना की बोनस उपार्जन क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो मूल्य निर्धारण में किए गए पूर्वानुमान की तुलना में अनुभव पर निर्भर करता है। पिछले दो वर्षों के दौरान बीमांकक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्रस्तुत किए गए अधिशेष इस प्रकार हैं:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	नियमित बोनस के लिए अधिशेष	एक बार विशेष बोनस के लिए अधिशेष	कुल अधिशेष
2004-05	11,693.68	2210.53	13,904.21
2005-06	12,404.82	शून्य	12,404.82

(ग) और (घ) एल.आई.सी. ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहले से ही सात नई बीमा योजनाएं आरंभ की हैं और चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान और योजनाएं आरंभ करने की संभावना नहीं है।

ताप विद्युत स्टेशन

554. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकतर कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशन 55% पावर लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) से कम पर चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) पी.एल.एफ. के संबंध में इन विद्युत संयंत्रों को कब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) 91 कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत केन्द्रों में से, जहां संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) में मानीटर किया जा रहा है, वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2006-जनवरी, 2007) के दौरान 23 स्टेशनों ने 55% से कम पी.एल.एफ. पंजीकृत किया है, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) देश में विद्युत स्टेशनों के पी.एल.एफ. को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं-

(i) अच्छी निष्पादन वाली यूटिलिटियों के साथ समझौते के माध्यम से 60% से कम पी.एल.एफ. पर प्रचालित होने वाले थर्मल संयंत्रों के निष्पादन में सुधार हेतु 70 यूनिटों वाले 22 थर्मल स्टेशनों पर अगस्त, 2005 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "उत्कृष्टता में भागीदारी" (पी.आई.ई.) कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत सरकार ने इन अच्छे निष्पादन वाले संगठनों के परामर्श शुल्कों के लिए अनुदान दिया है तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.) ने ब्याज की सब्सिडीकृत दर पर ऋण सहायता प्रदान की। पी.आई.ई. कार्यक्रम के अंतर्गत, थर्मल विद्युत स्टेशनों के उत्पादन में सुधार प्रचालन एवं देखरेख (ओ एण्ड एम पद्धतियों) पद्धतियों, प्रचालन कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा आवश्यक स्पेयर की प्राप्ति, व्यापक कैपीटल ओवर हालिंग करके तथा 60% से अधिक पी.एल.एफ. में सुधार के लिए आवश्यक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) कार्य जैसे कदमों को अपनाकर चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। तत्पश्चात् तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के अधीन रेजीड्यूअल लाइफ एसेसमेंट (आर.एल.ए.) स्टडीज के आधार पर मुख्य आर. एण्ड एम./जीवन विस्तार कार्य किए जाएंगे।

(ii) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (ए.जी. एण्ड एस.पी.) के अंतर्गत पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी सहित पुराने एवं गैर प्रभावी उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(iii) कम पी.एल.एफ. पर प्रचालित होने वाले संयंत्रों के पी.एल.एफ. में सुधार हेतु सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्तर तक देश में प्रचालित होने वाले कुछ विद्युत स्टेशनों के पी.एल.एफ. को बढ़ाना काफी कठिन हैं क्योंकि (क) ये स्टेशन काफी पुराने हैं और अपना महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन पूरा कर चुके हैं (ख) उनमें से अधिकांश के पास छोटे आकार के उत्पादन यूनिट हैं और वास्तविक उपकरण उत्पादक ने इन यूनिटों के लिए संयंत्र एवं उपकरण/स्पेयर का उत्पादन रोक दिया है और (ग) इनमें से कुछ को अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला नहीं मिल रहा है।

विवरण

2006-07 के दौरान कोयला/लिग्नाइट आधारित स्टेशन जिनका पी.एल.एफ. 55.0% से कम है

(अप्रैल-फरवरी, 07)

क्र. सं.	स्टेशन	31-01-2007 तक मॉनीटर की नई क्षमता	राज्य	अप्रैल, 06-जनवरी, 07 (राष्ट्रीय औसत 75.6%)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	रामागुंडम-बी	62.5	आन्ध्र प्रदेश	52.3	–

1	2	3	4	5	6
2.	बोंगईगांव	240	असम	0	काफी समय से बंद है।
3.	चन्द्रपुर	60	असम	0	काफी समय से बंद है।
4.	बरौनी	320.0	बिहार	1.6	काफी समय से बंद है।
5.	मुजफ्फरपुर	220.0	बिहार	0.0	काफी समय से बंद है।
6.	आई.पी. स्टेशन	247.5	दिल्ली	42.0	–
7.	चन्द्रपुरा	780.0	डीवीसी	29.6	–
8.	बोकारो ए	–	डीवीसी	0	जब से बंद हुई है।
9.	धुवरण	534.0	गुजरात	27.5	
10.	अकरीमोटा लिग्नाइट	250.0	गुजरात	8.6	सी.एफ.बी.सी. ब्यॉलर में डिजाइन की कमी
11.	फरीदाबाद विस्तार	180.0	हरियाणा	40.0	–
12.	पतरातू	840.0	झारखण्ड	8.4	2006-07 से केवल 2 यूनिटें चालू हैं
13.	अमरकंटक विस्तार	240.0	मध्य प्रदेश	51.6	–
14.	अमरकंटक	60.0	मध्य प्रदेश	26.4	–
15.	एन्नौर	450.0	तमिलनाडु	36.5	–
16.	नैल्लोर	–	तमिलनाडु	0	काफी समय से बंद है।
17.	पनकी	220.0	उत्तर प्रदेश	47.5	–
18.	ओबरा	1550.0	उत्तर प्रदेश	39.6	2006-07 से केवल 5 यूनिटे चालू हैं
19.	हरदुआगंज "बी"	450.0	उत्तर प्रदेश	21.0	2006-07 से केवल 3 यूनिटे चालू हैं
20.	न्यूकोसीपुर	160.0	पश्चिम बंगाल	35.6	–
21.	डीपीएल	395.0	पश्चिम बंगाल	52.0	–
22.	संघालडीह	480.0	पश्चिम बंगाल	35.0	–
23.	बांडेल	450.0	पश्चिम बंगाल	33.5	–

संदूषित जल से निपटने हेतु राष्ट्रीय शीर्ष समिति

555. श्री अमिताभ नन्दी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेयजल में उन विभिन्न प्रदूषकों के संबंध में कोई राष्ट्रीय डाटाबेस बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पेयजल में विषैलापन आ जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संदूषित जल की समस्या से निपटने के लिए नीतियां बनाने एवं लंबी अवधि की रणनीतियों के क्रियान्वयन हेतु एक राष्ट्रीय शीर्ष समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रकार की जन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार की यूनीसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन और यू.एन.डी.पी. के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा उनकी भारत निर्माण कार्य योजनाओं में 1-4-2006 की स्थिति के अनुसार दी गई सूचना के अनुसार देश में जल गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों की संख्या 195813 है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम की योजना बनाने तथा इसकी देख-रेख करने के लिए और जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से उप-मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सुझाव देने हेतु एक राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता परामर्शदात्री समिति बनाई गई।

(ङ) और (च) भारत सरकार का अधिदेश पेयजल गुणवत्ता समस्याओं का समाधान करने सहित पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने की दृष्टि से राष्ट्रीय कार्यक्रम की नीति तैयार करना तथा इसका विकास करना है। इस प्रकार जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का राष्ट्रीय उद्देश्य सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एम.डी.जी.) को हासिल करना है जोकि अपने आप में यूनीसेफ द्वारा परिकल्पित वैश्विक लक्ष्य का हिस्सा है। यूनीसेफ भारत सरकार के साथ संचालन के परस्पर सहमत मास्टर प्लान के अनुसार कार्य करता है। यूनीसेफ और डब्ल्यू.एच.ओ. राज्य में सुधार प्रक्रिया में मदद करने के लिए सहयोग दे रहे हैं और कुल मिलाकर जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों तथा समुदाय की नीति एवं योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं सामुदायिक भागीदारी के लिए तकनीकी सुविज्ञता प्रदान कर रहे हैं।

विवरण

राज्यों द्वारा सूचित जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटें

(मार्च, 2000 में कराए गए सर्वेक्षण तथा राज्यों द्वारा भारत निर्माण कार्य योजना में 31-3-2006 को दी गई जानकारी के आधार पर)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रभावित बसावटें						
		फ्लोराइड	लवणता	लौह	आर्सेनिक	नाइट्रेट	अनेक	कुल (31-3-2006 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	1497	1058	0	0	0	0	2555
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	353	0	0	213	566

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	660	0	23841	730	0	2950	28181
4.	बिहार	383	0	21540	794	2000	0	24717
5.	छत्तीसगढ़	17	61	4932	11	0	0	5021
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	2563	1528	0	0	838	0	4929
8.	हरियाणा	119	72	0	0	0	145	336
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
10.	झारखण्ड	1159	0	129	18	1	41	1348
11.	जम्मू-कश्मीर	0	0	47	0	0	67	114
12.	कर्नाटक	5000	0	6633	0	4077	4460	20170
13.	केरल	34	86	564	0	78	105	867
14.	मध्य प्रदेश	3282	279	105	0	33	153	3852
15.	महाराष्ट्र	2748	1424	2491	0	4552	0	11215
16.	मणिपुर	0	0	37	0	0	0	37
17.	मेघालय	0	0	124	0	0	0	124
18.	मिजोरम	0	0	26	0	0	0	26
19.	नागालैण्ड	0	0	136	0	0	0	136
20.	उड़ीसा	794	651	26136	0	0	435	28016
21.	पंजाब	588	1289	164	0	0	0	2041
22.	राजस्थान	6992	4428	131	0	7693	12639	31883
23.	सिक्किम	0	0	76	0	0	0	76
24.	तमिलनाडु	452	61	68	0	104	735	1420
25.	त्रिपुरा	0	0	2653	106	0	172	2931
26.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	2077	612	2375	0	11	1302	6377

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	पश्चिम बंगाल	665	811	11883	5408	0	0	18767
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	16	0	0	10	26
30.	दादर नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
31.	दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
34.	पांडिचेरी	0	65	17	0	0	0	82
35.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	29030	12425	104477	7067	19387	23427	195813

टेलीविजन फिल्म निर्माताओं हेतु सेवा कर

556. श्री अनवर हुसैन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के टेलीविजन फिल्म निर्माताओं को सेवा कर से छूट मिली हुई है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी छूट देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय-V, जिसका विस्तार जम्मू और कश्मीर तक नहीं किया गया है, के अनुसार सेवा कर उद्‌गृहीत किया जाता है।

(ख) से (घ) मामले की जांच की जा रही है।

विश्व बैंक वित्तपोषित पेयजल परियोजनाएं

557. श्री सर्वे सत्यनारायण:

श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही पेयजल परियोजनाओं का राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि/सहायता प्राप्त की गई तथा इस सहायता/धनराशि का कितना उपयोग किया गया; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनके कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से चल रही ग्रामीण जल आपूर्ति संबंधी परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

1. केरल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना: परियोजना के लिए अनुमोदित सहायता 55.50 मिलियन अमरीकी डॉलर (संशोधित) है। 31-01-2007 तक संचयी संवितरण 50.049 मिलियन अमरीकी डॉलर है। परियोजना 12-02-2001 को शुरू हुई थी और 31-12-2007 को समाप्त हो जाएगी। इस परियोजना को केरल के सभी जिलों की 109 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित किया जाना है।

2. द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना: परियोजना के लिए अनुमोदित सहायता 136.60 मिलियन अमरीकी डॉलर है। 31-01-2007 तक संचयी संवितरण

90.269 मिलियन अमरीकी डॉलर है। परियोजना 19-04-2002 को शुरू हुई थी और 31-12-2007 को समाप्त हो जाएगी। इस परियोजना को 11 जिलों अर्थात् उत्तर कन्नड़, बेलगाम, बीजापुर, बागलकोट, धारवाड़, गडग, हवेरी, बीदर, गुलबर्गा, रायचूर और कोप्पल में 2100 गांवों की 700 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित किया जाना है।

3. द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना: परियोजना के लिए अनुमोदित सहायता 181.00 मिलियन अमरीकी डॉलर है। 31-01-2007 तक संचयी संवितरण 102.981 मिलियन अमरीकी डॉलर है। परियोजना 29-10-2003 को शुरू हुई थी और 31-03-2009 को समाप्त हो जाएगी। इस परियोजना को 26 जिलों की 2800 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित किया जाना है।

4. उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना: परियोजना के लिए अनुमोदित सहायता 120.00 मिलियन अमरीकी डॉलर है। 31-01-2007 तक संचयी संवितरण शून्य है। परियोजना 30-11-2006 को शुरू हुई थी और 30-06-2012 को समाप्त हो जाएगी। इस परियोजना को उत्तराखंड के सभी जिलों की 8429 बसावटों में कार्यान्वित किया जाना है।

5. पंजाब ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना: परियोजना के लिए अनुमोदित सहायता 154.00 मिलियन अमरीकी डॉलर है। 31-01-2007 तक संचयी संवितरण शून्य है। परियोजना पर 26-02-2007 को ही हस्ताक्षर हुए थे। इसे अभी शुरू किया जाना है और यह 31-03-2012 को समाप्त होगी। इस परियोजना को पंजाब के 18 जिलों की 10913 बसावटों में कार्यान्वित किया जाना है।

[हिन्दी]

महिला शौचालयों का निर्माण

558. श्री रशीद मसूद: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शहरों में महिला शौचालयों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने महानगरों में महिला शौचालयों के निर्माण हेतु कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय देश के शहरी क्षेत्रों में एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम में मौजूदा शुष्क शौचालयों को जलीय फ्लश शौचालयों में बदलने का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत देश के सभी शहरी क्षेत्र आते हैं और पुरुष और महिला शौचालयों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता। नगरों में शौचालयों की समस्या को केन्द्र/राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों द्वारा दूर किया जाता है।

चीनी मिलों पर छापे

559. चौ. मुनव्वर हसन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में चीनी मिलें उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना शीरा तथा अन्य उत्पाद बेच रही है;

(ख) यदि हां, तो उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों द्वारा किये जाने वाले उत्पाद शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए कितने छापे मारे गए हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जोनों विशेषकर सहारनपुर जोन में उत्पाद शुल्क विभाग ने कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो उत्पाद शुल्क अपवंचन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आवास/मलिन बस्ती विकास परियोजनाएं

560. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान कुछ

राज्य सरकारों से समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी हां। विगत दो वर्षों के दौरान आई.एच.एस.डी.पी. के तहत सरकार को प्राप्त परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

15-2-2007 तक की स्थिति

समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के तहत प्राप्त और अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की राज्यवार स्थिति

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की सं.	प्रस्तावित परियोजना लागत	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	कुल अनुमोदित लागत
1.	आन्ध्र प्रदेश	60	993.3	17	244.93
2.	छत्तीसगढ	27	312.57	14	176.5
3.	हरियाणा	60	560.25	15	238.84
4.	कर्नाटक	23	470.97	–	–
5.	मध्य प्रदेश	36	226.74	22	196.97
6.	महाराष्ट्र	25	246.3	6	54.56
7.	राजस्थान	29	76.17	15	59.45
8.	उत्तर प्रदेश	53	63.55	8	29.01
9.	पश्चिम बंगाल	29	423.98	16	201.2
10.	जम्मू-कश्मीर	13	52.25	–	–
11.	तमिलनाडु	228	394.68	11	30.27
12.	नागालैण्ड	1	87.99	1	87.74
13.	गुजरात	3	36.46	–	–
14.	केरल	3	15.53	3	15.53
	कुल	590	3960.75	128	1335.01

[हिन्दी]

शहरी जल-मल व्ययन प्रणाली

561. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में शहरी जल-मल व्ययन प्रणाली को सुधारने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत/अस्वीकृत/स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि आबंटित/जारी तथा उपयोग की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट

562. श्री देविदास पिंगले: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बिजली के संकट के मद्देनजर सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर, देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौर सड़क रोशनी प्रणालियों की संस्थापना को बढ़ावा दे रहा है। अब तक, देश के विभिन्न भागों में 56,000 से अधिक सौर सड़क रोशनी प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय दूरस्थ अविद्युतीकृत गांवों/बस्तियों में सौर सड़क रोशनी प्रणाली की संस्थापना के लिए 19,602 रु. से 20,578 रु. के बीच अनुदान सहायता उपलब्ध करा रहा है। अन्य गांवों/बस्तियों में अनुदान सहायता 9,600 रु. से 17,300 रु. प्रति प्रणाली के बीच है। प्रणाली की विशिष्टताओं पर निर्भर करते हुए शहरी क्षेत्रों हेतु अनुदान सहायता 10,000 रु. से 12000 रु. प्रति प्रणाली के बीच है। यह अनुदान सहायता राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से जारी की जाती है; तथापि, शहरी अनुप्रयोगों के किसी मामले में अनुदान राशि नगर निकायों को जारी की जाती है।

[अनुवाद]

मेट्रो रेल

563. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री अनन्त नायक:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से सटे राज्यों के विभिन्न भागों में दिल्ली मैट्रो चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) शहरी परिवहन राज्यों का विषय है। समुचित द्रुत जन परिवहन प्रणाली की योजना बनाना एवं उसे लागू करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सरकारों के अनुरोध पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के साथ दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर सरकार ने कुछ शर्तों के अध्यधीन दिल्ली मेट्रो के गुड़गांव एवं नोयडा तक विस्तार को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) ब्यौरे एवं वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:-

परियोजना	लम्बाई (कि.मी.)	लागत कर सहित (करोड़ रु.)	स्थिति
1	2	3	4
दिल्ली मेट्रो का गुड़गांव तक विस्तार	14.47	1600.92	डी.एम.आर.सी. द्वारा कार्यान्वयन हेतु परियोजना कार्य शुरू कर दिया गया है।

1	2	3	4
दिल्ली मेट्रो का नोयडा तक विस्तार	7.0	840.56	सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए आवश्यक शर्तों का अनुपालन अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना है।

शेयर बाजार में आतंकवादी गुट

564. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री देविदास पिंगले:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री शैलेंद्र कुमार:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेयर बाजार में आतंकवादी गुट सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार

565. डा. बाबूराव मिडियम: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत प्रदान किया गया रोजगार गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) रहने वाले ग्रामीण मकान धारकों की संख्या से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष बी.पी.एल. घरों को कवर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है और इस अधिनियम में ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार दिए जाने की गारंटी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम केवल बी.पी.एल. परिवारों तक सीमित नही है। यह अधिनियम मांग आधारित है और रोजगार परिवार द्वारा रोजगार की मांग करने पर ही उपलब्ध कराया जाता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मझोले एवं छोटे शहरों का विकास

566. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में छोटे और मझोले शहरों के समेकित विकास के अंतर्गत कवर किए गए शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) छोटे और मझोले कस्बों के एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) के संबंध में केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 178 कस्बे शामिल किए गए हैं और अब तक 12263.77 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जारी राशियां इस प्रकार हैं:-

(लाख रु. में)

वर्ष	जारी केन्द्रीय सहायता
1	2
2003-04	834.00

1	2	1	2
2004-05	1767.83	2006-07 (20-2-2007 की स्थिति के अनुसार)	914.54
2005-06	1153.15		

विवरण

आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम, अनुमोदित लागत तथा 20 फरवरी, 2007 की स्थिति अनुसार जारी केन्द्रीय सहायता का कस्बा-वार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	कस्बा	शामिल करने का वर्ष	अनुमोदित लागत	जारी केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
महाराष्ट्र				
1.	मनमाड	6वीं योजना	87.63	42.94
2.	बारसी	6वीं योजना	90.21	43.90
3.	पारली बैजनाथ	6वीं योजना	83.33	41.80
4.	यावतमल	6वीं योजना	88.97	44.11
5.	सतारा	6वीं योजना	86.10	40.00
6.	रत्नागिरी	6वीं योजना	80.69	40.00
7.	काटोल	6वीं योजना	87.40	42.34
8.	आमलनेर	6वीं योजना	108.03	45.93
9.	परभानी	6वीं योजना	83.24	42.00
10.	कामटी	6वीं योजना	99.09	42.22
11.	किनवाथ	6वीं योजना	80.06	40.00
12.	ओसमानाबाद	6वीं योजना	91.98	43.03
13.	मोरसी	6वीं योजना	93.93	41.77
14.	हिंगनघाट	6वीं योजना	101.39	42.64
15.	जालना	6वीं योजना	80.07	40.00

1	2	3	4	5
16.	अम्बेजोगाई	6वीं योजना	98.45	42.81
17.	सेल	6वीं योजना	87.63	42.59
18.	डिगरास	6वीं योजना	87.06	42.14
19.	भंडारा	6वीं योजना	94.52	42.70
20.	बसीम	6वीं योजना	108.30	44.10
21.	इस्लामपुर	6वीं योजना	88.49	42.84
22.	बारामती	6वीं योजना	108.50	42.36
23.	पंढारपुर	7वीं योजना	124.53	46.00
24.	रामटेक	7वीं योजना	98.00	43.86
25.	नीलंगा	7वीं योजना	96.67	44.88
26.	चिपलून	7वीं योजना	79.49	39.75
27.	अकोट	7वीं योजना	194.45	54.00
28.	तुलजापुर	7वीं योजना	102.23	48.75
29.	वर्धा	7वीं योजना	129.71	52.00
30.	इगतपुरी	7वीं योजना	115.46	48.41
31.	पुसाड	7वीं योजना	111.11	52.38
32.	कराड	7वीं योजना	106.82	46.00
33.	वीड	7वीं योजना	165.47	49.50
34.	चन्द्रपुर	7वीं योजना	96.49	46.00
35.	गढचिरोली	1990-91	89.40	39.50
36.	गोंदिया	1990-91	141.35	46.00
37.	चोपड़ा	1990-91	92.87	46.00
38.	खामगांव	1990-91	148.00	40.51
39.	नारखेड़	1990-91	109.72	39.50
40.	मलकापुर	1990-91	109.32	46.00

1	2	3	4	5
41.	नंदूरबार	1990-91	114.96	46.00
42.	पेठान	1990-91	121.14	38.00
43.	चालीसगांव	1991-92	91.95	38.97
44.	हिगोली	1991-92	94.24	36.00
45.	बुलदाना	1991-92	120.80	36.00
46.	नांदेड	1991-92	99.92	46.00
47.	सानेर	1991-92	104.00	46.00
48.	अचलपुर	1991-92	92.87	46.00
49.	जलगांव	1992-93	888.68	99.57
50.	श्रीरामपुर	1992-93	373.70	85.00
51.	सिरपुर वारवाडे	1992-93	141.50	40.00
52.	वाणी	1992-93	206.66	41.00
53.	अम्बाड	1992-93	90.00	36.00
54.	अहमदनगर	1992-93	537.58	101.50
55.	कोपरगांव	1992-93	128.83	62.30
56.	लातूर	1992-93	744.32	60.00
57.	फालतान	1992-93	133.13	64.57
58.	संगमनेर	1993-94	118.35	42.00
59.	सांगली	1993-94	826.41	110.00
60.	धूले	1993-94	892.12	100.00
61.	मुखेड	1993-94	105.51	12.00
62.	पछोरा	1993-94	260.47	72.00
63.	वरोरा	1993-94	200.00	72.00
64.	भूसावल	1993-94	901.42	162.25
65.	देगलूर	1993-94	200.00	72.00

1	2	3	4	5
66.	गार्धिगलाज	1993-94	200.00	46.20
67.	परतूर	1993-94	200.00	48.00
68.	बासमथनगर	1994-95	208.83	72.00
69.	बीटा	1994-95	106.37	36.20
70.	मानवथ	1994-95	203.95	72.00
71.	महाड	1994-95	120.36	36.00
72.	कागल	1994-95	87.66	31.56
73.	औसा	1994-95	129.73	46.70
74.	डोंडायछावारवाडे	1994-95	193.00	35.00
75.	गियोराय	1994-95	200.00	72.00
76.	सावंतवाडी	1994-95	200.00	72.00
77.	मूर्तिजापुर	1994-95	192.15	69.17
78.	सेंगांव	1994-95	150.02	53.96
79.	परोला	1994-95	260.43	72.00
80.	तूमसार	1994-95	236.78	44.21
81.	अलीबाग	1994-95	102.72	36.00
82.	पुलगांव	1994-95	244.82	72.00
83.	उमरेड	1994-95	202.78	72.00
84.	वैजापुर	1994-95	236.68	72.00
85.	इच्छालकरंजी	1995-96	670.00	210.00
86.	वायी	1995-96	204.12	90.00
87.	अंजनगांवसुरजी	1995-96	212.02	90.00
88.	मेहकर	1995-96	204.90	90.00
89.	कलांब	1995-96	102.11	48.00
90.	दरियापुर	1995-96	200.00	90.00

1	2	3	4	5
91.	अमरावती	1996-97	754.24	270.00
92.	शहादा	1996-97	240.00	90.00
93.	नवापुर	1996-97	211.00	90.00
94.	कुरूंदवाड	1996-97	218.00	90.00
95.	संगोला	1996-97	218.00	90.00
96.	घाटनजी	1996-97	112.45	48.00
97.	गंगाखेड	1998-99	195.74	88.08
98.	सिलोड	1998-99	200.00	90.00
99.	सातना	1999-2000	200.00	90.00
100.	धामनगांव	1999-2000	211.65	89.85
101.	रोहा	1999-2000	119.77	48.00
102.	कोल्हापुर	1999-2000	800.00	270.00
103.	उमरखेड	2000-01	211.15	90.00
104.	फैजपुर	2000-01	247.38	90.00
105.	रावेर	2000-01	147.28	66.28
106.	जिंतूर	2000-01	200.00	90.00
107.	देसाईगंज	2001-02	80.48	38.63
108.	अकोला	2001-02	779.23	135.00
109.	खेड	2002-03	118.10	48.00
110.	राजापुर	2002-03	114.92	48.00
111.	जवाहर	2002-03	102.85	24.00
112.	लातूर	2002-03	859.11	150.00
113.	तुम्सार	2002-03	248.30	23.00
114.	वाणी	2002-03	232.91	24.50
115.	जलगांव	2002-03	550.28	110.43

1	2	3	4	5
116.	धूले	2002-03	630.36	110.00
117.	मांगली-मिरोज-कुपवाड़	2002-03	757.13	160.00
118.	श्रीरामपुर	2002-03	467.92	65.00
119.	सिरपुर-वारवाडे	2002-03	241.63	50.00
120.	गांधीगंलज	2002-03	200.00	22.00
121.	उदगीर	2002-03	351.19	150.00
122.	नांदेड-वघाला	2002-03	832.60	224.00
123.	चन्द्रपुर	2002-03	652.00	164.00
124.	इस्लामपुर	2002-03	285.10	45.00
125.	परभानी	2002-03	750.00	105.00
126.	बीड	2002-03	565.90	160.50
127.	शिरडी	2002-03	106.79	48.00
128.	शेगांव	2002-03	418.32	36.05
129.	अहमदनगर	2002-03	825.28	108.50
130.	खेमगांव	2002-03	479.48	109.49
131.	पंडारपुर	2002-03	560.00	52.00
132.	गढ़चिरौली	2003-04	273.44	25.00
133.	यावात्मल	2003-04	565.00	210.00
134.	रत्नागिरी	2003-04	461.50	150.00
135.	परली बैजनाथ	2003-04	678.08	150.00
136.	अम्बाजोगई	2003-04	574.93	150.00
137.	भंडारा	2003-04	418.59	75.00
138.	जालना	2003-04	488.84	186.64
139.	करंजिया	2003-04	485.02	90.00
140.	छोपड़ा	2003-04	487.00	44.00

1	2	3	4	5
141.	बारशी	2003-04	752.57	75.00
142.	हिंगोली	2003-04	550.00	114.00
143.	ओस्मानाबाद	2003-04	631.42	75.00
144.	चिपलून	2003-04	372.00	25.00
145.	पुसाड़	2004-05	384.78	48.00
146.	सिनमार	2004-05	350.14	90.00
147.	मल्कापुर	2004-05	578.66	52.00
148.	नंदूरबार	2004-05	580.69	104.00
149.	सैलू	2004-05	323.13	90.00
150.	पंडारकोवाडा	2004-05	224.72	45.00
151.	बुल्दाना	2004-05	284.00	42.50
152.	वशीम	2004-05	546.56	90.00
153.	हिंगनघाट	2004-05	450.00	75.00
154.	सलाटा	2004-05	492.99	75.00
155.	अच्छलपुर	2004-05	379.24	24.00
156.	अमालनेर	2004-05	549.44	150.00
157.	कल्मेश्वर	2004-05	136.24	24.00
158.	वर्धा	2004-05	594.89	79.00
159.	कराड	2004-05	350.00	52.00
160.	मोरसी	2004-05	455.30	45.00
161.	कटोल	2004-05	222.20	90.00
162.	कन्नाड	2004-05	170.19	76.58
163.	धर्माबाद	2004-05	200.00	40.00
164.	पौनी	2004-05	207.00	45.00
165.	अक्काईकोई	2004-05	259.10	45.00

1	2	3	4	5
166.	राहता	2004-05	122.37	48.00
167.	चन्द्रबाजार	2004-05	91.00	21.50
168.	खापा	2004-05	73.02	17.50
169.	लोनावाला	2004-05	250.00	45.00
170.	चिखाली	2004-05	210.00	90.00
171.	वेंगुर्ला	2004-05	114.47	24.00
172.	करमाला	2004-05	125.00	48.00
173.	सवादा	2004-05	121.72	20.00
174.	खोपोली	2004-05	189.74	42.50
175.	मालेगांव	2004-05	650.74	116.00
176.	अहमदपुर	2004-05	193.94	43.63
177.	गंगापुर	2004-05	90.03	43.21
178.	मालवान	2004-05	104.23	48.00
	कुल		49094.61	12263.77

[अनुवाद]

जैव ईंधनों संबंधी राष्ट्रीय नीति

567. श्री एस.के. खारवेनथन:

श्री सुब्रत बोस:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय बायो-ईंधन नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इस नीति को अनुमोदित किए जाने के बाद इसका कार्यान्वयन आरंभ किया जाएगा।

[हिन्दी]

एक्सचेंज ट्रेडेड बाजार की स्थापना

568. श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कारपोरेट बांडों के लिए एक एक्सचेंज ट्रेडेड बाजार की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्य आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006-07 के बजट में यह प्रस्ताव किया गया

था कि कारपोरेट बांडों के लिए एक एकल, एकीकृत एक्सचेंज कारोबारित बाजार का सृजन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि प्रमुख एक्सचेंजों में कारपोरेट बांडों के लिए कारोबारी मंचों के पहली जुलाई, 2007 से प्रचालनरत हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

जैव ईंधन आधारित विद्युत संयंत्र

569. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सहित देश में चावल के भूसे और 'नट शैल' को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने हेतु लघु जैव ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों की शृंखला को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक संयंत्र कहां-कहां हैं और इनकी क्षमता कितनी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके लिए राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई तथा दी गई?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा असम सहित समूचे देश में विद्युतीकृत गांवों और उद्योगों में बिजली की पूरी न की गई मांग की पूर्ति के लिए चावल-भूसी, नट शैल, आदि सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध काष्ठीय तथा गैर-काष्ठीय बायोमास का उपयोग करके ऑफ-ग्रिड लघु विद्युत परियोजनाओं हेतु बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध बायोमास रूपांतरण प्रौद्योगिकियों पर आधारित विभिन्न प्रकार की बायोमास सामग्रियों के माध्यम से कुकिंग, बिजली और मोटिव पावर की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करके गांवों में ऊर्जा सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2004-05 से ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम (वी.ई.एस.पी.) आरंभ किया गया है। वी.ई.एस.पी. के अंतर्गत गांवों में स्थापित बायोमास गैसीफायर प्रणालियों, उद्योगों में कैप्टिव विद्युत उत्पादन और आरंभ की गई परीक्षण परियोजनाओं के राज्यवार विवरण तथा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान (31-01-2007 के अनुसार) स्थापित बायोमास गैसीफायर प्रणालियों और राज्यवार जारी की गई निधियों के विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक (किलोवाट)				वित्तीय (करोड़ रु. में)			
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश					0.050			
2.	अरुणाचल प्रदेश			1400	400	0.005		0.990	
3.	असम					0.009		0.015	
4.	बिहार						0.005	0.005	0.152
5.	छत्तीसगढ़		10			0.046	0.012	0.005	
6.	गुजरात	1560	1240			0.188	0.226	0.005	
7.	हरियाणा		300			0.005	0.166	0.005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	जम्मू-कश्मीर		400			0.143		0.005	
9.	झारखंड		80	100			0.012	0.005	
10.	कर्नाटक		107	550			0.133	0.915	0.179
11.	मध्य प्रदेश		200			0.020	0.518	0.006	0.003
12.	महाराष्ट्र					0.060	0.254	0.005	
13.	मिजोरम					0.370		0.005	
14.	नागालैंड			280	500			0.651	
15.	उड़ीसा					0.020	0.025	0.005	
16.	राजस्थान					0.005	0.319	0.015	0.003
17.	तमिलनाडु		2375	282	100	0.903	1.942	0.738	0.294
18.	त्रिपुरा		100			0.000		0.241	
19.	उत्तर प्रदेश		2140			0.127	0.315	0.005	
20.	उत्तरांचल					0.028		0.005	
21.	पश्चिम बंगाल	3285	700	400		0.607	0.556	0.005	
22.	पांडिचेरी	0	600					0.081	
	कुल	4845	8252	3012	1000	2.587	4.483	3.708	0.632

विवरण-II

वर्ष 2005-06 से 2006-07 के दौरान (31-01-2007 के अनुसार) उद्योगों में स्थापित बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत प्रणालियों और राज्यवार जारी की गई निधियों के विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक (किलोवाट)		वित्तीय (करोड़ रु. में)	
		2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	100	100	0.015	0.075

1	2	3	4	5	6
2.	कर्नाटक	100	200	0.075	0.030
3.	मेघालय	250	–	0.243	
4.	तमिलनाडु	350	110	0.117	0.091
5.	उत्तर प्रदेश	260	–	0.038	
6.	पश्चिम बंगाल	700	3350	0.121	0.660
	कुल	1760	3760	0.608	0.856

विवरण-III

दिनांक 31-01-2007 के अनुसार ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम (वी.ई.एस.पी.) के अंतर्गत मंजूर की गई परीक्षण परियोजनाओं और राज्यवार जारी की गई निधियों के विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सवीकृत परीक्षण परियोजनाओं की संख्या (संख्या)	स्वीकृत क्षमता (किलोवाट)	मंजूर की गई निधियां (करोड़ रु. में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	60	0.303
2.	असम	14	240	1.323
3.	छत्तीसगढ़	9	170	0.742
4.	गुजरात	3	60	0.273
5.	झारखंड	1	20	0.087
6.	मध्य प्रदेश	15	280	1.289
7.	महाराष्ट्र	8	130	0.577
8.	उड़ीसा	11	210	1.120
9.	राजस्थान	6	90	0.276
10.	तमिलनाडु	4	80	0.446
11.	उत्तरांचल	5	70	0.375
12.	पश्चिम बंगाल	7	140	0.346
	कुल	86	1550	7.155

[हिन्दी]

गरीबों के लिए आवास

570. श्रीबालेश्वर यादव: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार को केन्द्रीय सहायता से दिल्ली में गरीबों के लिए आवासों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) दिल्ली में गरीबों के लिए आवासों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मूल्यांकन एजेंसी को निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा इन प्रस्तावों को संशोधित करने के लिए दिल्ली सरकार को भेजा गया था, ताकि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा संबंधी उप मिशन के तहत अनुमोदित दिशानिर्देशों के साथ उनकी अनुरूपता बनायी जा सके:

(i) खंजनवाला घोघा एवं बपरौला-दिल्ली में स्लम पुनर्स्थापन परियोजना। परियोजना लागत-216.82 करोड़ रु.

(ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास का निर्माण, सेक्टर-23, रोहिणी एक्सटेंशन। परियोजना लागत-19.20 करोड़ रु.

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास का निर्माण, सेक्टर-16, बी, साइट नं. 2, द्वारका। परियोजना लागत-19.20 करोड़ रु.

(iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास का निर्माण, सेक्टर-16, बी, साइट नं. 3, द्वारका। परियोजना लागत-7.20 करोड़ रु.

(v) नरेला, रोहिणी, द्वारका एवं पूर्वी जोन में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन। परियोजना लागत-398.91 करोड़ रु.।

[अनुवाद]

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत निधियों के आबंटन में विसंगति

571. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत राज्य को निधियों के अपर्याप्त आबंटन और भारी विसंगति के संबंध में बारंबार अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु): (क) से (ग) गुजरात सरकार ने जून, 2005 में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (डी.डी.पी.) के अंतर्गत निधियों के आबंटन संबंधी मानदंडों के संशोधन के लिए अनुरोध किया था। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (डी.डी.पी.) के अंतर्गत आबंटन के मानदंडों को 2006-07 से संशोधित कर दिया गया है।

संशोधित मानदंडों के अनुसार, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों द्वारा मैचिंग अंश उपलब्ध कराने की शर्त के बिना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक तथा राजस्थान में डी.डी.पी. क्षेत्रों में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए निर्धारित वार्षिक केन्द्रीय योजना आबंटन की एक निश्चित राशि (लगभग 5%) निर्धारित की जाती है। इन राज्यों को उक्त निधियों के आबंटन के मानदंड निम्नानुसार हैं:

वेटेज	प्रतिशत बिन्दु
डी.डी.पी. खण्डों में आनुपातिक ग्रामीण जनसंख्या	40
एन.सी./पी.सी. बसावटें (2:1 के अनुपात में)	35
गुणवत्ता प्रभावित बसावटें	25

वर्ष 2006-07 के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (डी.डी.पी.) के अंतर्गत राज्यों को संशोधित मानदंडों के अनुसार निधियां रिलीज की गई हैं। प्रत्येक डी.डी.पी. राज्य का अंश डी.डी.पी. ब्लॉकों में ग्रामीण जनसंख्या, एन.सी./पी.सी. बसावटों की संख्या

से संबंधित जानकारी के आधार पर तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की डी.डी.पी. राज्यों द्वारा दी गई संख्या के आधार पर आकलित किया जाता है। गुजरात द्वारा दी गई जानकारी थी: जनसंख्या (60.71 लाख), एन.सी./पी.सी. बसावटें (503) तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटें (659)। तदनुसार, वर्ष 2006-07 के दौरान, गुजरात को ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (डी.डी.पी.) के अंतर्गत आबंटन 568.56 लाख रु. था जिसमें से पहली किश्त के रूप में 329.28 लाख रु. रिलीज किए गए हैं।

कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत लंबित मामले

572. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंपनी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के कारण देश के विभिन्न न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं;

(ख) इन मामलों के निपटान में औसतन कितना समय लगता है; और

(ग) सरकार द्वारा अभियोजन कार्रवाई में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता): (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 31-03-2006 तक शुरू किये गए कुल 45705 अभियोजन लंबित थे।

(ख) और (ग) वैयक्तिक मामलों के निपटान के लिए लगने वाला औसतन समय अपराध की प्रकृति और अभियोजन से संबंधित न्यायिक प्रणाली पर आधारित होता है। सरकार ऐसे मामलों में समय-समय पर न्यायालयों के समक्ष समुचित निवेदनों के माध्यम से विधिक कार्रवाई करती है।

पेयजल/जलमल निकासी प्रणाली

573. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश के चुनिंदा शहरों में पेयजल, जलमल निकासी प्रणाली और ठोस अपशिष्ट की समस्या को दूर करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चुनिंदा शहरों में अभी तक कितना कार्य हुआ है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं (एन.बी.एफ.आई.) और सहकारी बैंकों द्वारा धोखाधड़ी

574. **श्री ए.वी. बेल्लारमिन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं (एन.बी. एफ.आई.) और सहकारी बैंकों द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं और सहकारी बैंकों में निवेशकों द्वारा जमा की गई धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा यह सूचित किया गया है कि इस संबंध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है जिन्होंने जमाकर्त्ताओं को परिपक्वता राशि का भुगतान करने में चूक की है।

भारतीय रिजर्व बैंक उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता रहा है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं किया है या जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर दिखाई दी है। इस कार्रवाई में कंपनियों को गैर बैंकिंग वित्तीय क्रियाकलाप करने, जमाराशियां स्वीकार करने और आस्तियों का निपटान करने से रोकना शामिल है। जहां कहीं चूक स्थायी प्रकृति की है, वहां भारतीय रिजर्व बैंक समापन की कार्रवाई शुरू करता है और साथ ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज करवाता है।

विदेशों में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

575. **श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) का श्रीलंका और अन्य पड़ोसी देशों में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों द्वारा कब तक अपना प्रचालन शुरू करने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) एन.टी.पी.सी. का श्रीलंका में त्रिकोमाली क्षेत्र में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और उसने 50 : 50 के आधार पर सी.ई.बी. के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी के माध्यम से 2x250 मेगावाट विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए 29-12-2006 को श्रीलंका सरकार और सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सी.ई.बी.) के साथ करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किंतु, एन.टी.पी.सी. का वर्तमान में अन्य पड़ोसी देशों में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

करार ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के पश्चात् एन.टी.पी.सी. लि. की एक टीम ने परियोजना के लिए सी.ई.बी. के साथ उपयुक्त स्थल को चिन्हित करने के लिए जनवरी, 2007 में श्रीलंका का दौरा किया। परियोजना स्थल को अंतिम रूप देने के पश्चात् परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट के प्रतिपादन के संबंध में आगे कार्यवाही किया जाना परिकल्पित है जिसके पश्चात् अनुमानित लागत का पता चलेगा।

व्यवहार्यता स्थापित होने एवं समय पर स्वीकृतियां मिल जाने के अधीन यूनिटों के 2011-12 तक प्रचालन शुरू करने की परिकल्पना है।

डी.डी.ए. फ्लैटों के रख-रखाव की योजना

576. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमपीडी द्वारा 2021 में 15 वर्षों से ज्यादा पुराने विभिन्न श्रेणियों के डी.डी.ए. फ्लैटों के रखरखाव अथवा मरम्मत हेतु कोई योजना निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे फ्लैटों के मालिकों/उसमें रहने वालों के लिए उन संरचनाओं के रखरखाव और मरम्मत हेतु क्या विकल्प मौजूद हैं जिनका उसी भवन में विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों में रहने वाले सभी लोगों द्वारा समान रूप से उपयोग किया जाता है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित विभिन्न श्रेणी के फ्लैटों के अनुरक्षण या मरम्मत के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) का उत्तरदायित्व आवंटियों को कब्जा सौंपे जाने के बाद छः माह के लिए ही है।

तथापि, दिल्ली मास्टर प्लान (एम.पी.डी.) 2021 में यह व्यवस्था है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों विशेष रूप से उन फ्लैटों, जो पुराने हो गए हैं, को अनुमति प्राप्त करके पुनः विकसित किया जाए। बशर्ते कि अन्य फ्लैटों का संरचनात्मक स्वरूप विकृत न हो। सार्वजनिक (डी.डी.ए. एवं अन्य), को-आपरेटिव हाउसिंग सहित पहले से विकसित ग्रुप हाउसिंग को को-ऑपरेटिव सोसाइटियां या स्व प्रबंधनीय समुदाय बनाकर निर्धारित मानदण्डों और विनियमनों के आधार पर पुनः विकसित किया जाए।

(ग) जहां तक ऐसे फ्लैटों के स्वामियों/कब्जाधारियों को उपलब्ध अन्य विकल्पों का संबंध है, भवन के भीतर की सामान्य सेवाओं को अनुरक्षण करना रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का उत्तरदायित्व है तथा दिल्ली जल बोर्ड/दिल्ली नगर निगम को सौंपे जाने तक जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकास, सड़कों आदि जैसी आंतरिक सेवाओं के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व डी.डी.ए. का है।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

577. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) ने अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के प्रस्तावित विकास के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चुने गए स्थलों का दौरा किया है और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी, हां। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और पावर फाइनेंस कारपोरेशन के दलों ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर निम्नांकित नौ (9) राज्यों में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए विभिन्न संभावित स्थलों का निरीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है:-

1. मध्य प्रदेश

2. गुजरात

3. छत्तीसगढ़

4. कर्नाटक

5. महाराष्ट्र

6. आन्ध्र प्रदेश

7. उड़ीसा

8. झारखंड

9. तमिलनाडु

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मौसम संबंधी परिवर्तन से जुड़े मुद्दे

578. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का है, जैसा कि दिनांक 6 फरवरी, 2007 के "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे संस्थान की देश के विभिन्न राज्यों में पर्यावरण संबंधी परिवर्तन को रोकने में क्या भूमिका है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। इस प्रकार के संस्थान की स्थापनार्थ प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और उसे संबंधित प्राधिकारियों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित सरकारी-गैर-सरकारी भागीदारी के माध्यम से स्थापित किए जाने वाले ऐसे संस्थान का मैन्डेट ऐसी प्रौद्योगिकियों पर केन्द्रित अनुसंधान कार्य करना होगा जिनके अनुप्रयोग से पर्यावरण स्वच्छ बन सकेगा।

(ग) यदि अनुमोदन किया गया, तो यह संस्थान देश के सभी भागों में और उद्योग के सभी क्षेत्रों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम तैयार करेगा।

खेलगांव को पर्यावरणीय स्वीकृति

579. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अक्षरधाम मंदिर के निकट यमुना नदी तल पर स्थाई रूप से एक खेलगांव का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खेलगांव के निर्माण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस खेलगांव का निर्माण कब तक कर लिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह सूचित किया है कि उसे अक्षरधाम मंदिर के समीप नोयडा मोड़ पर राष्ट्रमंडल खेल गांव विकसित करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कुछ शर्तों के अध्यधीन 14-12-2006 को खेल गांव के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 21-2-07 को डी.डी.ए. को स्थायी या अस्थायी निर्माण कार्य की आयोजना करने की अनुमति भी प्रदान की है बशर्ते कि स्थायी संरचना पर वास्तविक कार्य तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि अपस्ट्रीम बाढ़ को कम करने/समाप्त करने के उपायों की अध्ययनों के जरिये पहचान नहीं हो जाती है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी ढंग से खेल गांव विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाला अनुमानित व्यय लगभग 211 करोड़ रुपये है तथा इसे जून, 2010 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

जटरोफा का पौधरोपण

580. श्री हंसराज गं. अहीर:

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैव-डीजल का उत्पादन करने के लिए जटरोफा उगाने हेतु कोई अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो जटरोफा के अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे अनुसंधान कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मानदंड निर्धारित करने और लोगों को जटरोफा की खेती के लिए जानकारी उपलब्ध् कराने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) जटरोफा के पौधरोपण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कोई समय-सीमा प्रस्तावित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां। राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन, जिसके अंतर्गत जटरोफा करकास की बायो-डीजल के मुख्य स्रोत के रूप में पहचान की गई है, को शुरू करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को केन्द्रक (नॉडल) मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास (नोवोड) बोर्ड, कृषि मंत्रालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.), विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.), भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आई.सी.एफ.आर.ई.) तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की 37 अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को शामिल करके एक नेटवर्क शुरू किया है, जिन्होंने जटरोफा की कुल 1855 उत्तम पौधरोपण सामग्री (कैंडिडेट प्लस ट्रीज) की पहचान की है। इन कैंडिडेट पल्स ट्रीज (सी.पी.टी.) के बारे में, इनके विकास हेतु बहुत से स्थानों पर, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तौर पर तथा प्रजनन संबंधी परीक्षण किए जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डी.बी.टी.) भी टिशू-कल्चर के जरिए जटरोफा के गुणन हेतु एक कारगर प्रोतोकॉल विकसित करने के कार्य में लगा हुआ है।

(ग) से (च) प्रस्तावित राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन को दो चरणों नामतः चरण-I, 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदर्शन परियोजना के रूप में होगा, तत्पश्चात् चरण-II, जो बायो-डीजल कार्यक्रम का स्वतः सम्पोषित विस्तार होगा, में कार्यान्वित किया जाना है। प्रदर्शन चरण में 5 लाख हैक्टेयर सार्वजनिक बंजरभूमि (सरकारी/पंचायती/सामुदायिक बंजरभूमि) पर जटरोफा तथा पोंगामिया जैसे बायो-ईंधन के अन्य पौधे लगाए जाने का प्रस्ताव है। प्रदर्शन चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात् इस कार्यक्रम को निजी क्षेत्र के लिए भी बढ़ाया जाएगा तथा निजी भागीदारी के संबंध में सभी संगत मानदण्ड तथा मार्गदर्शी सिद्धांत उस समय तैयार किए जाएंगे।

नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों को सहायता

581. श्री गिरधारी लाल भार्गव:

श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे सहकारी बैंकों को सहायता प्रदान करने हेतु राज्यवार कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या ऐसी सहायता से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) नाबार्ड द्वारा शुरू की गई योजनाएं सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर समान रूप से लागू हैं। नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता सहकारी बैंकों को उत्पादन ऋण के लिए अल्पावधि और निवेश ऋण के लिए दीर्घावधि दोनों के लिए उपलब्ध है। अल्पावधि ऋण योजना में मौसमी कृषि कार्य (एस.ए.ओ.), फसलों का विपणन, रासायनिक उर्वरकों की खरीद, भंडारण और संवितरण तथा अन्य कृषि निविष्टियां, मत्स्य पालन कार्यकलापों का वित्तपोषण, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी.ए.सी.एस.)/वृहत आदिवासी बहु-प्रयोजन समितियों (एल.ए.एम.पी.एस.)/किसान सेवा समितियों (एफ.एस.एस.) आदि के बुनकर सदस्यों सहित ग्रामीण कारीगर शामिल हैं। निवेश ऋण के लिए दीर्घावधि पुनर्वित्त में, कृषि क्षेत्र एवं उद्यम ऋण योजना के तहत स्व-पुनर्वित्त सुविधा एवं मंजूरी पूर्व प्रक्रिया, ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र के तहत ग्रामीण आवास योजना, लघु सड़क एवं जल परिवहन परिचालक योजना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.), स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एस.सी.सी.) जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, जिसके लिए नाबार्ड पुनर्वित्त सहायता देती है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने स्व-सहायता बैंक संयोजन कार्यक्रम के तहत सहकारी बैंकों को स्व-सहायता संवर्धक संस्था (एस.एच.पी.आई.) के रूप में कार्य करने के लिए सहायता दी है।

तीन वर्ष के संगत आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सहकारी बैंकों द्वारा किया गया बुनियादी स्तर का ऋण	नाबार्ड द्वारा दिया गया पुनर्वित्त
2003-04	26,959	10,447
2004-05	31,231	12,327
2005-06	39,404	12,745

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि नाबार्ड द्वारा शुरू की गई योजनाओं और खासतौर पर सहकारी बैंकों के संसाधन बढ़ाने के लिए पुनर्वित्त योजना से सहकारी बैंकों को ऋण उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिली है।

[अनुवाद]

सेवा कर का संग्रहण

582. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को अदा किए सेवा कर के हिस्से का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को सौंपे गए सेवा कर की निवल प्राप्तियों के हिस्से को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को सौंपा गया सेवा कर की निवल प्राप्तियों का हिस्सा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	191.03	321.88	512.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.05	10.19	20.08
3.	असम	81.49	137.30	225.37
4.	बिहार	287.48	484.38	768.42
5.	छत्तीसगढ़	59.16	99.67	184.93
6.	गोवा	5.12	8.62	18.02
7.	गुजरात	69.98	117.91	248.69
8.	हरियाणा	23.41	39.44	74.90
9.	हिमाचल प्रदेश	16.94	28.55	36.88
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	74.61	125.71	234.18
12.	कर्नाटक	122.28	206.03	310.72

1	2	3	4	5
13.	केरल	75.83	127.77	185.69
14.	मध्य प्रदेश	160.08	269.73	467.60
15.	महाराष्ट्र	114.91	193.62	348.21
16.	मणिपुर	9.08	15.31	25.24
17.	मेघालय	8.47	14.27	25.86
18.	मिजोरम	4.92	8.29	16.64
19.	नागालैण्ड	5.46	9.20	18.29
20.	उड़ीसा	125.41	211.31	359.62
21.	पंजाब	28.45	47.94	90.51
22.	राजस्थान	135.74	228.72	390.85
23.	सिक्किम	4.55	7.67	15.82
24.	तमिलनाडु	133.57	225.05	369.59
25.	त्रिपुरा	12.07	20.34	29.78
26.	उत्तर प्रदेश	474.71	799.87	1342.27
27.	उत्तरांचल/उत्तराखंड	16.38	27.60	65.47
28.	पश्चिम बंगाल	201.32	339.21	491.74
	जोड़	2448.50	4125.58	6877.45

[हिन्दी]

न्यायालयों में लंबित मामले

583. **श्री काशीराम राणा:**

श्री जुएल ओराम:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में सिविल और आपराधिक मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी न्यायालयवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन न्यायालयों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष न्यायालयवार कितने सिविल और आपराधिक मामलों का निपटान किया गया;

(घ) न्यायालयों में मामलों के तीव्र निपटान के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) रिपोर्ट किए गए अनुसार 31 जनवरी, 2007 को भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल 40,243 मामले (सिविल और दांडिक मामलों सहित) लंबित हैं। उच्च न्यायालयो में 31 दिसंबर, 2006

को लंबित सिविल और दांडिक मामलों की संख्या दर्शित करने वाला एक ब्योरा संलग्न है (विवरण-I)।

(ग) इस विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2004, 2005 और 2006 (सितंबर 2006 तक) के दौरान उच्च न्यायालयों में निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शित करने वाले ब्यौरे संलग्न है (विवरण 2, 3 और 4)।

(घ) न्यायालय मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए किए जाने वाले सुधारात्मक उपाय संक्षिप्त रूप में नीचे वर्णित हैं:-

1. समय-समय पर, न्यायाधीश पदसंख्या में वृद्धि करने के अलावा विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को समूहबद्ध करना, विशेष न्यायपीठों का गठन करना और नियमित अंतरालों पर लोक अदालतों का आयोजन करना जैसे अन्य उपाय किए गए हैं।

2. मध्यकता, बातचीत और माध्यस्थम् सहित निपटान के वैकल्पिक ढंगों को प्रोत्साहित किया गया है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, आय कर अपील अधिकरण, जैसे विशेष अधिकरणों, कुटुंब न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, उपभोक्ता न्यायालयों आदि का गठन किया गया है।

3. मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए मुकदमेबाजों/अधिवक्ताओं आदि को सूचना उपलब्ध कराने के लिए वाद सूचियों को तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

4. काफी समय से लंबित मामलों, विशेषकर सेशन मामलों और जेलों में बंद विचाराणाधीन व्यक्तियों के मामलों के निपटारे के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन किया गया है।

5. जिला स्तर पर बड़ी संख्या में लंबित मामलों को समाप्त करने के लिए सरकार ने ऐसे विद्यमान 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों के, जो 31-3-2005 को कार्य कर रहे थे, कार्यकाल को और पांच वर्षों, अर्थात् 31-3-2010 तक बढ़ा दिया है।

विवरण-I

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट की गई निम्नलिखित तारीख को	सिविल मामले	दांडिक मामले	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	31-12-06	876366	216808	1093174
2.	आन्ध्र प्रदेश	31-12-06	136896	13467	150363
3.	बंबई	31-12-06	326361	36581	362942
4.	कलकत्ता	30-9-06	227323	38230	265553
5.	दिल्ली	31-12-06	103039	32486	135525
6.	गुजरात	30-9-06	83814	29457	113271
7.	गुवाहाटी	31-12-06	52146	6991	59137
8.	हिमाचल प्रदेश	31-12-06	20090	6272	26362
9.	जम्मू-कश्मीर	31-12-06	41833	1847	43680

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	31-12-06	78837	14797	93634
11.	केरल	31-12-06	92511	25038	117549
12.	मद्रास	31-12-06	372973	33985	406958
13.	मध्य प्रदेश	31-12-06	127120	56665	183785
14.	उड़ीसा	31-12-06	203112	18940	222052
15.	पटना	31-12-06	70039	24681	94720
16.	पंजाब और हरियाणा	31-12-06	199295	42973	242268
17.	राजस्थान	30-9-06	158910	50682	209592
18.	सिक्किम	31-12-06	42	9	51
19.	उत्तरांचल	31-12-06	29610	7789	37399
20.	छत्तीसगढ़	31-12-06	60690	24933	85623
21.	झारखंड	31-12-06	26030	21583	47613
	योग		3287037	704214	3991251

विवरण-II

वर्ष 2004 में उच्च न्यायालयों में निपटाए गए दांडिक और सिविल मामलों की संख्या

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	सिविल मामलों की संख्या	दांडिक मामलों की संख्या	कुल
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	108982	56668	165650
2.	आन्ध्र प्रदेश	46883	8715	55598
3.	बंबई	81274	15560	96834
4.	कलकत्ता	48057	11621	59678
5.	छत्तीसगढ़	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	11049
6.	दिल्ली	86515	15379	101894
7.	गुजरात	36180	12605	48785

1	2	3	4	5	6
	8.	गुवाहाटी	12731	3037	15768
	9.	हिमाचल प्रदेश	10971	2288	13259
	10.	जम्मू-कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	11.	झारखण्ड	8116	11238	19354
	12.	कर्नाटक	66988	6303	73291
	13.	केरल	50789	15094	65883
	14.	मद्रास	122460	55559	178019
	15.	मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	16.	उड़ीसा	14415	12963	27378
	17.	पटना	21297	45894	67191
	18.	पंजाब और हरियाणा	31767	22946	54713
	19.	राजस्थान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	20.	सिक्किम	85	38	123
	21.	उत्तरांचल	14460	3139	17599
		योग	761970	299047	1072066

टिप्पण: जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान उच्च न्यायालयों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के संबंध में केवल कुल निपटारे की जानकारी उपलब्ध है।

विवरण-III

वर्ष 2005 में उच्च न्यायालयों में निपटाए गए दांडिक और सिविल मामलों की संख्या

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	सिविल मामलों की संख्या	दांडिक मामलों की संख्या	कुल
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	111909	48389	160298
2.	आन्ध्र प्रदेश	43056	8032	51088
3,	बंबई	101811	27107	128918

1	2	3	4	5	6
4.	कलकत्ता	45995		28527	74522
5.	छत्तीसगढ	9473		6085	15558
6.	दिल्ली	36268		12707	48975
7.	गुजरात	60596		20328	80924
8.	गुवाहाटी	22423		6027	28450
9.	हिमाचल प्रदेश	12436		1758	14194
10.	जम्मू-कश्मीर	20229		1300	21529
11.	झारखंड	6423		9911	16334
12.	कर्नाटक	54178		7569	61747
13.	केरल	59702		17019	76721
14.	मद्रास	127778		64074	191852
15.	मध्य प्रदेश	81364		36215	117579
16.	उड़ीसा	30102		19143	49245
17.	पटना	18173		36670	54843
18.	पंजाब और हरियाणा	33277		27599	60876
19.	राजस्थान	40936		21586	62522
20.	सिक्किम	65		18	83
21.	उत्तरांचल	18793		3194	21987
	योग	934987		403258	1338245

विवरण-IV

जनवरी से सितंबर 2006 की अवधि में उच्च न्यायालयों में निपटाए गए दांडिक और सिविल मामलों की संख्या

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	सिविल मामलों की संख्या	दांडिक मामलों की संख्या	कुल
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	74405	47105	121510

1	2	3	4	5
2.	आन्ध्र प्रदेश	37457	12091	49548
3.	बंबई	69502	18867	88369
4.	कलकत्ता	40261	11580	51841
5.	छत्तीसगढ़	10388	5551	15939
6.	दिल्ली	29485	13184	42669
7.	गुजरात	38825	11581	50406
8.	गुवाहाटी	20352	5393	25745
9.	हिमाचल प्रदेश	6687	1189	7876
10.	जम्मू-कश्मीर	10908	1445	12353
11.	झारखंड	8896	11819	20715
12.	कर्नाटक	31723	6739	38462
13.	केरल	51053	14498	65551
14.	मद्रास	130763	46119	176882
15.	मध्य प्रदेश	53147	25431	78578
16.	उड़ीसा	23651	18975	42626
17.	पटना	12154	46471	58625
18.	पंजाब और हरियाणा	39498	27023	66521
19.	राजस्थान	30752	18033	48785
20.	सिक्किम	49	14	63
21.	उत्तरांचल	9352	2497	11849
	योग	729308	345605	1074913

[अनुवाद]

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आई.जी.आई. विमानपत्तन के बीच लिंक

584. श्री रेवती रमन सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तथा इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के बीच हाई स्पीड लिंक प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजना के कब तक शुरू तथा पूर्ण होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सरकार ने नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (आई.जी.आई.ए.) के बीच 3811 करोड़ रुपये (कर सहित) की कुल अनुमानित लागत से 18.775 कि.मी. लम्बा हाई स्पीड एक्सप्रेस लिंक मुहैया कराने के संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डी.एम.आर.सी.) लि. के एक प्रस्ताव को कुछ शर्तों के अध्यधीन सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित कर दिया है।

इस प्रस्ताव में सभी स्टेशनों नामतः नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन, शिवाजी टर्मिनल (कनॉट प्लेस) तथा मोतीबाग पर सामान सहित यात्रियों के प्रवेश की सुविधाओं की परिकल्पना की गयी है।

(ग) सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन के अध्यधीन डी.एम.आर.सी. लिमिटेड ने वर्ष 2007-08 में परियोजना शुरू करने तथा जून, 2010 तक परियोजना को पूरा करने की योजना बनायी है।

विद्युत पारेषण परियोजनाएं

585. श्री चन्द्रभूषण सिंह:

श्री जुएल ओराम:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड के पास अनेक विद्युत पारेषण परियोजनाएं लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को कहां-कहां स्थापित किया जाएगा और इन पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई बाहरी सहायता मांगी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पी.जी.सी.आई.एल.) ने सूचित किया है कि, वर्तमान में, लगभग 28,000 रुपये की अनुमानित लागत की लगभग 50 पारेषण परियोजनाएं पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा निर्माणाधीन हैं। इनमें से बहुत सी परियोजनाओं के संबंध में निर्माण गतिविधियां सूचीबद्ध में है, पांच परियोजनाओं के कुछ घटक, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, के कारण विलंब हो गया है।

(च) इन परियोजनाओं को तीव्रता से पूरा करने के लिए पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा उठाए गए कदम भी संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

लंबित तत्वों/परियोजनाओं की स्थिति

फरवरी, 2007 की स्थिति

क्र. सं.	घटक एवं परियोजना का नाम	परियोजना घटक का स्थान	परियोजना अनुमोदन की तारीख	वित्तपोषण	कुल अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	पूर्णता		विलंब के कारण/कार्यान्वयन को तेज करने के लिए उठाए गए कदम
						कार्यक्रम	अनुमानित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	दिल्ली जी.आई.एस. उपकेंद्र और दिल्ली उपकेंद्र/पूर्वी उत्तरी इंटरकनैक्टर तथा ताला एच.ई.पी. के साथ संबद्ध उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली का भाग पर दादरी व बल्लभगढ़ का लीलो	उत्तर प्रदेश व दिल्ली	सितंबर, '05	विश्व बैंक एवं घरेलू	2483.88	जून, '06	मार्च, 2007	लगभग 2575 सर्किट किलोमीटर वाली परियोजना में मुख्य पारेषण घटक पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। दिल्ली (जी.आई.एस.) उपकेंद्र पर दादरी बल्लभगढ़ का लगभग 60 सर्किट किलोमीटर लीलो के आरंभ में विलंब हो गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा (राइट ऑफ वे) प्रदान नहीं किया जा सका था जिसने मई, 2006 तक लाईन का निर्माण रोके रखा। आर.ओ.डब्ल्यू. स्वीकृति जून, 2006 में प्रदान की गई थी और उसके पश्चात् लाईन को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को गतिशील बनाया गया है, जिसकी मार्च, 07 तक पूरा होने की संभावना है।
2.	कहलगांव चरण-II, चरण-III परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली	झारखंड व छत्तीसगढ़	जनवरी, 05	घरेलू	464.02	विद्युत उत्पादन परियोजना के अनुरूप (मार्च, 07)	जून, 2007	परियोजना का कार्यान्वयन सूची के अनुसार प्रगति पर है। लगभग 130 कि.मी. 408 कि.मी. वाली रांची-सीपत 400 के.वी. डी/सी लाईन के भाग के

							सिवाय जो कि वन स्वीकृति के कारण रुकी हुई है। वन स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफ एंड सी) के पुनर्गठन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए स्टे के कारण लंबित है, जिसने की अभी स्वीकृति प्रदान करनी है। निर्णयाधीन एफ.ए.सी. मामले के शीघ्रता से निपटारे हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आवेदन दाखिल किया गया है। एक बार वन स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर, पावरग्रिड शीघ्र ही लाईन को पूरा करने हेतु अतिरिक्त संसाधनों को गतिशील बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। तथापि, यह उल्लेख किया जाए कि उत्पादन स्टेशन से विद्युत की निकासी में कोई अवरोध नहीं होगा क्योंकि कहलगांव-II चरण-1 पारेषण परियोजना का उत्पादन परियोजना के शुरू होने के साथ शुरू किया जा रहा है।
3. उत्तरांचल में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना	उत्तराखंड	जुलाई, 04	घरेलू	76.42	मार्च, 07	सितंबर, 07 के बाद	अधिक मूल्यों के कारण उपकेंद्र पैकेजों के लिए ठेका प्रदान करने में आरंभिक विलंब हुआ है जिससे लंबी बातचीत तथा पुन: टेंडरिंग हुई। ठेके जनवरी, 06 में सौंपे गए थे। परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को गतिशील बनाया गया है और इसको उत्तरोत्तर सितंबर, 07 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	सिंगरौली-विंध्याचल कॉरीडोर में प्रणाली सुदृढ़ीकरण	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश	फरवरी, 04	घरेलू	17.26	अगस्त, 06	अप्रैल, 07	एन.टी.पी.सी. स्विचयार्ड के सिवाय निर्माण पूरा किया गया। एन.टी.पी.सी. यूनिट की बंदी की गैर उपलब्धता तथा विंध्याचल-कानपुर लाईन के कारण शुरू होने में देरी ही गयी है। शीघ्र बंदी के लिए संबद्ध एजेंसियों के साथ मामले को उठाया गया है। लाईन के अप्रैल, 2007 में शुरू होने की संभावना है।
5.	सुभाषग्राम (पूर्वी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना का भाग) में फरक्का का लीलो	पश्चिम बंगाल	जनवरी, 03	घरेलू	247.91	मई, 06	मार्च, 07	परियोजना के मुख्य तत्वों को पहले ही पूरा किया जा चुका है। सुभाषग्राम में फरक्का-चीरत का एकमात्र लीलो भूमि इत्यादि की अनुपलब्धता, सुभाषग्राम, उपकेंद्र की फंडिंग के कारण विलंब हो गया है। सुभाष ग्राम उपकेंद्र सहित इस लीलो भाग का निर्माण एवं जांच भी पूरी की जा चुकी है और इसके शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है।

#दर्शायी गई लागत कुल परियोजना के लिए है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में 'मोबाइल कोर्ट्स'

586. श्री शिशुपाल पटले: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्राम स्तर पर 'मोबाइल कोर्ट्स' स्थापित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) ग्राम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

587. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एन.बी.एफ.सी.) भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यक अनुमति के बिना परिचालन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कंपनियों के पंजीकार के पास पंजीकृत हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन कंपनियों के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है; और

(च) यदि हां, तो राज्य में इन कंपनियों के परिचालन के लिए जिम्मेवार प्राधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी अनिवार्य अनुमति के बिना उड़ीसा में परिचालन कर रहे किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की उन्हें जानकारी नहीं है। उड़ीसा में परिचालन कर रही एक जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी और जमाराशियां स्वीकार न करने वाली 14 कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण करवाया है। ये सभी कंपनियां, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार के पास निगमित की गई है।

(ङ) जी हां। कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1 क के अंतर्गत जारी पंजीकृत प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना; (2) 200 लाख रुपए निवल स्वाधिकृत राशि रखे बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार न तो शुरू कर सकती है और न ही जारी रख सकती है। प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को निर्धारित प्रपत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

588. श्री भर्तृहरि महताब:
डा. सत्यनारायण जटिया:
श्री मोहन सिंह:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत राज्यवार अब तक निर्माण की गई तथा वर्ष 2007-08 के दौरान निर्माण की जाने वाली सड़कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) धनराशि के आबंटन में निर्धारित मानदंड क्या हैं तथा पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निर्माण की जा रही सड़कों की प्रति किमी. औसत लागत क्या है;

(ग) वर्ष 2007-08 के लिए विनिर्दिष्ट धनराशियों के साथ अब तक दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा कितने का उपयोग हुआ;

(घ) प्रत्येक राज्य के अंतर्गत कितने गांव अब तक जोड़े गए तथा कितने जोड़ दिए जाएंगे;

(ङ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आज तक आवंटित धनराशि का 50 प्रतिशत से ज्यादा का उपयोग किया है;

(च) उन राज्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/की जानी है जिन्होंने विनिर्दिष्ट समय-सीमा में धनराशि को खर्च नहीं किया गया; और

(छ) लक्ष्य को प्राप्त करने तथा निर्धारित समय में विनिर्दिष्ट धनराशियों का उपयोग करने तथा सभी गांवों को जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत कार्यक्रम के आरंभ होने से लेकर अब तक 1,11,461.04 कि.मी. लम्बाई के 36870 सड़क कार्य पूरे कर लिए मए हैं। वर्ष 2007-08 के लिए, भारत निर्माण का लक्ष्य 43989.93 कि.मी. लम्बाई की सड़कों के निर्माण के साथ 20071 बसावटों को सड़कों से जोड़ना और 59316.284 कि.मी. लम्बाई की सड़कों को उन्नत करना/नया करना है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) राज्य को मूल 1 रुपया प्रति लीटर उपकर का आबंटन आवश्यकता को 75% (देश की सड़कों से न जुड़ी कुल बसावटों में सड़कों से न जुड़ी बसावटों का हिस्सा) और कवरेज पर 25% वेटेज (देश की कुल सड़कों से जुड़ी बसावटों में सड़कों से जुड़ी बसावटों का हिस्सा) पर आधारित है। राज्यों के लिए भारत निर्माण के अंतर्गत कवर की जाने वाली सड़कों की लम्बाई के अनुपात के आधार पर 0.50 रुपए प्रति लीटर के अतिरिक्त उपकर के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण की कुल राज्य विशिष्ट औसत इकाई लागत तय नहीं की गई है। प्रत्येक सड़क के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्थल जांच और निर्धारित विनिर्देशन और अभिकल्पना आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित परियोजना लागत पर तैयार की जाती है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (23-2-2007 की स्थिति के अनुसार) 21210.91 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है जिसमें से 19040.95 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर लिया गया है (जनवरी, 2007 तक)। राज्य-वार रिलीज की गई राशि और किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए राज्य-वार आबंटन का हिसाब तैयार किया जा रहा है।

(घ) 60566 बसावटों को संपर्क उपलब्ध कराने के लिए परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और इनमें से 33041 बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध करा दिया गया है।

(ङ) सभी राज्यों ने पुन: रिलीज की गई 50% से अधिक धनराशि का उपयोग कर लिया है।

(च) और (छ) हालांकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की है परंतु कार्यक्रम की उपलब्धि की मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है। कार्यक्रम के निष्पादन की गति, गुणवत्ता की निगरानी और सृजित परिसंपत्तियों के रखरखाव के संबंध में नियमित रूप से राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

विवरण-I

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

2007-08 के लिए भारत निर्णय के लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत सड़क कार्यों की सं.	पूर्ण हो चुके कार्यों की सं.	स्वीकृत सड़क कार्यों की सं.	पूर्ण हो चुके कार्यों की सं. (जनवरी, 07 तक)	नई सड़क		उन्नयन लंबाई (कि.मी. में)
						लंबाई (कि.मी. में)	बसावटें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	4602	3929	13424.10	10091.04	0	0	4602
2.	अरुणाचल प्रदेश	519	338	2285.38	1293.42	646.875	67	519
3.	असम	1294	800	4385.87	2405.12	3889.845	2701	1294
4अ.	बिहार (आरईओ)	968	719	2219.85	1669.55	6121.425	3214	968
4ब.	बिहार (एनईए)	750	66	6469.15	522.84			750

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	छत्तीसगढ़	3018	1119	14841.78	6642.03	6450.644	2007	3018
6.	गोवा	90	72	178.16	158.70	0	0	90
7.	गुजरात	2002	1360	4548.68	2820.97	438.675	251	2002
8.	हरियाणा	176	90	2194.34	1397.58	0	0	176
9.	हिमाचल प्रदेश	1764	606	10158.82	3826.13	638.542	166	1764
10.	जम्मू-कश्मीर	277	62	1025.81	133.72	1781.869	593	277
11.	झारखण्ड	629	464	3362.37	2455.92	1812.298	901	629
12.	कर्नाटक	2098	1560	8830.13	5123.18	0	0	2098
13.	केरल	443	202	837.04	367.77	0	0	443
14.	मध्य प्रदेश	6744	2726	31391.50	12581.28	8326.848	2399	6744
15.	महाराष्ट्र	3707	1822	11225.92	4303.47	0	0	3707
16.	मणिपुर	849	528	1266.84	707.47	464.286	48	849
17.	मेघालय	373	293	917.02	682.36	140.091	31	373
18.	मिजोरम	114	67	1526.83	1003.87	277.884	39	144
19.	नागालैण्ड	208	174	1996.67	1583.37	109.507	10	208
20.	उड़ीसा	3723	1908	12539.61	6182.25	2524.021	1087	3723
21.	पंजाब	627	465	2807.94	1227.75	0	0	627
22.	राजस्थान	8865	5335	30877.01	18662.58	3554.217	1225	8865
23.	सिक्किम	182	87	1912.48	1530.71	108.043	31	182
24.	तमिलनाडु	2604	1911	5040.68	3505.28	0	0	2604
25.	त्रिपुरा	354	230	935.36	502.28	354.701	248	354
26.	उत्तर प्रदेश	14067	8960	29321.72	15507.18	2059.213	1323	14067
27.	उत्तरांचल	394	143	2713.17	579.96	1025.641	257	394
28.	पश्चिम बंगाल	1274	768	7650.14	3993.26	3265.307	3473	1274
	कुल (राज्य)	**62715**	**36804**	**216884.37**	**111461.04**	**43989.932**	**20071**	**62715**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	संघ राज्य क्षेत्र							
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	18						
30.	दादर व नगर हवेली	75		66.21				
31.	दमन व दीव	0						
32.	एन.सी.टी. दिल्ली	1						
33.	लक्षद्वीप	0						
34.	पांडिचेरी	86	66					
	कुल सं.रा.क्षे.	**180**	**66**	**66.21**				
	कुल योग	62895	36870	216950.58	111461.04	43969.93	20071	59316.284

विवरण-II

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (चरण-I से VIII + एडीबी/डब्ल्यूबी) के अंतर्गत वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	23-2-2007 तक रिलीज की गई राशि	जनवरी, 2007 तक व्यय	रिलीज की गई राशि के व्यय का %
1	2	3	4	5
	राज्य	1096.09	1076.62	98.22%
1.	आन्ध्र प्रदेश	233.68	177.85	76.11%
2.	अरुणाचल प्रदेश	1049.35	936.89	89.28%
3.	असम	426.82	355.58	83.31%
4अ.	बिहार (आरईओ)	600.35	440.35	73.35%
4ब.	बिहार (एनईए)	1506.76	1490.6	98.93%
5.	छत्तीसगढ़	10.00	5.32	53.20%

1	2	3	4	5
6.	गोवा	372.07	354.52	95.28%
7.	गुजरात	356.50	248.78	69.78%
8.	हरियाणा	622.71	485.18	77.91%
9.	हिमाचल प्रदेश	145.35	85.75	59.00%
10.	जम्मू-कश्मीर	561.24	440.73	78.53%
11.	झारखण्ड	506.24	485.36	95.88%
12.	कर्नाटक	121.97	89.72	73.56%
13.	केरल	2693.56	2668.32	99.06%
14.	मध्य प्रदेश	659.73	579.64	87.87%
15.	महाराष्ट्र	104.33	102.75	98.49%
16.	मणिपुर	123.17	106.63	86.57%
17.	मेघालय	225.50	179.33	79.53%
18.	मिजोरम	161.56	127.23	78.75%
19.	नागालैण्ड	1804.65	1497.72	82.99%
20.	उड़ीसा	256.93	202.36	78.76%
21.	पंजाब	2847.19	2734.74	96.05%
22.	राजस्थान	138.10	108.43	78.52%
23.	सिक्किम	491.87	424.2	86.24%
24.	तमिलनाडु	130.89	94.57	72.25%
25.	त्रिपुरा	2417.06	2158.30	89.29%
26.	उत्तर प्रदेश	228.12	193.38	84.77%
27.	उत्तरांचल	1278.72	1176.17	91.98%
28.	पश्चिम बंगाल	21170.43	19027.02	89.88%
	कुल (राज्य)	**1096.09**	**1076.62**	**98.22%**
संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10.59	0.26	2.46%
30.	दादर व नगर हवेली	5	0	0.00%

1	2	3	4	5
31.	दमन व दीव	10	4.94	49.40%
32.	एन.सी.टी. दिल्ली	5	0	0.00%
33.	लक्षद्वीप	4.89	0	0.00%
34.	पांडिचेरी	5	8.73	174.60%
	कुल सं.रा.क्षे.	**40.48**	**13.93**	**34.41%**
	कुल योग	21210.91	19040.95	89.77%

ब्याज दर

589. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
डा. के धनराजू:
श्री मो. ताहिर:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री एस. मल्लिकार्जुनैया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में "रेपो दर" तथा "कैश रिजर्व अनुपात" में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका विभिन्न ऋणों के ब्याज पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों को गृह ऋण ब्याज दर नहीं बढ़ाने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के तथा निजी बैंकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंकों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है; और

(च) सरकार द्वारा गृह ऋण पर ब्याज दर को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। स्थूल आर्थिक और मौद्रिक/चलनिधि की स्थिति तथा ऋण में वृद्धि और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं पर पूर्वक्रय संबंधी ऊपरी दबाव को कम करने की आवश्यकता की समीक्षा करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एल.ए.एफ.) के अंतर्गत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर.) और नियत रेपो दर में वृद्धि की है। तदनन्तर, बैंकों की आधार मूल उधार दरों (बी.पी.एल.आर.) में वृद्धि हुई है।

(ग) से (च) यह अपेक्षित था कि सरकारी क्षेत्र के बैंक गृह ऋण पर ब्याज दर को चालू स्तर पर नियंत्रित करें क्योंकि बैंकों द्वारा इसमें अतिरिक्त बढ़ोतरी आवश्यक नहीं होगी बशर्ते बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन करने की स्थिति में हो। यह आशा की जाती है कि बैंक, गृह ऋण पर ब्याज दर का निर्धारण करते समय इस कारक को ध्यान में रखेंगे।

राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन

590. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन करने का अनुदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन-कौन सी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अपने विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन कर लिया है;

(घ) बाकी राज्य किन कारणों के चलते विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन नहीं कर पाए हैं; और

(ङ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 राज्य विद्युत बोर्डों (एस.ई.बी.) के पुनर्गठन की परिकल्पना करता है। विद्युत अधिनियम के पुनर्गठन की परिकल्पना करता है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 172 (क) व्यवस्था करती है कि राज्य विद्युत बोर्ड को नियुक्त तारीख अर्थात् 10 जून, 2003 से एक वर्ष की अवधि के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य पारेषण यूटिलिटी (एस.टी.यू.) और लाइसेंसी समझा जाएगा। धारा 172(क) यह भी व्यवस्था करती है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव में आने के एक वर्ष की अवधि के पश्चात् उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए एस.टी.यू. अथवा लाइसेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को प्राधिकृत कर सकती है, जोकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आपस में निर्धारित की जाए।

(ग) अब तक, 13 राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन किया है। दस राज्यों, अर्थात् उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश ने अपने-अपने विद्युत सुधार अधिनियमों के अंतर्गत ऐसा किया है। असम और महाराष्ट्र ने विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन किया है। पश्चिम बंगाल ने 01 अप्रैल, 2007 से प्रभावी पुनर्गठन योजना को अधिसूचित किया है।

(घ) जिन आठ राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों को अभी तक पुनर्गठित नहीं किया है, ने पुनर्गठन को पूरा करने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कुछ और अधिक समय के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं।

(ङ) केंद्र सरकार, संबद्ध राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन को समय विस्तार के अनुरोध तथा स्थिति पर विचार करने के पश्चात्, उपर्युक्त अवधि के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को जारी रखने के अनुरोधों पर सहमति प्रकट कर रही है।

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण का लक्ष्य

591. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों के लिए निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मापदंड/लक्ष्य के अंतर्गत उप लक्ष्य के रूप में अल्पसंख्यकों के लिए 6% ऋण विनिर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 जुलाई, 2006 को सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक) को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया था कि अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक ऋण सुगमता से उपलब्ध कराया जाए। नए "अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये प्रधान मंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम" के तहत, 1 सितम्बर, 2006 को घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सुनिश्चित करने का भी परामर्श दिया गया था कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के कुल लक्ष्य और कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत के उप-लक्ष्य में से, यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सावधानी बरती जाए कि अल्पसंख्यक समुदायों को भी ऋण का एक समान हिस्सा मिले।

गत पांच वर्षों के दौरान घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (सरकारी क्षेत्र के बैंक और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक) द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को दी गई ऋण सुविधाओं के आंकड़े नीचे दिये गए हैं:-

वर्ष	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (पीएस) (ख)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों का हिस्सा (सभी जिलों में)		44 पहचाने गए जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों को दिये गए ऋण की राशि
		राशि (क)	पीएम का प्रतिशत हिस्सा (क/ख)	
1	2	3	4	5
मार्च 2002	2,05,604	18,468	8.98	3,068
मार्च 2003	2,50,988	21,903	8.72	3,612

1	2	3	4	5
मार्च 2004	3,11,335	34,654	11.13	3,980
मार्च 2005	4,00,775	35,356	8.82	5,201
मार्च 2006	5,47,393	45,491	8.31	6,261

(आंकड़े निकटतम करोड़ पर पूर्णांकित)

स्टाम्प पेपर से वाटरमार्क का गायब होना

592. श्री राम कृपाल यादव:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री मोहन रावले:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टाम्प पेपर का उत्पादन करने के लिए नियुक्त फर्म वाटरमार्क लेकर उच्च सुरक्षा वाली मुद्रण प्रेस, नासिक से गायब हो गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त फर्म से वाटरमार्क प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा इस घटना से सरकार को कुल कितनी हानि उठाने का अनुमान है;

(च) क्या प्रेस के अधिकारियों या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा फर्म को कार्य देने में किसी चूक का पता चला है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में शहरी विकास परियोजनाओं हेतु सहायता

593. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चल रही शहरी विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) उन शहरों का ब्यौरा क्या है जिनके विकास के लिए चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजे गए हैं तथा उन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या विश्व बैंक उत्तर प्रदेश में किसी शहर के विकास हेतु कोई सहायता प्रदान कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन पर पैनल

594. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान के अंतर्गत कार्यरत जलवायु परिवर्तन पर अन्तर-सरकारी पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो पैनल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आई.पी.सी.सी.) ने कार्यदल (डब्ल्यू.जी.)-I की "जलवायु परिवर्तन 2007: भौतिक विज्ञान आधार" नामक अपनी सार रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) कार्य दल-I पैनल रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- मानव क्रियाकलापों की वजह से वर्ष 1750 से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के वैश्विक वायुमंडलीय सान्द्रणों में व्यापक वृद्धि हुई है और अब कई हजार वर्षों की अवधि के हिम क्रोडो से औद्योगिक पूर्व मान बढ़ जाने का भी पता चला है। पूरे विश्व में कार्बन डाईऑक्साइड सान्द्रण के बढ़ने का प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधन, भूमि-प्रयोग में परिवर्तन होना है, जबकि मीथेन और नाइट्रस के बढ़ने का प्रमुख कारण कृषि है। हिम और बर्फ के व्यापक रूप से पिघलने तथा वैश्विक औसत समुद्र स्तर के बढ़ने की स्थितियों की भी रिपोर्ट की गई है।

- रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों की सान्द्रता बने रहने के बावजूद भी जलवायु प्रक्रियाओं से जुड़े समय अंतरालों और फीडबैक के कारण मानवजनित ऊर्जा तथा समुद्र स्तर में वृद्धि सदियों तक होती रहेगी।

- रिपोर्ट में महाद्वीपीय स्तर के संबंध में निष्कर्ष दिए गए हैं। किसी देश विशेष के बारे में निष्कर्ष नहीं दिए गए हैं। जलवायु में परिवर्तन वैश्विक पर्यावरणीय समस्या है जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी विकसित देशों की है न कि भारत जैसे विकासशील देश की।

- भारत, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन संबंधी फ्रेमवर्क कनवेंशन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) तथा क्योटो प्रोटोकॉल सहित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के कार्यों और यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के अन्तर्गत आने वाले अन्य देशों के साथ अलग-अलग प्रकार की भागीदारी में लगा हुआ है।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- हालांकि क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत भारत की जी.एच.जी. के उपशमन संबंधी कोई वचनबद्धता नहीं है फिर भी कई प्रकार की नीतियों और कार्यक्रमों से जलवायु परिवर्तन में कमी लाने में मदद मिलेगी। इनमें ऊर्जा क्षमता में सुधार तथा संरक्षण होने के साथ-साथ ऊर्जा क्षमता ब्यूरो की स्थापना, ऊर्जा सेक्टर में सुधार, हाइड्रो तथा नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्द्धन, परमाणु ऊर्जा में वृद्धि, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी विकास, कोयला धुलाई तथा कोयले का कारगर ढंग से उपयोग, वनों का संरक्षण तथा गैस फैलने में कमी करने जैसे कार्य शामिल हैं।

- ग्रीनहाउस गैस के बढ़ने से परिणामों में व्यापक रूप से वृद्धि होने की संभावना है। देश के कई संस्थान वैश्विक गर्मी तथा जलवायु परिवर्तनों संबंधी मुद्दे का समन्वित प्रयास से समाधान खोज रहे हैं।

- सरकार ने ऐसी स्थितियों में कमी लाने के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एम.डी.एम.ए.) का गठन किया है।

[अनुवाद]

उत्तरी ग्रिड से अतिरिक्त विद्युत का लेना

595. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ राज्यों ने जनवरी, 2007 के माह के दौरान उत्तरी ग्रिड से अतिरिक्त विद्युत ली थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन राज्यों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) राज्यों की मांग के आधार पर विद्युत की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां। उत्तरी क्षेत्र के राज्यों ने जनवरी, 2007 के दौरान दिन के भिन्न-भिन्न समय में ग्रिड से विद्युत की अतिरिक्त निकासी की है। जनवरी, 2007 के दौरान उत्तरी क्षेत्र के घटकों द्वारा की गई निकासी निम्नवत है:-

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	अतिरिक्त निकासी (मिलियन यूनिट में)
1	2
चंडीगढ़	6.96
दिल्ली	शून्य
हरियाणा	66.50

1	2
हिमाचल प्रदेश	29.31
जम्मू-कश्मीर	136.01
पंजाब	35.56
राजस्थान	100.71
उत्तर प्रदेश	210.60
उत्तराखंड	23.83

राज्यों द्वारा ग्रिड से अतिरिक्त निकासी करने के मुख्य कारण उत्तरी क्षेत्र में सर्दियों के महीनों के दौरान विद्युत की मांग अधिक होना तथा इसी अवधि के दौरान क्षेत्र में जल विद्युत स्टेशनों से विद्युत की उपलब्धता कम होना है।

(ग) मंत्रालय द्वारा 5 फरवरी, 2007 को राज्यों/उत्तरी क्षेत्र के संघ शासित राज्यों को सलाह प्रदान की गई थी कि वे निकासी कार्यक्रम के भीतर ही अपने लिए विद्युत निकासी सीमित करे और विद्युत की उपलब्धता के अनुरूप ही अपनी-अपनी प्रणाली में भार का प्रबंध करें।

(घ) राज्यों में विद्युत मांग की पूर्ति उनके स्वयं के उत्पादन स्रोतों, केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों में हिस्सेदारी और द्विपक्षीय करार के तहत प्राप्त विद्युत से की जाती है। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है।

(i) चल रही उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता संवृद्धि की कड़ी निगरानी की जा रही है।

(ii) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन क्षमता संवृद्धि परियोजनाओं की अग्रिम आयोजना।

(iii) आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए 4000 मेगावाट प्रत्येक की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

(iv) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के अग्रदूत के रूप में बेहतर निष्पादन कर रही विद्युत यूटिलिटियों के साथ तालमेल के जरिए मौजूदा थर्मल पावर स्टेशनों के संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) परिपाटियों को अपनाकर "पार्टनरशिप इन एक्सीलेंस" (उत्कृष्टता में भागीदारी) कार्यक्रम की शुरुआत।

(v) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से ऋण पर ब्याज सब्सिडी लेकर पुरानी और अकुशल उत्पादन इकाईयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण व जीवन विस्तार कार्यक्रम।

(vi) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अधिशेष विद्युत का दोहन।

(vii) गैस आधारित स्टेशनों के उपयोग में न लाई गई क्षमता का तरल ईंधन पर उपयोग।

(viii) औसत तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी करने के उपाय के तौर पर त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत राज्य में उप पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार।

(ix) मौजूदा उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन व अनुरक्षण।

(x) अंतर राज्यीय और अंतरक्षेत्रीय पारेषण क्षमता के सुदृढ़ीकरण द्वारा उपलब्ध विद्युत का ईष्टतम समुपोजन।

(xi) मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन देना।

राज्यों को विद्युत की आपूर्ति

596. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
चौ. मुन्नवर हसन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष रूप से वर्तमान के अति व्यस्त समय में राज्य-वार विभिन्न स्रोतों से विद्युत की वास्तविक उत्पादन तथा औसत विद्युत की मांग तथा पूर्ति कितनी है;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान केंद्रीय पूल से प्रत्येक राज्य को कितनी विद्युत की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में चल रहे विद्युत संकट को देखते हुए अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) अप्रैल, 2006 से जनवरी, 2007 अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से राज्य-वार वास्तविक विद्युत उत्पादन तथा ऊर्जा के रूप में औसत मांग एवं आपूर्ति तथा उच्चतम मांग/उच्चतम मांग की पूर्ति के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं।

(ख) अप्रैल, 2006 से जनवरी, 2007 की अवधि के दौरान केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन केंद्रों के निर्धारित विद्युत के ब्यौरे विवरण-III के रूप में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत कमी की समस्या व्याप्त है, इस कारण अनेक राज्यों से अनाबंटित विद्युत से अतिरिक्त विद्युत के आबंटन हेतु अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। चूंकि केंद्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों की अनाबंटित विद्युत सीमित है, अतः अनुरोध के स्वरूप (तात्कालिक, मौसमी) तथा सापेक्ष विद्युत आपूर्ति की स्थिति के मद्देनजर अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आबंटन में कमी कर यथासंभव अतिरिक्त आबंटन किया जाता है।

विवरण-I

अप्रैल, 06 से जनवरी, 07 की अवधि के दौरान राज्य-वार श्रेणीवार विद्युत उत्पादन

क्षेत्र	राज्य	श्रेणी	वास्तविक उत्पादन (एमयू. में)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	चंडीगढ	थर्मल	0
	कुल		**0**
	दिल्ली	थर्मल	4427.3
	कुल		**4427.3**
	हरियाणा	थर्मल	8895.24
		हाइड्रो	220.6
	कुल		**9115.84**
	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	2742.34
	कुल		**2742.34**
	जम्मू-कश्मीर	थर्मल	0
		हाइड्रो	885.44
	कुल		**885.44**
	पंजाब	थर्मल	13028.45
		हाइड्रो	3986.15
	कुल		**17014.6**

1	2	3	4
	राजस्थान	थर्मल	15766.74
		हाइड्रो	916.76
	कुल		**16683.5**
	उत्तर प्रदेश	थर्मल	17990.29
		हाइड्रो	1274.49
	कुल		**19264.78**
	उत्तरांचल	हाइड्रो	3741.4
	कुल		**3741.4**
उत्तरी क्षेत्र राज्य एवं निजी कुल			**73875.2**
उत्तरी क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	थर्मल	58002.54
		न्यूक्लियर	3959.9
		हाइड्रो	26023.09
उत्तरी क्षेत्र केन्द्रीय कुल			**87985.53**
उत्तरी क्षेत्र		थर्मल	118110.56
		न्यूक्लियर	3959.9
		हाइड्रो	39790.27
उत्तरी क्षेत्र कुल			**161860.73**
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	थर्मल	7527.03
		हाइड्रो	318.17
	कुल		**7845.2**
	गोवा	थर्मल	295.36
	कुल		**295.36**
	गुजरात	थर्मल	34401.12
		हाइड्रो	4559.43
	कुल		**38960.55**

1	2	3	4
	मध्य प्रदेश	थर्मल	11410.41
		हाइड्रो	2541.98
	कुल		13952.39
	महाराष्ट्र	थर्मल	49900.77
		हाइड्रो	6262.88
	कुल		56163.65
पश्चिम क्षेत्र राज्य एवं निजी कुल			117217.15
पश्चिम क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	थर्मल	36422.01
		न्यूक्लियर	7098.84
		हाइड्रो	2424.78
पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय कुल			45945.63
पश्चिम क्षेत्र		थर्मल	139956.7
		न्यूक्लियर	7098.84
		हाइड्रो	16107.24
पश्चिम क्षेत्र कुल			163162.78
दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश	थर्मल	23357.59
		हाइड्रो	8632.93
	कुल		31990.52
	कर्नाटक	थर्मल	11153.73
		हाइड्रो	12418.08
	कुल		23571.81
	केरल	थर्मल	241.55
		हाइड्रो	6348.49
	कुल		6590.04
	लक्षद्वीप	थर्मल	23.4
	कुल		23.4

1	2	3	4
	पांडीचेरी	थर्मल	231.02
	कुल		**231.02**
	तमिलनाडु	थर्मल	23534.56
		हाइड्रो	5675.3
	कुल		**29209.86**
दक्षिणी क्षेत्र राज्य एवं निजी कुल			**91616.65**
	केन्द्रीय क्षेत्र	थर्मल	36583.09
		न्यूक्लियर	4286.35
केन्द्रीय दक्षिणी क्षेत्र कुल			**40869.44**
दक्षिणी क्षेत्र		थर्मल	95124.94
		न्यूक्लियर	4286.35
		हाइड्रो	33074.8
दक्षिणी क्षेत्र कुल			**132486.09**
पूर्वी क्षेत्र	अंडमान व निकोबार	थर्मल	153.96
		हाइड्रो	8.47
	कुल		**162.43**
	बिहार	थर्मल	37.25
		हाईड्रो	48.24
	कुल		**85.49**
	झारखण्ड	थर्मल	4351.99
		हाइड्रो	208.3
	कुल		**4560.29**
	उड़ीसा	थर्मल	3533.93
		हाइड्रो	6357.72
	कुल		**9891.65**

1	2	3	4
	सिक्किम	थर्मल	0.13
		हाइड्रो	30.13
	कुल		**30.26**
	पश्चिम बंगाल	थर्मल	21182.82
		हाइड्रो	385.63
	कुल		**21568.45**
पूर्वी क्षेत्र राज्य एवं निजी कुल			**36298.57**
पूर्वी क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	थर्मल	48701.27
		हाइड्रो	492.63
पूर्वी क्षेत्र केन्द्रीय कुल			**49193.9**
पूर्वी क्षेत्र		थर्मल	77961.35
		हाइड्रो	7531.12
पूर्वी क्षेत्र कुल			**85492.47**
पूर्वोत्तर क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	1.71
	कुल		**1.71**
	असम	थर्मल	786.15
	कुल		**786.15**
	मणिपुर	थर्मल	1.53
	कुल		**1.53**
	मेघालय	हाइड्रो	347.28
	कुल		**347.28**
	मिजोरम	थर्मल	2.53
	कुल		**2.53**
	नागालैण्ड	थर्मल	0
		हाइड्रो	0
	कुल		**0**

1	2	3	4
	त्रिपुरा	थर्मल	425.32
		हाइड्रो	45.26
	कुल		**470.58**
पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य व निजी कुल			**1609.78**
पूर्वोत्तर क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	थर्मल	2055.83
		हाइड्रो	2384.53
पूर्वोत्तर क्षेत्र केन्द्रीय कुल			**4440.36**
पूर्वोत्तर क्षेत्र		थर्मल	3271.36
		हाइड्रो	2778.78
पूर्वोत्तर क्षेत्र कुल			**6050.14**
अखिल भारत के राज्य एवं निजी क्षेत्र परियोजनाएं			320617.35
अखिल भारतीय केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं			228434.86
भूटान आयात			2617.21
अखिल भारतीय कुल*			551669.42

*अक्षय ऊर्जा स्रोतों को छोड़कर

विवरण-II

(विद्युत आपूर्ति की अनंतिम स्थिति)

आंकड़े मि.यू. निवल में

राज्य/प्रणाली क्षेत्र	जनवरी, 2007				अप्रैल, 2006-जनवरी, 2007			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-)		मांग (मि.यू.)	पूर्ति (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-)	
			(मि.यु.)	(%)			(मि.यु.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ	95	95	0	0.0	1,154	1,152	-2	-0.2
दिल्ली	1.587	1,569	-18	-1.1	19,363	18,989	-374	-1.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	2,202	1,924	-278	-12.6	22,756	20,064	-2,692	-11.8
हिमाचल प्रदेश	432	412	-20	-4.6	4,176	4,079	-97	-2.3
जम्मू-कश्मीर	994	694	-300	-30.2	9,590	6,563	-3,027	-31.6
पंजाब	2,645	2,445	-200	-7.6	33,913	30,287	-3,626	-10.7
राजस्थान	3,254	3,004	-250	-7.7	27,785	26,404	-1,381	-5.0
उत्तर प्रदेश	4,579	3,879	-700	-15.3	48,457	40,373	-8,084	-16.7
उत्तरांचल	589	539	-50	-8.5	4,996	4,718	-278	-5.6
उत्तरी क्षेत्र	**16,377**	**14,561**	**-1,816**	**-11.1**	**172,190**	**152,628**	**-19,562**	**-11.4**
छत्तीसगढ़	1,263	1,158	-105	-8.3	11,507	10,807	-700	-6.1
गुजरात	5,891	4,853	-1,038	-17.6	51,520	44,740	-6,780	-13.2
मध्य प्रदेश	4,408	3,418	-990	-22.5	31,808	27,219	-4,589	-14.4
महाराष्ट्र	10,353	7,839	-2,514	-24.3	89,148	73,673	-15,475	-17.4
दमन और दीव	133	122	-11	-8.3	1,330	1,162	-168	-12.6
दादर नगर हवेली	270	269	-1	-0.4	2,427	2,383	-44	-1.8
गोवा	227	224	-3	-1.3	2,164	2,149	-15	-0.7
पश्चिमी क्षेत्र	**22,545**	**17,883**	**-4,662**	**-20.7**	**189,904**	**162,133**	**-27,771**	**-14.6**
आन्ध्र प्रदेश	5,417	4,858	-559	-10.3	49,584	47,659	-1,925	-3.9
कर्नाटक	3,897	3,789	-108	-2.8	33,034	32,450	-584	-1.8
केरल	1,304	1,264	-40	-3.1	12,341	12,113	-228	-1.8
तमिलनाडु	5,144	5,015	-129	-2.5	50,724	49,940	-784	-1.5
पांडचेरी	140	140	0	0.0	1,507	1,507	0	0.0
लक्षद्वीप #	2	2	0	0	20	20	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**15,902**	**15,066**	**-836**	**-5.3**	**147,190**	**143,669**	**-3,521**	**-2.4**
बिहार	775	706	-69	-8.9	6,994	6,421	-573	-8.2
डीवीसी	983	950	-33	-3.4	9,602	9,405	-197	-2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	418	405	-13	-3.1	3,630	3,448	-182	-5.0
उड़ीसा	1,522	1,475	-47	-3.1	14,174	13,917	-257	-1.8
पश्चिम बंगाल	2,149	2,065	-84	-3.9	22,362	21,889	-473	-2.1
सिक्किम	24	23	-1	-4.2	180	176	-4	-2.2
अंडमान निकोबार #	20	15	-5	-25	200	150	-50	-25.0
पूर्वी क्षेत्र	**5,871**	**5,624**	**-247**	**-4.2**	**56,942**	**55,256**	**-1,686**	**-3.0**
अरुणाचल प्रदेश	28	27	-1	-3.6	216	208	-8	-3.7
असम	349	320	-29	-8.3	3,627	3,366	-261	-7.2
मणिपुर	32	30	-2	-6.3	395	377	-18	-4.6
मेघालय	114	84	-30	-26.3	1,168	923	-245	-21.0
मिजोरम	20	19	-1	-5.0	191	182	-9	-4.7
नागालैण्ड	28	27	-1	-3.6	292	281	-11	-3.8
त्रिपुरा	58	52	-6	-10.3	697	633	-64	-9.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**629**	**559**	**-70**	**-11.1**	**6,586**	**5,970**	**-616**	**-9.4**
अखिल भारत	61,324	53,693	-7,631	-12.4	572,812	519,656	-53,156	-9.3

लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणाली, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

नोट: उच्चतम मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत) आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

व्यस्ततमकालीन मांग/आपूर्ति (अनंतिम)

राज्य/प्रणाली क्षेत्र	जनवरी, 2007				अप्रैल, 2006-जनवरी, 2007			
	व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी(-) (मेगावाट)	(%)	व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी(-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	192	192	0	0.0	264	247	-17	-6.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	3,332	3,289	-43	-1.3	4,000	3,736	-264	-6.6
हरियाणा	3,974	3,208	-766	-19.3	4,837	4,201	-636	-13.1
हिमाचल प्रदेश	895	830	-65	-7.3	895	871	-24	-2.7
जम्मू-कश्मीर	1,600	1,318	-282	-17.6	1,600	1,318	-282	-17.6
पंजाब	5,572	4,707	-865	-15.5	8,971	6,558	-2,413	-26.9
राजस्थान	5,794	4,719	-1,075	-18.6	5,794	4,793	-1,001	-17.3
उत्तर प्रदेश	8,000	7,145	-855	-10.7	9,184	7,531	-1,653	-18.0
उत्तरांचल	1,063	891	-172	-16.2	1,108	991	-117	-10.6
उत्तरी क्षेत्र	**29,344**	**25,062**	**-4,282**	**-14.6**	**31,516**	**26,644**	**-4,872**	**-15.5**
छत्तीसगढ	2,257	1,783	-474	-21.0	2,257	1,817	-440	-19.5
गुजरात	10,203	7,670	-2,533	-24.8	11,619	8,110	-3,509	-30.2
मध्य प्रदेश	6,919	5,753	-1,166	-16.9	8,090	4,404	-1,686	-20.8
महाराष्ट्र	17,130	12,141	-4,989	-29.1	17,130	12,557	-4,573	-26.7
दमन और दीव	205	187	-18	-8.8	210	187	-23	-11.0
दादर नगर हवेली	386	370	-16	-4.1	415	370	-45	-10.8
गोवा	413	373	-40	-9.7	433	400	-33	-7.6
पश्चिमी क्षेत्र	**35,451**	**26,336**	**-9,115**	**-25.7**	**36,453**	**26,882**	**-9,571**	**-26.3**
आन्ध्र प्रदेश	8,920	7,520	-1,400	-15.7	9,167	8,281	-886	-9.7
कर्नाटक	5,816	5,492	-324	-5.6	6,130	5,611	-519	-8.5
केरल	2,713	2,648	-65	-2.4	2,713	2,648	-65	-2.4
तमिलनाडु	8,379	8,174	-205	-2.4	8,609	8,449	-160	-1.9
पाण्डिचेरी	221	221	0	0.0	265	265	0	0.0
लक्षद्वीप #	6	6	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**24,344**	**22,800**	**1,544**	**-6.3**	**25,165**	**23,520**	**-1,645**	**-6.5**
बिहार	1,349	1,042	-307	-22.8	1,399	1,162	-237	-16.9
डीवीसी	1,573	1,552	-21	-1.3	1,650	1,597	-53	-3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	651	633	-18	-2.8	687	671	-16	-2.3
उड़ीसा	2,649	2,608	-41	-1.5	2,649	2,608	-41	-1.5
पश्चिम बंगाल	4,125	4,038	-114	-2.7	4,784	4,669	-115	-2.4
सिक्किम	45	45	0	0.0	45	45	0	0.0
अंडमान निकोबार #	40	32	-8	-20	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	**9,923**	**9,446**	**-477**	**-4.8**	**10,491**	**10,058**	**-433**	**-4.1**
अरुणाचल प्रदेश	79	73	-6	-7.6	79	76	-3	-3.8
असम	737	591	-146	-19.8	771	688	-83	-10.8
मणिपुर	92	85	-7	-7.6	106	101	-5	-4.7
मेघालय	402	269	-133	-33.1	402	269	-133	-33.1
मिजोरम	81	74	-7	-8.6	81	74	-7	-8.6
नागालैण्ड	68	67	-1	-1.5	79	79	0	0.0
त्रिपुरा	139	107	-32	-23.0	169	142	-27	-16.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1,176**	**1,054**	**-122**	**-10.4**	**1,407**	**1,166**	**-241**	**-17.1**
अखिल भारत	100,238	84,698	-15,540	-15.5	100,403	86,425	-13,978	-13.9

लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणाली, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

नोट: उच्चतम मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत) आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

विवरण-III

अप्रैल-06 से जनवरी-07 की अवधि के लिए राज्यों द्वारा केंद्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केंद्रों से प्राप्ति योग्य निर्धारित ऊर्जा

(आंकड़े मि.यू. में)

राज्य/स्टेशन/प्रणाली	कार्यक्रम
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
चंडीगढ़	1209.80
दिल्ली	11702.88
हिमाचल प्रदेश	2258.19
हरियाणा	8761.82
जम्मू-कश्मीर	5958.27
पंजाब	12202.31
राजस्थान	10133.14
उत्तर प्रदेश	15501.28

1	2
उत्तराखंड	2351.43
कुल	**70079.12**
पश्चिमी क्षेत्र	
छत्तीसगढ़	1792.90
गुजरात	8390.00
मध्य प्रदेश	10528.20
महाराष्ट्र	14058.90
गोवा	2134.10
दमन एवं दीव	918.60
दादरा व नगर हवेली	1928.00
कुल	**39750.70**
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	15333.77
कर्नाटक	8622.89
केरल	7017.90
तमिलनाडु	17004.77
पांडिचेरी	1542.61
कुल	**49521.94**
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	6537.00
झारखंड	1432.00
डीवीसी	639.00
उड़ीसा	3816.00
पश्चिम बंगाल	4761.00
सिक्किम	418.00
कुल	**17603.00**
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
अरुणाचल प्रदेश	340.00
असम	2640.60
मणिपुर	437.10
मेघालय	556.80
मिजोरम	214.30
नागालैंड	259.90
त्रिपुरा	455.60
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**4904.30**
अखिल भारत	181859.06

[हिन्दी]

जमीन-जायदाद के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

597. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जमीन-जायदाद के क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इसका जमीन-जायदाद बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) नीति के तहत, न्यूनतम कैपिटलाइजेसन आवश्यकता और प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत विकसित किये जाने वाले न्यूनतम क्षेत्र सहित प्रेस नोट 2(2005 सिरीज)

में अधिसूचित शर्तों के अध्यधीन आवास, वाणिज्यिक परिसरों, रिसोर्ट, शैक्षिक संस्थान, मनोरंजन सुविधाओं सहित निर्माण विकास परियोजना और क्षेत्र स्तरीय अवस्थापना, उपनगरों में ऑटोमेटिक रूट पर 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) के प्रावधान विशेष आर्थिक जोनों तथा होटलों एवं अस्पतालों की स्थापना और उन्हें चलाने पर भी लागू नहीं है। स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) के किसी भी अन्य कार्यकलाप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। प्रेस नोट 2 (2005 सिरीज) की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। अप्रैल 2006 से दिसंबर 2006 तक अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि 3612.50 करोड़ रुपए है।

विवरण

भारत सरकार

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

एस.आई.ए. (एफ.सी. प्रभाग)

प्रेस नोट 2 (2005)

विषय : नगर, आवास, निर्मित अवसंरचना और निर्माण-विकास परियोजनाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)

आर्थिक कार्यकलापों का सृजन करने, नए रोजगार के आवसर पैदा करने तथा उपलब्ध आवास इकाइयों एवं निर्मित अवसंरचना में वृद्धि करने हेतु एक साधन के तौर पर नगरों, आवास, निर्मित अवसंरचना और निर्माण-विकास परियोजनाओं में निवेश को प्रेरित करने की दृष्टि से, सरकार ने निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की शर्तों के अधीन, नगर, आवास, निर्मित अवसंरचना तथा निर्माण-विकास परियोजनाओं में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति देने का निर्णय लिया है (जिसमें शामिल होंगे आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसोर्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर तथा क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचनात्मक सुविधाएं: किन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा):

(क) प्रत्येक परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्रफल निम्न प्रकार होगा:

(i) सर्विस्ड हाउसिंग प्लाटों के विकास के मामले में, न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र

(ii) निर्माण-विकास परियोजनाओं के मामले में न्यूनतम 50,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र

(iii) मिश्रित परियोजना के मामले में, दोनों में से कोई भी शर्त पर्याप्त होगी।

(ख) इसके अलावा, निवेश्क निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:

(i) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर तथा भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्योगों के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर का न्यूनतम पूंजीकरण। कंपनी का कारोबार शुरू होने के छः महीनों के भीतर निधियां लायी जानी होंगी।

(ii) मूल निवेश का न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने से तीन वर्ष की अवधि से पहले प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, निवेश को एफ.आई.पी.एस. के जरिये सरकार से पूर्व अनुमोदन लेकर पहले भी अलग होने की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना का कम से कम 50 प्रतिशत भाग अवश्य विकसित होने चाहिए। निवेशक को अविकसित प्लाटों को बेचने की अनुमति नहीं होगी। इन दिशा निर्देशों के प्रयोजनार्थ "अविकसित प्लाट" का अर्थ होगा जहां पर सड़क, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, नालियां, सीवरेज तथा विनिर्दिष्ट विनियमों के तहत लागू दूसरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई हैं। यह आवश्यक होगा कि निवेशक इन आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करें तथा वह सर्विस्ड हाऊसिंग प्लाटों का निपटाने किए जाने की अनुमति दिए जाने से पूर्व संबंधित स्थानीय निकाय/सेवा एजेन्सी से पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।

(घ) परियोजना भवन नियंत्रण विनियमों, उपविधि, नियमों तथा संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय के अन्य विनियमों के अनुसार भूमि उपयोग अपेक्षाओं तथा सामुदायिक सुख सुविधाओं और सामान्य सुविधाओं की शर्तों तथा मानकों का अनुपालन करेगी।

(ङ) निवेशक सभी आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें भवन/योजना नक्शा, आन्तरिक विकास तथा वाह्य परिधीय क्षेत्रों और अन्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने विकास, वाह्य विकास तथा अन्य प्रभारों का भुगतान सम्मिलित हैं, और वह संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/ स्थानीय निकाय के अन्तर्गत लागू नियमों/उपविधि/विनियमों में यथा-निर्धारित अन्य सभी जरूरतों का अनुपालन करेगा।

(च) भवन/विकास योजना का अनुमोदन करने वाली संबंधित

राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन हेतु विकासकर्ता की मानीटरिंग की जाएगी।

2. दिनांक 21-5-2001 को सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट 4(2001 शृंखला) का पैरा (iv) तथा दिनांक 4-1-2002 को जारी प्रेस नोट 3(2002 शृंखला) को अधिक्रमित किया जाता है।

हस्ता/-

(उमेश कुमार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं. 5(6)/2000-एफसी

दिनांक 3 मार्च, 2005

[अनुवाद]

बायो-डीजल पर राष्ट्रीय मिशन में गैर-सरकारी संगठनों का भाग लेना

598. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बायो-डीजल पर राष्ट्रीय मिशन का विचार वन, सड़क, रेल, नहर की बांध तथा पंचायत की स्वामित्व वाली बंजर, अवक्रमित तथा सीमांत भूमि पर 'जटरोफा' तथा 'पोंगामिया' का पौधरोपण करने का है;

(ख) यदि हां, तो बायो-डीजल पर राष्ट्रीय मिशन ने राज्य-वार कितनी हैक्टेयर भूमि को इस उद्देश्य के लिए चिन्हित किया है;

(ग) क्या 'जटरोफा' तथा 'पोंगामिया' के वानिकी के लिए गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 'जटरोफा' तथा 'पोंगामिया' के वानिकी के संवर्धन हेतु तथा इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई गई/कराई जाने वाली निधियों के संबंध में आगे की कार्यवाही क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन के प्रदर्शन चरण के अंतर्गत जटरोफा और पोंगामिया का पौधरोपण सार्वजनिक बंजरभूमि पर किए जाने का प्रस्ताव है। यह अनुमान लगाया गया है कि बायो-डीजल के पौधों को रोपित करने के लिए 32.29 मिलियन हैक्टेयर बंजरभूमि उपयुक्त है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त श्रेणी-वार बंजरभूमि को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन के प्रदर्शन चरण के अंतर्गत पौधरोपण सार्वजनिक बंजरभूमि पर किया जाएगा, अतः इस अवस्था में गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) राष्ट्रीय बायो-डीजल मिशन के प्रस्तावित प्रदर्शन चरण, जिसमें नर्सरी तैयार करना, 5 लाख हैक्टेयर बंजरभूमि में पौधरोपण करना, अनुसंधान एवं विकास तथा जागरूकता, प्रचार-प्रसार, क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं, में 1304 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। शीघ्र आरंभ किए जाने वाले (किक स्टार्ट) कार्यक्रम के रूप में वर्ष 2005-06 के दौरान जटरोफा की नर्सरी तैयार करने के लिए चयन किए गए 9 राज्यों को 49 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य-वार जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है। शेष राज्यों में नर्सरी कार्यक्रम को जारी रखने के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

विवरण-I

बंजरभूमि एटलस/स्वामित्वाधिकार के अनुसार बंजरभूमि की श्रेणी	देश में कुल क्षेत्र (मि.है.)	किसी राज्य में न्यूनतम क्षेत्र मानदण्ड जो प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध है	राज्य
1	2	3	4
खड्डयुक्त/बीहड़ी-उथली श्रेणी 0.1/सामुदायिक (मुख्यतः सरकारी)	1.03	10,000 है. से अधिक	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (11 राज्य)

1	2	3	4
झाड़ी युक्त भूमि श्रेणी-04/ सामुदायिक (मुख्यतः सरकारी एवं पंचायती)	15.05	1 लाख या 0.1 मि.है. से अधिक	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल (18 राज्य)
झाड़ी रहित भूमि श्रेणी-05	3.74	1 लाख या 0.1 मि.है. से अधिक	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, (9 राज्य)
लवणीय/क्षारीय-अत्यंत कम श्रेणी-10/मुख्यतः निजी	0.41	5000 है. से अधिक	बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (5 राज्य)
झूम खेती-परित्यक्त श्रेणी-11/ सामुदायिक	1.22	0.1 मि.है. से अधिक	असम, मणिपुर, मिजोरम (3 राज्य)
अवक्रमित वन-झाड़ी युक्त श्रेणी-13/सरकारी	10.84	0.2 मि.है.	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु (12 राज्य)
योग	32.29		

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य छोटे पौधे (सैपलिंग) (करोड़ में)	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	गुजरात	1.50	4.50
2.	आन्ध्र प्रदेश	3.58	10.75
3.	छत्तीसगढ़	6.25	13.50
4.	राजस्थान	0.75	2.25
5.	हिमाचल प्रदेश	0.50	1.50
6.	तमिलनाडु	3.50	10.50
7.	सिक्किम	0.50	1.50
8.	असम	0.50	1.50
9.	त्रिपुरा	1.00	3.00
	योग	18.08	49.00

चालू ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए धनराशियां

599. श्री अनन्त नायक: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों को नव वर्ष के अवसर पर चालू ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए धनराशि दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ऐसे राज्य को ग्रामीण विकास

की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नव वर्ष के अवसर पर कोई निधि रिलीज नहीं की। तथापि, 29 दिसम्बर, 2006 को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए 21836.48 लाख रु. की राशि रिलीज की गई। इन निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

29 दिसम्बर, 2006 को विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को रिलीज की गई निधियां

राज्य	रिलीज की गई निधियां (रु. लाख में)
आन्ध्र प्रदेश	49.94
अरुणाचल प्रदेश	16.50
असम	24.62
छत्तीसगढ़	2195.37
गुजरात	431.50
हिमाचल प्रदेश	600.00
जम्मू-कश्मीर	136.94
कर्नाटक	2138.12
केरल	109.37
मध्य प्रदेश	4352.84
महाराष्ट्र	543.07
मणिपुर	82.02
उड़ीसा	952.51
राजस्थान	19.01
उत्तर प्रदेश	9257.30
पश्चिम बंगाल	928.37
कुल	21836.48

संपत्तियों का पंजीकरण

600. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अवैध निर्माण तथा संपत्तियों के स्वामित्व तथा उचित पंजीकरण पर निगरानी रखने के लिए इलेक्ट्रानिक आंकड़े तथा निगरानी तंत्र का प्रचलन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अवैध निर्माण तथा बेनामी संपत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए कौन-सा विद्यमान तंत्र है;

(घ) क्या सरकार के पास संपत्तियों के पंजीकरण के लिए धनराशि का स्रोत पता लगाने के लिए पैन कार्ड या आयकर विभाग के अन्य किसी दस्तावेज को आवश्यक करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो संपत्तियों की खरीद और बिक्री में धनराशि के स्रोत का पता लगाने के लिए क्या वैज्ञानिक विकल्प मौजूद है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) भूमि एवं भवन उप-नियम राज्य का विषय है, इसलिए आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) आयकर अधिनियम की धारा 139ए के साथ पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114बी की यह अपेक्षा है कि विशिष्ट लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों में व्यक्तियों को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना होगा। इसमें 5 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य वाली किसी भी स्थावर संपत्ति का विक्रय एवं क्रय शामिल है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम की धारा 285 बी ए के साथ पठित आयकर नियमावली के नियम 114ई की अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षा है कि संपत्ति के पंजीयक/उप-पंजीयक अपने यहां पंजीकृत 30 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य वाली किसी भी स्थावर संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय या विक्रय के संबंध में आयकर विभाग को एक वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करे। उस वर्ष के अप्रैल माह की पहली तिथि को या उसके बाद दर्ज किए गए विशिष्ट लेनदेनों के संबंध में वार्षिक सूचना विवरणी दायर किया जाना अपेक्षित है।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) को देखते हुए लागू नहीं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

601. श्री अधीर चौधरी:

श्री रघुराज सिंह शाक्य:

श्री हेमलाल मुर्मू:

श्री निखिल कुमार:

श्री गुरुदास दासगुप्त:

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

श्री मोहन सिंह:

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर:

श्री सुब्रत बोस:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पुनः विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संशोधित विनिवेश नीति तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस मामले पर विभिन्न राजनीतिक दलों के मत क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) राष्ट्रीय निवेश राशि में अब तक जमा की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा इसमें से कितना उपयोग हुआ है; और

(छ) प्रत्येक विनिवेशित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के भविष्य के संबंध में केन्द्र सरकार की क्रियान्वयन की तुलना में क्या नीति है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सरकार ने 6 जुलाई, 2006 को विनिवेश संबंधी समस्त निर्णयों और प्रस्तावों को और आगे पुनरीक्षा किए जाने तक आस्थगित रखने का निर्णय लिया है, जो अभी की जानी है। तीन विद्युत कंपनियों अर्थात् ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) और नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन.एच.पी.सी.) प्रत्येक ने पूर्व-निर्गम प्रदत्त इक्विटी पूंजी की 10% इक्विटी की सार्वजनिक पेशकश का प्रस्ताव किया है। सरकार पृष्ठारोहन के माध्यम से अपनी शेयरधारिता में से क्रमशः 10%, 5% तथा 5% शेयरधारिता की 'बिक्री की पेशकश' करेगी।

(च) आज तक राष्ट्रीय निवेश कोष में किसी धनराशि का उपार्जन नहीं हुआ है।

(छ) उपर्युक्त (क) से (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

602. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन राज्यों/स्थलों की पहचान की गई है;

(ग) क्या राज्यों के समक्ष भूमि अर्जन की समस्याएं आ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार इन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के स्थान को बदलकर इन्हें अन्य सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा उन किसानों को विशेष पैकेज देने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं जिनकी भूमि की इन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवश्यकता होगी?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी, हां। विद्युत मंत्रालय ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत लगभग 4000 मेगावाट प्रत्येक की नौ (9) कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पहल की है। इन परियोजनाओं को निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है:-

(i) मध्य प्रदेश की सीधी जिले में सासन गांव के निकट

(ii) गुजरात के कच्छ जिले में टुंडावांडा गांव के निकट

(iii) आंध्र प्रदेश के नैल्लोर जिले में कृष्णापटनम गांव के निकट

(iv) छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा जिले में अकलतारा गांव के निकट

(v) कर्नाटक के उत्तर कन्नड जिले में तादरी के निकट

(vi) महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में अम्बेरी/वाघोतन गांवों के निकट

(vii) उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भेड़ाबहल गांव के निकट

(viii) तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में चेय्यूर गांव के निकट और

(ix) झारखंड के हजारीबाग जिले में उत्तर-पूर्व तिलैया बांध के पास बाढ़ी क्षेत्र

(ग) से (च) कर्नाटक में तादरी कोस्टल मेगा पावर प्रोजेक्ट तथा महाराष्ट्र में गिरये अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के कार्य के विरुद्ध स्थानीय आंदोलन होने की जानकारी मिली है। तादरी परियोजना के मामले में कर्नाटक राज्य सरकार तथा गिरये परियोजना के मामले में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से अन्य उचित स्थानों पर परियोजना स्थानांतरित करने का अंतिम निर्णय लिया जाना है।

(छ) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा राष्ट्रीय पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति के नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके दिया जाएगा।

[हिन्दी]

आवास घोटाला

603. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी.बी.आई. को सौंपे गए आवास घोटाले से संबंधित मामलों की जांच हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सी.बी.आई. को मामला सौंपने से पहले प्रत्येक हाउसिंग सोसाइटी की कोई प्रारंभिक जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सहकारिता अभियान की भावना को कमजोर करने के उद्देश्य से सी.बी.आई. को मामला सौंपते समय चूक के कारण सी.बी.आई. द्वारा कुछ वास्तविक सोसाइटियों की भी जांच की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सी.बी.आई. द्वारा जांच के बाद पाई गई वास्तविक सोसाइटियों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) सी.बी.आई. द्वारा सहकारी समितियों के पंजीयक को सौंपे गए क्रियाविधि संबंधी उल्लंघनों पर पंजीयक द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) तथा सहकारी समिति रजिस्ट्रार (आर.सी.एस.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत 252 सहकारी समूह आवास सोसायटियों के मामले जांच हेतु सी.बी.आई. को भेजे गए हैं। सी.बी.आई. ने यह सूचित किया है कि 197 नियमित मामले पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 77 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है और एक मामला जांच पूरी हो जाने के बाद बंद कर दिया गया है। सी.बी.आई. ने यह भी बताया है कि शेष मामलों में जांच पूरी करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग) सहकारी समिति रजिस्ट्रार (आर.सी.एस.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि सी.बी.आई. को मामले भेजने के लिए न्यायालय के आदेशों के आलोक में मामले सी.बी.आई. को भेजने से पूर्व प्रत्येक आवासीय सोसायटी की कोई भी प्रारंभिक जांच नहीं की गई थी। सहकारी समिति रजिस्ट्रार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सी.बी.आई. ने एफ.आई.आर. दायर करने से पूर्व प्रारंभिक जांच की है।

(घ) से (छ) सी.बी.आई. ने यह सूचित किया है कि प्रारंभिक जांच के दौरान, 22 सोसायटियों जिन्हें डी.डी.ए. द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई थी, के संबंध में कोई अपराधिकता नहीं पाई गई। इन 22 समूह आवास सोसायटियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में है।

सी.बी.आई. ने यह भी बताया है कि 28 अन्य सोसायटियों के मामले में (10 सोसायटियों को भूमि आबंटित की गई थी और 18 को भूमि आबंटित नहीं की गई थी) कोई अपराधिकता नहीं पाई गई, लेकिन कुछेक प्रक्रियात्मक उल्लंघन पाए गए हैं,

जिनके लिए मामला सी.बी.आई. द्वारा सहकारी समिति रजिस्ट्रार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को उचित कार्रवाई जो भी उपयुक्त हो, करने के लिए भेजा गया है। इन 28 समूह आवास सोसायटियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सहकारी विभाग ने 40 सोसायटियों, जिन्हें डी.डी.ए. द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई थी (22 सोसायटियां, जहां सी.बी.आई. को कोई अपराधिकता नहीं पाई गई तथा 18 सोसायटियां, जहां सी.बी.आई. ने प्रक्रियात्मक उल्लंघनों की सूचना दी है), के मामलों की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि इनमें से अधिकतर सोसायटियां गत कई वर्षों से निष्क्रय/कार्य नहीं कर रही है, अतः माननीय उच्च न्यायालय के अनुमोदन से इन सोसायटियों को समाप्त करने के लिए डी.सी.एस. एक्ट, 2003 की धारा 96 के तहत कार्रवाई करने के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाए।

इसके अलावा, 10 सोसायटियों में से 7 के मामले में, जिन्हें भूमि आबंटित की गई है और जिनमें सी.बी.आई. ने प्रक्रियात्मक उल्लंघनों की सूचना दी है, उनकी कार्यप्रणाली में पाई गई अवैधानिकता तथा अनियमितता स्पष्ट करते हुए एक रिपोर्ट पहले ही सहकारी समिति रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को भेजी जा चुकी है और डी.सी.एस. एक्ट, 2003 और संगत नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विवरण-I

22 सोसायटियों की सूची, जिनमें सी.बी.आई. द्वारा प्रारम्भिक जांच में कोई अपराध नहीं पाया गया

क्र.सं.	सोसाइटी का नाम	रजिस्ट्रेशन नं
1.	अंजली वीमैन सी.जी.एच.एस. लि.	1433 जीएच
2.	बाबा नानक सी.जी.एच.एस. लि.	1443
3.	भानुभाष्कर सी.जी.एच.एस. लि.	1436
4.	बिहार बंधु सी.जी.एच.एस. लि.	940 जीएच
5.	सी.एस.आई.आर. सी.जी.एच.एस. लि.	994 एच
6.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, सी.जी.एच.एस. लि.	1256
7.	हरबंस लाल परवाना, सी.जी.एच.एस. लि.	1434
8.	जुबली सी.जी.एच.एस. लि.	1412
9.	कंवर सी.जी.एच.एस. लि.	1320
10.	मधुबन स्टेट सी.जी.एच.एस. लि.	1442
11.	नार्थ साउथ सी.जी.एच.एस. लि.	1447
12.	पदमिनी सी.जी.एच.एस. लि.	1282
13.	रेल मंत्रालय सी.जी.एच.एस. लि.	1086 जीएच
14.	रामजस सी.जी.एच.एस. लि.	1050
15.	साना सी.जी.एच.एस. लि.	1464 जीएच
16.	संत विवेकानन्द सी.जी.एच.एस. लि.	1445 जीएच
17.	श्री गुरुगोविन्द सिंह सी.जी.एच.एस. लि.	1431
18.	श्री शान्ति सागर सी.जी.एच.एस. लि.	1439
19.	द न्यू शिवानी सी.जी.एच.एस. लि.	1461 जीएच
20.	द विक्रमादित्य सी.जी.एच.एस. लि.	1453 जीएच
21.	यज्ञ ज्योति सी.जी.एच.एस. लि.	1458
22.	एस.को. सी.जी.एच.एस. लि.	1465

विवरण-II

28 सोसायटियों की सूची, जिनमें सी.बी.आई. द्वारा प्रारम्भिक जांच में कोई अपराध नहीं पाया गया किन्तु कुछ प्रक्रियात्मक उल्लंघन पाए गए हैं

क्र.सं.	सोसाइटी का नाम	रजिस्ट्रेशन नं.
1.	एंजल सी.जी.एच.एस. लि.	1438 जीएच
2.	भाग्यशाली, सी.जी.एच.एस. लि.	1456 जीएच
3.	भाई बानो, सी.जी.एच.एस. लि.	1457 जीएच
4.	केनंरा बैंक वर्कर, सी.जी.एच.एस. लि.	1467
5.	चारु लता, सी.जी.एच.एस. लि.	1440 जीएच

क्र.सं.	सोसाइटी का नाम	रजिस्ट्रेशन नं.
6.	जिनीयस, सी.जी.एच.एस. लि.	1444
7.	पतंजली, सी.जी.एच.एस. लि.	1452 जीएच
8.	प्रीति परिषद, सी.जी.एच.एस. लि.	1451 जीएच
9.	पुंज विहार, सी.जी.एच.एस. लि.	1198
10.	संजय विकास, सी.जी.एच.एस. लि.	1435
11.	संयुक्त, सी.जी.एच.एस. लि.	1257
12.	सन फ्लावर, सी.जी.एच.एस. लि.	1271
13.	स्वीट ड्रीम होम, सी.जी.एच.एस. लि.	1260
14.	जगजीवन, सी.जी.एच.एस. लि.	1312
15.	बंकर हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि. लि.	2125
16.	दिल्ली स्कूल टीचर्स, सी.जी.एच.एस. लि.	1078
17.	रत्नाकर रेलवे, सी.जी.एच.एस. लि.	1087
18.	तुगलकाबाद रेल कर्मचारी (मेरीन) सी.जी.एच.एस. लि.	1544
19.	नीस्ताद	1413
20.	ब्रह्म (विहार)	1410
21.	कंसल्टिंग इंजीनियर्स	1429
22.	झेलम अरोर वंश	1420
23.	हिमाचली	1418
24.	धन पतवार	1414
25.	आई.एस.आई., सी.जी.एच.एस. लि.	870
26.	रुप विला, सी.जी.एच.एस. लि.	1192
27.	वीणा, सी.जी.एच.एस. लि.	789
28.	सनमती, सी.जी.एच.एस. लि.	925

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा का विकास

604. श्री दुष्यंत सिंह: क्या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कम लागत पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) ऊर्जा के कम लागत वाले स्रोतों का विकास करने के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) नवीन और अक्षय ऊर्जा (एन.आर.ई.) प्रणालियां/युक्तियां धीरे-धीरे पारंपरिक ऊर्जा के प्रतिस्पर्धी अथवा लगभग प्रतिस्पर्धी हो रही हैं। ऐसी प्रणालियों को वहनीय, सुविधाजनक, विश्वसनीय और सुरक्षित बनाने के लिए भारत सहित विश्व भर में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास (आरडी एंड डी) का कार्य प्रगति पर है। इस मंत्रालय द्वारा ऐसे अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास संबंधी कार्यकलापों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देकर सुगम किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान नवीन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास के लिए प्राथमिकता वाले निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है:-

(i) सौर प्रकाशवोल्टीय सैलों की क्षमता को लागत अनुपात में बढ़ाना;

(ii) कुकिंग, रोशनी और मोटिव पावर के लिए लागत प्रतिस्पर्धी स्टैंड-अलोन नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रणालियां/युक्तियां;

(iii) निम्न पवन दशाओं के लिए मेगावाट पैमाने के पवन इलैक्ट्रिक जनरेटर;

(iv) विद्युत उत्पादन हेतु बायोमास एकीकृत गैसीकरण संयुक्त साइकिल प्रणालियां;

(v) परिवहन, पोर्टेबल और स्थैतिक अनुप्रयोगों हेतु वैकल्पिक ईंधन प्रणालियां;

(vi) परिवहन, पोर्टेबल और स्थैतिक अनुप्रयोगों हेतु हाईब्रिड इलैक्ट्रिक प्रणालियां; और

(vii) ग्रिड विद्युत युक्तियों सहित भंडारण युक्तियां।

(घ) योजना आयोग को प्रस्तुत इस मंत्रालय के 11वीं योजना दस्तावेज में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास हेतु 1500 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिकों की कार्य दशाएं

605. श्री रामदास आठवले: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत में वैज्ञानिकों की कार्य की दशाओं पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने तथा उन्हें आवश्यक सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयकर प्रतिदाय हेतु प्रतिदाय बैंकर योजना

606. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री रशीद मसूद:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करदाताओं को आयकर प्रतिदाय देने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा एक प्रतिदाय बैंकर योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना देश के सभी राज्यों में शुरू की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) आयकर विभाग ने एक नामोद्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा आयकर प्रतिदाय जारी किए जाने के लिए एक प्रतिदाय बैंकर स्कीम की शुरुआत की है जो कम्पनियों के शेयरों के 'इनीशियल पब्लिक ऑफर्स' (आई.पी.ओ.) में प्रतिदायों की प्रक्रिया के समान ही है। इस स्कीम के अंतर्गत, आयकर विभाग की राय पर प्रतिदाय बैंकर करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली अथवा बैंकर्स चेक के माध्यम से प्रतिदाय जारी करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्तमान में यह स्कीम प्रायोगिक-परियोजना आधार पर दिल्ली एवं पटना के चुनिन्दा मुख्य आयकर आयुक्तों के प्रभार में लागू की गई है। तीन महीने की अवधि वाली इस प्रायोगिक परियोजना की समाप्ति पर, सरकार इस स्कीम को देश के एक बड़े हिस्से में लागू करने पर विचार कर सकती है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

607. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री महावीर भगोरा:
श्री टेकलाल महतो:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री चन्द्रभान सिंह:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया तथा इस पर राज्य-वार कितना व्यय किया गया;

(ख) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा उक्त अवधि के दौरान क्या उपलब्धियां हासिल की गईं;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में इस योजना को पूर्णत: लागू करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों (बी.पी.एल.) को विद्युत क्नेक्शन देने के लिए राज्य सरकारों को कोई राजसहायता दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) 23-2-2007 की स्थितिनुसार वर्ष 2005-06 और 2006-07 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किये गये गांवों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। 23-2-2007 की स्थितिनुसार विद्युत मंत्रालय 3285.75 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी जारी कर चुका है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कथित अवधि के दौरान संवितरित राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) कार्यक्रम के आरंभ होने से अब तक ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य और उपलब्धियां वर्षवार नीचे दी गई है:-

क्रम सं.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि (विद्युतीकृत गांवों की संख्या)
1.	2005-06	10,000	9,819
2.	2006-07	40,000	20,743 (23-2-2007 तक)
	कुल	50,000	30,562

(ग) और (घ) जी हां। सभी गैर विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के लिए तथा देश में सभी ग्रामीण घरों तक विद्युत की पहुंच प्रदान करने के लिए भी भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाय) आरंभ की थी। इस कार्यक्रम के तहत फ्रैंचाईजी के माध्यम से ग्रामीण वितरण के प्रबंधन करने में पंचायती संस्थानों को सम्बद्ध किया जायेगा। आर.जी.जी.वी.वाय की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

- राज्यों को विद्युत की आपूर्ति हेतु पर्याप्त प्रबंध करने चाहिए और आपूर्ति के घंटों के संबंध में ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) नोडल एजेंसी है।
- फ्रैंचाईजी द्वारा जिम्मेदारियों के अनुसार सेवा प्रदान करने के संबंध में सलाहकारी क्षमता में निरीक्षक भूमिका पंचायत संस्थान को अदा करनी होगी।
- वे फ्रैंचाइजी की जिम्मेवारी भी निभा सकते हैं यदि उन्होंने संविदात्मक देयताओं को निभाने की क्षमता विकसित कर ली हो।

दूसरा, पंचायत को एक प्रमाणपत्र देना होता है कि गांव को ग्राम विद्युतीकरण की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत किया गया है।

(ङ) और (च) जी हां। आर.जी.जी.वी.वाय में गरीबी रेखा से नीचे अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण हेतु राज्य सरकारों को कुटिर ज्योति कार्यक्रम के मानकों के अनुसार 100% पूंजी सब्सिडी देने की परिकल्पना है। राज्य सरकारों को विद्युत कनेक्शन हेतु प्रति बी.पी.एल. घर 1500 रुपये की दर से पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

विवरण-I

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत राज्यवार ग्रामीण विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य	2005-06 के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या	2006-07 के दौरान 23-2-2007 विद्युतीकृत गांवों की संख्या	विद्युतीकृत गांवों की कुल सं. (कॉलम 3+4)
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	7503	12986	20489

1	2	3	4	5
2.	बिहार	1600	5012	6612
3.	पश्चिम बंगाल	352	1455	1807
4.	राजस्थान	230	618	848
5.	उत्तराखंड	87	672	759
6.	कर्नाटक	47	0	47
	कुल	9819	20743	30562

विवरण-II

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण के लिए आर.ई.सी. द्वारा राज्यवार वितरित राशि

क्रम सं.	राज्य	23-2-2007 के अनुसार वितरित राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	1659.28
2.	बिहार	427.69
3.	पश्चिम बंगाल	233.80
4.	कर्नाटक	134.32
5.	उत्तराखंड	106.58
6.	राजस्थान	105.41
7.	मध्य प्रदेश	104.66
8.	आंध्र प्रदेश	19.80
9.	छत्तीसगढ़	15.97
10.	हरियाणा	12.33
11.	गुजरात	9.77
12.	झारखंड	3.50
13.	उड़ीसा	3.50
	उप जोड़	**2836.61**
	बी.पी.एल. हेतु संवितरण	55.46
	कुल	2892.07*

*इसमें परियोजना लागत का 10% ऋण घटक शामिल है।

[अनुवाद]

सांग्ली बैंक का आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के साथ विलय

608. श्री गुरुदास दासगुप्त:

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सांग्ली बैंक का आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के साथ विलय करने को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमरीका अवसंरचना विकास परियोजना

609. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-अमरीका फोरम ने भारत में अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए एक कोष स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोष की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी हां, भारत-अमरीका सी.ई.ओ. फोरम ने 5 बिलियन अमरीकी डालर की राशि का एक अवसंरचना कोष स्थापित करने की सिफारिश की थी।

(ग) और (घ) जी हां, आई.डी.एफ.सी. और आई.आई.एफ. सी.एल. के साथ सिटी ग्रुप ने 2 बिलियन अमरीकी डालर के आरंभिक लक्ष्य के साथ 5 बिलियन अमरीकी डालर का बहु-परिसम्पत्ति कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ङ) और (च) जी हां, योजना की इक्विटी पूंजी लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर है और दीर्घावधि की ऋण वित्त पोषण व्यवस्था में 3 बिलियन अमरीकी डालर लगाने की योजना है जिसकी परिपक्वता अवधि दस वर्ष से अधिक होगी। इक्विटी वित्तपोषण कार्यक्रम का प्रबंध आई.डी.एफ.सी. द्वारा किया जाएगा और इसके द्वारा ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और चल रही अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। आई.डी.एफ.सी., सिटीग्रुप और ब्लैकस्टोन एक साथ मिलकर 250 मिलियन अमरीकी डालर निवेश करेंगे। शेष निवेश, विख्यात अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ-साथ आई.आई.एफ.सी.एल. सहित चयनित देशीय संस्थागत निवेशकों से आने की संभावना है। यह ऋण वित्तपोषण व्यवस्था आई.डी.एफ.सी. और कतिपय बैंकों/वित्तीय मध्यर्थों द्वारा पता लगाई गई परियोजनाओं हेतु आगामी तीन वर्षों में अनेक किस्तों में आई.आई.एफ.सी.एल. के माध्यम से की जाएगी।

राष्ट्रीय ऊर्जा कोष

610. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त राष्ट्रीय ऊर्जा कोष स्थापित करने का है जैसाकि दिनांक 5 फरवरी, 2007 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) स्वीकृत ऊर्जा नीति रिपोर्ट के पृष्ठ 104 (पैरा 5) पर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा कोष (एन.ई.एफ.) की स्थापना की अनुशंसा की गयी है। रिपोर्ट में परमाणु ऊर्जा को छोड़कर प्रारंभ में 1000 करोड़ रुपये के आबंटन का सुझाव दिया है। यह एकीकृत ऊर्जा नीति की रिपोर्ट में की गई कई अनुशंसाओं में से एक है जो भारत सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में सुधार

611. श्री मो. ताहिर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी. जी.वी.वाई.) तथा त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) में परिवर्तन करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जैसाकि दिनांक 20 जनवरी, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं का वर्तमान रूप में कार्यान्वयन करने से इनके मूल उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में परिवर्तन करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यद्यपि विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सिफारिशों/सुझावों के मद्देनजर 11वीं योजना के दौरान त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) को संशोधित नियम एवं शर्तों के साथ तथा "त्वरित विद्युत वितरण' , सुधार कार्यक्रम" नाम से केन्द्रीय क्षेत्र सहायता के साथ जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी नहीं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 में 10,000 गांवों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 9819 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा वर्ष 2006-07 में 23-2-2007 तक 28,743 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 39113 गांवों में पहले से ही फ्रेंचाइजी मौजूद हैं, जो राजस्व संवहनीयता के लिए किया गया है। फ्रेंचाइजियों की स्थापना से राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है।

ए.पी.डी.आर.पी. का मुख्य उद्देश्य सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों में कमी करना, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना, राजस्व संग्रहण तथा उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य वितरण कंपनियों की एटी एण्ड सी हानियां, जो 2001-02 में 38.86% थीं, वह 2004-05 में 33.83% हो गईं। शहर स्तर पर एटी एण्ड सी हानियां देश के 212 ए.पी.डी.आर.पी. वाले शहरों में 20% से कम हुई है, जिसमें से 169 शहरों में एटी एण्ड सी हानि 15% से भी कम हुई है। वितरण कंपनियों की समग्र वाणिज्यिक हानि (सब्सिडी को छोड़कर), जो 2001-02 में 29,331 करोड़ रुपये थी, वह 2004-05 में 22,129 करोड़ रुपये हो गई। (स्रोत: पी.एफ.सी.)

[अनुवाद]

वाणिज्यिक विद्युत संयंत्र

612. श्री असादूद्दीन ओवेसी:

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत के लिए एक बाजार का विकास करने के लिए वाणिज्यिक विद्युत परियोजनाओं (एम.पी.पी.) संकल्पना को लोकप्रिय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दिसम्बर, 2006 के दौरान मुम्बई में विद्युत पर अंतर-संस्था समूह (आई.आई.जी.) की एक बैठक हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें किन-किन मुद्दों की चर्चा की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां। मर्चेन्ट विद्युत संयंत्र विद्युत उद्योग के पुनर्गठन का ही एक उत्पाद है। गत समय में, यूटिलिटियों ने या तो उत्पादन सुविधाएं प्राप्त की या दीर्घावधि आधार पर विद्युत के क्रय हेतु स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई.पी.पी.) के साथ संविदा की। मर्चेन्ट विद्युत संयंत्र टेक और पे दीर्घावधि विद्युत क्रय करारों के द्वारा आबद्ध नहीं है और बाजार में विभिन्न निक को भरते हैं - कुछ पावरग्रिड को निरंतर आपूर्ति करते हैं जबकि अन्य केवल तभी उत्पादन करते हैं जब मांग अधिक होती है और व्यस्ततम लोड को पूरा करती है। प्रतियोगितात्मक रूप से प्रचलित होने वाले मर्चेन्ट विद्युत संयंत्र यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि विद्युत का उत्पादन दक्षता से हो और उन स्थानों को आपूर्ति की जाए जहां इसकी अधिक आवश्यकता है। पारेषण में खुली पहुंच और आगामी वर्षों में वितरण में खुली पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड में की जा रही अधिकताओं पर विचार करते हुए यह आशा करना उचित होगा कि 500 और 1,000 मेगावाट और अधिक की क्षमताओं के मर्चेन्ट विद्युत संयंत्रों को उपभोक्ताओं को विद्युत की व्हीलिंग हेतु पारेषण उपलब्धता पहुंच के लिए लगाया जा सकता है, जो कि सामान्यतया पूर्व निर्धारित नहीं है।

(ख) से (ङ) अन्तर संस्था समूह (आई.आई.जी.) की बैठक शीघ्र वित्तीय बंदी प्राप्त करने हेतु मानीटर की जा रहीं विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की प्राथमिक रूप से समीक्षा के लिए मुम्बई में 20 दिसम्बर, 2006 को हुई थी। इस बैठक में आई.आई.जी. परियोजनाओं पर नवीनतम विकास की समीक्षा के अलावा देश में मर्चेंट विद्युत संयंत्रों के विकास के लिए आवश्यकता पर इन वित्तीय संस्थानों को केवल सुग्राही बनाने के लिए एक प्रयास किया गया है और इसलिए इन प्रारम्भिक विचार-विमर्शों में किसी विशेष परिणाम की अपेक्षा नहीं की गई थी।

एफ.सी.एन.आर. ब्याज दर

613. श्री फ्रांसिस फैन्थमः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों ने हाल ही में विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफ.सी.एन.आर.) दरों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संशोधन से इन बैंकों में बैंक जमा राशि के बढ़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप देश में विदेशी मुद्रा भण्डार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) जमाराशियों पर ब्याज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। 31 जनवरी, 2007 को वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य की तीसरी त्रैमासिक समीक्षा की घोषणा के परिणामस्वरूप एन.आर.ई. और एफ.सी.एन.आर. (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 31 जनवरी, 2007 के परिपत्र के तहत संशोधित करके कम कर दी गयी है। 31 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार, भारत में कारोबार की समाप्ति के समय से सभी परिपक्वताओं की एफ.सी.एन.आर. (बी) जमाराशियों के संबंध में, बैंकों द्वारा ब्याज का भुगतान लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर संबंधित करेंसी/तदनुरूप परिपक्वताओं के लिए विनिमय (स्वैप) दरों की अधिकतम सीमा के अन्दर 25 आधार बिन्दु कम (28 मार्च, 2006 को कारोबार की समाप्ति के समय से प्रभावी लंदन अन्तर बैंक प्रस्तावित दर/विनिमय (स्वैप) दरों की तुलना में) पर किया जाना है। अस्थिर दर वाली जमाराशियों पर, ब्याज का भुगतान संबंधित करेंसी/परिपक्वता के लिए विनिमय दरों की अधिकतम सीमा के अंदर 25 आधार बिन्दु कम पर किया जाना है। अस्थायी दर वाली जमाराशियों के लिए, ब्याज दर की अवधि छः महीने है।

(ग) से (ङ) इसके फलस्वरूप देश में बैंक जमाराशियों और विदेशी मुद्रा भंडार पर इस संशोधन के प्रभाव की मात्रा इस समय नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

आई.सी.डी.पी. के लिए नोडल बैंक

614. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.) को चलाने के लिए एक नोडल बैंक से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन जिलों के लिए नोडल बैंक बनाने के क्या नियम हैं जहां के सहकारी बैंक भारी वित्तीय संकट तथा दिवालियापन का सामना कर रहे हैं;

(घ) आज की तारीख तक ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जहां के सहकारी बैंक आई.सी.डी.पी. योजना चलाने के लिए वित्तीय संकट तथा दिवालियापन का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) ऐसे जिलों में सरकार ने क्या प्रणाली बनाई है तथा गत दो वर्षों के दौरान उक्त प्रणाली के अंतर्गत क्या कार्य पूरे किए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हाई-टेक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा की स्थापना

615. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जर्मनी में एक हाई-टेक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा की स्थापना में भागीदारी के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना व्यय किया जाना है तथा इसके वित्तपोषण के स्रोत क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। भारत ने डर्मस्टैड्ट जर्मनी में प्रोटोन-रोधी और आयन अनुसंधान (एफ.ए.आई.आर.) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सुविधा में सदस्य बनने हेतु अपने उद्देश्य के लिए हाल ही में हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) चीन, रूस, यू.के., फ्रांस, स्पेन, पोलेंड, हंगरी, रोमानिया, स्वीडन, फिनलेंड और इटली सहित 13 अन्य देशों की भागीदारी से इस अन्तर्राष्ट्रीय सुविधा की स्थापना 10 वर्षों के लिए प्रचालन और अनुरक्षण लागत सहित सात वर्षों की अवधि के दौरान 2.7 बिलियन यूरो की कुल निर्माण लागत पर स्थापित की जानी है। एफ.ए.आई.आर. परियोजना में भारत की भागीदारी का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के दोहरे प्रयोग - अनुप्रयोगों की संभाव्यता से युक्त नाभिकीय इंजीनियरी प्रौद्योगिकी में तथा भारत की स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए नाभिकीय इंजीनियरी के प्रयोग में वैश्विक स्तर प्राप्त करना तथा पदार्थ की बुनियादी संरचना को समझने और कण-रोधी किरणपथों के उपयोग के लिए प्रयोग करना भी है।

(ग) भारत का उपस्करों आदि की आपूर्ति कर माल के रूप में लागत का 3% लगाने का इरादा है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा आपस में बांटा जायेगा।

[हिन्दी]

एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत बैंकों/ डाकघरों में खाते खोलना

616. श्री पंकज चौधरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के लाभार्थियों के लिए बैंकों तथा डाकघरों में खाते खोलने को सुगम बनाने की कोई योजना है ताकि वे अपनी मजदूरी सीधे ही अपने खाते में जमा करा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान राज्यों द्वारा किया जाना होता है। कुछ राज्यों ने लाभार्थियों को बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने की दृष्टि से बैंकों और डाकघरों के साथ ताल-मेल किया है और कुछ अन्य राज्य ऐसी संभावना की तलाश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत अर्जित भूमि के लिए मुआवजा

617. श्री अनिल बसु:

श्री अशोक अर्गल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम. जी.एस.वाई.) के लिए अर्जित भूमि के कारण प्रभावित व्यक्तियों/ पक्षों को मुआवजे का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) पी.एम.जी.एस.वाई. संबंधी कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है। उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 6.12 में बताया गया है कि पी.एम.जी.एस.वाई. योजना में भूमि अधिग्रहण के लिए निधियों का प्रावधान नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी लागत से भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। राज्य सरकार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक दान, आदान-प्रदान अथवा अन्य तंत्र के लिए भी दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकती है। इसीलिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि के बारे में क्षतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है।

पवन ऊर्जा परियोजनाएं

618. श्री बाडिगा रामकृष्णा:

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) देश में ग्रिड-इंटरएक्टिव पवन ऊर्जा परियोजनाओं/पवन फार्मों की स्थापना, सरकार से बिना किसी पूंजीगत सब्सिडी के, निजी क्षेत्र के निवेश के साथ वाणिज्यिक रूप से की जाती है। ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रस्तावों पर भारत सरकार से कोई अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। देश में अब तक 6270 मेवा. की कुल पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण के अलावा पवन इलैक्ट्रिक जनरेटर के कुछ संघटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से अर्जित आय पर दस वर्ष का कर-अवकाश, त्वरित मूल्यह्रास का लाभ जैसे राजकोषीय प्रोत्साहनों के माध्यम से वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने को बढ़ावा देती है।

विवरण

राज्यवार पवन विद्युत संस्थापित क्षमता
(दिनांक 31-12-2006 की स्थिति के अनुसार)

(मेगावाट में)

राज्य	कुल संस्थापित क्षमता
आन्ध्र प्रदेश	121.6
गुजरात	401.4
कर्नाटक	745.6
केरल	2.0
मध्य प्रदेश	54.9
महाराष्ट्र	1283.7
राजस्थान	440.8
तमिलनाडु	3216.1
पश्चिम बंगाल	1.1
अन्य	3.2
कुल	6270.4

[हिन्दी]

डिजिटल डाटा प्रस्ताव

619. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् कतिपय राज्यों विशेषतः मध्य प्रदेश से डिजिटल डाटा, नेटवर्किंग और पटवारी-ए-बस्ता तैयार करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर आज तक केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से पटवारी-इ-बस्ता के लिए 32.06 करोड़ रुपये की लागत का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि यह संघटक भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल नहीं है, अतः इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया था।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में खनन

620. श्री नवीन जिन्दल:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में खनन प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.) तथा एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन ब्यूरो ऑफ ओसियनॉलाजीकल इंजीनियरिंग द्वारा क्या सहयोग दिया गया है;

(ग) क्या सरकार को समुद्र तल में मिनरल-रिच पालिमैटेलिक नॉड्यूल्स की उपस्थिति का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे 'नॉड्यूल्स' के लिए समुद्र तल खनन हेतु कोई योजना तैयार या शुरू की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(च) क्या गहरे समुद्र में खनन करने की क्षमता रखने वाले गिने-चुने देशों में भारत भी शामिल हो गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय द्वारा विभिन्न चरणों में 6 किमी तक की जल गहराई के लिए उत्खनन प्रणाली का विकास करने की योजना बनाई गई है। गहरा समुद्र संस्तर उत्खनन कार्य पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तकनीकी शाखा राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.), चेन्नै, को सौंपा गया है। विकास के प्रथम चरण के रूप में, एन.आई.ओ.टी. ने 500 मी. तक की गहराई में कार्य करने में सक्षम प्रोटोटाइप

उथला संस्तर उत्खनन प्रणाली का डिजाइन तैयार कर इसे विकसित किया है। इस प्रणाली का 2006 के दौरान अरब सागर गोवा अपतट पर 451 मी. की गहराई में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। कलेक्टर और क्रशर के साथ एकीकृत उत्खनन मॉड्यूल के विकास का कार्य चल रहा है। 6 किमी. जल गहराई तक प्रचालन में सक्षम एक सुदूर प्रचालित पनडुब्बीनुमा यंत्र (रोसब-6000) को राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रयोगात्मक समुद्र विज्ञानी इंजीनियरी डिजाइन ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। रोसब-6000 के लिए समुद्र में चरणबद्ध तरीके से फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) समुद्र तल से बहु-धात्विक पिण्डिकाओं के उत्खनन के लिए इस स्तर पर योजना शुरू करना अभी किफायती नहीं है। इस समय समुद्र तल उत्खनन के लिए कोई योजना नहीं है। परन्तु पिण्डिकाओं से कीमती धातु निकालने के लिए के उत्खनन और प्रौद्योगिकी विकास संबंधी कार्यकलाप चल रहे हैं।

(च) और (छ) भारत संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि कन्वेंशन (यू.एन.सी.एल.ओ.एस.) के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण के निवेशक की श्रेणी के अंतर्गत समूह 'ख' का सदस्य है। पिण्डिकाओं से कीमती धातुएं निकालने के लिए गहरा समुद्र अन्वेषण तथा निष्कर्षण धातुकर्म के क्षेत्र में भारत की क्षमता विकसित राष्ट्रों के समकक्ष है। भारत गहरा समुद्र उत्खनन प्रौद्योगिकी के विकास में सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है।

परिसमापन के अधीन कंपनियां

621. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्टेक होल्डरों के हितों की रक्षा के लिए कंपनियों के परिसमापन की प्रक्रिया त्वरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परिसमापन के अधीन कंपनियों की संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे परिसमापन की प्रक्रिया को पूरा करने में औसतन कितना समय लगता है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता): (क) और (ख) जी, हां। कंपनी (द्वितीय) संशोधन अधिनियम, 2002 के अनुसार वर्तमान में परिसमापन, समामेलन इत्यादि से संबंधित कंपनी विधि बोर्ड (सी.एल.बी.), औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) एवं उच्च न्यायालयों द्वारा पूरे किए जाने वाले कार्यों एवं अधिकारों को इन विषयों पर न्यायनिर्णयन के लिए विशेषज्ञ मंच राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एन.सी.एल.टी.) एवं राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) जिन्हें पूर्णकालिक बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है, को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 को भी निरस्त किए जाने का प्रस्ताव है। इन उपायों से कंपनी कार्यों के परिसमापन एवं समापन की प्रक्रिया को तर्कसंगत एवं त्वरित बनाए जाने की संभावना है।

तथापि, उपरोक्त संशोधन अधिनियम पर कानूनी चुनौती एवं एन.सी.एल.टी./एन.सी.एल.ए.टी. के गठन को स्थगित रखने के लिए इस पर दिनांक 30 मार्च, 2004 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की तत्पश्चात् विनिर्णय के परिणामस्वरूप इसे अभी तक गठित नहीं किया गया है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में केन्द्र सरकार द्वारा विशेष अवकाश याचिका दायर की गई है जहां वर्तमान में यह मामला विचाराधीन है।

(ग) दिनांक 31-12-2006 को कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत 6600 कंपनियां परिसमापनाधीन थीं।

(घ) एक हाल के अध्ययन के अनुसार भारत में कंपनी परिसमापन की प्रक्रिया पूरी होने में औसतन लगभग 10 वर्ष लगते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक

622. श्री अनवर हुसैन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में एस.बी.आई. की शाखाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	राज्य का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	असम	217
2.	अरुणाचल प्रदेश	42
3.	मेघालय	86
4.	मणिपुर	18
5.	मिजोरम	26
6.	नागालैण्ड	43
7.	त्रिपुरा	34
	कुल	466

एस.बी.आई. ने यह भी सूचित किया है कि म्यांमार, बंग्लादेश और भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव बैंक के पास लंबित नहीं है, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकार पत्र दिया है।

तदर्थ/अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

623. **श्री नरहरि महतो:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एककालिक उपाय के रूप में लंबित मामलों को निपटाने के मद्देनजर उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में तदर्थ/अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 224 के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

[हिन्दी]

आय से अधिक संपत्तियों पर आयकर विभाग का छापा

624. **श्री रशीद मसूद:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान आज तक केन्द्र सरकार द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखने वाले व्यक्तियों और फर्मों पर डाले गए आय कर छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गए छापों में कुल कितनी नकद राशि और अन्य सम्पत्तियां जब्त की गयी;

(ग) विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष जब्त राशि और सम्पत्तियों में बढ़ोतरी/कमी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार भविष्य में इस कदाचार को रोकने के लिए ऐसी सम्पत्ति रखने वाले व्यक्तियों के लिए दण्डात्मक कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) आयकर विभाग कर अपवंचन को रोकने एवं काले धन का पता लगाने के लिए जिसमें असीमित परिसंपत्तियों के मामले भी शामिल हैं, उचित मामलों में तलाशी एवं जब्ती कार्यवाहियां करता है। वित्त वर्ष 2006-07 (जनवरी, 2007 तक) के दौरान, 2659 तलाशी वारंट निष्पन्न किए गए थे जिनमें 142.40 करोड़ रुपए की नकदी सहित 286.89 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियां जब्त की गई थीं।

(ग) पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान की गई तलाशी एवं जब्ती कार्यवाहियों के विवरण निम्नलिखित हैं:-

वित्त वर्ष	निष्पन्न किए गए तलाशी वारंटों की संख्या	जब्त की गई परिसंपत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपए में)
2004-05	2377	202.27
2005-06	3364	351.69

(घ) और (ङ) ऐसा व्यक्ति जिसके पास तलाशी के दौरान अप्रकटित परिसंपत्तियां पाई जाती हैं, उस पर अर्थदंड एवं अभियोजन चलाया जाता है। वित्त विधेयक, 2007, कर निर्धारण वर्ष जिसके लिए तलाशी की तिथि को अथवा इसके पूर्व आय की विवरणी देय नहीं थी, के लिए अर्थदंड के अधिरोपण से संबंधित उपबंधों को तर्कसंगत बनाने का प्रावधान करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना

625. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) हैदराबाद के एक केन्द्र गांधीनगर/जामनगर में स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आवासीय इकाइयों का निर्माण

626. चौ. मुनव्वर हसन: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आई.एस.डी.पी. और जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजनाओं के अंतर्गत आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी, हां।

उत्तर प्रदेश सरकार से एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) तथा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बी.एस.यू.पी.) [जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत] के तहत सरकार को प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

स्कीम	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रु. में)
बीएसयूपी	6	106.36	5	82.13
आईएचएसडीपी	53	63.55	8	29.01

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत राज्य की परियोजनाओं की स्वीकृति का समय, उस राज्य को राशियों के नियतन और जे.एन.एन.यू.आर.एम. दिशानिर्देशों के अनुपालन पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत प्रशिक्षण और प्रशासन हेतु अपर्याप्त धनराशि

627. डा. बाबू राव मिडियम: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) कार्यक्रम की प्रगति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तथा परियोजनाओं की तैयारी इत्यादि हेतु उचित प्रशासनिक तंत्र की कमी के कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रशिक्षण और प्रशासन के लिए आबंटित धनराशि अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार प्रशासनिक व्यय को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के प्रयास जारी हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। प्रशासनिक व्यय को 2 प्रतिशत से

बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने संबंधी प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

अवसंरचना संबंधी समिति का गठन

628. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अवसंरचना संबंधी एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के कौन-कौन सदस्य हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत की अवसंरचना के लिए पर्याप्त दीर्घावधि वित्त सृजित करने के लिए उपाए सुझाने हेतु 26 दिसम्बर, 2006 को श्री दीपक पारेख, अध्यक्ष, एच.डी.एफ.सी. की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। समिति का गठन इस प्रकार है:-

(क) श्री दीपक पारेख, अध्यक्ष, एच.डी.एफ.सी.

(ख) श्री टी.एस. भट्टाचार्या, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक

(ग) श्री एस.एस. कोहली, सी.एम.डी., आई.आई.एफ.सी.एल.

(घ) श्री संजय नायर, सी.ई.ओ.-इण्डिया, सिटी बैंक

(ङ) सुश्री चन्दा कोचर, उप प्रबंध निदेशक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड

(च) श्री हेमेन्द्र कोठारी, अध्यक्ष डी.एस.पी. मेरिल लिंच

(छ) श्री राजीव लाल प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ., आई.डी.एफ.सी. लिमिटेड

विचारार्थ विषय:

यह समिति भारत में अवसंरचना वित्तपोषण की मौजूदा प्रणालियों का अवलोकन करेगी और मध्यावधि में अवसंरचना के निजी वित्तपोषण का परिदृय्य विकसित करेगी। यह समिति ऋण वित्तपोषण, उप ऋण वित्त पोषण, इक्विटी पूंजी; और पूंजी के मध्यम और अन्य अर्द्ध इक्विटी श्रेणियों सहित विभिन्न प्रकार की पूंजी की आवश्यकता की पहचान करेगी और अनुमान लगाएगी। यह अवसंरचना विकास के लिए देशीय बैंकिंग प्रणाली से दीर्घकालिक वित्तपोषण की व्यवस्था के लिए विद्यमान चुनौतियों और संभावनाओं का मूल्यांकन भी करेगी। यह समिति, पाटिल समिति रिपोर्ट की संगत सिफारिशों का विश्लेषण करेगी और आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन करेगी। यह अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भविष्य निधियों और बीमा कंपनियों की क्षमता बढ़ाने के लिए उपायों का सुझाव देगी। यह अवसंरचना विकास के लिए गैर ऋण पूंजी की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए विद्यमान विनियमों और नीतियों में परिवर्तनों की सिफारिश भी करेगी।

(ग) और (घ) समिति ने 8 फरवरी, 2007 को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च, 2007 तक आने की आशा है। समिति ने अपनी अनन्तिम रिपोर्ट में विभिन्न उपायों का प्रस्ताव किया है जिनको निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(क) घरेलू ऋण पूंजी बाजार का विकास

(ख) बीमा क्षेत्र की संभावना खोजना

(ग) अवसंरचना वित्तपोषण में बैंकों और एन.बी.एफ.सी. की भागीदारी को युक्ति युक्त बनाना

(घ) राजकोषीय सिफारिशें

(ङ) अवसंरचना में इक्विटी प्रवाह को सुविधाजनक बनाना।

(च) अवसंरचना में विदेशी निवेश को बढ़ाना।

(छ) विदेशी मुद्रा भंडारों का इस्तेमाल करना।

(ङ) समिति की अन्तिम रिपोर्ट आने पर ही सिफारिशें कार्यान्वित करने के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी और समय-सीमा निर्धारित की जा सकेगी।

[हिन्दी]

पी.एम.जी.एस.वाई. हेतु धनराशि की कमी

629. श्री जय प्रकाश (मोहनलालगंज): क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना धनराशि की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु): (क) और (ख) जी, नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी. एस.वाई.) के कार्यान्वयन के लिए निधियों की कोई कमी नहीं है। पी.एम.जी.एस.वाई. कार्यों का वित्तपोषण केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम, 2002 (2000 का अधिनियम 54) के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के लिए हाईस्पीड डीजल पर लगाए गए उपकर के 50% हिस्से से किया जा रहा है। 2004-05 से विश्व बैंक (399.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तथा एशियाई विकास बैंक (400 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दो ऋण) से अतिरिक्त निधियां ली गई हैं। विश्व बैंक से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक अन्य ऋण उधार लेने के बारे में वार्ता चल रही है। कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के अंतर्गत अलग से एक विंडो भी बनाई गई है।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. इंजीनियरों द्वारा समय से पूर्व सेवानिवृत्ति

630. श्री बालेश्वर यादव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. के इंजीनियर निजी क्षेत्र में जा रहे हैं और कुछ अनुभवी इंजीनियर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के लिए आवेदन कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के अनुभवी इंजीनियर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं। सरकार को ऐसे इंजीनियरों के जाने के गन्तव्य स्थान की सूचना नहीं है।

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पांच इंजीनियरों ने गत वर्ष स्वैच्छा सेवानिवृत्ति मांगी थी।

[अनुवाद]

कमजोर वर्गों के लिए आवास सुविधा

631. श्री बची सिंह रावत "बचदा":

श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में आवास की कमी को पूरा करने के लिए इस योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कितने मकानों का निर्माण किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां।

सरकार ने शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा कार्यक्रम (बी.एस.यू.पी.) के तहत 63 चुनिंदा शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवास एवं अवस्थापनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने में शहरों एवं कस्बों की सहायता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) शुरू किया है। मिशन में शामिल नहीं किये गये शहरों में आवास एवं स्लम उन्नयन कार्यक्रम चलाने के लिए समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) शुरू किया गया है। बी.एस.यू.पी. एवं आई.एच.एस.डी.पी. - दोनों ही कार्यक्रमों को दिसंबर, 2005 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. दोनों के तहत संभावित रूप से निर्माण किए जाने वाले आवासों की संख्या स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने तथा वास्तविक वार्षिक बजट नियतन पर निर्भर करेगा।

विद्यार्थियों के लिए बीमा और ऋण योजना

632. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यावसायिक बैंकों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए कोई बीमा और ऋण योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितना ऋण स्वीकृत किया गया;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक विद्यार्थी जटिल प्रक्रिया और लाल फीताशाही के कारण अपना ऋण प्राप्त करने में कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लाल फीताशाही को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) कुछ बैंकों ने बीमा कंपनियों के सहयोग से शिक्षा ऋण के साथ विभिन्न प्रकार के बीमा कवर प्रदान किए हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (यथा उपलब्ध) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए बकाया शिक्षा ऋण के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) आदर्श शिक्षा ऋण योजना, 2004, दिए गए परियोजना को परिचालित करने के लिए बैंकों को व्यापक मार्ग-निर्देश उपलब्ध कराती है और क्रियान्वयनकर्ता बैंक के पास इसे अधिक ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए छात्रों/अभिभावकों की सुविधा अनुरूप इसमें परिवर्तन करने का विवेकाधिकार होगा। भारतीय बैंक संघ ने, बैंकों से इस योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण मंजूर न किए जाने के संबंध में विशेष शिकायत, यदि कोई हो, की जांच की जाती है और उपचारी कदम उठाये जाते हैं।

विवरण

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया राज्य-वार बकाया शिक्षा ऋण

(रु. 000's)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	790875	1205843	2113724
2.	हिमाचल प्रदेश	147294	254752	484087
3.	जम्मू-कश्मीर	142178	224534	405444
4.	पंजाब	1016059	1699436	2789284
5.	राजस्थान	895560	1279185	2248852
6.	चंडीगढ़	236626	436805	785807
7.	दिल्ली	2121913	3382972	4603495
8.	असम	166670	243790	465220
9.	मणिपुर	9307	23690	63000
10.	मेघालय	25557	36065	53392

1	2	3	4	5
11.	नागालैंड	491	5930	9860
12.	त्रिपुरा	10726	37707	34049
13.	अरुणाचल प्रदेश	10157	2618	5971
14.	मिजोरम	8606	10659	21106
15.	सिक्किम	4928	39441	25423
16.	बिहार	695009	931302	1722950
17.	झारखंड	400933	735264	1404471
18.	उड़ीसा	647104	1180071	2396694
19.	पश्चिम बंगाल	1390760	2081355	3742342
20.	अंडमान एवं निकोबार	4091	6476	16999
21.	मध्य प्रदेश	1592994	2385941	4553364
22.	छत्तीसगढ़	321204	365084	743886
23.	उत्तर प्रदेश	2632056	3326970	6116626
24.	उत्तरांचल	323792	535292	986830
25.	गुजरात	1424956	3696349	4008291
26.	महाराष्ट्र	4385413	5763658	10352276
27.	दमन एवं दीव	677	2364	4420
28.	गोवा	109147	189445	290093
29.	दादर एवं नागर हवेली	0	1478	7315
30.	आन्ध्र प्रदेश	8807087	13523213	20142524
31.	कर्नाटक	4030333	5518371	8894022
32.	केरल	4694537	7570622	13716568
33.	तमिलनाडु	6770263	10014120	18589892
34.	पांडिचेरी	109458	232358	394927

1	2	3	4	5
35.	लक्षद्वीप	7205	163	649
	कुल	43933966	66943323	112193853

महाराष्ट्र के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत परियोजनाएं

633. **श्री मिलिन्द देवराः** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत 12 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने/शुरू होने की संभावना है;

(घ) भाग (क) में उल्लिखित परियोजनाओं के अलावा मिडिल वैतरणा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फेज-IV सहित कौन-कौन सी बड़ी परियोजनाएं शीघ्र स्वीकृति हेतु सक्रियतापूर्वक विचाराधीन हैं;

(ड) इन्हें सरकार से कब तक स्वीकृति मिलने की समावना है;

(च) इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है; और

(छ) इसके परिणामतः महाराष्ट्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिनांक 3-12-2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की शुरूआत से अब तक महाराष्ट्र में 420147.00 लाख रुपए लागत की 41 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं।

(ग) इन परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि 2 से 5 वर्ष है और ये टेन्डरिंग/चालू होने के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(घ) से (च) महाराष्ट्र के संबंध में परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(छ) इस मिशन में प्रस्तुत परियोजनाएं महाराष्ट्र में मिशन के तहत शामिल शहरों की अवस्थापना सुविधाओं में सुधार होगा।

विवरण-I

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)

महाराष्ट्र में अनुमोदित परियोजनाएं (23-02-06) के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	शहर	सेक्टर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु.)	अनुमत्य केन्द्रीय अंश (लाख रु.)	जारी करने के लिए अनुमोदित केन्द्रीय अंश (लाख रु.)	जारी केन्द्रीय अंश (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	ड्रेनेज/वर्षाती पानी नाली	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास परियोजना फेज-II	11659.00	4080.65	405.65	405.65
2.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	ड्रेनेज/वर्षाती पानी नाली	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-I	9239.00	3233.65	808.41	83.75
3.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	अन्य शहरी परिवहन	थाणे रेलवे प्रणाली क्षेत्र यातायात सुधार स्कीम	2325.00	813.75	203.44	203.44
4.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओवी	ईस्टर्न फ्री-वे-प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से ए.पी.एल.आर.-एम.यू.आई.पी.	33638.80	11773.58	588.68	588.68
5.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओवी	सहार रोड पर भूमोपरि सड़क-एम.यू.आई.पी.	15513.34	5429.669	542.97	542.97
6.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	मुंबई सीवरेज निपटान परियोजना चरण-II प्राथमिकता कार्य	36447.00	12756.45	1505.00	1505.00
7.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जल आपूर्ति	थाणे की अतिरिक्त 100 एम.एल.डी. जलापूर्ति स्कीम की डी.पी.आर.	7118.00	2491.3	249.25	249.13
8.	महाराष्ट्र	नागपुर	सड़क/फ्लाईओवर/आरओवी	मार्गोपरि सेतु (आरओबी)	8628.00	4314	1079.00	1079.00

9.	महाराष्ट्र	नागपुर	सड़क/फ्लाईओवर/ आरओवी	आनन्द टाकीज के निकट पुल के नीचे सड़क का निर्माण	1828.65	914.325	0	0
10.	महाराष्ट्र	नागपुर	सड़क/फ्लाईओवर/ आरओवी	मसकासत में पुल के ऊपर सड़क निर्माण	253.00	126.5	0	0
11.	महाराष्ट्र	नागपुर	सड़क/फ्लाईओवर/ आरओवी	एतवारी में पुल के ऊपर सड़क का निर्माण	900.80	450.4	0	0
12.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति	पेंच जलाशय से पानी उठाना और नहर की बजाय मोटर लाइन से एमएस पाईप द्वारा महादुल्ला तक ले जाना	14463.70	7231.85	1807.96	1800.00
13.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति	नागपुर शहर में जल आपूर्ति वितरण तंत्र का विस्तार और उन्नयन	3793.00	1896.5	474.12	474.12
14.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति के लिए ऊर्जा ऑडिट परियोजनाएं	2503.62	1251.81	312.95	312.95
15.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति	जल सेक्टर (रीसाव पता लगाना)	329.77	164.885	41.22	41.22
16.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति	जल ऑडिट परियोजना	2500.00	1250	312.50	312.50
17.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति पेंच IV (भाग-2)	6196.00	3098	774.50	774.50
18.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति पेंच IV (भाग-3)	8059.27	4029.635	1007.38	1007.38
19.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति पेंच IV (भाग-4)	10460.68	5230.34	1307.58	1307.58
20.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति	कान्हन आवर्द्धन स्कीम	8217.00	4108.5	1027.12	1027.12
21.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आपूर्ति	वेस्ट वाटर का रीसाइकिल और उनर्युपयोग	13011.00	6505.5	813.00	813.00
22.	महाराष्ट्र	नांदेड	विरासत क्षेत्र का विकास	नदी मुहाना विकास उत्तरी किनारा जोन-3	4313.08	3450.464	0	0
23.	महाराष्ट्र	नांदेड	सड़क/फ्लाईओवर/ आरओवी	नादेड़ में शहरी सड़कों का सुधार (पैकेज-I)	6108.55	4886.84	1221.71	1221.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	महाराष्ट्र	नांदेड	सड़क/फ्लाईओवर/ आरओवी	नादेड में आवागमन तंत्र का सुधार, पैकेज-II, III और III बी सड़कें	21497.33	1717.86	4299.47	4299.47
25.	महाराष्ट्र	नांदेड	सीवरेज	उत्तरी नादेड जोन-1 में सीवरेज प्रणाली	4025.00	3220	805.00	805.00
26.	महाराष्ट्र	नांदेड	सीवरेज	उत्तरी नादेड जोन-2 में सीवरेज प्रणाली	4889.00	3911.2	978.00	977.75
27.	महाराष्ट्र	नांदेड	सीवरेज	उत्तरी नादेड जोन-3 में सीवरेज प्रणाली	3931.00	3144.8	786.25	786.25
28.	महाराष्ट्र	नांदेड	सीवरेज	भूमिगत सीवरेज और सीवेज शोधन (नांदेड दक्षिण)	4093.00	3274.4	818.60	818.60
29.	महाराष्ट्र	नांदेड	जल आपूर्ति	उत्तरी नादेड में जल आपूर्ति सुधार	9087.00	7269.6	1818.00	1817.50
30.	महाराष्ट्र	नांदेड	जल आपूर्ति	नादेड (दक्षिण) के लिए जल आपूर्ति	4945.00	3956	989.00	989.00
31.	महाराष्ट्र	नासिक	सीवरेज	नासिक शहर फेज-I के लिए भूमिगत सीवरेज परियोजना	14846.00	7423	648.00	648.00
32.	महाराष्ट्र	नासिक	कचरा प्रबंधन	नासिक के लिए कचरा प्रबंधन	5999.23	2999.615	690.00	690.00
33.	महाराष्ट्र	नासिक	जल आपूर्ति	जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए चालू कार्य	5052.00	2526	631.50	631.50
34.	महाराष्ट्र	पुणे	ड्रेनेज/वर्षाती पानी नाली	सीवेज शोधन संयंत्रों और पंपिंग स्टेशन का आवर्द्धन और उन्नयन	8613.00	4306.5	1076.60	1076.60
35.	महाराष्ट्र	पुणे	ड्रेनेज/वर्षाती पानी नाली	प्राकृतिक जलाशयों की प्रदूषण से रोकथाम के लिए नालियों का निर्माण और सुधार और पुणे के साथ-साथ विरासत स्थलों का विकास (मुल्ला मुथा नदी इकोज पर्यावरणीय बहाली/संरक्षण)	9996.00	4998	1249.50	1249.50

36.	महाराष्ट्र	पुणे	ड्रेनेज/वर्षाती पानी नाली	पुणे में सीवरेज और जल निकासी निपटान प्रणाली का नवीकरण और प्रबंधन (वेरीज का आवर्द्धन झीलों की बहाली बायोमेडिटेशन और नाला तथा निदयों का भूदृश्यांकन)	9778.00	4889	1222.25	1222.25
37.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत-जन परिवहन प्रणाली	सड़क तंत्र और शहरी परिवहन	6232.00	3116	779.00	779.00
38.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत-जन परिवहन प्रणाली	पुणे शहर के लिए बस रेपिड ट्रांजिट (फेज-I)	47615.50	23807.75	937.50	937.50
39.	महाराष्ट्र	पुणे	सीवरेज	पींपरी चिंचवाड़ के लिए सीवरेज प्रस्ताव	11938.88	5969.44	1492.36	1492.36
40.	महाराष्ट्र	पुणे	कचरा प्रबंधन	पींपरी चिंचवाड़ कचरा प्रबंधन	4240.80	2120.4	530.10	530.10
41.	महाराष्ट्र	पुणे	जल आपूर्ति	पींपरी चिंचवाड़ जलापूर्ति प्रस्ताव (4 अदद)	35862.00	17931	2500.00	2500.00
				कुल (लाख रु.)	420147.00	211549.163	36733.57	36000.08

विवरण-II

महाराष्ट्र के संबंध में मूल्यांकनाधीन जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजनाएं

क्र.सं.	शहर का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु.)	वर्तमान स्थिति
1.	नागपुर	बाहरी रिंग रोड	6453.00	मूल्यांकनाधीन
2.	नागपुर	यातायात सुधार और प्रबंधन	460.00	मूल्यांकनाधीन
3.	नासिक	यातायात सुधार और प्रबंधन	665.00	मूल्यांकनाधीन
4.	पुणे	शहरी अवस्थापना परियोजनाएं	47684.00	मूल्यांकनाधीन
5.	ग्रेटर मुंबई	मीठी नदी और उसके आसपास विकास तथा संरक्षण के लिए कार्य योजना	70629.00	ई.एफ.सी. को प्रस्तुत करने के लिए अन्य मंत्रालयों को परिचालित किया जा रहा है।
6.	ग्रेटर मुंबई	मुंबई के लिए मध्य वैतरणा जल आपूर्ति परियोजना (फेज-IV)	132950.00	अनुमोदन के लिए सी.सी.ई.ए. को प्रस्तुत और 22-02-07 को हुई सी.सी.ई.ए. की बैठक में इस पर विचार किया गया। बैठक के कार्यवृत्त अपेक्षित है।
		कुल	264841.00	

[हिन्दी]

अनधिकृति कालोनियों को नियमित करना

634. श्री गिरधारी लाल भार्गव:

श्री जुएल ओराम:

श्री रामदास आठवले:

श्री रघुराज सिंह शाक्य:

श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

श्रीमती किरण माहेश्वरी:

चौ. मुनव्वर हसन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई नीति तैयार की गयी है/की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन के बारे में एक प्रस्ताव 8-2-2007 को अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार, अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के विस्तृत दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

शेयर बाजार में पेंशन निधि का निवेश

635. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री चन्द्रभूषण सिंह:

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

श्री एम. अप्पादुरई:

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

श्री गुरुदास दासगुप्त:

श्री पी. राजेन्द्रन:

श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 'नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के अन्तर्गत जमा राशि के कुछ भाग को शेयर बाजार में निवेश करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 23 जनवरी, 2007 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों की इस मामले में प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या निवेश के क्षेत्रों व पद्धति को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेयर बाजार में निवेश की गयी राशि से अंशदाताओं को लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) केन्द्र सरकार की सेवाओं में भर्ती किए जाने वाले नए कर्मचारियों (प्रथम चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए नई पेंशन योजना (एम.सी.एस.) दि. 01-01-04 से लागू है। एन.पी.एस. के तहत संचित राशि लोक खाते में जमा की जा रही है। इन जमाराशियों के लिए समुचित निवेश व्यवस्था पर निर्णय लेने हेतु राज्य सरकारों के साथ परामर्शों सहित अनेक उपाय आरंभ किए गए हैं।

दि. 22 जनवरी, 2007 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पेंशन सुधारों के विषय पर केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा को छोड़कर अधिकांश राज्यों ने प्रस्तावित अंतरिम निवेश व्यवस्था का समर्थन किया।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा अंशदाताओं की निधियों के निवेश के परिचालन हेतु की जाने वाली व्यवस्था के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जाना है। व्यवस्था को अंतिम रूप देते समय इस बात का सुनिश्चय करने हेतु भी कदम उठाए जाएंगे कि निधियों का निवेश अंशदाताओं के लाभ हेतु किया जाए।

[हिन्दी]

सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जा

636. श्री काशीराम राणा:

श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार अति विशिष्ट व्यक्ति (वी.आई.पी.) और सामान्य श्रेणी के अनाधिकृत कब्जे में कितने सरकारी आवास हैं; और

(ख) इन आवासों को खाली करवाने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) महोदय, अद्यतन स्थिति के अनुसार विशिष्ट व्यक्ति (वी.आई.पी.) और सामान्य श्रेणी में 782 (सात सौ बयासी) सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जा है।

(ख) सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार मकान को खाली करवाने के लिए इन अनधिकृत दखलकारों के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

[अनुवाद]

दिल्ली में विद्युत की पारेषण और वितरण हानि

637. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एन.डी.एम.सी. क्षेत्र और शेष दिल्ली में विद्युत की पारेषण हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एन.डी.एम.सी. के क्षेत्र में कम विद्युत दरों की वजह से पारेषण हानि और चोरी कम होती है; और

(ग) यदि हां, तो शेष दिल्ली शहर में एन.डी.एम.सी. के समान विद्युत दर न रखने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एन.डी.एम.सी.) में वर्ष 2005-06 के लिए अनुमोदित, पारेषण एवं वितरण (टी एंड डी) हानियां 11.50% हैं। संबंधित वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वर्ष 2005-06 के लिए औसत तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	वितरण कंपनी का नाम	एटी एंड सी हानियां (%)
1.	नॉर्थ दिल्ली पावर लि.	26.52
2.	बी.एस.ई.एस. राजधानी पावर लि.	35.53

(ख) पारेषण हानियां तकनीकी कारणों यथा वितरण प्रणाली की स्थिति एवं मजबूती पर निर्भर करती है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में चारी कम है, जिसके लिए किसी कारण विशेष यथा कम विद्युत दरों को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में कम बिजली चोरी के अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे बेहतर उपभोक्ता समूह, कुशल राजस्व संग्रह आदि।

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न लाइसेंसियों द्वारा दिल्ली में विद्युत वितरण के लिए टैरिफ का निर्धारण करने के लिए अधिकृत है। बिजली टैरिफ का निर्धारण समग्र विद्युत खरीद लागत, डिस्कॉम का प्रचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन अर्थात् एटी एंड सी हानि स्तर, प्रचालनात्मक व्यय, प्रणाली उन्नयन/विस्तार आदि के लिए पूंजी निवेश पर निर्भर करता है। इन सभी कारणों से एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में शेष दिल्ली से भिन्न टैरिफ दरें हैं।

ए.टी.एम. से जाली नोट

638. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

श्री रघुराज सिंह शाक्य:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्रीमती निवेदिता माने:

श्री हेमलाल मुर्मू:

श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ए.टी.एम. के माध्यम से जाली नोट वितरित हो रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ए.टी.एम. से जाली नोट वितरित न हों इसके लिए अनुदेश जारी किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ए.टी.एम. के माध्यम से जाली नोटों के वितरण की कितनी शिकायतें आर.बी.आई. को प्राप्त हुई हैं;

(ङ) क्या आर.बी.आई. ने ए.टी.एम. में नोट डालने से पहले जाली नोटों की जांच करने के अनुदेश बैंकों को दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि जाली करेंसी नोटों के वितरण के संबंध में उन्हें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 दिसम्बर, 2003 को बैंकों को अनुदेश जारी किए थे तथा 7 दिसम्बर, 2005 को इन्हें दोहराते हुए बैंकों को यह सलाह दी थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं कि ए.टी.एम./नकदी काउंटरों के माध्यम से जाली बैंक नोट परिचालित न हों। इसके अतिरिक्त, एक ग्राहक से बैंक के ए.टी.एम. के माध्यम से जाली बैंक नोट प्राप्त होने की घटना उद्धृत करते हुए एक गुमनाम पत्र के आधार पर, बैंक ने 12 दिसम्बर, 2006 को अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि बैंक अपने क्षेत्राधिकार में अपने ए.टी.एम./विनिमय काउंटरो के माध्यम से जाली बैंक नोट वितरित न करें। उन्हें यह भी सलाह दी गई थी कि जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में "स्थानीय समाचारपत्रों में" (राज्य की देशी भाषा सहित) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करें। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेस सम्पर्क प्रभाग द्वारा इस संबंध में 8 जनवरी, 2007 को मुम्बई में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जाली करेन्सी नोट वितरित करने के संबंध में वर्ष 2005 के दौरान तथा 2006 के पूर्वार्द्ध में जनता/बैंक के ग्राहकों से दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) 11 नवम्बर, 2005 को एक ग्राहक ने ए.टी.एम. के माध्यम से आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की करुनागपल्ली शाखा से 500 रुपये मूल्यवर्ग के बीस जाली बैंक नोट प्राप्त होने की सूचना दी थी जिसकी पुनः पूर्ति आई.सी.आई.सी.आई. की कोलम शाखा द्वारा की गई थी।

(ii) कोलकाता के एक ग्राहक ने एच.डी.एफ.सी. बैंक, कोलकाता के ए.टी.एम. से 100 रुपये मूल्यवर्ग के जाली बैंक नोट की पहचान किए जाने की सूचना दी थी।

(ङ) और (च) जाली बैंक नोटों के पता चलने से उत्पन्न चिंताओं से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार निबटा जा रहा है। किए गए कुछ व्यापक उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(i) 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये तथा 1000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में नए/अतिरिक्त सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। नए सुरक्षा उपायों में, सुरक्षा धागा, अधिक उभारदार उत्कीर्ण मुद्रण, फोटोकॉपी रोधी विशेषताएं, प्रक्षिप्त छवि, सूक्ष्म लिखाई, उन्नत वॉटरमार्क और इलेक्ट्रोलाइट मार्क और कलर शिफ्ट विशेषताएं (आप्टिकल वेरियेबल इंक के माध्यम से) से संबंधित हैं।

(ii) जाली बैंक नोटों के खतरे से निबटने के लिए उचित कदम उठाने के उद्देश्य से बैंकिंग क्षेत्र में पहचाने गए जाली बैंक नोटों के संबंध में आंकड़े एकत्र करने तथा इनके विश्लेषण हेतु बैंक के केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई में एक अलग प्रभाग विद्यमान है। सभी वाणिज्यिक बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार इस संबंध में जाली नोट सतर्कता कक्ष भी बनाए हैं।

(iii) बैंकों को अपने पटलों पर पहचाने गए जाली बैंक-नोटों के संबंध में पुलिस के पास एफ.आई.आर. दर्ज करने के अनुदेश दे दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भी बैंकों से प्राप्त विप्रेषण में जाली बैंक नोटों का पता लगने पर एफ.आई.आर. दर्ज करते हैं।

(iv) रिजर्व बैंक जालसाजों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए जांच अभिकरणों जैसे आसूचना ब्यूरो तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ-साथ राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है।

(v) रिजर्व बैंक जाली बैंक नोटों का पता लगाने के लिए दैनिक आधार पर बड़ी मात्रा में नकदी संभालने वाले बैंकों एवं अन्य संगठनों के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित कर रहा है।

(vi) रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों को यह भी सलाह दी है कि वे न केवल जाली बैंक नोटों का पता लगाने अपितु आसूचना इकट्ठी करने के लिए भी और रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय को ऐसी सूचना देने के लिए अपने तंत्र में सुधार करें।

(vii) भारत सरकार ने जाली बैंक नोटों का पता लगाने से जुड़े मामलों की जांच को समन्वित करने एवं इनकी निगरानी करने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रमुख ऐजेन्सी के रूप में नामित किया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने प्रत्येक राज्य के लिए प्रमुख अधिकारी भी नामित किए हैं।

(viii) सभी बैंकों को प्रारम्भिक स्तर पर ही जाली बैंक नोटों का पता लगाने हेतु नोट छंटाई मशीन लगाने की सलाह दी है जिससे उनका आगे परिचालन रोका जा सके। अधिकांश करेन्सी चेस्ट शाखाओं (96%) को इन मशीनों से लैस कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक 100% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बैंकों के साथ मामले पर आगे कार्रवाई कर रहा है।

यमुना नदी तल का विकास

639. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यमुना नदी तल के विकास संबंधी कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यमुना नदी तल के विकास के लिए इसके अधिग्रहण के संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो यह विकास कार्य कब तक पूरा होने की संम्भावना है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना नदी के जीर्णोद्वार की पर्यावरणीय प्रबंधन योजना" के अध्ययन का कार्य राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई.आर.आई.), नागपुर को सौंपा गया है। एन.ई.ई.आर.आई. द्वारा अंतिम रिपोर्ट अक्तूबर, 2005 में प्रस्तुत की गई। तद्नुसार, डी.डी.ए. द्वारा जोन "ओ" और पार्ट "पी" की ड्राफ्ट जोनल योजना तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) डी.डी.ए. ने यह भी सूचित किया है कि भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा 12539 बीघा 01 बिस्वा भूमि का अवार्ड घोषित

कर दिया गया है। यमुना चैनलाइजेसन स्कीम के लिए डी.डी.ए. को 2074 बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा सौंप दिया गया है।

(घ) और (ङ) विकास कार्य पूर्ण होने के समय और इसमें निहित खर्च के ब्यौरे का उल्लेख करना समय पूर्व होगा।

18वें विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

640. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 18वें विधि आयोग के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) क्या 18वां विधि आयोग बिना अध्यक्ष और स्थायी सदस्यों के कार्य कर रहा है जैसा कि दिनांक 13 जनवरी, 2007 को 'हिन्दुस्तान टाईम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस आयोग के अध्यक्ष और स्थायी सदस्यों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) से (घ) 18वें विधि आयोग में एक सदस्य सचिव पहले से आसीन है। 18वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

18वें विधि आयोग को सौंपे गए कृत्य निम्नानुसार हैं:

क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन:

(i) ऐसी विधियों की पहचान करना, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है या जो सुसंगत नहीं हैं और जिन्हें तुरंत निरसित किया जा सकता है।

(ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान समय के अनुकूल हैं और जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(iii) ऐसी विधियों की पहचान करना, जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।

(iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गए पुनरीक्षण/संशोधन संबंधी सुझावों पर उनको समनुदेशित करने और उन्हें अनुकूल बनाने की दृष्टि से उन पर व्यापक रूप से विचार करना।

(v) एक से अधिक मंत्रालय/विभाग के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए प्रतिनिर्देशों पर विचार करना।

(vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए उचित उपायों का सुझाव देना।

ख. विधि और निर्धनता:

(i) ऐसी विधि की समीक्षा करना जो निर्धनों को प्रभावित करती है और सामाजिक-आर्थिक विधान के लिए पश्च-संपरीक्षा करना।

(ii) ऐसे सभी उपाय करना जो विधि और विधिक प्रक्रिया को निर्धनों की सेवा में लगाने के लिए आवश्यक हों।

ग. न्याय प्रशासन की प्रणाली को पुनर्विलोकनाधीन रखना, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह समय की युक्तियुक्त मांगों के प्रति संवेदनशील है और विशेषकर निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करना:-

(i) इस मूलभूत सिद्धांत पर प्रभाव डाले बिना कि निर्णय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, विलंबों को समाप्त करना, बकाया मामलों का शीघ्र निपटारा करना और लागतों में कमी करना जिससे कि मामलों का शीघ्र और सस्ता निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) तकनीकी कठिनाईयों और विलंब के कारणों में कमी करने और उन्हें दूर करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण, जिससे कि यह स्वयं में कोई अंत न होकर न्याय प्राप्त करने का एक साधन हो।

(iii) न्याय प्रशासन से संबंधित सभी चीजों के मानकों में सुधार।

घ. राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों की दृष्टि में विद्यमान विधियों की समीक्षा करना और उनके विकास और सुधार के लिए मार्ग सुझाना और ऐसे विधान का भी सुझाव देना जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के

लिए आवश्यक हों और संविधान की उद्देशिका में उपवर्णित उद्देश्यों की पूर्ति करना।

ङ. लिंग संबंधी समानता का संवर्धन करने के विचार से विद्यमान विधियों की समीक्षा करना और उनके संशोधनों का सुझाव देना।

च. साधारण महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना, जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनमें विसंगतियों, अस्पष्टताओं और असमानताओं को दूर करना।

छ. अप्रचलित विधियों और अधिनियमों या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के लिए सरकार को उपायों की सिफारिश करना।

ज. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित किसी ऐसे विषय पर, जिसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से उसे निर्दिष्ट किया जाए, विचार करना और अपने विचार सरकार को बताना।

झ. किन्हीं विदेशों को अनुसंधान उपलब्ध कराने के ऐसे किन्हीं अनुरोधों पर विचार करना, जो इसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से निर्दिष्ट किए जाएं।

आयोग ऊपर उपदर्शित सौंपे गए कृत्यों की मद (क) अर्थात्, अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन से संबंधित सभी मुद्दों पर अपना समयबद्ध ध्यान केन्द्रित करेगा और सरकार को **अत्यधिक पूर्विक्ता** के आधार पर अप्रचलित विधियों के लिए और अन्यों में ऐसे उचित संशोधनों की, जो आवश्यक पाए जाएं, सिफारिशें करना।

आयोग अपनी रिपोर्टें हिन्दी और अंग्रेजी में, संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखे जाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेगा। विधि आयोग, सरकार को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करते ही उन्हें वेबसाइट के माध्यम से या अन्यथा उपलब्ध कराएगा।

अभी तक विभिन्न विधि आयोगों ने लगभग 200 रिपोर्टें दी हैं। उनमें से अनेक विधि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई हैं। चूंकि अनेक रिपोर्टें काफी बड़ी हैं, इसलिए अनुसंधानकर्ताओं के लिए संपूर्ण रिपोर्ट को ऑनलाइन पढ़ना कठिन होगा। अनुसंधानकर्ताओं के लिए उनके क्षेत्र के विषयों का चयन सुकर बनाने के लिए और विधि आयोग की विभिन्न सिफारिशों के संबंध में न्यायाधीशों, वकीलों, विधि अध्यापकों और विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विधि आयोग की सभी रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण विधि आयोग द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

निर्यात संवर्धन योजनाओं का यौक्तिकीकरण

641. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन और संवर्धन योजनाओं के यौक्तिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन और संवर्धन योजनाओं के लागत प्रभावी विश्लेषण के लिए किसी परामर्शदात्री फर्म को यह कार्य सौंपा है; और

(घ) यदि हां, तो योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) निर्यात प्रोत्साहन और संवर्धन योजनाओं का यौक्तिकीकरण किया जाना निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। विदेश व्यापार महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति ने प्रक्रियात्मक-सरलीकरण के पहलुओं की जांच की थी और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में सभी सामुदायिक भागीदारों द्वारा ऐसे दस्तावेजों को वेब की सहायता से प्राप्त करने की जरूरत पर बल दिया गया है। यह सिफारिश भी की गई है कि सभी संबंधित विभागों को अपनी ई.डी.आई. (इलैक्ट्रानिक डाटा आदान-प्रदान) संरचना जल्द से जल्द अद्यतन कर लेनी चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शेयरों का अर्जन

642. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में भारतीय रिजर्व बैंक के हिस्से को खरीदने का निर्णय, लिया है;

(ख) यदि हां, तो अर्जन का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे देश में मुद्रास्फीति की दर और धन प्रवाह किस प्रकार प्रभावित होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। बैंकिंग-क्षेत्र-सुधार समिति (नरसिम्हम समिति-II) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पाया कि ये बात प्रभावी पर्यवेक्षण के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती है कि विनियामक बैंक का स्वामी भी है और इसलिए यह अपेक्षित होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अपनी धारिता समाप्त करे। तदनुसार ही, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन संस्थाओं में अपने शेयरों को भारत सरकार को अंतरित करने का प्रस्ताव भेजा। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मार्गनिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य पर निर्धारित किए जाने वाले मूल्यांकन राशि के नकद भुगतान के बदले भारत सरकार को अंतरित करने का निर्णय लिया है। चूंकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) गैर-सूचीबद्ध संस्थाएं हैं, इसलिए उनमें विद्यमान भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता को अंकित मूल्य पर भारत सरकार को अंतरित करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक से भारत सरकार में इन संगठनों के स्वामित्व के अंतरण से संभवतः मुद्रा-स्फीति की दर या देश में निधियों की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत अधूरा निर्माण

643. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री मो. ताहिर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी. एस.वाई.) के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के लिए निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए सभी ठेके सौंप दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष की तीसरी तिमाही तक निर्मित सभी सड़कें अच्छी स्थिति में पाई गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अब तक सभी सड़कों का निर्माण निर्धारित अवधि में हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दोषी अधिकारियों/ठेकेदारों के विरुद्ध और निर्धारित अवधि में शेष कार्य को पूरा करने के लिए की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को परियोजनाओं की स्वीकृति जत्थों में की जाती है। राज्यों से परिचालन मैनुअल में विनिर्दिष्टानुसार और समय-समय पर जारी संबंधित अनुदेशों के अनुसार 120 दिन की अवधि के भीतर संविदे सौंपने की आशा की जाती है। जुलाई, 2004 से सितम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान राष्ट्र स्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं द्वारा 17345 निरीक्षण किए गए थे। 11124 मामलों में कार्य संतोषजनक पाया गया था और 6221 मामलों में असंतोषजनक पाया गया था। अन्य कारणों के साथ कार्य असंतुष्टि के कारण खराब स्तर की सामग्री का उपयोग, कार्यकुशलता की कमी का होना है।

(घ) से (च) पी.एम.जी.एस.वाई. का कार्यान्वयन कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। समतल क्षेत्रों में परियोजनाओं को कार्यादेश जारी होने की तारीख से 9 कार्य महीनों की अवधि के भीतर पूरा करना होता है। यदि प्रतिकूल मौसम अथवा मौसम संबंधी अन्य कारणों से कार्य निष्पादन की अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है तो कार्य निष्पादन की अवधि को बढ़ाकर 12 कैलेण्डर माह कर दिया जाता है। यदि परियोजनाएं निर्धारित समयावधि में पूरी नहीं होती हैं तो ठेकेदारों को संविदे के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित हानि का भुगतान करना होता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को डी.ए. का भुगतान

644. श्री अनन्त नायक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किसी किश्त का भुगतान बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कितना प्रतिशत है; और

(ग) इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (डी.ए.)/महंगाई राहत (डी.आर.) सामान्यतः 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से वर्ष में दो बार संशोधित करके क्रमशः मार्च और सितम्बर माह के वेतन के साथ दी जाती है। डी.ए./डी.आर. की संशोधित राशि यथासमय अधिसूचित की जाएगी।

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण

645. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंकों ने स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (एस.जी. एस.वाई.) के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान और दिसम्बर, 2006 तक ऋणों के वितरण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वित्त उपलब्ध करवाने में विफल रहे बैंकों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार की सलाह के बावजूद जो बैंक लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे हैं उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निवेशक सुरक्षा कोष

646. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्टॉक बाजार में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए एक निवेशक सुरक्षा कोष की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) वर्ष 2006-07 के बजट में एक निवेशक संरक्षण कोष (आई.पी.एफ.) का गठन करने का प्रस्ताव किया गया था जिसका निधियन सेबी द्वारा वसूल किए गए अर्थदंडों तथा शास्तियों द्वारा किया जाएगा। ये राशियां वर्तमान में भारत की संचित निधि में जमा की जाती हैं जैसाकि प्रतिभूति कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित है। अतः निवेशक संरक्षण कोष की स्थापना संगत कानूनों में संशोधन कर इन राशियों को निवेशक संरक्षण कोष में जमा करने की अनुमति दिए जाने के पश्चात् ही की जा सकती है। कानूनों में संशोधन करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

मेमजवो संबंधी अध्ययन

647. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मेमजवो के प्रभाव का वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) ने कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मधुमेह के इलाज में यह किस हद तक प्रभावशाली है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

648. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए दिल्ली से सटे राज्यों के साथ हाल ही में एक बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो वार्ता का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी दिल्ली से सटे क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए है, और धनराशि मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित एवं समन्वित विकास हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के तहत गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.)

की अंतिम बैठक दिनांक 24-05-2006 को हुई थी। संघटक राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बोर्ड के सदस्य हैं। बोर्ड के तहत गठित समितियां भी विशिष्ट मुद्दों पर विचार करने के लिए समय-समय पर बैठक करती हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने दिनांक 24-05-2006 को हुई अपनी बैठक में मुख्यतः हरियाणा में नये उपनगरों की स्थापना, अतिरिक्त कस्बों को काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों के रूप में शामिल करने, क्षेत्रीय योजना 2021 के कार्यान्वयन की स्थिति तथा क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी। इनके अतिरिक्त, बोर्ड ने वर्ष 2004-05 के लिए बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं को भी अनुमोदित किया।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संघटक राज्य सरकारें समय-समय पर वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध करती हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों में सेक्टर-वार परियोजनाओं तथा दिये गये ऋण के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं। एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा स्वीकृत नयी परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं।

विवरण-I

*राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों * में स्वीकृत सेक्टर-वार परियोजनाओं तथा वितरित ऋणों के ब्यौरे*

	विद्युत	भूमि विकास	जल आपूर्ति	परिवहन	सीवरेज/सफाई/ ठोस कचरा प्रबंधन	अन्य	कुल
स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	8	94	23	17	19	6	67
कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	504	429	872	296	345	555	6871
कुल स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु.)	378	1513	626	208	272	336	3333
कुल वितरित ऋण राशि (करोड़ रु.)	225	1355	200	187	154	198	2319

*पांच काउंटर मैग्नेट क्षेत्र नामतः हरियाणा में हिसार, उत्तर प्रदेश में बरेली, राजस्थान में कोटा, पंजाब में पटियाला तथा मध्य प्रदेश में ग्वालियर हैं।

विवरण-II

नयी स्वीकृत परियोजनायें

(लाख रु. में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	योजनावार कुल अनुमानित लागत	एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा दिया जाने वाला ऋण घटक		
			2006-07	2007-08	एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा दिया जाने वाला कुल ऋण घटक
1	2	3	4	5	6
1.	हिसार जिले में 2x600 मेगावाट हिसार थर्मल पावर परियोजना	425865.00	13500.00	19500.00	50000.00

1	2	3	4	5	6
2.	पुराने फरीदाबाद में सीवरेज प्रणाली का पुनरुद्धार	10383.00	311.50	1245.96	3114.90
3.	शहरी नवीकरण परियोजना दाबुआ कालोनी, फरीदाबाद	3896.12	300.72	300.72	1202.88
4.	शहरी नवीकरण परियोजना बापू नगर, फरीदाबाद	2526.56	195.00	195.00	780.05
5.	अलवर जिले में विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण तथा विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाना	4761.45	1666.508	1666.508	3333.015
	उप-योग	447432.13	15973.728	21241.680	58430.845

[हिन्दी]

पारेषण एवं वितरण हानि

649. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

श्री के.एस. राव:

श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत के पारेषण और वितरण में हानि को कम करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये थे;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक चरण में और अंत तक कुल विद्युत उत्पादन के कितने प्रतिशत भाग की पारेषण एवं वितरण में हानि होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी हानि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कोई वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्युत के पारेषण एवं वितरण संबंधी पूर्ण रूप से अधिकृत समूह की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) सरकार ने सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) को कम करने, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने, राजस्व संग्रह बढ़ाने और उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ोत्तरी की दृष्टि से वर्ष 2002-03 में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) आरंभ किया था। शहरी एवं अधिक खपत वाले क्षेत्रों से शुरू करके आगामी 5 वर्षों में एटी एण्ड सी हानियों को 15% तक कम करने का लक्ष्य था।

(ख) पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य वितरण कंपनियोंकी एटी एण्ड सी हानियां वर्ष 2004-05 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 33.83% तक कम हो गई हैं। नगर स्तर पर देश के 212 ए.पी.डी.आर.पी. नगरों में एटी एण्ड सी हानियों को 20% से नीचे तक लाया गया है, जिसमें से 169 नगर एटी एण्ड सी हानियों को 15 प्रतिशत से नीचे ले आए हैं।

(ग) संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) द्वारा यूटिलिटी/राज्य स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत कार्यक्रम में शामिल नगर/क्षेत्र के लिए एटी एण्ड सी हानियों में कमी के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुख्यमंत्रियों की बैठक

650. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री जी ने फरवरी, 2007 में देश में विद्युत उत्पादन और वितरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया; और

(ग) देश में विद्युत की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए फरवरी, 2007 के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाना था। सम्मेलन को अब स्थगित कर दिया गया है।

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नांकित उपाय किए जा रहे हैं:-

(i) 11वीं योजना के दौरान विद्युत की जरूरत को पूरा करने के लिए 76,460 मेगावाट की क्षमता संवृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।

(ii) उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग और अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण के लिए राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना।

(iii) जल विद्युत क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए 50,000 मेगावाट क्षमता की पहल की गई है।

(iv) 1,00,000 मेगावाट से अधिक थर्मल क्षमता के लिए स्थलों की पहचान।

(v) पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने इस तरह के प्रयास किए हैं ताकि निधियों के अभाव में अच्छी परियोजनाएं बाधित न हों।

(vi) चल रही उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता संवृद्धि की बड़ी निगरानी की जा रही है।

(vii) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन क्षमता संवृद्धि परियोजनाओं की अग्रिम आयोजना।

(viii) आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए 4000 मेगावाट प्रत्येक की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

(ix) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के अग्रदूत के रूप में बेहतर निष्पादन कर रही विद्युत यूटिलिटियों के साथ तालमेल के जरिए मौजूदा थर्मल पावर स्टेशनों के संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) पद्धतियों को अपनाकर "उत्कृष्टता में भागीदारी" पार्टनरशिप इन एक्सीलेंस कार्यक्रम की शुरुआत।

(x) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा ऋण पर ब्याज सब्सिडी देकर पुरानी और अकुशल उत्पादन इकाईयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण व जीवन विस्तार।

(xi) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अधिशेष विद्युत का दोहन।

(xii) गैस आधारित स्टेशनों की उपयोग में न लाई गई क्षमता का तरल ईंधन पर उपयोग।

(xiii) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी करने के उपाय के तौर पर त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत राज्य में उप पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार।

(xiv) मौजूदा उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन व अनुरक्षण।

(xv) मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन देना।

[हिन्दी]

विज्ञान के छात्रों का पलायन

651. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से उच्च शिक्षित विज्ञान के छात्रों के पलायन का मुख्य कारण वैज्ञानिक अवसंरचना की अनुपलब्धता है; और

(ख) यदि हां, तो देश में विज्ञान के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, नहीं। यह इससे संबंधित कई कारणों में से एक हो सकता है। तथापि, वर्ष 2000 के दौरान भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं संबंधित शैक्षिक संस्थानों के विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विभागों में अनुसंधान अवसंरचना

को सुदृढ़ करने के लिए "विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार हेतु निधि (फिस्ट)" नाकम एक नई योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 500 करोड़ रु. से अधिक के समग्र निवेश से लगभग 250 विश्वविद्यालयों एवं अकादमिक संस्थानों में 950 से अधिक विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संबंधी विभागों को सहयोग प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

आवास ऋण

652. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को चालू वर्ष के लिए आवास ऋणों पर ब्याज में वृद्धि न करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए जाने वाले आवास ऋणों का प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितने प्रतिशत आवास ऋण दिए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) यह अपेक्षा की गई थी कि सरकारी क्षेत्र के बैंक आवास ऋण पर ब्याज दरों को वर्तमान स्तर पर बनाए रखें क्योंकि संभव है कि बैंकों द्वारा दरों को और अधिक बढ़ाना आवश्यक न हो बशर्ते बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन करने की स्थिति में हों।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली क्षेत्र में खाली भूमि

653. श्री मनोरंजन भक्त: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध खाली भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त भूमि का उपयोग करने के लिए कोई रोडमैप तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आवासीय उपयोग के लिए मास्टर प्लान दिल्ली-2021 में आवासीय भूमि के कितने क्षेत्र को उपलब्ध कराया जा रहा है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एम.पी.डी.-2021) के अनुसार, कुछ निर्मित क्षेत्र सहित करीब 27,000 हैक्टेयर भूमि शहरीकरण के लिए उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया है। इसे व्यापक रूप से शहरी विस्तार क्षेत्रों में विभिन्न भू-उपयोगों, यथा रिहायशी, वाणिज्यिक, हरित/मनोरंजनात्मक सुविधाओं तथा परिचलन इत्यादि में विभाजित किया जाना है।

(घ) दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में कुल शहरीकरण योग्य क्षेत्र में से 45 से 55% तक का शहरी विस्तार क्षेत्र में रिहायशी भू-उपयोग के लिए प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

भूमि मानचित्रों के कम्प्यूटरीकरण संबंधी प्रस्ताव

654. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भूमि मानचित्रों के कम्प्यूटरीकरण हेतु कतिपय राज्यों से परियोजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक प्रस्ताव/परियोजना की राज्य-वार अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है तथा इन्हें कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु): (क) से (ग) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान गांव मानचित्रों के अंकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे। वर्ष 2005-06 के दौरान निम्नलिखित राज्यों ने गांव मानचित्रों की बारीकी से जांच (स्कैनिंग) करने तथा अंकीकरण करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। इन प्रस्तावों पर कार्यवाही की गई थी तथा नीचे दर्शाए गए अनुसार निधियां जारी की गई थीं:-

(i)	आंध्र प्रदेश (मेडक जिला)	–	5.31 करोड़ रुपये
(ii)	उत्तर प्रदेश	–	8.50 करोड़ रुपये

(iii) उत्तरांचल – 12.08 करोड़ रुपये

(iv) तमिलनाडु – 8.67 करोड़ रुपये

सर्वेक्षण अभिलेखों/भू-कर मानचित्रों की बारीकी से जांच करने और अंकीकरण करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हुए इसी प्रकार के प्रस्तावों की जांच की गई थी तथा संबंधित राज्यों में गांव मानचित्रों की संख्या के आधार पर नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निधियां जारी की गई थीं:-

राज्य का नाम	अनुमानित लागत	जारी की गई राशि
(i) आंध्र प्रदेश	27.00 करोड़ रुपये	8.44 करोड़ रुपये
(ii) बिहार	50.00 करोड़ रुपये	-
(iii) गुजरात	6.00 करोड़ रुपये	5.56 करोड़ रुपये
(iv) कर्नाटक	16.78 करोड़ रुपये	8.84 करोड़ रुपये
(v) राजस्थान	15.03 करोड़ रुपये	4.14 करोड़ रुपये
(vi) त्रिपुरा	1.12 करोड़ रुपये	0.09 करोड़ रुपये
(vii) झारखंड	13.52 करोड़ रुपये	3.26 करोड़ रुपये
(viii) पश्चिम बंगाल	17.94 करोड़ रुपये	-

प्रस्तावों को अनुमोदित करना, योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उनकी स्वीकार्यता तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

शहरी गरीबों हेतु मूलभूत सुविधाएं

655. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपर्याप्त आवास शेल्टरों तथा मूलभूत सुविधाओं के कारण शहरी गरीबों का एक बहुत बड़ा तबका अस्वास्थ्यकारी-परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्य-वार कितने शहरी गरीब जीवन-यापन कर रहे हैं; और

(ग) उन्हें शेल्टर तथा लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार शहरी स्लम आबादी के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में हैं।

(ग) सरकार ने शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा कार्यक्रम (बी.एस.यू.पी.) के तहत 63 चुनिंदा शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवास एवं अवस्थापनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने में शहरों एवं कस्बों की सहायता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल नहीं किये गये शहरों में आवास एवं स्लम उन्नयन कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) शुरू किया गया है। बी.एस.यू.पी. एवं आई.एच.एस.डी.पी. - दोनों ही कार्यक्रमों को दिसंबर, 2005 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त शहरी गरीबों की जीवन-दशा में सुधार करने के लिए दिसंबर, 1997 से संपूर्ण भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) नामक एक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। एस.जे.एस.आर.वाई. के तहत स्व-रोजगार के लिए व्यक्तिगत/समूह लघु उद्यमों की स्थापना के लिए शहरी गरीबों की सहायता की जाती है तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग कर उन्हें मजदूरी रोजगार भी मुहैया कराया जाता है।

विवरण

स्लमों एवं स्लम क्षेत्रों में जनसंख्या की सूचना देते हुए कुल शहरी आबादी, शहरों/कस्बों की आबादी-भारत, राज्य, संघ शासित प्रदेश-2001

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्लमों की सूचना वाले शहरों/कस्बों की संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश की कुल स्लम आबादी	स्लमों की सूचना देते हुए शहरों/कस्बों की आबादी	कुल स्लम आबादी	कुल के अनुपात में स्लम आबादी का प्रतिशत	
						राज्य/संघ शासित प्रदेशों की शहरी आबादी	स्लमों की सूचना देते हुए शहरों/कस्बों की आबादी
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत	640	283741818	184352421	42578150	15.0	23.1
1.	जम्मू-कश्मीर	5	2516638	1446148	268513	10.7	18.6
2.	पंजाब	27	8262511	5660268	1159561	14.0	20.5
3.	चंडीगढ़*	1	808515	808515	107125	13.2	13.2
4.	उत्तरांचल	6	2179074	1010188	195470	9.0	19.3
5.	हरियाणा	22	6115304	4296670	1420407	23.2	33.1
6.	दिल्ली*	16	12905780	11277586	2129755	15.7	18.0
7.	राजस्थान	26	13214375	7668508	1294106	9.8	16.9
8.	उत्तर प्रदेश	69	34539582	21256870	4395276	12.7	23.7
9.	बिहार	23	8681800	4814512	531481	6.1	11.0
10.	त्रिपुरा	1	545750	189998	29949	5.5	15.8
11.	मेघालय	1	454111	132867	86304	19.0	65.0
12.	असम	7	3439240	1371881	82289	2.4	6.0
13.	पश्चिम बंगाल	59	2427251	15184596	4115980	18.4	27.1
14.	झारखंड	11	5993741	2422943	301569	5.0	12.4
15.	उड़ीसा	15	5517238	2838014	629999	11.4	22.2
16.	छत्तीसगढ़	12	4185747	2604933	817908	19.5	31.4

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मध्य प्रदेश	43	15967145	9599007	2417091	15.1	25.2
18.	गुजरात	41	18930250	12697360	1866797	9.9	14.7
19.	महाराष्ट्र	61	41100980	33635219	11202762	27.3	33.3
20.	आन्ध्र प्रदेश	77	20808940	16090585	5187493	24.9	32.2
21.	कर्नाटक	35	17961529	11023376	1402971	7.8	12.7
22.	गोवा	2	670577	175536	14482	2.2	8.3
23.	केरल	13	8266925	3196622	64556	0.8	2.0
24.	तमिलनाडु	63	27483998	14337225	2866893	10.4	20.0
25.	पांडिचेरी	3	648619	513010	73169	11.3	14.3
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	116198	99984	16244	14.0	16.2

नोट: हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली तथा लक्षद्वीप ने वर्ष 2001 में किसी स्लम के होने की सूचना नहीं दी है।

एन.आर.ई.जी.एस. के अन्तर्गत रोजगार सेवकों की नियुक्ति

656. **श्री अनवर हुसैन:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एन.आर.ई.जी.एस. के अन्तर्गत रोजगार सेवकों को नियुक्त करते समय क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में एन.आर.ई.जी.एस. के लागू होने के बाद इसके अन्तर्गत किन्हीं रोजगार सेवकों को नियुक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें कितना पारिश्रमिक दिया जा रहा है तथा इसके भुगतान का तरीका क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (घ) एन.आर.ई.जी.ए. के दिशा-निर्देशों (पैरा 2.2.1) में रोजगार गारंटी सहायक, जिसे ग्राम रोजगार सेवक अथवा अन्य समतुल्य पद कहा जा सकता है, की नियुक्ति करने की सलाह दी गई है। यदि राज्यों द्वारा नियुक्ति, यदि कोई हो, की जानी हो तो नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें संबंधित राज्यों द्वारा तय की जाएंगी। प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत संपूर्ण व्यय अनुमेय सीमा के भीतर रखा जाना है।

[हिन्दी]

रिहायशी प्लॉटों की नीलामी

657. **श्री रशीद मसूद:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रिहायशी प्लॉटों की नीलामी शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है;

(ग) क्या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तथा कम आय श्रेणी के लोगों को वाजिब दरों पर फ्लैट प्रदान करने हेतु बिल्डरों हेतु कोई निबंधन एवं शर्तें तक की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि रोहिणी रिहायशी स्कीम, 1981 के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों और किसानों को वैकल्पिक प्लाट आबंटित करने के अलावा,

रिहायशी प्लाटों का निपटान डी.डी.ए. (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के प्रावधानों के तहत किया जाता है।

(ग) और (घ) दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में यह प्रावधान है कि समूह आवास के विकासक यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यूनतम 15% एफ.ए.आर. अथवा 35% रिहायशी यूनिटें, जो भी अधिक हो, समुदाय सेवा धार्मिक/ई.डब्ल्यू.एस. तथा निम्न आय श्रेणी के लिए निर्मित की जाए।

डी.डी.ए. ने यह भी सूचित किया है कि तेहखंड में डी.डी.ए. की पायलेट परियोजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र स्लम वासियों को किफायती दरों पर फ्लैट आबंटित करने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

गुजरात में एकीकृत बहु-यातायात (ट्रांसिट) प्रणाली

658. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात में एकीकृत बहु-यातायात (ट्रांसिट) प्रणाली की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिम्मतनगर, गोधरा तथा वापी में भी तीन और अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) शहरी परिवहन राज्यों का विषय है और यदि केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं है तो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों की स्थापना के निर्णय राज्य सरकार स्तर पर ही लिए जाते हैं। राज्य सरकार ने हिम्मतनगर, गोधरा और वापी में केन्द्रीय वित्तीय सहायता से किसी भी बस टर्मिनल की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

[हिन्दी]

एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग

659. चौ. मुनव्वर हसन: क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग (एम.आर. टी.पी.सी.) ने हाल ही में कुछ बैंकों, पेट्रोलियम कंपनियों के पेट्रोल पम्पों, दूरसंचार कंपनियों तथा भेषज कंपनियों को धोखाधड़ी करने तथा झूठे वादे करने हेतु नोटिस जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कंपनियों/बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

बैंक

क्र.सं.	मामला संख्या	शीर्षक	28-2-2007 को स्थिति
1	2	3	4
1.	ोपीई सं. 106/2002	श्री जैनेन्द्र कुमार जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश बनाम स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नई दिल्ली	मामला विघाघकों की विरचना के लिए सूचीबद्ध है।

1	2	3	4
2.	यूटीपीई सं. 14/2003	श्री रवि लूथरा, नई दिल्ली बनाम सिटी बैंक एन.ए., नई दिल्ली तथा शेल्टर्स, नई दिल्ली	मामला, प्रतिपरीक्षा के लिए सूचीबद्ध है।
3.	यूटीपीई सं. 25/2004	श्री राघव लाल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश बनाम स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, (ए.एन.जेड. ग्रीन्डलेज बैंक), नई दिल्ली	मामला, प्रतिपरीक्षा के लिए सूचीबद्ध है।
4.	यूटीपीई सं. 53/2004	श्री रवि चन्द बनाम स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नई दिल्ली	मामला, जांच के लिए नोटिस जारी करने के विचारार्थ सूचीबद्ध है।
5.	यूटीपीई सं. 02/2005	मै. आर्या सॉफ्टवेयर नई दिल्ली बनाम एच.डी.एफ.सी. बैंक, मुम्बई	मामला विवाधकों की विरचना के लिए सूचीबद्ध है।
6.	यूटीपीई सं. 34/2005	डीजी (आई एण्ड आर)* बनाम एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड	एक समाचार का आधार लेकर, आयोग ने विभिन्न बैंकों के मामले में डीजी (आई एण्ड आर) के द्वारा प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। डीजी (आई एण्ड आर) के द्वारा पी.आई.आर.** पर आयोग द्वारा विचार किया गया तथा आयोग ने जांच के आदेश जारी किए हैं एवं मामला विवाधकों की विरचना के लिए सूचीबद्ध है।
7.	यूटीपीई सं. 63/2005	हाजी रमजान अली एण्ड सन्स बनाम सिटी बैंक, चेन्नई	शिकायत के आधार पर डीजी (आई एण्ड आर) ने पी.आई.आर. दायर की है तथा इसे पीठ के समक्ष जांच के लिए नोटिस जारी करने के विचारार्थ दर्ज किया गया है।
8.	यूटीपीई सं. 94/2005	श्रीमती वंदना खन्ना, नई दिल्ली बनाम मै. आई.सी.आई.सी.आई., नई दिल्ली	मामला प्रतिपरीक्षा के लिए सूचीबद्ध है।
9.	फा. सं. 30 (212)/2006	बी.एस. गोयल बनाम आई.सी.आई.सी.आई., नई दिल्ली	शिकायत को आयोग के समक्ष आगे के निर्देशों के लिए दर्ज कर दिया गया है।

1	2	3	4
10.	यूटीपीई सं. 15/2006	श्री एस.एच. पंचपाकेसन, त्रिवंतापुरम बनाम आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, नई दिल्ली	मामला विचारार्थ सूचीबद्ध है।
11.	यूटीपीई सं. 45/2006	सुश्री प्रियंका गौर, नई दिल्ली बनाम मै. सुहृत हुन्डाई, नई दिल्ली आर-1 मै. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली आर-2	मामला विचारार्थ सूचीबद्ध है।
12.	यूटीपीई सं. 57/2006	श्रीमती सोनिया टुनियस, नई दिल्ली बनाम मै. आई.सी.आई.सी.आई., नई दिल्ली	मामला विचारार्थ सूचीबद्ध है।
13.	यूटीपीई सं. 74/2006	श्री शलभ खन्ना, दिल्ली बनाम सिटी बैंक, चेन्नई	मामला जांच के लिए नोटिस जारी करने के विचारार्थ दर्ज है।
पेट्रोलियम कंपनियों के पेट्रोल पम्प			
1.	यूटीपीई सं. 28/2006	राम बाम सागरिया, अजमेर बनाम कृष्णा गैस एजेंसी केकारी, अजमेर	शिकयात के आधार पर डीजी (आई एण्ड आर) ने मामले की जांच की तथा एक पी.आई.आर. दायर किया।
2.	यूटीपीई सं. 29/2006	श्री डी. सिंह एवं अन्य, कानपुर बनाम भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई	शिकायत के आधार पर डीजी (आई एण्ड आर) ने मामले की जांच की तथा एक पी.आई.आर. दायर किया।
3.	यूटीपीई सं. 1/2007	भूषण कुमार, नई दिल्ली बनाम सुखदेव विहार गैस सर्विस, नई दिल्ली	मामले को डीजी (आई एण्ड आर) के पास पी.आई.आर. दायर करने के लिए भेज दिया गया है।
दूर-संचार कंपनियां			
1.	यूटीपीई सं. 58/2005	दिनेश कटारिया बनाम हच एस्सार टेलीकॉम लिमिटेड	शिकायत के आधार पर डीजी (आई एण्ड आर) ने मामले की जांच की तथा एक पी.आई.आर. दायर किया।
2.	यूटीपीई सं. 53/2006	मोबाइल फोन ऑपरेटर्स	सूचना के आधार पर मामले को जांच एवं कंपनियों द्वारा प्रदत्त इनकमिंग

1	2	3	4
			कॉल्स के लिए लाइफ टाइम 999/- रु. की स्कीम पर प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डीजी (आई एण्ड आर) के हवाले किया गया है।
3.	यूटीपीई सं. 59/2006	जे.एम. कालिया, नई दिल्ली बनाम मै. भारती सेल्यूलर लिमिटेड, नई दिल्ली	मामला आयोग के समक्ष विचारार्थ सूचीबद्ध है।
4.	यूटीपीई सं. 75/2006	अमीर जेड. सिंह, पासरिच, नई दिल्ली बनाम मै. भारती एयरटेल लिमिटेड, नई दिल्ली	मामला, जांच के लिए नोटिस जारी करने के, विचारार्थ आयोग के समक्ष दर्ज है।
5.	यूटीपीई सं. 92/2006	डा. साउ सुमन लोधा, जलगांव बनाम नोकिया कैपिटल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड, जलगांव	मामले को डीजी (आई एण्ड आर) के पास प्राथमिक जांच रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भेज दिया गया है।
6.	यूटीपीई सं. 98/2006	श्री महेन्द्र सिंह आर्या बनाम 1. मै. भारती एयरटेल लिमिटेड, नई दिल्ली 2. आईडिया सेल्यूलर लिमिटेड, गांधी नगर 3. हचीसन एस्सार मोबाइल सर्विस लिमिटेड	श्री महेन्द्र सिंह द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मामले को डीजी (आई एण्ड आर) के पास प्राथमिक जांच रिपोर्ट दायर करने के लिए भेज दिया गया था।
भेषज कंपनियां			
1.	यूटीपीई सं. 101/2002	एस.एस. सोयन बनाम डा. मोरपेन लैब्स लिमिटेड एवं अन्य	शिकायतकर्ता गवाह के प्रतिपरीक्षा के लिए मामला सूचीबद्ध है।
2.	यूटीपीई सं. 76/2005	मैथ्यू मेमन बनाम डावो लैबोरेटरिज लिमिटेड एवं अन्य, इंदौर	मामला विवाधकों की विरचना के लिए सूचीबद्ध है।
3.	यूटीपीई सं. 56/2005	सोनी एजेंसीज, हैदराबाद बनाम झण्डु फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, मुम्बई	मामला अंतिम वाद-विवाद के लिए सूचीबद्ध है।

1	2	3	4
4.	यूटीपीई सं. 23/2006	श्री रामकृष्ण सर्विसेज, मुसौर बनाम मै. कर्नाटक केमिस्ट्स् एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोशिएसन, बंगलौर	मामला विवाधकों की विरचना के लिए सूचीबद्ध है।

* महानिदेशक, (जांच एवं पंजीकरण)

** प्राथमिक जांच रिपोर्ट

आयकरदाताओं हेतु गवर्नेंस मॉडल

660. श्री बालेश्वर यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने आयकरदाताओं को दी जा रही सेवाओं में सुधार करने हेतु आयकर अधिकारियों को गवर्नेंस मॉडल अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) विश्व बैंक ने आयकर विभाग को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है। तथापि, आयकर विभाग ने एक ऐसा 'सेवोत्तम' माडल स्वीकार किया है जो सरकारी संगठनों द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने का एक माडल है। यह स्कीम प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा विकसित की गई है।

(ख) और (ग) चूंकि विश्व बैंक ने आयकर विभाग को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है, अतः भाग (ख) और (ग) के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

टैक्स रिटर्न प्रिपेरर्स स्कीम (टी.आर.पी.एस.)

661. श्री एस.के. खारवेनथन:

श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टैक्स रिटर्न प्रिपेरर्स स्कीम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस योजना को देश के सभी भागों में लागू करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में लघु तथा सीमान्त करदाताओं में जागरूकता पैदा करने एवं उनके द्वारा अनुपालना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में छोटे और सीमांत करदाताओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 2006-07 में कर विवरणी तैयारकर्ता योजना शुरु की गई ताकि आयकर विवरणी जमा करने में उनकी सहायता की जा सके। चालू वर्ष के दौरान नामांकन परीक्षा के जरिए कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में प्रशिक्षण के लिए 5000 बेरोजगार/अंशतः रोजगार प्राप्त स्नातकों का चयन किया गया तथा उनके शिक्षण कक्ष प्रशिक्षण सत्र भी पूरे हो गए हैं। पाठ्यक्रम समापन प्रमाणन परीक्षा भी आयोजित हो चुकी है। जो उम्मीदवार प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे वे कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं।

(ख) यह योजना देश के सभी हिस्सों में पहले से ही लागू है।

(ग) नामांकन परीक्षा व शिक्षणकक्ष प्रशिक्षण सत्र तथा प्रमाणन परीक्षा पूरे देश में फैले 80 कस्बों के 100 केन्द्रों पर आयोजित की गई है। प्रमाणित कर विवरणी तैयारकर्ता भारत के किसी भी भाग में काम कर सकते हैं।

(घ) केन्द्र सरकार ने देश में विशेषकर छोटे एवं सीमांत करदाताओं के बीच जागरूकता और अनुपालन का स्तर बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2005-06 और 2006-07 में 'छोटे कर निर्धारितियों के लिए सहायता केन्द्र कार्यक्रम भी शुरू किया है। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान पूरे देश में 292 कस्बों एवं शहरों

में 336 सहायता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। सहायता केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए दूरदर्शन, समाचार पत्र (स्थानीय भाषा एवं अंग्रेजी दोनों ही), पोस्टर, बैनर, लीफलेट, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम आदि के माध्यम से मल्टी-मीडिया प्रचार कार्यक्रम शुरू किया गया है।

जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली

662. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली स्थापित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी जैवप्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) जैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संस्थापित (बी.टी.आई.एस. नेट) जैवप्रौद्योगिकी सूचना विज्ञान प्रणाली नेटवर्क को 117 संस्थानों में एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। इन केन्द्रों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। बी.टी.आई.एस. नेट केन्द्रों में 5 उत्कृष्टता केन्द्र, 10 वितरित सूचना विज्ञान केन्द्र, 50 वितरित सूचना विज्ञान उप केन्द्र, बी.टी.आई.एस. नेट गतिविधियों के समन्वय के लिए जैवप्रौद्योगिकी विभाग में (बी.टी.आई.सी.) एक एपैक्स जैवप्रौद्योगिकी सूचना विज्ञान केन्द्र तथा जैवसूचना विज्ञान के माध्यम से जीवविज्ञान अध्यापन के लिए 52 जैवसूचना विज्ञान सुविधाओं को शामिल किया गया है। जैवप्रौद्योगिकी विभाग की सरकारी वेबसाइट पर नामत: http://www.dbtindia.gov.in और http://www.btisnet. gov.in पर अधिक विवरण उपलब्ध है।

(ग) जैवप्रौद्योगिकी सूचना विज्ञान कार्यक्रम की मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

(i) सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना विज्ञान अनुसंधान, सूचना विज्ञान में जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए आधारिक संरचनात्मक प्रोत्साहन प्रदान करना।

(ii) अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में जीवविज्ञान वैज्ञानिकों के लिए अभिकलित्रात्मक प्रोत्साहन प्रदान करना।

(iii) जैवप्रौद्योगिकी एवं ज्ञान सारांश, आंकड़े हस्तांतरण, सुरक्षा इत्यादि के लिए विकसित उपकरणों के क्षेत्र में सूचना विज्ञान संसाधन का निर्माण करना।

(iv) जैवसूचना विज्ञान एवं जैवप्रौद्योगकी उद्योग और जैवसूचना विज्ञान उद्योग के लिए उष्मायन केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए विकास में सहायता प्रदान करना।

(v) जैवप्रौद्योगिकी एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रयोगकर्त्ताओं की राष्ट्रीय सामुदायिक वर्ग को अभिकलित्र प्रोत्साहन संबंधी सेवाएं प्रदान करना और अपेक्षित सूचनाएं, आवश्यक आधारिक संरचना कर सृजन करने की पहुंच को सुलभ करना।

(vi) प्रयोगकर्त्ताओं की शिक्षा पर कार्यक्रमों को और जैवप्रौद्योगिकी की सूचना विज्ञान तथा जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के अनुप्रयोग को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी सूचना वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण को विकसित एवं उनका कार्यान्वयन करना।

(vii) (आनुवंशिक सामग्री, प्रकाशित साहित्य, एकस्व अधिकार और वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक मूल्यों की अन्य सूचनाओं पर आंकड़ों का संग्रहण इत्यादि जैसे) जैवप्रौद्योगिकी सूचना विज्ञान के कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों सहित सम्पर्कों की संस्थापना को शामिल करते हुए विश्वव्यापी स्तर पर जैवप्रौद्योगिकी सूचना विज्ञान की सुलभता के लिए प्रयासों का समन्वय करना।

(viii) जीनोमी, संरचनात्मक-जीनोमी, प्रोटीन, माइक्रोएरे मेटाबोलिज्म, सिस्टम बायोलॉजी इत्यादि के विश्लेषण के लिए सूचना विज्ञान प्रक्रमण प्रणाली पर आधारित प्रोन्नत कम्प्यूटर विकसित करना।

(ix) विनियोजित नेटवर्क व्यवस्थाओं के विकास के माध्यम से जैवप्रौद्योगकी में वैज्ञानिक सूचना विज्ञान के आदान-प्रदान की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन करना।

(x) जैवसूचना विज्ञान के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण और जीवन विज्ञान एवं जैवप्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास की गुणवत्ता में सुधार लाए जाने के लिए जैवसूचना विज्ञान का प्रयोग करना।

(xi) कृषि उत्पादकता, पर्यावरण, स्वास्थ्य इत्यादि में सुधार लाए जाने सहित अनुभवी वैज्ञानिकों से सम्बद्ध जैवसूचना विज्ञान में अनुसंधान पर कार्य निष्पादन करना।

विवरण

जैवसूचना विज्ञान में उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.ई.एस.) और बी.टी.आई.सी.

बोस संस्थान
डॉ. पी. चक्रावर्ती
समन्वयक
सूचना विज्ञान केन्द्र,
आचार्य जे.सी. बोस सेनटेनरी बिल्डिंग
पी-1/12, सी.आई.टी. स्कीम VII एम
कोलकाता-700 054
दूरभाष: 91-033-23346626
फैक्स: 91-033-23343886
ई मेल: dicdbt@boseinst.ernet.in

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
प्रो. आलोक भट्टाचार्य
समन्वयक
सूचना विज्ञान केन्द्र,
हाल नं. 4ए, लेक्चर हाल काम्प्लैक्स
न्यू महरोली रोड,
नई दिल्ली-110 067.
दूरभाष: 91-011-26717584
फैक्स: 91-011-26717586
ई मेल: alok0200@mail.jnu.ac.in

पुणे विश्वविद्यालय
डा. इंदिरा घोष
समन्वयक
सूचना विज्ञान केन्द्र,
गणेश खिंड
पुणे-411 007
फोन: 91-020-25690195, 25692039
फैक्स: 91-020-25690087
ई मेल: director@bioinfo.ernet.in

भारतीय विज्ञान संस्थान
प्रो. एस. रामाकुमार,
कार्डिनेटर
सूचना विज्ञान केन्द्र,
रमन बिल्डिंग
बंगलौर-560 012.
फैक्स: 91-080-23600551
ई मेल: remak@physics.iisc.ernet.in

मदुरै कामराज विश्वविद्यालय
डा. एस. कृष्णास्वामी
समन्वयक
सूचना विज्ञान केन्द्र,
स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
मदरै-625 021.
दूरभाष: 91-0452-2459141
फैक्स: 91-0452-2459105
ई मेल: Krishna@mrna.tn.nic.in

शीर्ष सूचना विज्ञान केन्द्र
डा. टी. मदन मोहन
सलाहकार
जैवप्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ब्लाक-2, 7वां तल
सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110 003.
दूरभाष: 91-011-24362778
फैक्स: 91-011-24361813
ई मेल: madhan@dbt.nic.in

वितरित सूचना केन्द्रों की सूची

अन्ना विश्वविद्यालय
डॉ. पी. गौतम
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
सरदार पटेल रोड, गिंडी
चेन्नई-600 025.
दूरभाष: 91-044-22350772
फैक्स: 91-044-22350299
ई मेल: tkothai@annauniv.edu

इंडियन एग्रिकल्चरल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट
डॉ. एच. चंद्राशेखरन
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
पूसा कैम्पस
नई दिल्ली-110 012.
दूरभाष: 91-011-25841255, 25842490
फैक्स: 91-011-25843719
ई मेल: nkalra@iari.res.in

केरला एग्रिकल्चरल युनिवर्सिटी
डॉ. आर. केशवाचंद्रन
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
पी.ओ. वेल्लानिक्करा
थ्रीसूर-680 656.
दूरभाष: 91-0487-2371994
फैक्स: 91-0487-2370019
ई मेल: Kauhqr@hub.nic.in

राष्ट्रीय मस्तिष्क विज्ञान केंद्र
डॉ. नंदनी सी. सिंह
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
एन.एस.जी. कैम्पस
नैनवाल मोड़ रोड, मानसेर
हरियाणा-122 050.
दूरभाष: 91-0124-2338921-26 एक्सटेन. 45
फैक्स: 91-0124-2338928
ई मेल: nandini@nbrc.ac.in

पांडिचेरी यूनिवर्सिटी
डॉ. पी.पी. माथुर,
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
पांडिचेरी-605 011.
दूरभाष: 91-413-2655212
फैक्स: 91-413-2655211
ई मेल: bicpu2001@yahoo.co.in

सेंटर फार सेल्यूलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी
डॉ. के. गुरू प्रसाद
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
उप्पल रोड
हैदराबाद-500 007.
दूरभाष: 91-40-27192779
फैक्स: 91-40-27160591
ई मेल: guru@ccmb.res.in

इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टैक्नोलॉजी
डॉ. जी.पी.एस. राघवा
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
सैक्टर-39-ए,
चंडीगढ़-160 036.
दूरभाष: 91-172-2690557
फैक्स: 91-172-2690585
ई मेल: raghava@imtech.res.in

एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदा
डॉ. बी.बी. चाटू
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
बड़ौदा-390 002
दूरभाष: 91-0265-2794396
फैक्स: 91-0265-2792508
ई मेल: chattoo@bcmsu.ac.in

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान
डॉ. डी.एम. सालुंके
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली-110 067.
दूरभाष: 91-011-26717121-45
फैक्स: 91-011-26162125
ई मेल: dinakar@nii.res.in

कलकत्ता यूनिवर्सिटी
डॉ. शुंभाशीष मुखर्जी
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
कलकत्ता-700 009.
दूरभाष: 91-033-23510359
फैक्स: 91-033-23510360
ई मेल: sabmbq@caluniv.ac.in

वितरित सूचना उप-केन्द्रों की सूची

ए.सी.टी.आर.ई.सी.
डॉ. रोबिन मुखोपाध्याय
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
एडवांस सेंटर फार ट्रीटमेंट रिसर्च एवं एजुकेशन इन कैंसर (ए.सी.टी.आर.ई.सी.)
खारगर, मुम्बई
दूरभाष: 91-022-27405000
फैक्स: 91-0265-2792508
ई मेल: btis@actrec.res.in

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
डॉ. वाई.डी. शर्मा
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
अंसारी नगर, नई दिल्ली
दूरभाष: 91-011-26594609
फैक्स: 91-011-26852286
ई मेल: ydsharma@hotmail.com

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय
प्रो. अशोक कुमार
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
वराणसी-221 005.
दूरभाष: 91-0542-2368364
फैक्स: 91-0542-2368693
ई मेल: coordinator_bhu@rediffmail.com

बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी
डॉ. अनिल प्रकाश
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
भोपाल-462 026.
दूरभाष: 91-0755-2677748, 2677749
फैक्स: 91-0755-5287047
ई मेल: ap_btsbpl@sancharnet.in

बायोटेक कंशोर्शियम इंडिया लि.
डॉ. पूर्णिमा शर्मा
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र
210, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110 002.
दूरभाष: 91-011-23219064-67
फैक्स: 91-011-23219063
ई मेल: bcildelhi@vsnl.com

बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च
अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय
डॉ. एम. सलिमुद्दीन
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
बायोटैक्नोलॉजी बिल्डिंग
अलीगढ-202 002.
दूरभाष: 91-0571-2720388
फैक्स: 91-0571-2721776
ई मेल :alg_btisamuna@sancharnet.in

आसाम एग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय
डॉ. महेन्द्र कुमार मोदी
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
जोरहाट-785 013.
दूरभाष: 91-0376-2340101, 2340095
फैक्स: 91-0376-2340101
ई मेल: mkmodi@gmail.com

वनस्थली विद्यापीठ
प्रो. विनय शर्मा
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
पी.ओ. बनस्थली-304 022.
दूरभाष: 91-01438-228302, 228341
फैक्स: 91-01438-228365
ई मेल: vinaysharma30@yahoo.co.uk

भारतीदासन यूनिवर्सिटी
डॉ. एल. ऊमा
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
तिरूचिरापल्ली-620 024.
दूरभाष: 91-0431-2407082
फैक्स: 91-0431-2407084
ई मेल: director@nfmc.res.in

बायोटेक पार्क इन बायोटेक्नोलॉजी सिटी
डॉ. एस.पी. श्रीवास्तव
कॉओर्डिनेटर
आर.एस.ए.सी. कैम्पस, सेक्टर "जी"
जानकीपुरम, कुर्सी रोड,
लखनऊ-226 001.
दूरभाष: 91-0522-2365050
फैक्स: 91-0522-2365755
ई मेल: info@biotechcitylucknow.org

बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी
डॉ. पी. घोष
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,

स्टेटस सर्किल
जयपुर-302 001.
दूरभाष: 91-0141-2385283
फैक्स: 91-0141-2385121
ई मेल: bioinfo@bisrjaipur.com

सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट
डॉ. एम. बालकृष्णन
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन पोर्टब्लेयर
दूरभाष: 91-3192-250239
फैक्स: 91-3192-251068
ई मेल:

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर
एक्वाकल्चर (सी.आई.एफ.ए.)
डॉ. ए.के. राय
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
पी.ओ. कौशल्यगंगा
बुवनेश्वर-751 002.
दूरभाष: 91-0674-2465430
फैक्स: 91-0674-2465407
ई मेल: cifa@ori.nic.in

सेंट्रल प्लांटेशन क्रोप्स रिसर्च
इंस्टीट्यूट (सी.पी.सी.आर.आई.)
डॉ. जॉर्ज वी थोमस
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
पी.ओ. कुडलु
कासरगोड-671 124.
दूरभाष: 91-04994-232974
फैक्स: 91-04992-232332
ई मेल: bioinfcpcri@yahoo.co.uk

सी.एस.के. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
डॉ. एस.आर. ठाकुर
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
पालमपुर
दूरभाष: 91-1894-230314
फैक्स: 91-1894-230511
ई मेल: srthakur@hillagric.ernet.in

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
प्रो. अनिल कुमार
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
स्कूल ऑफ बायोटैक्नॉलॉजी
खंडवा रोड, इंदौर-452 017.
दूरभाष: 91-0731-2470372, 2470373
फैक्स: 91-04994-232322
ई मेल: ak_sbt@yahoo.com

बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी
डॉ. ए.एस. विद्यार्थी
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
मेसरा, रांचि
दूरभाष: 91-651-2276223
फैक्स: 91-651-2276590
ई मेल: btis_bit@bitmesra.ac.in

सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट
डॉ. पी.के. रॉय
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
छत्तर मंजिल, पी.बी. नं. 173
लखनऊ-226 001.
दूरभाष: 91-0522-2213812
फैक्स: 91-0522-2223938
ई मेल: prodyutr@yahoo.com

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसलन एंड
एरोमेटिक प्लांट्स (सी.आई.एम.ए.पी.)
डॉ. अशोक शर्मा
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
पी.ओ. सी.आई.एम.ए.पी., कुकराली पिकनिक स्पाट रोड
लखनऊ-226 015.
दूरभाष: 91-0522-2357133
फैक्स: 91-0522-2342666, 2357136
ई मेल: ashoksharma@cimap.res.in

सेंट्रल सेरीकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
डॉ. एस.बी. दांदीन
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,

मानन्दावाडी रोड
श्रीरामपुरा, मैसूर-570 008
दूरभाष: 91-0821-2362547, 2362757
फैक्स: 91-0821-2362845
ई मेल: btis_csrti@yahoo.com

डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एंड फोरेस्ट्री
डॉ. एस.वी. भारद्वाज
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
पी.ओ. नौनी, सोलन-173 230
दूरभाष: 91-01792-252310
फैक्स: 91-01792-252242
ई मेल: satbhardwaj@yahoo.com

इंजीनियरिंग कॉलेज
प्रो. एम.के. वर्मा
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
रायपुर
दूरभाष: 09425203472
फैक्स: 0771-0771-4062385
ई मेल: mkseem670@rediffmail.com

जी.बी. पंत यूनीवर्सिटी ऑफ एग्रिकल्चर एंड टैक्नोलॉजी
डॉ. सोमा मार्ला
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
पंत नगर-263 145.
दूरभाष: 91-05944-233374
फैक्स: 91-05944-233473
ई मेल: gkgarg45@rediffmail.com

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी
प्रो. पी.सी. भल्ला
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
समर हिल, शिमला-171 005
दूरभाष: 91-0177-2832153, 2831948
फैक्स: 91-0177-2832154
ई मेल: bhallate@rediffmail.com

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पापइसिज रिसर्च
डॉ. संतोष जे. ईपन
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
पी.बी. नं. 1701,
कालिकट-673 012
दूरभाष: 91-0495-2732000
फैक्स: 91-0495-2730294
ई मेल: disc@iisr.org

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी
डॉ. एस.सी. कुंडु
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
खड़गपुर-721 302 (पश्चिम बंगाल)
ई मेल: kundu@hijli.iitkgp.ernet.in

इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज
डॉ. सुब्रता के. दास
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
नेल्को स्क्वैयर, नजदीक कलिंगा अस्पताल ताक्येलपाल,
चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751 023.
दूरभाष: 91-0674-2301500
फैक्स: 91-0674-2300728
ई मेल: subratkdas@hotmail.com

कर्नाटक वेटनरी, एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज
डॉ. आई. करूणासागर
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
मंगलौर-575 002.
दूरभाष: 91-0824-2246384, 2243180
फैक्स: 91-0824-2246384, 2248366
ई मेल: mircen@sancharnet.in

गुरू नानक देव यूनीवर्सिटी
डॉ. गुरचरण कौर
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
अमृतसर-143 005.
दूरभाष: 91-0183-2258431
फैक्स: 91-0183-2258272
ई मेल: bicamritsar@yahoo.com

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल बायोलॉजी
डॉ. चित्रा दत्ता
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
4, राजा एस.सी. मल्लिक रोड, जादवपुर कोलकत्ता
दूरभाष: 91-033-24733491
फैक्स: 91-033-24735197
ई मेल: cdutta@iicb.res.in

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, दिल्ली
डॉ. अशोक कुमार श्रीवास्तव
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
होजखास, नई दिल्ली-110 016.
दूरभाष: 91-011-26596156
फैक्स: 91-011-26582282
ई मेल: saroj@dbeb.iitd.ernet.in

इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट
डॉ. राजेन्द्र सिंह
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
एन.एल.वी.एस. इज्जतनगर-243 112
ई मेल: btis@ivri.up.nic.in

इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट
डॉ. सनिल एस. थोरट
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
इम्फाल: मणिपुर-795 001.
दूरभाष: 91-385-2446421, 2446122
फैक्स: 91-385-2446120
ई मेल: ibsd_imp@sancharnet.in

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
डॉ. बी.सी. हरिनाथ
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
जे.बी. ट्रोपिकल डिजिज रिसर्च सेंटर
सेवाग्राम, वर्धा-442 102
दूरभाष: 91-07152-284679
फैक्स: 91-07152-284038
ई मेल: jbtdrc_wda@sancharnet.in

एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फॉउन्डेशन
श्री. एस. सेंथिलकुमारन
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
3 क्रॉस स्ट्रीट, तारामणी इंस्टीट्यूशनल एरिया
चेन्नई-600 113.
दूरभाष: 91-044-22542791
फैक्स: 91-044-22541319
ई मेल: senthil@mssrf.res.in

राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसांधा केंद्र
प्रो. अशीष दत्ता
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
अरुणा आसफ अली मार्ग,
पी.ओ. बॉक्स नं. 10531
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय कैम्पस
नई दिल्ली-110 067.
दूरभाष: 91-11-32942824, 26178750
फैक्स: 91-11-26716658
ई मेल: asisdatta@hoitmail.com

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑशनोग्राफी
डॉ. सी.टी. इच्यूथनकुट्टी
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
बायोलॉजिकल ऑशनोग्राफी डिविजन
डोलापोला, गोवा-403 004.
दूरभाष: 91-0832-2450219
फैक्स: 91-0832-2450606
ई मेल: achu@nio.org

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
डॉ. एस.सी. शर्मा
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
लुधियाना-141 004.
दूरभाष: 91-161-2411774
फैक्स: 91-161-2401444
ई मेल: scsharma_13@yahoo.com

रीजनल रिसर्च लेबोरेट्री
डॉ. जी.एन. काज़ि
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,

सी.एस.आई.आर. कैनाल रोड
जम्मू-तवी--180 001.
दूरभाष: 91-0191-2570526
फैक्स: 91-0191-2546030
ई मेल: abr19787@yahoo.com

नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
डॉ. सुदर्शन कुमार
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
लखनऊ-226 001.
दूरभाष: 91-0522-2204025, 2204026
फैक्स: 91-0522-2205673
ई मेल: s.kumar@nbri.res.in

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
डॉ. डी.के. जैन
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
करनाल-132 001
दूरभाष: 91-0184-2259014
फैक्स: 91-0184-2250042
ई मेल: dkjn@rediffmail.com

नार्थ इस्टर्न हिल्स यूनीवर्सिटी
प्रो. पी. टंडन
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
नेहू कैम्पस शिलोंग-793 022.
दूरभाष: 91-0364-2550150
फैक्स: 91-0364-2550300
ई मेल: bioinfo1@sancharnet.in

राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटैक्नोलॉजी
डॉ. सतीश मुंडायूर
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
थाईकोड, पो.ओ. पूजापुरा, थिरूवनन्थापुरम
दूरभाष: 91-0471-2347975, 2341716
फैक्स: 91-0471-2348096
ई मेल: sathish.mundayoor@gmail.com

स्टेट कॉऊंसिल फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी
फार सिक्किम
श्री बी.सी. बसिष्ठा
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
पी.ओ. देवराली
गंगटोक, ईस्ट सिक्किम-737 102
दूरभाष: 919434109894
फैक्स: 91-03592-228764
ई मेल: btis_skm@yahoo.com

टी.एम. भागलपुर यूनीवर्सिटी
डॉ. आर.पी. उपाध्याय
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
भागलपुर-812 007.
दूरभाष: 91-0641-2500063
फैक्स: 91-0641-2423481
ई मेल: ramprakash.upadhyay@rediffmail.com

तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंसेट यूनीवर्सिटी
डॉ. के. गजेन्द्रम
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
मद्रास-600 007
दूरभाष: 91-044-25360106, 25365418
फैक्स: 91-044-25360114
ई मेल: btismvc@giasmd0.1.vsnl.net.in

दिल्ली विश्वविद्यालय
प्रो. अनिल के. त्यागी
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
नई दिल्ली-110 021.
दूरभाष: 91-011-26888434
फैक्स: 91-011-26885270
ई मेल: akt1003@rediffmail.com

तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी
डॉ. पी. बालासुब्रामनियन
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
कोयमबटूर-641 003.
दूरभाष: 91-422-5511453
फैक्स: 91-422-2431672
ई मेल: balasubrap@hotmail.com

ट्रोपिकल बोटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट
डॉ. पी.एन. कृष्णन
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
पलोडे, थिरूवनन्थापुरम-695 562.
दूरभाष: 91-0472-2869622, 2753050
फैक्स: 91-0472-2869646
ई मेल: tbgri@sancharnet.in

कश्मीर विश्वविद्यालय
डॉ. खुर्शीद आई. आंद्राबी
कॉओर्डिनेटर
सूचना विज्ञान केंद्र,
हजरतबल, श्रीनगर, कश्मीर-190-006.
दूरभाष: 91-0194-2428723
फैक्स: 91-0194-2428723
ई मेल: andrabik@yahoo.com

जैव सूचना विज्ञान आधारित संरचना सुविधा (बी.आई.एफ.)

डॉ. विश्व मोहन कटोच
राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान एवं अन्य
माइकोबैक्टीरियल डिसीजिज 1
डॉ. एम. मियाजाकी मार्ग
तेजगंज, आगरा-282 001.

डॉ. पी.ए. वाडेगोंकार
संत गेज बाबा अमरावती विश्वविद्यालय
अमरावती-444602.

डॉ. प्रोबोध ब्रोच
कॉलेज ऑफ वेटरीनरी साइंस
असम कृषि विश्वविद्यालय
खानापारा, गुवाहाटी-781 022

डॉ. बीना पांडे
कुमाऊं विश्वविद्यालय
नैनीताल-263 001
उत्तरांचल

प्रो. एम.एन. रेड्डी
श्रीपदमावती महिला विश्वविद्यालय
यूनिवर्सिटी कालेज (यूनि. फॉर वूमैन)
तिरूपति-715502.

डॉ. एन. लता
श्री वेंक्टेश्वर कालेज
बनिटो जार्ज रोड
धौला कुआं, नई दिल्ली-110 021

डॉ. अप्पा राव पोडाइल
हैदराबाद विश्वविद्यालय
गचीबोवली, हैदराबाद-500 046

डॉ. सीता नायक
संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ
मेडिकल साइंसेज
रायबरेली रोड
लखनऊ-226 014

डॉ. (श्रीमती) पी. डेजी
हॉली क्रास कालेज फॉर वूमैन
तिरूचिरापल्ली-620 002

डॉ. पी.एन. जगदेव
उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एवं टेक्नोलॉजी
भुवनेश्वर-751 003

प्रो. अशोक रंजन ठाकुर
वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी
बीएफ-142, साल्ट लेक
कोलकात्ता-700 064

डॉ. अशोक चौधरी
गुरू जाम्बेशर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
हिसार-125 001, हरियाणा

डॉ. पी. शनमुगावेल
भारतीयार विश्वविद्यालय
कोयम्बतूर-641046.

डॉ. बी.के. कुंवर
तेजपुर विश्वविद्यालय नापाम, तेजपुर
जिला सोनातुर-784 028
असम

प्रो. द्विजेंद्रा के. गुप्ता
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लीनरी स्टडीज,
नेहरू साइंस सेंटर
इलाहाबाद-211 002

डॉ. अमरेन्द्रा नारायण
फकीर मोहन विश्वविद्यालय
व्यासा विहार, बालासोर-756 019

प्रो. गीता बाली
बंगलौर विश्वविद्यालय
जे.बी. कैंपस, बंगलौर-560 056

प्रो. यू.एन. द्विवेदी
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ-2266007

डॉ. के.आर. परदासनी
मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
भोपाल-462 007

डॉ. एस. करूथा पांडियन
अल्गाप्पा विश्वविद्यालय
करायकुडी-630 003
सिवागंगा जिला तमिलनाडु

डॉ. (श्रीमती) शेनबागाराथाई
लेडी डॉक कालेज नारीमेदु
मदुरै-625 002

डॉ. एच.एस. वालियान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ-250 004, उत्तर प्रदेश

प्रो. वी.के. यादव
सरदार वलभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ
एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी
मोदीपुरम, मेरठ-250 110

डॉ. संजय के. कटियार
इंदिरा गांधी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी
कृषक नगर, रायपुर-492 006

डॉ. पी. रामासामी
मद्रास विश्वविद्यालय
चिपोक चेन्नई-600 005

प्रो. एस.बी. पाधी
ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय
बायोटेक्नोलॉजी विभाग
ब्रह्मपुर-760 007

डॉ. डी. अरूल सम्राज़
मद्रास क्रिश्चियन कालेज
ईस्ट तम्बाराम, चेन्नई-600 059

प्रो. मनोज के. धर
जम्मू विश्वविद्यालय,
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर रोड
जम्मू-180 006, जम्मू एण्ड कश्मीर

प्रो. एस.के. दत्ता
नार्थ उड़ीसा विश्वविद्यालय
श्रीरामचन्द्र विहार, ताकतपुर
बड़ीपादा-757003, उड़ीसा

प्रो. एस. राजारंजन
प्रेजीडेंसी कालेज
100, कामराजार सलाई
चिपोक
चेन्नई, 600 005

डॉ. एम.वी. जोसेफ
कालीकट विश्वविद्यालय
पी.ओ. मालापुरम
जिला केरल-673 635

डॉ. एम. हरिदास
कनूर विश्वविद्यालय
मंगाटुपरम्बा, के.यू. कैंपस
पोस्ट, ऑफिस, कनूर-670 567, केरल

प्रो. एस.आई. एहसन
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय
कम्प्यटूर साइंस विभाग
जामिया मिलिया इस्लामिया
नई दिल्ली-110 025

डॉ. अच्यूत शंकर एस. नायर
केरल विश्वविद्यालय, कार्यावाटम
तिरूवअनन्तपुरम-695 034, केरल

महानगरों तथा प्रमुख शहरों हेतु योजनाएं

663. श्री भर्तृहरि महताब: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में ग्रामीण लोगों द्वारा शहरी क्षेत्रों में किए जाने वाले बढ़ते हुए प्रवास की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो बढ़ते हुए शहरी निवासियों को योजनाबद्ध तरीके से बसाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या महानगरों तथा प्रमुख शहरों हेतु कोई विनिर्दिष्ट योजना बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा कार्यक्रम (बी.एस.यू.पी.) के तहत 63 चुनिंदा शहरों में शहरी गरीबों के लिए आवास एवं अवस्थापनात्मक सुविधायें मुहैया कराने में शहरों एवं कस्बों की सहायता करने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) शुरू किया है। मिशन में शामिल नहीं किये गये शहरों में आवास एवं स्लम उन्नयन कार्यक्रम चलाने के लिए समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) शुरू किया गया है। बी.एस.यू.पी. एवं आई.एच.एस.डी.पी. दोनों ही कार्यक्रमों को दिसम्बर, 2005 से कार्यान्वित किया जा रहा है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. में शहरों और कस्बों के आन्तरिक और परिधीय क्षेत्रों, दोनों को शामिल करके शहर विकास योजना के अनुसार शहरों व कस्बों के शहरी व क्षेत्रीय नियोजन में सुधार तथा विकास करने की परिकल्पना की गई है।

बिल्डरों के विरुद्ध शिकायतें

664. श्री जसुभाई धानाभाई बारड:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिल्डरों तथा उनके एजेन्टों के विरुद्ध ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने तथा उन्हें परियोजनाओं के बारे में गलत सूचना देने के संबंध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे बिल्डरों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार के पास बिल्डरों के ऐसे व्यवहार को रोकने हेतु रियल एस्टेट मैनेजमेंट (रेग्युलेटरी एण्ड कंट्रोल) बिल, 2006 लाने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 16 जनवरी, 2007 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक पुर्नःस्थापित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) निर्माण गतिविधियां विकास प्राधिकरणों/शहरी स्थानीय निकायों में भवन निर्माण उपनियमों द्वारा विनियमित होती हैं। इस प्रकार यह राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है।

(घ) और (ङ) एक मॉडल विधेयक अर्थात् स्थावर सम्पदा प्रबन्धन (विनियमन और नियन्त्रण) विधेयक अधिनियमन हेतु तैयार किया गया था। तथापि, यह विधेयक अभी भी प्रारूप स्तर पर है। प्रारूप स्तर पर होने के कारण यह नहीं बताया जा सकता कि इसे कब पेश किया जाएगा।

ऊर्जा नीति की समीक्षा

665. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान नई कम कार्बन ऊर्जा नीति की ओर आकर्षित किया गया है जैसा यूरोपीय संघ ने हाल में उजागर किया है जिसमें अधिक ऊर्जा क्षमता, कम उत्सर्जन तथा अधिक पुनउर्पयोगी ऊर्जा होगी जिससे विशेषकर ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में एक उत्तर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग तथा यूरोपीय संघ एवं पश्चिमी देशों में विकास, कम कार्बन अर्थव्यवस्था पर जोर देने के संदर्भ में अपनी ऊर्जा नीति की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) जी हां। यूरोपीय यूनियन अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए क्योटो प्रोटोकोल के प्रति कृतसंकल्प है और ये प्रयास उसी दिशा में किए जा रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र की आधारिक संरचना (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया है। इस संधि में कहा गया है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन विकासशील देशों की पहली एवं सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। संधि में जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीय प्रयासों के जरिए ध्यान देने तथा विभिन्न देशों की क्षमताओं के मुताबिक उनकी पृथक जिम्मेवारियों से संबंधित सिद्धांत रखे गए हैं। औद्योगिक देश,

देश जो संधि के अनुबंध-1 में दर्शाए गए है, इंगित लक्ष्यों के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का नाम उक्त अनुबंध-1 में नहीं है और इसने ऐसे कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की है।

भारत आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है जो ज्यादा कुशल और किफायती हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन के लिए सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी के प्रयोग को एक आवश्यक शर्त के रूप में रखा गया है। यह प्रौद्योगिकी काफी कार्यकुशल है और इससे प्रति यूनिट विद्युत के उत्पादन में कोयले का कम खर्च होता है। विद्युत के खपत में ऊर्जा कार्यकुशलता के उपायों को भी ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बी.ई.ई.) द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत एक संविधिक प्राधिकरण है।

हमारी राष्ट्रीय विद्युत नीति पूर्ण संभाव्य जल विद्युत क्षमता के विकास पर बल देती है, जो ऊर्जा का स्वच्छ एवं अक्षय स्रोत है।

भारती की एकीकृत ऊर्जा नीति में ऊर्जा कार्यकुशलता और अक्षय ऊर्जा को दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

[हिन्दी]

स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण

666. प्रो. महादेवराव शिवनकर:

श्री मो. ताहिर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों की विभिन्न शाखाओं को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु 19 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं जैसा कि दिनांक 5 फरवरी, 2007 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) आज की तिथि तक इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा कुल कितना ऋण संवितरित किया गया;

(घ) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी रही;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार शेष आवेदकों को ऋण प्रदान करने हेतु प्रयास कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) वर्ष 2006-07 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के तहत बैंकों को प्रस्तुत किए गए ऋण आवेदनों की कुल संख्या 447527 थी। 2869.12 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में फरवरी, 2007 तक जुटाया गया ऋण 1166.46 करोड़ रुपये था।

(घ) लक्ष्य की तुलना में प्रतिशत में 59,34 की कमी थी।

(ङ) और (च) विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एस.एल.बी.सी.) को बैंकों द्वारा ऋण संवितरण का लक्ष्य प्राप्त करने तथा उधार देने में सुधार करने की सलाह दी गई है। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के प्रभारी सचिवों को बैंकों द्वारा ऋण संवितरण की समीक्षा करने तथा राज्य स्तर पर स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना समिति की बैठक में मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए कहा गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह दी थी कि एस.जी.एस.वाई., एस.जे.एस.आर.वाई. तथा एस.एल.आर.एस. के अन्तर्गत संस्वीकृत ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रिमों के रूप में माना जाना चाहिए।
- शाखा प्रबन्धकों को एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत प्रस्ताव मंजूर करने के लिए पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियां दी जानी चाहिएं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी उच्च्य प्राधिकारी को मामला भेजना जरूरी नहीं होना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं कि एस.जी.एस.वाई. योजना के तहत कागजी कार्यवाही को सरल बनाया जाए जिससे हिताधिकारियों को दिक्कतें न हों और आवेदनों के निपटान में विलम्ब न हो।
- एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ऋण आवेदनों को 15 दिन की निर्धारित समय-सीमा में तथा हर हाल में एक माह के भीतर निपटाया जाना चाहिए।
- यदि सेवा क्षेत्र शाखा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर "अदेयता प्रमाण पत्र" जारी नहीं करती है तो उधारकर्ता संबंधित सेवा क्षेत्र शाखा का

"अदेयता प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किए बिना अपनी ऋण आवश्यकता के लिए प्रखण्ड में स्थित अन्य किसी शाखा से सम्पर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों हेतु एशियाई विकास बैंक से ऋण

667. श्री अनन्त नायक: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने देश में कुछ गैस आधारित एवं कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने हेतु एशियाई विकास बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों की स्थापना हेतु किन स्थलों का चयन किया गया है; और

(घ) ऐसे प्रत्येक संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है तथा इनसे कितनी और विद्युत क्षमता सृजित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) एन.टी.पी.सी. लि. ने अपनी कुछ कोयला आधारित परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से 300 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण लिया है। ऋण करार पर दिनांक 21 सितंबर, 2006 को हस्ताक्षर हुए हैं। यह ऋण सरकार की गारंटी के बिना जारी किया गया है। ऋण दो प्रकार का है, सुविधा "ए" और सुविधा "बी" सुविधा "ए" के तहत् ऋण की परिपक्वता अवधि 11 वर्ष और सुविधा "बी" के तहत् 7 वर्ष है। ऋण अस्थायी ब्याज दर पर देय है। कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय के आंशिक वित्तपोषण में ऋण को उपयोग में लाया जाएगा जिसमें से ऐसे संयंत्रों में से प्रत्येक की अनुमानित लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम एवं स्थल (राज्य)		क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत करोड़ रुपये में (मूल्य आधार)
1.	सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, स्टेज-1, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)		1980 मेगावाट (3x660 मेगावाट)	8323.39 (2003 की दूसरी तिमाही)
2.	सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, स्टेज-2, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)		1000 मेगावाट (2x500 मेगावाट)	4039.67 (2003 की दूसरी तिमाही)
3.	कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, स्टेज-2,	फेज-I	1000 मेगावाट (2x500 मेगावाट)	4002.88 (2003 की चौथी तिमाही)
	जिला भागलपुर (बिहार)	फेज-II	500 मेगावाट (1x500 मेगावाट)	1866.10 (2003 की पहली तिमाही)

अब तक, एन.टी.पी.सी. ने उक्त ऋण में से 141 अमरीकी डॉलर का ऋण आहरित कर लिया है।

न्यायपालिका हेतु अवसंरचना का विकास

668. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार न्यायपालिका हेतु अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या राज्य सरकारों को प्रदान की गई धनराशि के उपयोग पर निगरानी हेतु कोई निगरानी प्रणाली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन योजना निधियां राज्य की जनसंख्या और उस राज्य के भीतर विद्यमान न्यायालयों की संख्या के प्रतिनिर्देश से योजना आयोग के सूत्र के आधार पर राज्यों को आबंटित की जाती हैं।

(ग) आज की तारीख तक 2006-07 के दौरान राज्यों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्यों के नाम	लाख रुपए में
1.	आन्ध्र प्रदेश	386.00
2.	छत्तीसगढ़	114.00
3.	गुजरात	190.00
4.	हरियाणा	80.00
5.	झारखंड	70.00
6.	कर्नाटक	200.00
7.	केरल	128.00
8.	महाराष्ट्र	416.00
9.	मध्य प्रदेश	205.00
10.	पंजाब	105.00
11.	तमिलनाडु	245.00
12.	उत्तर प्रदेश	642.00
13.	सिक्किम	500.00
14.	नागालैंड	550.00
	कुल	3831.00

(घ) और (ङ) राज्यों को उपलब्ध कराई गई निधियों के उपयोग की उन उपयोग प्रमाण-पत्रों के माध्यम से मानीटर की जाती हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा दिया जाना अपेक्षित है। ये उपयोग प्रमाण-पत्र राज्य सरकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रणों की किस्म को भी उपदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुदानों को, राज्य सरकार द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्रों के समाधानप्रद रूप से प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए न्याय विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

669. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री अबु अयीश मंडल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में 26% से 49% तक की वृद्धि करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल की आपूर्ति

670. श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्रीमती अर्चना नायक:
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के उद्देश्य क्या हैं तथा इसके आरम्भ से प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी सफलता हासिल हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक जिले में राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने ग्रामीण आवास क्षेत्रों को पूर्णतः और कितने आवास क्षेत्रों में आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति सुविधाएं प्रदान की गई हैं तथा कितने क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अन्तर्गत

राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा उपयोग में लाई गई; और

(घ) सभी ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों को बिना किसी विलम्ब के पेयजल प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु): (क) जल राज्य का विषय है। पेयजल उपलब्ध कराने की मुख्य जिम्मेवारी राज्यों की है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) का उद्देश्य ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य सरकारें ग्रामीण बसावटों की कवरेज के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं तैयार करने, स्वीकृत करने और कार्यान्वित करने के लिए स्वतंत्र हैं। निधियां प्रत्येक वर्ष अन्तर्राज्यीय आबंटन मानदंड के आधार पर वितरित की जाती हैं जिसमें कवर न की गई बसावटों की संख्या, ग्रामीण जनसंख्या, भौतिकीय स्थलों आदि जैसे विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा जाता है।

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. लागू करने के बाद कवरेज स्थिति इस प्रकार है:-

वर्ष	कवरेज
1972-73 से 1991-92 तक	7,45,759 गांव
8वीं योजना (1992-93 से 1996-97 तक)	3,39,705 गांव/ बसावटें
9वीं योजना (1997-98 से 2001-2002 तक)	4,17,951 बसावटें
10वीं योजना (2002-03 से 2006-07 तक)	3,12,164 बसावटें*

*जनवरी, 2007 के अंत तक।

तथापि, कवरेज एक परिवर्तनशील अवधारणा है। एक बार पूरी तरह कवर कर ली गई कई बसावटें निम्नलिखित जैसे पहलुओं के कारण एन.सी./पी.सी. श्रेणी में वापस आ सकती हैं:-

- स्रोत सूख जाना या भू-जल स्तर कम हो जाना।
- स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होना।
- प्रणालियां पुरानी हो जाना।
- खराब प्रचालन एवं रखरखाव के कारण प्रणालियों का निर्धारित क्षमता से कम काम करना।
- जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आना।
- नई बसावटें बनना।

ग्रामीण बसावटों में पेयजल की स्थिति का निर्धारण करने के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार कवरेज स्थिति नीचे दी गई है:-

श्रेणी	बसावटों की संख्या (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. मानकों के अनुसार) 2003 सर्वेक्षण*
पूर्ण रूप से कवर की गई (एफसी)	869997
कवर न की गई (एनसी)	247943
आंशिक रूप से कवर की गई (पीसी)	389409
कुल	1507349

*मणिपुर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा दिल्ली को छोड़कर।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पेयजल आपूर्ति सुविधाओं से कवर की गई ग्रामीण बसावटों की संख्या और ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अन्तर्गत प्रदत्त एवं उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I तथा II में दिया गया है। चूंकि राज्य परियोजनाएं अपने स्तर पर बनाते हैं, स्वीकृत करते हैं और कार्यान्वित करते हैं, इसलिए केंद्र स्तर पर जिलेवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) पेयजल आपूर्ति, भारत निर्माण के छह घटकों में से एक है, जिसे ग्रामीण आधारभूत सुविधाएं बनाने के लिए चार वर्षों अर्थात 2005-06 से 2008-09 में कार्यान्वित किए जाने वाली योजना के रूप में तय किया गया है। भारत निर्माण के अंतर्गत कैप 99 की कवर न की गई सभी बसावटों में पेयजल के सुरक्षित स्रोतों के साथ कवर कराने और निचली श्रेणी में लौट आई तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को वर्ष 2008-09 तक कवर करने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत बसावटों की कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04			2004-05			2005-06				2006-07*			
		एन.सी.	पी.सी.	जोड़	एन.सी.	पी.सी.	जोड़	एन.सी.	पी.सी.	गुणवत्ता प्रभावित**	जोड़	एन.सी.	पी.सी.	गुणवत्ता प्रभावित	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	12067	12067	0	4129	4129	347	2423	524	3294	784	3143	495	4422
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	121	169	92	162	254	124	201	0	325	12	56		68
3.	असम	71	4463	4534	67	4488	4555	94	2334	0	2428	33	1404		1437
4.	बिहार	0	0	0	10	5	15	1217	405	3	1625	4654	3699		8353
5.	छत्तीसगढ	0	0	0	2678	1119	3797	5002	5316	11	10329	2736	2973		5709
6.	गोवा	0	8	8	3	22	25	0	1	0	1	0	1		1
7.	गुजरात	28	1155	1183	56	874	930	34	586	414	1034	40	746	427	1213
8.	हरियाणा	0	0	0	0	473	473	0	365	50	415	0	314	73	387
9.	हिमाचल प्रदेश	574	1077	1651	0	1770	1770	0	1950		1950	0	1335		1335
10.	जम्मू-कश्मीर	208	95	303	117	223	340	76	387	0	463	15	26		41
11.	झारखण्ड	105	21	126	578	1572	2150	663	1388	49	2100	847	452	51	1350
12.	कर्नाटक	0	6002	6002	0	6030	6030	48	2885	950	3883	0	1990	232	2222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	केरल	228	220	448	0	1083	1083	0	2123	26	2149	59	693	60	812
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	5287	5385	10672	2571	7687	132	10390	2773	5150	86	8009
15.	महाराष्ट्र	133	2147	2280	95	2150	2245	179	2500	127	2806	40	1918	45	2003
16.	मणिपुर	0	100	100	17	53	70	39	41	0	80	44	61		105
17.	मेघालय	171	198	369	211	180	391	159	286	27	472	172	177	7	356
18.	मिजोरम	0	164	164	12	162	174	18	86	26	130	9	29		38
19.	नागालैण्ड	31	70	101	7	39	46	25	81	19	125	11	3		14
20.	उड़ीसा	0	0	0	5528	0	5528	9763	1490	256	11509	4129	497	268	4894
21.	पंजाब	262	484	746	306	320	626	796	860	45	1701	115	403	37	555
22.	राजस्थान	1986	0	1986	674	10559	11233	647	12603	96	13346	600	5970	215	6785
23.	सिक्किम	0	120	120	0	120	120	0	120	0	120	0	85	0	85
24.	तमिलनाडु	0	0	0	3013	3507	6520	2021	5612	705	8338	176	4561	347	5084
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	247	247	0	204	0	204	56	8	29	93
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	92	0	92	4416	9538	412	14366	2103	6367	431	8901
27.	उत्तरांचल	18	256	274	194	199	393	180	304	0	484	421	1059		1480
28.	पश्चिम बंगाल	0	6752	6752	2693	2906	5599	200	2100	645	2945	94	396		490
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	9	9	0	0	0	0	63		63	0	31		31

30. दादर व नगर हवेली	11	202	213	1	58	59	14	22	0	36	5	4		9
31. दमन और द्वीव														
32. दिल्ली														
33. लक्षद्वीप	0	10	10	0	2	2	0	0	0	0	0	0		0
34. पांडिचेरी	40	81	121	0	71	71	0	71	33	104	0	31	11	42
कुल	3914	35822	39736	21731	47908	69639	28633	64032	4550	97215	19928	43582	2814	66324

एन.सी.: कवर न की गई।

पी.सी.: आंशिक रूप से कवर की गई।

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो से 23-2-2007 तक प्राप्त सूचना के अनुसार।

**2005-06 से गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की सूचना अलग से दी जा रही है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अन्तर्गत (सामान्य + डीडीपी + प्राकृतिक आपदा) रिलीज और व्यय

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज*	व्यय**
1.	आन्ध्र प्रदेश	13112.00	16762.00	16418.40	16418.40	25080.29	16036.00	17179.84	15366.43
2.	अंरुणाचल प्रदेश	4102.40	4291.90	6825.00	7645.94	10674.54	10518.16	10299.00	2876.31
3.	असम	5772.62	5462.20	9565.62	8524.90	14800.63	10863.40	10416.50	9507.40
4.	बिहार	3159.50	2428.41	8941.03	5929.42	15324.00	6954.91	9285.50	8282.82
5.	छत्तीसगढ	2574.00	3047.48	2269.80	1567.20	5020.44	2738.50	4827.96	4626.45
6.	गोवा	0.00	87.29	0.00	551.33	182.45	96.08	127.00	97.66
7.	गुजरात	8458.00	9206.81	6696.35	6696.78	12769.16	12650.63	14033.08	6515.65
8.	हरियाणा	2662.00	2662.00	2707.00	2707.00	4193.80	2612.54	3350.32	4267.45
9.	हिमाचल प्रदेश	5137.00	5602.92	5438.20	5294.37	11895.00	11911.30	10211.86	3979.52
10.	जम्मू-कश्मीर	12850.63	14546.06	12833.60	14067.19	23671.50	18278.97	21788.67	10220.53
11.	झारखण्ड	2060.00	1419.53	2752.83	1728.84	6307.28	3921.24	3631.00	1975.17
12.	कर्नाटक	12062.00	15126.39	12677.44	11836.16	21208.99	21188.05	23336.00	9785.63
13.	केरल	4268.71	4991.98	4401.00	4401.00	6170.65	4914.70	6216.00	3718.24
14.	मध्य प्रदेश	7310.00	8939.76	7945.00	6677.95	15039.88	15483.73	19733.40	6201.76
15.	महाराष्ट्र	15710.00	14823.75	15971.00	19175.90	33235.88	32286.40	34192.00	18656.20
16.	मणिपुर	1624.15	1207.66	2103.00	2483.50	2713.67	845.27	1689.50	1033.00

17.	मेघालय	1811.78	2119.70	2613.87	2953.89	3190.10	3243.84	3773.74	2425.12
18.	मिजोरम	1386.00	1765.47	1810.00	1810.00	2599.27	2488.87	3317.20	1263.56
19.	नागालैंड	1626.73	2399.40	1702.00	1583.08	2647.76	1647.05	1499.00	1432.50
20.	उड़ीसा	4713.81	4750.43	6934.00	5514.63	13880.94	8902.56	5166.00	6743.73
21.	पंजाब	2269.00	2269.00	2815.00	2667.29	4134.81	3754.91	4098.00	1678.85
22.	राजस्थान	23368.51	25383.75	30439.76	23289.11	49135.34	35104.98	30966.30	30182.73
23.	सिक्किम	763.00	1005.32	731.00	745.12	1283.68	1121.56	1229.00	609.50
24.	तमिलनाडु	6269.00	7469.00	8494.13	7558.07	12053.66	9374.62	12496.22	9817.19
25.	त्रिपुरा	1903.00	2438.07	1575.13	2069.28	3199.86	3255.38	3397.71	2647.20
26.	उत्तर प्रदेश	10457.00	11085.98	13455.00	12361.53	28372.10	18134.01	28389.40	25089.18
27.	उत्तरांचल	2371.50	2245.40	3265.47	3961.90	6559.12	5533.11	7882.92	4599.48
28.	पश्चिम बंगाल	6827.00	8362.04	8270.21	8555.08	15078.33	14238.08	17118.40	7148.23
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	2037.00	238.45	1747.51	0.00	0.00	0.00
30.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और द्वीव								
32.	दिल्ली								
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00				
34.	पांडिचेरी	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	164629.34	181899.70	201787.84	189013.31	352170.64	278098.85	309651.52	200747.49

*23-2-2007 तक रिलीज।

**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 23-2-2007 तक सूचित किए अनुसार व्यय।

विद्यालयों में पेयजल की आपूर्ति

671. श्री इकबाल अहमद सरडगी:

श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बहुत सारे विद्यालयों में पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में ये सुविधाएं विद्यालयों में उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों की हिस्सेदारी कितनी है; और

(ङ) इन विद्यालयों में उक्त सुविधाएं कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ङ) पेयजल तथा स्वच्छता राज्य के विषय हैं, इसलिए ग्रामीण बसावटों को पेयजल तथा स्वच्छता उपलब्ध कराने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए, राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं अर्थात राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी मदद दी जाती है। तथापि, राज्य सरकारें त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों से ग्रामीण बसावटों और विद्यालयों को कवर करने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के नियोजन, स्वीकृति, कार्यान्वयन और निष्पादन में सक्षम हैं।

राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1-4-2006 तक ऐसे विद्यालयों जहां पेयजल सुविधाएं नहीं हैं, की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

राज्य सरकारों को ग्रामीण विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए भी ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत दी गई निधियों का उपयोग करना होता है। तथापि, इस वर्ष के दौरान, 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पेयजल से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभाग ने अब तक 114197 विद्यालयों की कवरेज के लिए 22839.40 लाख रु. रिलीज किए हैं। स्वच्छता के संबंध में राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, 913847 विद्यालय शौचालय मंजूर किए गए हैं। इसमें से 323795 विद्यालय शौचालय बन चुके हैं। टी.एस.सी. के मानदण्ड के अनुसार, सह-शिक्षा सुविधा वाले प्रत्येक विद्यालय में शौचालयों के दो यूनिट बनाए जाते हैं।

एक विद्यालय में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय अंश लागत के 50% तक सीमित है, बशर्ते कि अधिकतम सीमा 20,000 रु. हो। इस संबंध में विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे शौचालयों की लागत को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 70:30 के अनुपात में वहन किया जाता है। योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	1-4-2005 तक ऐसे विद्यालयों की सं. जहां पेयजल सुविधाएं नहीं हैं	2005-06 के दौरान कवर किए गए विद्यालयों की सं. #	1-4-2005 तक ऐसे विद्यालयों की सं. जहां पेयजल सुविधाएं नहीं हैं	2006-07 (जनवरी, 2007 के अंत तक) के दौरान कवर किए गए विद्यालयों की सं. #
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	23618	1391	22227	573
2.	अरुणाचल प्रदेश	2086	374	1739	147
3.	असम	12360	1838	10522	41
4.	बिहार	6245	350	5895	111

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	5565	3996	1569	2394
6.	गोवा	394	0	394	
7.	गुजरात	6004	2099	3905	615
8.	हरियाणा	0	917	0	2510
9.	हिमाचल प्रदेश	3436	2476	960	0
10.	जम्मू-कश्मीर	9932	3501	6431	
11.	झारखण्ड	4191	541	3650	
12.	कर्नाटक	23683	7015	16668	8667
13.	केरल	1408	114	1294	214
14.	मध्य प्रदेश	23998	12421	11577	3083
15.	महाराष्ट्र	10050	5154	4896	1172
16.	मणिपुर	1470	0	1470	
17.	मेघालय	2600	650	1950	57
18.	मिजोरम	2211	685	1526	1185
19.	नागालैण्ड	1035	36	999	9
20.	उड़ीसा	7910	9476	0	2018
21.	पंजाब	2536	293	2243	54
22.	राजस्थान	21691	8736	12955	8002
23.	सिक्किम	353	51	302	0
24.	तमिलनाडु	0	5	0	2570
25.	त्रिपुरा	366	276	90	72
26.	उत्तर प्रदेश	10562	4738	5824	5824
27.	उत्तरांचल	9131	2361	6770	858
28.	पश्चिम बंगाल	9086	2970	6116	325
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	30	12	18	

1	2	3	4	5	6
30.	दादर व नगर हवेली	8	14	0	
31.	दमन और द्वीव	0	1	0	
32.	दिल्ली	0		0	
33.	लक्षद्वीप	0		0	
34.	पांडिचेरी	0		0	
35.	चंडीगढ़	0		0	
	कुल	201959	72464	131990	40501

#स्रोत - मासिक प्रगति रिपोर्ट

[हिन्दी]

संविधान की नौवीं अनुसूची

672. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):

श्री एम. अप्पादुरई:

श्री पी. राजेन्द्रन:

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची के बारे में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई राज्यों ने संविधान की समीक्षा किए जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जे.टी. 2007 (2) एस.सी. 292 में संप्रकाशित आई.आर. कोल्हो (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य के मामले नें, सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण कर रही है और मामले में समुचित विनिश्चय करेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का परिवर्तित रूप में क्रियान्वयन

673. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की कोई वार्षिक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या केन्द्रीय विधान के अनुसार इस योजना का क्रियान्वयन सभी राज्यों में किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ राज्य विशेषकर महाराष्ट्र विधान का उल्लंघन करते हुए इस योजना को परिवर्तित रूप में क्रियान्वित कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस योजना का क्रियान्वयन विधान के अनुसार किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.

ई.जी.ए.) के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित आधार पर आवधिक रूप से निगरानी की जाती है और तदनुसार सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(ग) से (च) गोवा राज्य में अभी तक किसी जिले को अधिसूचित नहीं किया गया है। जब तक जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का विस्तार नहीं हो जाता है तब तक राज्य में लाभ योजना के रूप में दिए जा रहे हैं। अन्य राज्य एन.आर.ई.जी. अधिनियम को कार्यान्वित कर रहे हैं। तथापि, महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, 1977 बहुत समय से लागू है। एन.आर.ई.जी. अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद से राज्य सरकार को महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम को संशोधित करने के लिए कहा जा रहा है ताकि इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सके और अप्रासंगिक एवं कम अनुकूल हिस्सों को हटाया जा सके तथा एन.आर.ई.जी. अधिनियम की धारा-28 के आलोक में केन्द्रीय अधिनियम की अनिवार्य विशेषताओं को समायोजित किया जा सके। यह निर्णय लिया गया है कि यथासंशोधित राज्य विधान और उसके अंतर्गत बनाई गई योजना को महाराष्ट्र के एन.आर.ई.जी.ए. जिलों में लागू किया जाएगा।

[अनुवाद]

सिर पर मैला ढोना

674. श्री फ्रांसिस फैन्थमः क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के कई भागों में विशेषकर अर्द्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रोजगार गारंटी योजना (ई.जी.एस.) के अंतर्गत इन लोगों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) जी हां। देश के कुछ भागों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी विद्यमान है।

संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर. ई.जी.पी.) अधिनियमित किया है, जिसके जरिये उन ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य स्वैच्छा से करने के लिए तैयार हैं। इस अधिनियम को 2 फरवरी, 2006 से 200 पहचान किए गए जिलों में शुरू किया गया है तथा 5 वर्ष की अवधि के भीतर शेष जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा।

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में विद्युत संयंत्रों को क्षति

675. श्री मनोरंजन भक्तः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2004 के दौरान सूनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कई विद्युत संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस कारण सरकार को कुल कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्षतिग्रस्त विद्युत संयंत्रों को पुनर्निर्मित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां। 26-12-2004 को आए सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में स्थित 36 बिजलीघरों में से 20 या तो अवरूद्ध या क्षतिग्रस्त हो गए या तो बहा दिये गए।

(ख) 37 मेगावाट डी.जी. क्षमता, 412 किलोमीटर की विद्युत लाइन, 66 वितरण ट्रांसफार्मर, 20 सौर विद्युत संयंत्र तथा 102 भवन एवं क्वार्टर तथा 50.00 करोड़ रुपये (बुक वैल्यू) के वाहन, औजार एवं टैकल्स जैसी अन्य परिसंपत्तियां एवं उपस्कर क्षतिग्रस्त हो गए/बहा लिए गए।

(ग) सुनामी आने के तुरंत बाद लगभग 30 मेगावाट डी.जी. क्षमता पुनः स्थापित की गई तथा 9 मेगा वाट नई डी.जी. क्षमता जोड़ी गई, 122 किलो मीटर विद्युत लाइन, 21 वितरण ट्रांसफार्मर और सम्बद्ध वितरण प्रणाली का पुनर्निर्माण किया गया।

सुनामी प्रभावित द्वीपसमूहों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की

स्थायी पुन:बहाली/पुनरोद्धार के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा 198.82 करोड़ रुपये लागत की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की गई है और इसे सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकृत भी कर दिया है। इन कार्यों को संयुक्त रूप से एन.टी.पी.सी. (विद्युत उत्पादन की जिम्मेवारी), पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पारेषण एवं वितरण कार्य) तथा अंडमान लोक निर्माण विभाग/अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्कस् (सिविल कार्य) द्वारा विद्युत विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है।

(घ) डी.पी.आर. में वर्णित कार्यों को वर्ष 2008 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

676. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और इसके पश्चात् कई राज्यों द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विभिन्न चरणों से संबंधित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से राज्य-वार मंजूरी प्राप्त करने वाले प्रस्तावों और अभी तक लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) इन लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) 2000-01 से कार्यान्वित की जा रही है। राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है तथा उन्हें अनुशंसित किया जाता है। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे सभी प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है जो जनवरी, 2007 को प्राप्त हुए थे तथा जो निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों तथा 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का राज्यवार विवरण संलग्न है। आंध्र प्रदेश (चरण-VI), बिहार-नामित बाहरी एजेंसियां (चरण-V), केरल (चरण-VI), जम्मू व कश्मीर (चरण-V), नागालैंड (चरण VI) तथा राजस्थान (चरण-VII) राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

विवरण

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण

#	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04 के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव			2004-05 के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव			2005-06 के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव			2006-07 के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव		
		मूल्य (करोड़ रु. में)	सड़कों की सं.	लंबाई कि.मी. में	मूल्य (करोड़ रु. में)	सड़कों की सं.	लंबाई कि.मी. में	मूल्य (करोड़ रु. में)	सड़कों की सं.	लंबाई कि.मी. में	मूल्य (करोड़ रु. में)	सड़कों की सं.	लंबाई कि.मी. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	186.09	446	1813.87				369.24	607	2638.84	350.21	340	1829.32
2.	अरुणाचल प्रदेश							106.22	64	340.04	413.03	116	898.61
3.	असम	199.71	107	800.09	244.46	195	750.64	927.01	486	2060.51			
4.	बिहार				202.50	75	732.45	733.01	252	2291.92	1133.04	337	2842.38
5.	छत्तीसगढ़	412.59	359	1872.72	256.26	187	1303.96	1035.73	990	4467.50	1102.26	683	2619.44
6.	गोवा				1.08	6	4.32						
7.	गुजरात	96.86	286	609.75	42.69	123	247.41	121.38	370	763.72	224.02	449	1298.66
8.	हरियाणा				40.22	18	183.03	84.25	26	361.93	199.64	47	618.83
9.	हिमाचल प्रदेश	334.29	500	2554.41				264.03	208	1204.01	978.43	639	4559.75
10.	जम्मू-कश्मीर				91.27	67	295.47				144.41	108	413.83
11.	झारखण्ड	165.07	157	781.99				113.78	102	479.39			
12.	कर्नाटक	118.41	359	1096.30				212.05	190	1273.26	422.42	256	2114.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	20.54	52	97.96	52.76	96	179.47				48.43	84	163.92
14.	मध्य प्रदेश	1418.99	1395	6844.12				1114.32	1191	5625.67	3152.13	3071	4934.91
15.	महाराष्ट्र	147.48	304	926.66	143.15	240	847.81				1107.92	1559	6079.08
16.	मणिपुर										152.23	59	556.19
17.	मेघालय							30.05	30	93.10	39.62	26	105.59
18.	मिजोरम	92.79	14	294.63				121.99	34	494.13			
19.	नागालैण्ड	58.95	31	417.92				70.20	23	390.38			
20.	उड़ीसा	440.93	630	2011.92	398.72	418	1645.12	983.73	827	3351.69	1093.65	851	3121.37
21.	पंजाब	36.81	114	223.95	78.87	59	419.41				569.26	119	1525.16
22.	राजस्थान	599.03	1200	4541.39				976.17	1579	5445.63	1833.02	3634	10768.20
23.	सिक्किम	35.30	21	105.94				63.10	34	144.49	149.00	67	323.27
24.	तमिलनाडु	282.06	910	1934.38							174.31	379	849.23
25.	त्रिपुरा							39.58	36	80.92	127.70	71	234.76
26.	उत्तर प्रदेश	1011.14	2203	4384.52				1013.38	2313	4257.67	2289.77	2881	8093.77
27.	उत्तरांचल							103.34	79	595.47	203.04	102	890.31
28.	पश्चिम बंगाल	320.97	159	1073.94	278.31	208	955.64	625.61	284	1974.85	666.22	236	1692.79
29.	दादर व नगर हवेली										7.78	38	66.21
	कुल	5978.02	9247	32386.48	1830.29	1692	7564.73	9108.17	9725	38335.13	16581.54	16152	64753.98

[अनुवाद]

सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक लाभार्थी

677. श्री अनवर हुसैन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों के लिए नियत किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए पात्र प्रत्येक प्रखंड हेतु उपरोक्त प्रावधानों का क्रियान्वयन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन सुविधाओं हेतु प्रखंडों का चयन करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के दिशा-निर्देशों में संशोधन करके अल्पसंख्यकों को सहायता देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। (*अल्पसंख्यक समुदाय वे हैं जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, 1992 अधिनियम की धारा (2) के तहत अधिसूचित किया गया है)। इसी प्रकार, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के दिशा-निर्देशों में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि जिला तथा मध्यवर्ती पंचायतों के लिए आबंटन का एक निर्धारित प्रतिशत, बी.पी.एल. अल्पसंख्यक परिवारों के लिए नियत किया जाएगा ताकि उन्हें एस.जी.एस.वाई. की वैयक्तिक लाभार्थी योजना के अंतर्गत सहायता दी जा सके। राज्य स्तर पर बी.पी.एल. अल्पसंख्यक परिवारों के लिए नियत प्रावधान, वर्ष 2006-07 में एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत जिला एवं मध्यवर्ती पंचायतों के लिए आबंटित निधियों का 15% होना चाहिए।

(ग) एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण विकास विभागों को विशेष रूप से अल्पसंख्यकों संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि एस.जी.आर.वाई. की वैयक्तिक लाभार्थी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन करते समय बी.पी.एल. सूची को ध्यान में रखा जाए।

छोटे एवं मध्यम नगरों के विकास में सहायता

678. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने छोटे एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए विस्तुत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006-07 के दौरान महाराष्ट्र की राज्य स्तरीय मंजूरी समिति ने अपनी 8 जून 2006 और 28 सितम्बर, 2006 की बैठकों में 373.185 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत से 14 कस्बों/शहरों की 21 परियोजनाओं की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) शहरी विकास मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य की स्कीमों के तहत 99.33 करोड़ रु. की राशि के नियतन को देखते हुए, 12 कस्बों/शहरों की 18 परियोनजाओं के लिए 99.30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की पहली किश्त जारी करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है। व्यय विभाग ने चालू वित्त वर्ष अर्थात 2006-07 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की पहली किश्त के रुप में 88.79 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

गैर-बैंककारी वित्त कंपनियों द्वारा विदेशों से वाणिज्यिक ऋण

679. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गैर-बैंककारी वित्त कंपनियों द्वारा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु विदेशों से वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने को उदारीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव का विदेशी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से चालू वृहत आर्थिक स्थिति, परिवर्तनशील बाजार दशाएं, क्षेत्रीय आवश्यकताएं, विदेशी क्षेत्र प्रबंधन में होने वाली चुनौतियां और नीति के कार्यान्वयन में अब तक प्राप्त अनुभव के मद्देनजर विदेशी वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। तथापि, वर्तमान में सरकार का आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) द्वारा विदेशी वाणिज्यिक उधारों को उदारीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों पर व्यय

680. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आवंटित और व्यय किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने शिक्षा हेतु सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर तीन प्रतिशत आवंटित करने का वायदा किया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य पर हुए सरकारी व्यय के अनुमान निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	
	शिक्षा	स्वास्थ्य
2003-04	3.50	1.26
2004-05	3.68	1.25
2005-06	3.72	1.41

सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकारी व्यय बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम क्रमशः 6 प्रतिशत और 2-3 प्रतिशत तक करने की वचनबद्धता की गई है। शिक्षा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इन दोनों क्षेत्रों में सरकारी व्यय बढ़ाने के सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों संविधान की समवर्ती सूची में हैं।

विद्युत प्रशुल्क

681. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विद्युत प्रशुल्क में भारी विषमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत प्रशुल्क दरों को युक्तियुक्त बनाने और कुछ समानता लाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) वितरण लाईसेंसधारियों की विद्युत टैरिफ का निर्धारण राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का साविधिक कार्य है। ऐसा करने में एस.ई.आर.सी. विद्युत अधिनियम 2003 की धार 61 में निहित प्रावधानों जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वे घटक सामिल है जो संसाधनों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और इनके मितव्ययी उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे, उपभोक्ता हितों की रक्षा करेंगे व साथ ही उपयुक्त तरीके से विद्युत की लागत की वसूली सुनिश्चित करेंगे; राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से मार्ग निर्देशित होते हैं। एस.ई.आर.सी. द्वारा विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ सुनवाई करने के पश्चात् पारदर्शी तरीके से टैरिफ निर्धारित किया जाना अपेक्षित होता है।

विद्युत की टैरिफ समस्त विद्युत की खरीद लागत के साथ-साथ वितरण कम्पनियों के प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य निष्पादन यथा कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों, प्रचालानात्मक व्ययों, प्रणाली उच्चीकरण/विस्तार हेतु पूंजी निवेश इत्यादि पर निर्भर करता है।

विभिन्न राज्यों में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए विद्युत की अनुमानित औसत दर दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

टैरिफ नीति में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण हेतु टैरिफ निर्धारण का तरीका निर्धारित किया गया है। तथापि, समस्त देश में एक समान विद्युत टैरिफ की परिकल्पना नहीं की गई है।

विवरण

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

वित्तीय अध्ययन एवं सहायता प्रभाग

विद्युत की अनुमानित औसत दर दर्शाने वाला विवरण (01-12-2005 तक अद्यतन)

(दरें पैसे/क.वा.घं.)

क्र. सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	घरेलू 1 कि.वा. (100 किवाघं/ माह)	घरेलू 4 कि.वा. (400 किवाघं/ माह)	घरेलू 10 कि.वा. (1000 किवाघं/ माह)	वाणिज्यिक 2 कि.वा. (300 किवाघं/ माह)	वाणिज्यिक 10 कि.वा. (1500 किवाघं/ माह)	वाणिज्यिक 30 कि.वा. (4500 किवाघं/ माह)	वाणिज्यिक 50 कि.वा. (7500 किवाघं/ माह)	कृषि 2 एचपी (400 किवाघं/ माह)	कृषि 5 एचपी (1000 किवाघं/ माह)	कृषि 10 एचपी (2000 किवाघं/ माह)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	01-04-2005	238.50	396.63	492.25	599.33	624.67	628.89	629.73	55.00	52.00	51.00
2.	असम	01-04-2005	277.45	388.60	438.15	527.53	545.48	548.47	549.06	174.17	215.79	276.12
3.	बिहार	01-06-2001	206.70 यू 63.60 आर	237.18	279.84	743.98 यू 276.87 आर	805.81	805.81	805.81	40.50	40.50	40.50
4.	चंडीगढ़	01-03-1999	157.20	253.03	291.92	462.97	502.52	509.13	510.46	30.00	30.00	30.00
5.	गुजरात	25-06-2004	391.84 यू 276.29 आर	516.46 यू 382.44 आर	588.71 यू 443.99 आर	589.61	626.47	631.83	632.89	57.75	57.75	57.75
6.	हरियाणा	15-08-2004	333.00	379.25	414.50	429.00	429.00	429.00	429.00	17.50	17.50	17.50
7.	हिमाचल प्रदेश	01-07-2004	230.96	270.27	284.96	455.50	441.50	425.36	424.19	186.00	182.85	181.80
8.	जम्मू-कश्मीर	01-04-1999	122.00	222.00	222.00	277.00	277.00	277.00	277.00	102.00	102.00	102.00
9.	झारखंड	01-01-2004	163.00 यू 74.00 आर	183.00	182.00	438.67	438.67	438.67	438.67	28.75	28.75	28.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	कर्नाटक (बंगलौर मेट्रो एरिया)	10-10-2005	292.43	418.30	482.32	637.88	651.18	653.39	653.84	45.00	45.00	55.00
	(अन्य क्षेत्र)		281.93	402.55	463.42	630.87	644.18	646.39	646.83	105.00	105.00	115.00
11.	केरल*	01-04-2004	187.00	398.89	517.61	727.84	889.90	962.74	969.98	74.80	74.80	74.80
12.	मध्य प्रदेश	15-07-2005	337.30	424.64	421.55	538.30	539.59	539.81	539.85	87.50	132.50	132.50
13.	महाराष्ट्र	01-12-2003	329.16	367.95	431.70	476.65	530.13	543.44	546.11	75.00	75.00	75.00
14.	मेघालय	01-10-2004	180.00	246.25	275.50	409.33	446.67	452.89	454.13	116.00	116.00	116.00
15.	उड़ीसा	01-04-2005	135.00	242.50	280.00	385.00	441.00	450.33	452.20	105.00	105.00	105.00
16.	पंजाब	01-10-2004	210.00 यू	320.51 यू	350.60 यू	403.20	403.20	403.20	403.20	31.50	31.50	31.50
			189.00 आर	288.47 आर	315.54 आर							
17.	राजस्थान	01-01-2005	417.50 यू	396.88 यू	392.75 यू	556.67	554.00	555.78	556.13	78.75	75.60	74.55
			390.25 आर	363.81 आर	358.53 आर							
18.	तमिलनाडु	16-06-2004	120.00	216.25	269.50	610.75	609.35	609.12	609.07	0.00	0.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	11-10-2004	282.00 यू	339.75	351.30	452.33 यू	452.33	452.33	452.33	224.00 यू	224.00 यू	224.00 यू
			124.00 आर	112.75	110.50	152.33 आर	152.33	152.33	152.33	45.00 आर	45.00 आर	45.00 आर
20.	उत्तरांचल	20-09-2003	225.00 यू	225.00	225.00	365.00	365.00	365.00	365.00	75.60 यू	75.60 यू	75.60 यू
										63.00 आर	63.00 आर	63.00 आर
21.	पश्चिम बंगाल	01-04-2005	218.30 यू	299.34 यू	368.70 यू	362.86 यू	526.22 यू	586.39 यू	598.41 यू	191.00	191.10	191.10
			212.17 आर	288.01 आर	350.64 आर	357.47 आर	525.09 आर	386.01 आर	598.20 आर			

22. अरुणाचल प्रदेश	01-02-2000	162.50	211.88	231.75	370.00	390.00	393.33	394.00	-	-	-
23. गोवा	01-04-2002	122.00	170.75	216.50	327.00	357.00	373.67	377.00	102.00	102.00	102.00
24. मणिपुर	03-09-2002	262.20	299.70	302.20	302.20	302.20	381.80	381.80	272.20	272.20	272.20
25. मिजोरम (जिला मुख्यालय उप संभाग क्षेत्र	01-08-2002	115.00	145.00	148.00	233.33	233.33	233.33	233.33	69.94	69.94	69.94
अन्य क्षेत्र			133.75	143.50							
26. नागालैण्ड	01-06-2001	235.00 यू 200.00 आर	276.25 यू 200.00 आर	290.50 यू 200.00 आर	346.00	373.20	377.73	378.64	150.00	150.00	150.00
27. सिक्किम	15-08-2002	90.00	230.63	281.25	292.50	345.00	355.00	357.00	157.50	213.75	286.88
28. त्रिपुरा	01-07-2003	200.00	270.00	460.00	320.00	400.00	400.00	400.00	75.00	75.00	120.00
29. अंडमान व निकोबार	01-07-2003	130.00	275.00	326.00	406.67	465.33	475.11	477.07	90.00	90.00	90.00
30. चंडीगढ़	01-11-2002	160.75	246.94	282.18	401.00	401.00	401.00	401.00	101.50	101.50	101.50
31. दादरा व नगर हवेली	01-09-2002	130.00	172.50	204.00	270.00	270.00	270.00	270.00	55.00	55.00	55.00
32. दमन व दीव	01-09-2002	130.00	172.50	204.00	248.33	265.67	268.56	269.13	55.00	55.00	55.00
33. दिल्ली/ बीएसईएस/ एनडीपीएल	15-07-2005	277.20	346.50	434.70	596.75	596.75	622.76	622.76	162.20	162.20	162.20
34. दिल्ली एनडीएमसी	01-06-2001	158.00	252.25	327.70	462.00	525.00	525.00	525.00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	लक्षद्वीप	01-09-2004	100.00	300.00	300.00	480.00	480.00	480.00	480.00	-	-	-
36.	पांडिचेरी	16-04-2002	55.00	113.75	150.50	274.74	325.34	333.78	335.47	235.00	20.67	19.83
37.	अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कं.	01-08-2002	389.40	450.45	482.47	613.71	681.88	688.91	691.22	327.54	327.54	327.54
38.	कोलकाता (सीईएससी)	01-04-2005	280.67	460.28	530.15	447.55	575.93	593.94	597.54	-	-	-
39.	डीवीसी (ए) बिहार एरिया	01-09-2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ख) पश्चिम बंगाल एरिया		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	01-04-2004	229.00	285.50	285.50	283.66	310.05	308.52	308.21	281.50	281.50	281.50
41.	मुंबई (बेस्ट)	15-07-1997	99.00	299.50	428.45	606.00	764.20	1009.81	1009.81	-	-	-
	मुंबई (बीएसईएस)	01-04-2000	169.56	451.31	462.86	622.58	662.66	672.85	674.89	-	-	-
	मुंबई (टाटा)	01-06-2004	181.60	338.05	410.34	522.98	477.78	477.78	477.78	-	-	-

यू: शहरी आर: ग्रामीण बी: बीएमआर/पीएमआर क्षेत्र ओ: अन्य क्षेत्र

*केरल में राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने दिनांक 16 अप्रैल, 2004 के आदेश द्वारा केरल राज्य विद्युत बोर्ड के मौजूदा टैरिफ (1-10-2002 से प्रभावी) एवं अन्य प्रभारों को जारी रखा जाना अनुमोदित किया है। अधिसूचित टैरिफ में विभिन्न उपभोक्ता समूहों के लिए टैरिफ के विभिन्न मानदंड हैं। उक्त तुलनी एक माह के निश्चित भार एवं खपत स्तरों के लिए है।

विवरण को एफ.एस. एंड ए डिवीजन, सी.ई.ए. को 01-12-2005 तक दी गई सूचना के अनुसार विद्युत टैरिफ, विद्युत शुल्क/कर और एफ.सी.ए. के आधार पर तैयार किया गया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

वित्तीय अध्ययन एवं सहायता प्रभाग

विद्युत की अनुमानित औसत दर दर्शाने वाला विवरण (01-12-2005 तक अद्यतन)

क्र. सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभावी टैरिफ	लघु उद्योग 10 कि.वा. (1500 किवाघं/माह)	मझौले उद्योग 50 कि.वा. (7500 किवाघं/माह)	बृहत उद्योग 1000 कि.वा. 60% एल.एफ. (438000 किवाघं/माह)	बृहत उद्योग 10000 कि.वा. 60% एल.एफ. (4380000 किवाघं/माह)	बृहत उद्योग (33 के.वी.) 20000 कि.वा. 60% एल.एफ. (8760000 किवाघं/माह)	रेलवे कर्षण 12500 (25000000 किवाघं/महीना)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	01-04-2005	415.40	414.33	391.75	431.20	425.80	440.03	
2.	असम	01-04-2005	345.73 यू	428.10	388.54	388.41	378.00		
			268.35 आर						
3.	बिहार	01-06-2001	703.65	743.79	469.44	469.44	460.06	530.51	25 केवी पर
								524.51	132 केवी पर
4.	चंडीगढ़	01-03-1999	305.39	409.39	436.71	436.71	428.15	449.81	132 केवी पर
5.	गुजरात	25-06-2004	450.02	465.81	518.63	557.35	556.91	549.12	132 केवी पर
6.	हरियाणा	15-08-2004	438.00	438.00	419.00	419.00	407.00	444.29	11 केवी पर
7.	हिमाचल प्रदेश	01-07-2005	401.25	440.57	345.64	326.21	321.30		
8.	जम्मू-कश्मीर	01-04-1999	157.00	157.00	157.00	157.00			
9.	झारखण्ड	01-01-2004	405.62	405.62	412.95	412.95	392.95	516.50	25 केवी पर
								477.69	132 केवी पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	कर्नाटक (बंगलौर मेट्रो एरिया)	10-10-2005		418.40		521.47	490.28	501.07		500.62	485.88	
	(अन्य क्षेत्र)			413.71		512.08	487.46	498.25		497.79	485.88	
11.	केरल*	01-04-2004		390.71		390.50	385.02	385.02			360.29	110 केवी पर
12.	मध्य प्रदेश	15-07-2005		396.13		483.61	474.48	469.00		441.49	473.33	132/220 केवी पर
13.	महाराष्ट्र	01-12-2003		254.90		254.90	399.55 बी	399.55 बी			385.00	
							388.57 ओ	388.56 ओ				
14.	मेघालय	01-10-2004		383.33		408.67	253.92	253.53				
15.	उड़ीसा	01-04-2005		320.00		336.80	353.74	353.69		353.69	413.48	25/33 केवी पर
16.	पंजाब	01-10-2004		321.30		353.85	353.85	353.85		343.23	402.00	132 केवी पर
17.	राजस्थान	01-01-2005		421.28		459.68	463.83	463.83		460.65	451.00	
18.	तमिलनाडु	16-06-2004		458.85		486.57	452.11	462.61		452.11	526.47	
19.	उत्तर प्रदेश	11-10-2004		452.33 यू		452.33 यू	438.36 यू	438.36 यू		419.38 यू	472.22	132 केवी से कम
				408.00 आर		408.00 आर	395.42 आर	395.42 आर		378.34 आर	452.78	132 केवी और ऊपर
20.	उत्तरांचल	20-09-2003		305.21		305.21	282.10	282.10		282.10		
21.	पश्चिम बंगाल	01-04-2005		342.13 यू		468.49 यू	471.48	442.18		442.18	453.62	25 केवी पर
				327.07 आर		447.91 आर					424.22	132 केवी पर

22.	अरुणाचल प्रदेश	01-02-2000	345.00	353.33	393.86	394.89	–	–	
23.	गोवा	01-04-2002	257.00	297.00	342.29	342.29	342.29	–	
24.	मणिपुर	03-09-2002	287.20	381.80	336.09	336.09	336.09	–	
25.	मिजोरम (जिला मुख्यालय उप संभाग क्षेत्र)	01-08-2002	208.33	208.33	71.35	71.35	71.35	–	
	अन्य क्षेत्र								
26.	नागालैण्ड	01-06-2001	243.33	257.00	274.69	274.97	–	–	
27.	सिक्किम	15-08-2002	360.00 यू 262.50 आर	250.59	261.26	261.26	–	–	
28.	त्रिपुरा	01-07-2003	240.00	270.00	–	–	–	–	
29.	अंडमान व निकोबार	01-07-2003	316.67	327.33	–	–	–	–	
30.	चंडीगढ	01-11-2002	301.00	336.00	381.00	381.00	369.90	–	
31.	दादरा व नगर हवेली	01-09-2002	230.00	243.40	269.97	271.00	–	–	
32.	दमन व दीव	01-09-2002	230.00	262.34	259.97	261.00	–	–	
33.	दिल्ली बीएसईएस/एनडीपीएल	15-07-2005	560.00	560.00	560.30	560.30	547.32	517.26	11 केवी पर
34.	दिल्ली एनडीएमसी	01-06-2001	431.00	431.00	–	–	–	576.50	
35.	लक्षद्वीप	01-09-2004	330.00	330.00	–	–	–	–	
36.	पाण्डिचेरी	16-04-2002	247.52	257.50	320.15	332.72	–	–	
37.	अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कं.	01-08-2002	396.72	446.40	429.83	429.83	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	कोलकाता (सीईएससी)	01-04-2005		390.08		480.32	460.66	460.66		444.15	388.08	
39.	डीवीसी (ए) बिहार एरिया	01-09-2000		–		–	340.78	340.78		326.94	427.95	33 केवी पर
	(ख) पश्चिम बंगाल एरिया			–		–	365.44	365.44		350.44	409.06	132 केवी पर
40.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	01-04-2004		306.61		330.55	340.78	340.78		–	–	
41.	मुंबई (बेस्ट)	15-07-1997		658.38		827.41	528.29	528.29		–	–	
	मुंबई (बीएसईएस)	01-04-2000		585.65		567.35	366.42	342.64		–	–	
	मुंबई (टाटा)	01-06-2004		449.36		449.36	424.57	424.57		424.57	457.40	33/22/11/ 6.6 केवी पर

*केरल में केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने दिनांक 16 अप्रैल, 2004 के आदेश द्वारा केरल राज्य विद्युत बोर्ड के मौजूदा टैरिफ (1-10-2002 से प्रभावी) एवं अन्य प्रभारों को जारी रखा जाना अनुमोदित किया है। अधिसूचित टैरिफ में विभिन्न उपभोक्ता समूहों के लिए टैरिफ के विभिन्न मानदंड हैं। उक्त तुलना एक माह के निश्चित भार एवं खपत स्तर के लिए है।

विवरण को एफ.एस. एंड ए. डिवीजन, सी.ई.ए. को 01-12-2005 तक दी गई सूचना के अनुसार विद्युत टैरिफ, विद्युत शुल्क/कर और एफ.सी.ए. के आधार पर तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली मास्टर प्लान, 2021

682. प्रो. महादेवराव शिवनकर:

श्री मोहन सिंह:

श्री रामदास आठवले:

श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इससे दिल्ली के लोगों को सीलिंग/तोड़-फोड़ से कितनी राहत मिलेगी;

(घ) क्या दिल्ली में प्रति वर्ष निर्मित किए जाने वाले नए आवासों/आवासीय ईकाइयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है अथवा किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने दिनांक 7-2-2007 को वर्ष 2021 के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली के लिए मास्टर प्लान (एम.पी.डी.-2021) अधिसूचित किया है।

(ख) दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में वर्ष 2021 तक अनुमानित 230 लाख आबादी के लिए आश्रय, वाणिज्यिक व औद्योगिक स्थल, सामाजिक व भौतिक अवस्थापना, परिवहन, मिश्रित उपयोग, पर्यावरण, विरासत संरक्षण इत्यादि से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रावधान है। दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संबंधित एजेंसी द्वारा तैयार जल आपूर्ति, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति तथा कचरा प्रबंधन संबंधी भावी योजनाएं भी शामिल की गई हैं।

(ग) बर्धित ग्राउंड कवरेज, तल क्षेत्र अनुपात, अतिरिक्त ऊंचाई तथा रिहायशी यूनिटों की संख्या की अनुमति के लिए भवनों/रिहायशी परिसरों के भीतर के भवनों के लिए विकास नियंत्रण मानकों में संशोधन किया गया है। मौजूदा निर्माणों के नियमितीकरण के लिए प्रावधान है। मिश्रित उपयोग नीति में भी आधारभूत वास्तविकताओं के आलोक में संशोधन किया गया है। इन उपायों से लोगों की वास्तविक जरूरतों की पूर्ति हो जाने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ) प्लान में यह स्वीकार किया गया है कि मौजूदा क्षेत्रों के पुनर्विकास के अलावा, विभिन्न श्रेणियों में प्रति वर्ष न्यूनतम 75,000 तक रिहायशी मकानों का निर्माण करने की जरूरत पड़ेगी। उपलब्धि की समीक्षा और आकलन के लिए प्लान में एक पंचवर्षीय लक्ष्य का प्रावधान है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आवास निर्माण के लिए एक से चार वर्ष की मानीटरिंग अवधि होगी।

[अनुवाद]

काली सूचीबद्ध गैर-सरकारी संगठनों से धनराशि की वसूली

683. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** काली सूचीबद्ध गैर-सरकारी संगठनों से धनराशि की वसूली के बारे में 19 मई, 2006 के तारांकित प्रश्न संख्या 501 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काली सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में दर्ज किए जाने के पश्चात् इनको कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) अब तक इन चूककर्ता संगठनों एवं इनके पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का संगठन-वार ब्यौरा क्या है और इनसे कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(घ) बकाया धनराशि की वसूली करने में सरकार को कौन-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) काली सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठनों को वर्षवार रिलीज की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) काली सूची में दर्ज होने के पश्चात् गैर-सरकारी संगठनों को रिलीज की गई राशि 33.96 लाख रु. थी।

(ग) कपार्ट इन सभी संगठनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर रहा है। विवरण-II में संगठन-वार वापस ली गई राशि का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) कुछ मामले बहुत पुराने हैं और संगठनों द्वारा दिया गया पता और उनके पदाधिकारी बदल गए हैं। अतः कपार्ट को इन संगठनों को ढूंढने में कठिनाई हो रही है। अन्य मामलों में, गैर-सरकारी संगठनों के परिचालन का क्षेत्र और उनका पंजीकृत कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर स्थित है। ऐसे में, एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु पुलिस थाने का उपयुक्त कार्यक्षेत्र निर्धारित करने के कारण विलंब हो रहा है।

विवरण-I

काली सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठनों को वर्ष-वार रिलीज की गयी राशि का ब्यौरा

(राशि रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	राशि
1	2	3
1.	1989-1990	3760281
2.	1990-1991	811169
3.	1991-1992	2032287
4.	1992-1993	4670273
5.	1993-1994	2769276
6.	1994-1995	25995899
7.	1995-1996	7117608
8.	1996-1997	5705495
9.	1997-1998	378675
10.	1999-2000	9147906
11.	2000-2001	13302282
12.	2001-2002	5303270
13.	2002-2003	5268520
14.	2003-2004	11237233
15.	2004-2005	3391080
16.	2005-2006	4575179
17.	2006-2007	184300130

विवरण-II

काली सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठनों से वसूली गयी राशि का ब्यौरा

(राशि रु. में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	वापस ली गई राशि
1	2	3
1989-1990		
1.	त्रिक्काडावूर फिश कल्टिवेटिंग सोसाइटी, कुरीपुजा, पो. पेरिनाड, जिला क्विलोन, केरल	79800
1990-91		
2.	दरभंगा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ मुख्यालय बेटा रोड, पो. लहरिया सराया, जिला दरभंगा बिहार	6700
1991-92		
3.	मल्टी परपस सोशल डेव. सोसाइटी, ग्राम गुंडलापल्ली, दुग्गनागरीपल्ली तालुक, पुलिवेंडला, जिला कुडप्पा, आन्ध्र प्रदेश	55800
4.	खादी ग्रामोद्योग सेवा सदन, पो. खेमपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश	29400

1	2	3
1992-1993		
5.	ऑल इंडिया समझौतन समिति, ए-3-51/1 एल.आई.जी., रोहिणी, सेक्टर-7 दिल्ली	83788
1993-94		
6.	सोसाइटी फॉर नेचुरल स्टडीज, 206 खानापुरम हवेली, इंडस्ट्रियल एरिया, जिला खम्माम, आन्ध्र प्रदेश	15000
7.	ब्राइटर इंटिग्रेटेड रूरल डेव. सोसाइटी, 1/180-4, लाल बहादुर नगर, जिला अनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश	58475
8.	श्री योगानन्द शिक्षण प्रसारक मंडल, जिला जालना, महाराष्ट्र-431 501	71000
1994-1995		
9.	विद्यानाथ विद्यालय समिति, डी-428, राजाजी पुरम, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश	26000
10.	कमला नेहरू समाज कल्याण केन्द्र, गोपालगंज, सासाराम, जिला रोहतास, बिहार	156633
11.	युवा एवं बाल विकास समिति राम गुलाम तोला, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश	289800
12.	किशोरी शिक्षण एवं प्रशिक्षण औद्योगिक संस्थान, जिला भरतपुर, राजस्थान	22500
1995-1996		
13.	अम्बा सामाजिक विकास संस्थान हाजीगंज, पटना सिटी, जिला पटना, बिहार	27500
14.	रश्मि राठी नव चेतना समिति मुख्यालय, रश्मि ज्योति भवन, न्यू जक्कानपुर, जी.पी.ओ., पटना, बिहार	48000
1996-1997		
15.	विवेकानंद चाइल्ड वेलफेयर होम, पो. ककद्वीप, जिला 24 परगना, प. बंगाल	290000
16.	नारी ओ शिशु कल्याण समिति, गणेश नगर, वाया नमखाना, जिला 24 परगना, प. बंगाल	82382
17.	यूथ एसोसिएशन फॉर रूरल डेव. ग्राम बेहता, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	40500
18.	समाज सुधार सोसाइटी, एफ-18, धर्मपुरा, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043	84350
19.	विकास एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, 456/एस-1, विकासपुरी, नई दिल्ली	63100
1997-1998		
20.	खादी ग्रामोद्योग विकास समिति, ग्राम सलकाना, पो. चौकनी, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	305271
1999-2000		
21.	प्रिया सामाजिक कल्याण समिति हाऊस ऑफ योगेश लाम्टे 203, अंसार कालोनी एम.आई.जी., पुलिस थाने के पीछे, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश	149500

1	2	3
2000-2001		
22.	नूतन ग्राम विकास समिति, पो. गोहावार, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश	26971
23.	तलामरला इंटिग्रेटेड रूरल डेव. एंड सोशल तलामरिया, सत्य साई तालुक, जिला अनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश	257020
2001-2002		
24.	समेरिटन सोसाइटी ऑफ मिजोरम, बंगकौन, जिला आइजोल, मिजोरम	17727
2002-2003		
25.	आशा वेलफेयर सोसाइटी पो. गणेशनगर, जिला दक्षिण-24 परगना, प. बंगाल	83467
2003-2004		
26.	अम्बेडकर युवाजना संघम गांधी नगर, निडाडावलु, डब्ल्यू.जी. जिला, आंध्र प्रदेश	10000
27.	आर्टिसंस (इंडिया) इंटरनेशनल फाउंडेशन बी-50, एस.बी.एच. कालोनी, सईदाबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	60000
28.	कलेक्टिव रूरल ऑपरेशन ऑफ द पूअर 2-31, रामपुर जूनियर कालेज रोड, माखाल, जिला महबूब नगर, आंध्र प्रदेश	247500
29.	श्री लक्ष्मी हरिजन महिला मंडली, अम्बेरापेटा, भीमाडोल मंडल, जिला प. गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश	10000

चेक को जमा करने संबंधी दिशानिर्देश

684. श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को अपने चेक ड्राप बाक्स में जमा करने के लिए बाध्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को ड्राप बॉक्स में चेक जमा करने के लिए बाध्य करने पर वाणिज्यिक बैंकों की आलोचना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त प्रणाली को समाप्त करने के लिए बैंकों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक को शिकायत मिली है कि बैंक काउन्टर पर चैक स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ग्राहकों को, चैक ड्राप बाक्स में चैक डालने के लिए बाध्य कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 18-12-2006 के अपने परिपत्र द्वारा बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ड्राप-बाक्स सुविधा और नियमित प्राप्ति काउन्टरों पर चैकों की पावती की सुविधा दोनों ही ग्राहकों को उपलब्ध होनी चाहिए तथा किसी ग्राहक द्वारा काउन्टर पर चैक देने पर पावती देने से मना नहीं करना चाहिए। बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ग्राहकों को ड्राप बाक्स में चैक डालने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त, बैंकों को चैक ड्राप बाक्स पर ही निरपवाद रूप से यह प्रदर्शित करने का अनुदेश दिया गया है कि "ग्राहक काउन्टर पर भी चैक दे सकते हैं और भुगतान-पर्ची पर पावती प्राप्त कर सकते हैं।"

कांफ्रेंस आन हाऊसिंग एंड ह्यूमेन सेटलमेंट्स

685. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 06 में प्रथम एशिया पैसेफिक मिनिस्टीरियल कांफ्रेंस ऑन हाऊसिंग एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर चर्चा की गई और इस सम्मेलन के क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां। एशिया पैसेफिक क्षेत्र के 18 देशों के मंत्रियों तथा कुल 35 देशों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था।

(ग) "विजयन फार सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन एशिया पैसेफिक 2020" नामक मूल विषय तथा निम्नलिखित चार उप विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:-

(1) गरीब हितकारी शहरी शासन और नियोजन

(2) स्लम सुधार

(3) जल और सफाई के लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य

(4) सतत् शहरीकरण वित्तपोषण

उपर्युक्त मामलों पर विचार-विमर्श करने के अलावा निम्नलिखित विषयों पर नेटवर्किंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे:-

1. आवास हेतु संस्थागत वित्तपोषण
2. शहरी अवस्थापना में निवेश
3. शहरी गरीबों को रियायतें : एशिया में स्लमों और शहरों को बेहतर बनाना
4. शहरी भारत में पानी का अभाव
5. अति शहरीकरण की उत्पत्ति; स्लम चुनौती
6. महिलाएं एवं सफाई - एशिया पैसिफिक देशों में समस्या
7. सतत् विकास के लिए शहरी सहयोग
8. चंडीगढ़ प्रशासन की स्लम पुनर्वास परियोजना - चंडीगढ़ आवास बोर्ड द्वारा अपनाई गई सर्वोत्कृष्ट पद्धति
9. स्लम मुक्त शहर बनाने के लिए सतत उपाय
10. स्लम सुधार और/अथवा गंदे जल का पुनर्शोधन
11. सामाजिक आवास की सफलता और असफलता की समय सीमा।
12. एशियाई शहरों में स्लम - "रहन सहन में सुधार के लिए सहकारिताओं की भूमिका"
13. रोजगार सृजन के लिए जीविका सहायता तथा ऋण सुलभता।

दिल्ली घोषणा के अनुसार सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित घटकों की स्थापना की जानी है:-

- मंत्री स्तरीय द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन
- ब्यूरो की स्थापना, तथा
- सचिवालय की स्थापना

(घ) इस मंत्रालय द्वारा सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन ब्यूरो स्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

शहरों का विकास

686. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से झुग्गी बस्तियों का समग्र विकास करने और स्ट्राम वाटर ड्रेन तथा शहर की सड़कों के निर्माण से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी, हां।

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस. डी.पी.) और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बी.एस.यू.पी.) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार से आवास और बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं सहित स्लमों के एकीकृत विकास के लिए प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

स्कीम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रु.)
बीएसयूपी	30	892.86	16	503.27
आईएचएसडीपी	36	226.74	22	196.97

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के कार्यकरण

687. श्री अनवर हुसैन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ प्रमुख क्रियाकलाप कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी विभिन्न कार्यशालाओं में ग्रामीण मजदूरों के पंजीकृत मजदूर संघों को संलग्न करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीम विकास संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं असम मे असंगठित ग्रामीण मजदूरों के जीवन स्तर में किस प्रकार सुधार लाने का प्रयास कर रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) अपने क्षेत्रीय केन्द्र, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र (एन.ई.आर.सी.), जिसकी स्थापना 1983 में विशेष रूप से इसी प्रयोजनार्थ की गई थी, के माध्यम से ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रशिक्षण, अनुसंधान संबंधी जरूरतों तथा अन्य जरूरतों को पूरा कर रहा है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र वरिष्ठ कर्मियों (जिला तथा इससे ऊपर), गैर-सरकारी संगठन एवं पंचायती राज संस्था के कर्मियों को प्रशिक्षण देता है, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, विचार-विमर्श वार्ता तथा क्षेत्रीय प्रदर्शनियों के माध्यम से महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों का भी नेटवर्क है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद से सहयोगी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण देता है। 2006-07 के दौरान अब तक एन.ई.आर.सी. ने 60 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं जिनमें 1448 लोगों ने भाग लिया।

(ग) एन.आई.आर.डी. का अधिदेश ग्रामीण विकास/पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों के कर्मचारियों, शिक्षाविदों, बैंकों आदि की क्षमता तथा उनके कौशल को बढ़ाना है। संस्थान या इसके क्षेत्रीय केन्द्र, एन.ई.आर.सी. ने अभी तक आयोजित कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में ग्रामीण श्रमिकों के पंजीकृत मजदूर संघों को व्यवस्थित रूप से शामिल करने की योजना नहीं बनाई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एन.आई.आर.डी का एन.ई.आर.सी. प्रारंभिक बैठकों जिसमें बैंक कर्मचारी, गैर सरकारी संगठन, वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी तथा महत्वपूर्ण कर्मचारी शामिल होते हैं, सहित अनेक कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कराकर, कैम्पस के बाहर के मांग आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से 8 राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से नेटवर्क स्थापित करके, अनुसंधान कार्य करने के लिए क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के समन्वय और राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों को सक्रिय सहायता देकर कौशल और क्षमता को बढ़ाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दे रहा है।

पार्टीसिपेटरी नोट प्रणाली

688. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में विदेशी धन को लगाने पर गौर किया है;

(ख) क्या आसूचना अभिकरणों ने यह पाया है कि पार्टीसिपेटरी नोट प्रणाली का उपयोग उन विदेशी निवेशकों द्वारा किया जा रहा है जो कि साधारणतया अज्ञात होते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या तारापोर समिति एवं अशोक लाहिड़ी समिति ने पार्टीसिपेटरी नोट प्रणाली के संचालन के संबंध में सावधान किया था; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने इस दिशा में क्या पहल की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) (से) (ग) विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय स्टॉक बाजार में सहभागिता की अनुमति दी गई है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस सहभागिता के लिए नीति तैयार की है और अर्थव्यवस्था तथा प्रतिभूति बाजार में अस्थिरता पैदा करने वाले किसी भी प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय शुरू किए हैं। आसूचना एजेंसियों और विभिन्न समितियों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना/चिन्ताओं को देखते हुए नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(घ) सेबी अधिनियम, 1992 सेबी को विदेशी संस्थागत निवेशकों को दर्ज और विनियमित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इस अधिनियम के तहत सेबी ने सेबी विनियम, 1995 तैयार किए हैं। इन विनियमों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों को उनके अथवा उनके उप-लेखों अथवा भारत के किसी स्टॉक बाजार में यथा सूचीबद्ध अथवा सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्तावित किन्हीं प्रतिभूतियों से संबंधित उनकी सहायक संस्थाओं द्वारा दर्ज किए गए अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों जैसे कि पार्टिसिपेटरी नोट्स, की शर्तों और इनसे जुड़े प्रश्नों के संबंध में पूरी सूचना जब भी बोर्ड चाहे और जिस प्रपत्र में चाहे प्रस्तुत करनी होगी। इस ब्यौरे को मासिक आधार पर प्रस्तुत करने के लिए एक प्रारूप निर्धारित किया गया है।

गुजरात में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना

689. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं स्थापित किये जाने हेतु सरकार द्वारा किस स्थान का अनुमोदन किया गया है;

(ख) उक्त परियोजना हेतु प्राप्त निविदाओं का ब्यौरा क्या है तथा किन-किन सफल निविदाकारों की पहचान की गई है;

(ग) उक्त परियोजना पर अनुमानतः कितना खर्च आने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजना पर कब तक कार्य शुरू हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) गुजरात में कच्छ जिले में टुंडावांडा गांव के समीप मुंद्रा को अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए चयनित किया गया है।

(ख) और (ग) मुंद्रा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोलियां, क्रमशः 7-12-2006 और 18-12-2006 को खोली गई थीं। कुल 11 परियोजना विकासकर्त्ता आर.एफ.क्यू. स्टेज पर पास हुए। अंत में, आर.एफ.पी. स्टेज पर न्यूनतम टैरिफ बोली हेतु छह (6) बोलीदाताओं ने प्रतियोगिता की। बोलीदाताओं ने 25 वर्षों से टैरिफ का हवाला दिया। कोट किए गए टैरिफ, इनफ्लेशन/एस्केलेशन दरों के साथ-साथ सी.ई.आर.सी. द्वारा अधिसूचित छूट दर के आधार पर आशय पत्र (एल.ओ.आई.) 28 दिसंबर, 2006 को मै. टाटा पावर लि. को सौंपा गया था। अनुमान किए गए न्यूनतम लेवलाइज्ड टैरिफ के आधार पर के साथ-साथ आधार पर टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के आधार पर आशय पत्र सौंपा गया है इसलिए प्रोत्साहनकर्त्ता द्वारा परियोजना पर वहन किए जाने वाले संभाव्य व्यय से संबंधित सूचना बोलियों में नहीं दर्शायी गई हैं।

(घ) प्रोत्साहनकर्त्ता ने पांच यूनिटों के लिए 64,70,76,82 एवं 88 माह की आरंभ होने की समय-सूची के साथ 4000 मेगावाट (5x800) की कुल क्षमता तथा 3800 मेगावाट (5x760) की अनुबंधित क्षमता दर्शायी है।

शहरों का वर्गीकरण

690. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कौन-कौन से शहरों को ए-1 शहर घोषित किया गया है;

(ख) क्या कुछ और शहर ए-1 शहर के रूप में वर्गीकृत होने के पात्र हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) नीचे दर्शाए गए शहरों को निम्न प्रयोजन से ए-1 शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है:-

(i)	दिल्ली (यू.ए.)	–	मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता।
(ii)	ग्रेटर मुम्बई (यू.ए.)	–	मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता।
(iii)	चेन्नई (यू.ए.)	–	मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता।
(iv)	कोलकाता (यू.ए.)	–	मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता।

(v) हैदराबाद (यू.ए.) – केवल नगर प्रतिपूर्ति भत्ता।

(vi) बैंगलौर (यू.ए.) – केवल नगर प्रतिपूर्ति भत्ता।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डीडीए को प्राप्त शिकायतें

691. श्री लालमणि प्रसाद: क्या **शहरी विकास मंत्री** डीडीए को प्राप्त शिकायतों के बारे में 21 दिसम्बर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4242 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और इसे कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एशियाई विकास बैंक के बांड

692. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने भारत में बांड जारी करके निधियां जुटाने हेतु सरकार से स्वीकृति हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन निधियों के उपयोग के तौर-तरीके पर चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बांडों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। एशियाई विकास बैंक ने निजी क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं का स्थानीय मुद्रा में निधीयन करने के लिए अनुमोदन मांगा है।

(ग) और (घ) एशियाई विकास बैंक द्वारा 29.75 बिलियन रुपए की सीमा में यह निधियां या तो भारत में रुपए में बांड जारी करके अथवा स्वैप मार्ग से जुटाई जाएंगी। ये राशियां केवल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए जुटाई जाएंगी। यदि एशियाई विकास बैंक विदेशी मुद्रा में निधियां प्राप्त करने के लिए विनिमय रूट (स्वैपरूट) का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है तो यह राशियां लाकर केवल रुपए में ही बदली जाएं जब एशियाई विकास बैंक के पास अपार ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं; और यदि देशीय रुपए में बांड निर्गम द्वारा राशि जुटाई जाती है तो इनकी परिपक्वता अवधि 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जुटाई गयी समानुपातिक आधार पर) निधियों का 25% (रुपया बांड निर्गम या स्वैप के माध्यम से) भाग केवल मध्यवर्ती वित्तीय संस्थानों यथा अवसंरचना विकास वित्त कंपनी (आई.डी.एफ.सी.), भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.), पावर फाइनांस कॉरपोरेशन (पी.एफ.सी.), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (आई.आर.ई.सी.) को केवल ऋण देने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। एशियाई विकास बैंक द्वारा रुपए बांड जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

चुनाव खर्च

693. श्री के.एस. राव: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उम्मीदवार का सम्पूर्ण चुनाव खर्च मुहैया कराने हेतु एक कानून अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) जी नहीं। किसी अभ्यर्थी को संपूर्ण निर्वाचन व्यय उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उद्योग क्षेत्र को अनुसंधान सुविधाएं

694. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) को कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा इसके द्वारा कितनी धनराशि उपयोग की गई;

(ख) क्या सी.एस.आई.आर. उद्योग क्षेत्र को अनुसंधान सुविधाएं देता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप सी.एस.आई.आर. द्वारा वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(ङ) सी.एस.आई.आर. को और अधिक परिणामोन्मुख बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित व उसके द्वारा उपयोग की गई निधियां निम्न प्रकार हैं:-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आबंटित निधि		उपयोग की गई निधियां	अभ्यर्पण (4-5)
		बी.ई.	आर.ई.		
1.	2003-04	1103.61	1074.54	1074.54	
2.	2004-05	1264.00	1266.47	1240.02	26.45
3.	2005-06	1503.43	1453.49	1388.13	65.36

(ख) और (ग) जी हां। सी.एस.आई.आर. ऐसा करने के लिए उद्योग के साथ आंतरिक संबंधों को कायम रखता है। यह प्रायोजित और सहयोगात्मक अनुसंधान करता है। उद्योग के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए सी.एस.आई.आर. ने नई पहलें प्रारंभ की हैं जिनमें सी.एस.आई.आर. की चुनिंदा प्रयोगशालाओं के चिंतन केन्द्रों को उचित स्थान दिलाना और सी.एस.आई.आर. के वैज्ञानिकों की अपनी प्रयोगशालाओं और उद्योग के बीच तथा इसके विपरीत आवाजाही को अनुमति देना सम्मिलित है।

(घ) सी.एस.आई.आर. द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान उद्योग से अर्जित कुल राजस्व 96.83 करोड़ रुपये था और वर्ष 2006-07 के दौरान (जनवरी, 2007 तक) यह 93.63 करोड़ रुपये है।

(ङ) सी.एस.आई.आर. ने अपनी पुनःसंरचना और पुनर्गठन के द्वारा बाह्य परिवेश के परिवर्तनों के अनुकूल बनने के लिए सतत रूप से प्रयास किया है। जीवन्त और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए इस संगठन का पुनर्निर्माण करने के क्रम में सी.एस.आई.आर. क्रियाकलापों के परिणामों का मूल्यांकन और परिगणन करने तथा सी.एस.आई.आर. में सार्वजनिक निवेशों की प्रभावकारिता को इष्टतम बनाने हेतु उपाए बताने के लिए डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में केलकर समिति नामक समिति का जून, 2003 में गठन करने जैसे कई कदम उठाए गए/पहलें प्रारंभ की गई। इस समिति के सुव्यवस्थित रूप से गंभीरतापूर्ण अध्ययन किए और सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित संगठन को महत्व देने के लिए अपनी प्रकार की पहली कार्यप्रणाली तैयार की तथा सी.एस.आई.आर. के योगदानों के महत्व को बढ़ाने हेतु कई दूरगामी संस्तुतियां की।

क्रेडिट कार्डों का दुरुपयोग

695. **श्री महावीर भगोरा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सरकार की जानकारी में आया है कि धोखाधड़ी से ई-टिकटों को खरीदने और अन्य आर्थिक अपराधों में क्रेडिट कार्ड नम्बर तथा सी.वी.वी. नम्बर का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला; और

(घ) क्रेडिट कार्डों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि धोखाधड़ी से ई-टिकटों को खरीदने और अन्य आर्थिक अपराधों में क्रेडिट कार्डों के दुरुपयोग के निम्नलिखित दो मामले हाल ही में उनकी जानकारी में आए हैं:-

(i) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड द्वारा जारी क्रेडेट कार्डों और ग्राहक सत्यापन मूल्य (सी.वी.वी.) संख्याओं का प्रयोग

करके किंग फिशर एयरलाइन्स से ऑनलाइन टिकटों की धोखाधड़ीपूर्ण खरीद से संबंधित, दिनांक 25-01-2007 की समाचार-पत्र रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से इस धोखाधड़ी का ब्यौरा मांगा था। किंग फिशर एयरलाइन्स द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है और अभी तक धोखाधड़ीपूर्ण कार्यकलाप में लिप्त 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

(ii) जून, 2006 में एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना दी थी कि मैसर्स लकी ट्रैवल्स क्रेडिट कार्डों को देखकर रोकड़ उपलब्ध करा रहा था। वह विदेशों में स्थित बैंकों द्वारा जारी नकली कार्डों का प्रयोग कर रहा था। बैंक ने स्थानीय पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने मैसर्स लकी ट्रैवल्स के मालिक को गिरफ्तार कर लिया था।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को यथा सूचित, क्रेडिट कार्ड संबंधी दोखाधड़ियों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि, निम्नलिखित है:-

(लाख रुपए में)

बैंकों का प्रकार	2004		2005		2006	
	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
सरकारी क्षेत्र के बैंक	111	89.46	327	276.94	10	21.36
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	2699	293.81	5274	662.25	13350	1771.17
विदेशी बैंक	3205	766.37	3188	897.35	3908	1207.99
कुल धोखाधड़ियां	6015	1149.64	8789	1836.54	17268	3000.52

उपर्युक्त आंकड़े सभी प्रकार के लेन-देनों के संबंध में हैं और ई-टिकटों की खरीद से संबंधित आंकड़े पृथक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में बैंकों को दिशानिर्देश जारी किये थे, जिन्हें 01 जुलाई, 2006 के मास्टर परिपत्र में संकलित किया गया था।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत परियोजनाएं

696. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत 10,290 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी लागत क्या है; और

(ग) इनके कार्यान्वयन में अभी तक क्या प्रगति हुई है और इन पर कितना व्यय किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत 12,244 करोड़ रु. की लागत की परियोजनाओं की संस्वीकृति दी है। परियोजनाओं और उनकी लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) अभी तक स्वीकृत परियोजनाएं इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं जिनमें निविदा आमंत्रित करना/योजना शुरू करना आदि भी शामिल है।

विवरण

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)

शहरी अवसंरचना और अभिशासन के लिए उप-मिशन के तहत अनुमोदित परियोजनाएं (27-02-2007 तक)

क्र. सं.	राज्य	शहर	सेक्टर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	अनुमत्य केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी करने के लिए अनुमोदित केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख	जारी केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/ वर्षा जल निकासी	वर्षा जल निकासी के री-मॉडलिंग-मुरकीनाला सेकेंडरी ड्रेनेज	4231.00	1480.85	370.00	21-03-2006	370.00	29-03-2006
2.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/ वर्षा जल निकासी	वर्षा जल निकासी का री-मॉडलिंग-मुरकीनाला पी-11, पी-12	3299.00	1154.65	288.00	21-03-2006	288.00	29-03-2006
3.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/ वर्षा जल निकासी	वर्षा जल निकासी का री-मॉडलिंग-कुकटपल्ली (बेगमपेट) नाला पी-7	3136.00	1097.6	274.00	21-03-2006	274.00	29-03-2006
4.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जल निकासी/ वर्षा जल निकासी	बल्लकापुर चैनल	3579.00	1252.65	313.00	21-03-2006	313.00	29-03-2006
5.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	सड़कें/फ्लाई ओवर/आरओबी	राजीव गांधी सर्किल भाग-II पर फ्लाईओवर	3300.00	1155	288.00	27-03-2006	288.00	29-03-2006
6.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	सड़कें/फ्लाई ओवर/आरओबी	ग्रीनलाइन जंक्शन पर फ्लाईओवर	1727.00	604.45	151.00	27-03-2006	151.00	29-03-2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	सड़कें/फ्लाई ओवर/आरओबी	चन्द्रायनगगुट्टा पर फ्लाई ओवर	1101.00	385.35	96.00	27-03-2006	96.00	29-03-2006
8.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	शहरी नवीकरण	चार मीनार पैदलीकरण परियोजना के तहत बाहरी रिंग रोड और इनर रिंग रोड के चौड़ीकरण	3510.00	1228.5	307.13	28-06-2006	307.13	19-07-2006
9.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	शहरी नवीकरण	मुसी अभियान, मुसी पुर्नयोवनीकरण	4426.51	1549.278	387.32	22-01-2007	387.32	14-02-2007
10.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	साहेब नगर टीबीआर से प्रशासन नगर तक पाइप लाइन के लिए डीपीआर	9493.00	3322.55	831.00	27-03-2006	831.00	29-03-2006
11.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	कृष्णा नगर से सिकन्दराबाद का डाइवर्जन	8120.00	2842	710.50	27-03-2006	710.50	29-03-2006
12.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	मुसी के उत्तर में अतिरिक्त संग्रहण सुविधाओं में ग्रीड कार्य का सुधार	2981.00	1043.35	260.84	19-09-2006	260.83	13-10-2006
13.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	मुसी के दक्षिण में अतिरिक्त संग्रहण सुविधाओं में ग्रीड कार्य का सुधार	3355.00	1174.25	293.56	19-09-2006	293.56	13-10-2006
14.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	अनसर्वड क्षेत्रों में भूमिगत जल निकासी सुविधाएं प्रदान करना	5656.00	2828	707.00	27-03-2006	707.00	29-03-2006
15.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	सर्किल- i, ii, iii और वीएमसी केएमजी रोड में अनकर्वड क्षेत्रों में वर्षा जल निकासी प्रणाली	4912.00	2456	614.00	10-11-2006	614.00	23-11-2006

16.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सीवरेज	कृष्णा लंका क्षेत्र विजयवाड़ा में सीवरेज प्रणाली प्रदान करना	743.00	371.5	92.88	19-09-2006	92.87	13-10-2006
17.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सीवरेज	सिंहनगर में सीवरेज शोधन प्लाट प्रदान करना (यूएएस बीआर) (सेक्टर-viii)	949.00	474.5	118.63	25-10-2006	118.63	22-11-2006
18.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सीवरेज	वीएमसी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, गुंडाला, देवीनगर, केदेश्वर पेट इत्यादि में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना	1985.00	992.5	198.50	02-02-2007	0	
19.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जलापूर्ति	अनसर्वड क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुविधा प्रदान करने	3548.00	1774	444.00	27-03-2006	444.00	29-03-2006
20.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	जलापूर्ति	विजयवाड़ा नगर निगम में जल आपूर्ति उपयोगिता में वृद्धि	7231.00	3615.5	361.55	02-02-2007	0	
21.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल निकासी/ वर्षा जल निकासी	एस.एल. केनाल का नियमितीकरण	339.00	169.5	42.30	10-05-2006	42.30	08-06-2006
22.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जल निकासी/ वर्षा जल निकासी	वेंच नालों सहित येरीगड्डा वर्षा जल निकासी में सुधार	921.00	460.5	115.00	10-05-2006	115.00	08-06-2006
23.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	सीवरेज	विशाखापट्टनम पुराने शहर क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली प्रदान करना	3708.00	1854	463.50	10-11-2006	463.50	23-11-2006
24.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जलापूर्ति	जलापूर्ति में वृद्धि हेतु टीएसआर से यनडाडा और कोम्माडी जंक्शन को जलापूर्ति पाइप लाइन प्रदान करना	2340.00	1170	292.50	10-05-2006	292.50	05-10-2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जलापूर्ति	थाटीपुरी संग्रहिका से शहर सेवा संग्रहिका और पंपिंग यूनिट में वर्तमान थाटीपुरी पाइप लाइन के परिवर्तन के लिए डीपीआर	6228.00	3114	778.50	10-05-2006	778.50	08-06-2006
26.	अरुणाचल प्रदेश	इटा नगर	ठोस कचरा प्रबंधन	नगर निगम - पालन पुर क्षेत्र का गठन	1194.38	1074.942	107.49	22-02-2007	0	
27.	असम	गुवाहाटी	ठोस कचरा प्रबंधन	गुवाहाटी के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	3516.71	3165.039	0	22-01-2007	0	
28.	चंडीगढ़ (संघ शासित)	चंडीगढ़	जल आपूर्ति	चंडीगढ़ में 24 घंटे जलापूर्ति हेतु रिमोट कंप्यूटरीकृत निरीक्षण सिस्टम के साथ उपयुक्त मॉनीटरिंग और ऑटोमेशन के लिए उपयुक्त जलापूर्ति अवसंरचनाओं का अद्यतन	2026.00	1620.8	405.20	25-08-2006	0	
29.	चंडीगढ़ (संघ शासित)	चंडीगढ़	जल आपूर्ति	चंडीगढ़ में हरित क्षेत्रों की सिंचाई हेतु तृतीयक शोधित सीवेज के संग्रहण द्वारा पेयजल का संरक्षण	3672.60	2938.08	734.52	25-08-2006	0	
30.	छत्तीसगढ़	रायपुर	जल आपूर्ति	आरएमसी के बढ़ोत्तरी क्षेत्र सहित जल आपूर्ति स्कीम में वृद्धि	30364.00	24291.2	6072.80	08-09-2006	4800.00	31-10-2006
31.	गुजरात	अहमदाबाद	जल निकास/ बरसाती पानी की नालियां	अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र के पश्चिमी जोन के लिए बरसाती पानी के निकास की प्रणाली	5914.00	2069.9	517.47	19-09-2006	517.47	13-10-2006

32. गुजरात	अहमदाबाद	-वही-	अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र, अहमदाबाद के दक्षिणी एवं केन्द्रीय जोन के लिए बरसाती पानी का निकास	12088.00	4230.8	1057.70	25-10-2006	1057.70	20-12-2006
33. गुजरात	अहमदाबाद	-वही-	अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र, अहमदाबाद के उत्तरी एवं पूर्वी जोन के लिए बरसाती पानी का निकास	12283.00	4299.05	1074.76	25-10-2006	1074.76	20-12-2006
34. गुजरात	अहमदाबाद	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	द्रुत बस परिवहन प्रणाली-12 कि.मी. लम्बे (प्रथम फेज का स्ट्रेच-I) बीआरटी रोडवे का निर्माण तथा विस्तृत अध्ययन एवं इंजीनियरिंग	8760.00	3066	766.50	11-08-2006	766.50	14-09-2006
35. गुजरांत	अहमदाबाद	-वही-	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (46 कि.मी. लम्बा रास्ता)	40572.00	14200.2	3550.05	06-10-2006	3550.05	15-12-2006
36. गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	कुलपुर स्टेशन और नरोदा के बीच अहमदाबाद हिम्मत-नगर एमजी रेलवे लाइन पर ओंकार क्रासिंग के पास एलसी सं. 5 क के बदले में 4 लेन के आरओबी का निर्माण	1851.00	647.85	161.96	22-01-2007	161.96	14-02-2007
37. गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	मनीनगर और वत्वा रेलवे स्टेशन के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के ऊपर दक्षिणी सोसायटी के नजदीक 132 फीट रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	2144.00	750.4	187.00	22-01-2007	187.00	14-02-2007
38. गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	122 फीटर रिंग रोड पर श्रेयास क्रॉसिंग पर अहमदाबाद बटाउ एमजी रेलवे लाइन पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	1212.00	424.2	106.00	26-05-2006	106.00	14-06-2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	बसना और पिराना 122 रोड को जोड़ने के लिए साबरमती नदी के ऊपर चार लेन वाले पुल का निर्माण	2955.00	1034.25	258.50	26-05-2006	258.50	14-06-2006
40.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	वत्वा और मनीनगर स्टेशन के बीच अंबिका ट्यूब क्रॉसिंग पर अहमदाबाद-मुंबई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर सं. 306 के स्थान पर 4 लेन के आरओबी का निर्माण	1500.00	525	131.00	22-01-2007	131.00	14-02-2007
41.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	अहमदाबाद में सोला (एईसी) जंक्शन पर 6 लेन के फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण	1857.00	649.95	162.00	22-01-2007	162.00	14-02-2007
42.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	साबरमती-विरामगम ब्रॉड गेज रेलवे लाइन अहमदाबाद पर 4 लेन के फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण	2011.00	703.85	175.00	22-01-2007	175.00	14-02-2007
43.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	शिवरंजनी जंक्शन अहमदाबाद में 4 लेन के फ्लाई ओवर का निर्माण	1670.00	584.5	146.00	22-01-2007	146.00	14-02-2007
44.	गुजरात	अहमदाबाद	सड़क/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	नेमनगर जंक्शन अहमदाबाद में 6 लेन के फ्लाई ओवर का निर्माण	1513.00	529.55	137.50	22-01-2007	137.50	14-02-2007
45.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	एयूडीए क्षेत्र में मेजर और माइनर रेडियल रोड फेज-I का निर्माण	5013.00	1754.55	438.00	22-01-2007	438.00	14-02-2007
46.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	पिराना में मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	6922.00	2422.7	605.68	28-06-2006	605.68	19-07-2006

47.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	बसना में सीवरेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	1135.00	397.25	99.31	28-06-2006	99.31	19-07-2006
48.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	पूर्व ए.यू.डी.ए. क्षेत्र के लिए टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन और बीनजोल के निकट सीवरेज शोधन प्लांट	3681.26	1288.441	128.84	02-02-2007	0	
49.	गुजरात	अहमदाबाद	जल आपूर्ति	नर्मदा मेन नहर से कोटापुर डब्ल्यूटीपी तक पाइप लाइन, कोटरपुर के पास साबरमती नदी में 330 एमएलडी इनेटक वैल, रसाका में जल शोधन संयंत्र	5383.25	1884.137	300.00	21-03-2006	300.00	29-03-2006
50.	गुजरात	राजकोट	जल निकासी/ बरसाती पानी की नालियां	भूमिगत जल निकास फेज-II एवं फेज-III (भाग-I) (सीवेज निपटान नेटवर्क एवं एसटीपी)	7542.00	3771	942.70	31-07-2006	942.70	18-08-2006
51.	गुजरात	राजकोट	ठोस कचरा प्रबंधन	ठोक कचरा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण (फेज-I)	867.00	433.5	108.38	14-07-2006	108.38	21-07-2006
52.	गुजरात	राजकोट	जल आपूर्ति	राजकोट के लिए जल आपूर्ति परियोजना	8562.00	4281	1070.00	27-03-2006	1070.00	29-03-2006
53.	गुजरात	सूरत	जल निकासी/ बरसाती पानी की नालियां	बरसाती पानी का निकास, वेसू क्षेत्र	4995.00	2497.5	624.38	28-06-2006	624.38	19-07-2006
54.	गुजरात	सूरत	सड़क/फलाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	डबोली को जहांगीरपुरा से जोड़ने के लिए तापी नदी के ऊपर पुल	6500.00	3250	812.50	10-05-2006	812.50	08-06-2006
55.	गुजरात	सूरत	सड़क/फलाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	कपोधरा फायर स्टेशन पर फ्लाई ओवर ब्रिज	932.00	466	116.50	22-01-2007	116.50	14-02-2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	गुजरात	सूरत	सड़क/फलाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	नानावराचा के नजदीक फ्लाई ओवर ब्रिज	758.00	379	94.75	22-01-2007	94.75	14-02-2007
57.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	बामरोली में सीकेंडरी सीवेज शोधन संयंत्र	1322.47	661.235	165.31	26-05-2006	165.31	14-06-2006
58.	गुजरात	सूरत	-वही-	अंजना सीवेज शोधन संयंत्र का उन्नयन	1098.00	549	137.00	27-03-2006	137.00	29-03-2006
59.	गुजरात	सूरत	-वही-	अदाजान सीवरेज की क्षमता बढ़ाना	1193.00	596.5	149.00	27-03-2006	149.00	29-03-2006
60.	गुजरात	सूरत	-वही-	भेसान सीवेज शोधन संयंत्र की क्षमता बढ़ाना	1509.00	754.5	188.00	27-03-2006	188.00	29-03-2006
61.	गुजरात	सूरत	-वही-	वेसू क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एसटीपी	3437.00	1718.5	429.63	28-06-2006	429.63	19-07-2006
62.	गुजरात	सूरत	-वही-	पलपलानपोर क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एसटीपी	2128.00	1064	266.00	28-06-2006	266.00	19-07-2006
63.	गुजरात	सूरत	जल आपूर्ति	सूरत शहरी विकास प्राधिकरण की वेसू शहरी बस्ती के लिए जल आपूर्ति परियोजना	1919.00	959.5	239.80	10-05-2006	239.80	08-06-2006
64.	गुजरात	सूरत	-वही-	पलपलानपोर क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति परियोजना	995.00	497.5	124.30	10-05-2006	124.30	08-06-2006
65.	गुजरात	वडोदरा	सीवरेज	वडोदरा सिटी के लिए सीवरेज प्रणाली	10514.93	5257.465	500.00	22-01-2007	500.00	20-02-2007
66.	गुजरात	वडोदरा	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति स्रोत को बढ़ाना	4105.00	2052.5	513.13	28-06-2006	513.13	19-07-2006

67.	हरियाणा	फरीदाबाद	सीवरेज	फरीदाबाद में सीवरेज प्रणाली और सीवरेज शोधन कार्य को ठीक करना	10383.00	5191.5	519.15	22-01-2007	519.15	20-02-2007
68.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	सीवरेज	ग्रेटर श्रीनगर के जोन-III सेक्टर-I के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	13292.00	11962.8	1196.28	22-12-2006	1196.28	20-02-2007
69.	कर्नाटक	बंगलौर	निकासी/वर्षा जल निकासी	केथामरनहल्ली और अरकावती माइनरमेली-I ओर कठरीगुप्पा माइनरमेली-III (3 डीपीआर सहित) ब्रुसमावती घाटी में बंगलौर शहर में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	22826.00	7989.1	1997.27	24-11-2006	1997.27	15-01-2007
70.	कर्नाटक	बंगलौर	निकासी/वर्षा जल निकासी	बंगलौर सिटी चाला घट्टा वेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	11857.00	4149.95	1037.48	24-11-2006	1037.48	15-01-2007
71.	कर्नाटक	बंगलौर	निकासी/वर्षा जल निकासी	बंगलौर सिटी कोरमंगलमेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	11149.00	3902.15	975.53	24-11-2006	975.53	15-01-2007
72.	कर्नाटक	बंगलौर	निकासी/वर्षा जल निकासी	बंगलौर सिटी हेब्बर मेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	18474.00	6465.9	1616.47	24-11-2006	1616.47	15-01-2007
73.	कर्नाटक	बंगलौर	सड़कें/फ्लाई ओवर/आरओबी	मालेश्वरम सर्किल में अंडर पास का निर्माण	1245.21	435.8235	108.96	24-11-2006	108.96	15-12-2006
74.	कर्नाटक	बंगलौर	सड़कें/फ्लाई ओवर/आरओबी	एम.जी. रोड क्षेत्र के चारों तरफ साइड वाक और स्फाल्ट कार्य के सड़कों का उन्नयन	4361.16	1526.406	381.60	22-01-2007	381.60	14-02-2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	कर्नाटक	बंगलौर	सड़कें/फ्लाई ओवर/आरओबी	कोर मंगल क्षेत्र के चारों तरफ साइड वाक और स्फाल्ट कार्य के सड़कों का उन्नयन	5044.90	1765.715	441.43	22-01-2007	441.43	14-02-2007
76.	कर्नाटक	बंगलौर	सड़कें/फ्लाई ओवर/आरओबी	जय नगर बंगलौर में ट्रैफिक और ट्राजिट प्रबंधन केन्द्र का विकास (प्रस्तावित यात्रि)	889.58	311.353	31.13	08-12-2006	31.13	20-12-2006
77.	कर्नाटक	बंगलौर	सड़कें/फ्लाई ओवर/आरओबी	टैगौर सर्किल में अंडरपास का निर्माण	1755.90	614.565	153.64	24-11-2006	153.64	15-12-2006
78.	कर्नाटक	बंगलौर	सड़कें/फ्लाई ओवर/आरओबी	आरबी टीचर कोलेज सर्किल में अंडरपास का निर्माण	1349.25	472.2375	118.05	24-11-2006	118.05	15-12-2006
79.	कर्नाटक	बंगलौर	जलापूर्ति	सीडब्ल्यू.एसएस स्टेज-4 फेज-1 से 100 एमएलडी अतिरिक्त पानी की वृद्धि	1226.00	429.1	85.82	08-12-2006	85.82	20-12-2006
80.	कर्नाटक	बंगलौर	जलापूर्ति	बंगलौर जल ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए बल्क फलो मीटरिंग प्रणाली	1531.00	535.85	107.17	08-12-2006	107.17	20-12-2006
81.	कर्नाटक	मैसूर	जलापूर्ति	मैसूर शहर के लिए जलापूर्ति वितरण की रिमॉडलिंग	19454.00	15563.2	3112.64	08-12-2006	3112.64	15-01-2007
82.	मध्य प्रदेश	भोपाल	निकासी/वर्ष जल निकासी	नालाका चैनलीकरण (वर्षा जल निकासी)	3057.00	1528.5	382.13	26-05-2006	382.13	14-06-2006
83.	मध्य प्रदेश	भोपाल	त्वरित जन-परिवहन प्रणाली	बस त्वरित ट्रांजिट प्रणाली (21.715 कि.मी. के लिए पायलट कॉरीडोर)	23776.00	11888	2972.00	10-11-2006	2972.00	15-12-2006
84.	मध्य प्रदेश	भोपाल	शहरी नवीकरण	भोपाल में श्रेणीकृत स्क्रेप मार्ट में बुनियादी अवसंरचना का नवीकरण	811.00	405.5	101.38	14-07-2006	101.38	21-07-2006

85. मध्य प्रदेश	भोपाल	शहरी नवीकरण	एमपी नगर भोपाल में बुनियादी अवसंरचना का नवीकरण	1894.00	947	236.75	14-07-2006	236.75	21-07-2006
86. मध्य प्रदेश	भोपाल	जलापूर्ति	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति	1418.00	709	177.29	21-03-2006	177.29	29-03-2006
87. मध्य प्रदेश	इन्दौर	त्वरित जन-परिवहन प्रणाली	बस त्वरित परिवहन प्रणाली पायलेट परियोजना	9845.00	4922.5	1230.63	11-08-2006	1230.62	13-10-2006
88. मध्य प्रदेश	इन्दौर	रोड/फ्लाई ओवर/आरओबी	इन्दौर में 8 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण	4083.35	2041.675	510.42	10-11-2006	510.42	23-11-2006
89. मध्य प्रदेश	इन्दौर	रोड/फ्लाई ओवर/आरओबी	व्हाइट चर्च से बाईपास रोड को लिंक रोड का विकास	1966.34	983.17	245.79	08-12-2006	245.79	20-12-2006
90. मध्य प्रदेश	इन्दौर	रोड/फ्लाई ओवर/आरओबी	एमआर 9 इन्दौर में मास्टर प्लान लिंक रोड का विकास	3974.64	1987.32	496.83	08-12-2006	496.83	20-12-2006
91. मध्य प्रदेश	इन्दौर	सीवरेज	इन्दौर सीवरेज परियोजना	30717.00	15358.5	3839.63	08-09-2006	3071.50	31-10-2006
92. मध्य प्रदेश	इन्दौर	जलापूर्ति	यसवंत सागर जलापूर्ति प्रणाली वृद्धि स्कीम	2375.00	1187.5	297.00	27-03-2006	297.00	29-03-2006
93. मध्य प्रदेश	जबलपुर	सीवरेज	सीवरेज और सीवरेज फेज-I शौधन परियोजना	7801.00	3900.5	975.00	10-05-2006	975.00	08-06-2006
94. मध्य प्रदेश	जबलपुर	सीवरेज	सीवरेज और सीवरेज फेज-II शौधन परियोजना	7081.00	3540.5	885.00	10-05-2006	885.00	08-06-2006
95. महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	निकासी/वर्षा जल निकासी	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-II	11659.00	4080.65	405.65	22-01-2007	405.65	20-02-2007
96. महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	निकासी/वर्षा जल निकासी	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-I	9239.00	3233.65	808.41	08-01-2007	83.75	31-01-2007
97. महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	अन्य शहरी परिवहन	थाणे रेलवे प्रणाली क्षेत्र ट्रेफिक सुधार स्कीम	2325.00	813.75	203.44	08-12-2006	203.44	31-01-2007
98. महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	रोड/फ्लाई ओवर/आरओबी	प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम से एपीएलआर-एमयूआईपी तक पूर्वोत्तर फ्रीवे	33638.80	11773.58	588.68	25-10-2006	588.68	20-12-2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	रोड/फ्लाई ओवर/आरओबी	साहर रोड एमयूआईपी पर एलीवेटिड रोड	15513.34	5429.669	542.97	25-10-2006	542.97	20-12-2006
100.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	मुंबई सीवरेज निपटान परियोजना चरण-II प्राथमिक कार्य	36447.00	12756.45	1505.00	08-09-2006	1505.00	15-11-2006
101.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	जलापूर्ति	थाणे के अतिरिक्त 100 एमएलडी जलापूर्ति स्कीम के लिए डीपीआर	7118.00	2491.3	249.25	08-01-2007	249.13	31-01-2007
102.	महाराष्ट्र	नागपुर	रोड/फ्लाई ओवर/आरओबी	रोड ओवर ब्रिज	8628.00	4314	1079.00	21-03-2006	1079.00	29-03-2006
103.	महाराष्ट्र	नागपुर	रोड/फ्लाई ओवर/आरओबी	आनन्द टोकिज के पास रोड अंडर ब्रिज का निर्माण	1828.65	914.325	0	22-01-2007	0	
104.	महाराष्ट्र	नागपुर	रोड/फ्लाई ओवर/आरओबी	मसका साथ में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	253.00	126.5	0	22-01-2007	0	
105.	महाराष्ट्र	नागपुर	रोड/फ्लाई ओवर/आरओबी	इतबारी में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	900.80	450.4	0	22-01-2007	0	
106.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	कैनाल की जगह पर मोटर लाइन एमएस पाइप लाइन द्वारा महादुल्ला तक पेच जलाशय से लिफटिंग वाटर	14463.70	7231.85	1807.96	08-09-2006	1800.00	31-10-2006
107.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	नागपुर शहर में जलापूर्ति वितरण की वृद्धि और उन्नयन	3793.00	1896.5	474.12	21-03-2006	474.12	29-03-2006
108.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति के लिए ऊर्जा आडिट परियोजना	2503.62	1251.81	312.95	21-03-2006	312.95	29-03-2006

109.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जल क्षेत्र लिंक का पता लगाना	329.77	164.885	41.22	21-03-2006	41.22	29-03-2006
110.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जल आडिट परियोजना	2500.00	1250	312.50	21-03-2006	312.50	29-03-2006
111.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति पेच-4 भाग-II	6196.00	3098	774.50	28-12-2006	774.50	31-01-2007
112.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति पेच-4 भाग-III	8059.27	4029.635	1007.38	28-12-2006	1007.38	31-01-2007
113.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	जलापूर्ति पेच-4 भाग-III	10460.68	5230.34	1307.58	28-12-2006	1307.58	20-02-2007
114.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	कान्हावृद्धि स्कीम	8217.00	4108.5	1027.12	22-12-2006	1027.12	31-01-2007
115.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति	खराब जल का रिसाइकिल और पुर्नउपयोग	13011.00	6505.5	813.00	22-12-2006	813.00	20-02-2007
116.	महाराष्ट्र	नांदेड	हरीटेज क्षेत्रों का विकास	रिवर फ्रंट विकास नार्थ बैंक जोन-III	4313.08	3450.464	0	09-02-2007	0	
117.	महाराष्ट्र	नांदेड	रोड/फ्लाईओवर/ आरओबी	नांदेड में सिटी सड़कों का सुधार	6108.55	4886.84	1221.71	25-10-2006	1221.71	22-11-2006
118.	महाराष्ट्र	नांदेड	रोड/फ्लाईओवर/ आरओबी	नांदेड पैकेज-II, III और IIIबी सड़कों में मुवमेंट नेटवर्क का सुधार	21497.33	17197.86	4299.47	25-10-2006	4299.47	20-12-2006
119.	महाराष्ट्र	नांदेड	रोड/फ्लाईओवर/ आरओबी	नांदेड पैकेज-3बी सड़कों में मूवमेंट नेटवर्क का सुधार	5815.49	4652.392	0	22-02-2007	0	
120.	महाराष्ट्र	नांदेड	सीवरेज	नार्थ उत्तर नांदेड जोन-I में सीवरेज प्रणाली	4025.00	3220	805.00	31-07-2006	805.00	13-10-2006
121.	महाराष्ट्र	नांदेड	सीवरेज	नार्थ उत्तर नांदेड जोन-II में सीवरेज प्रणाली	4889.00	3911.2	978.00	31-07-2006	977.75	13-10-2006
122.	महाराष्ट्र	नांदेड	सीवरेज	नार्थ उत्तर नांदेड जोन-III में सीवरेज प्रणाली	3931.00	3144.8	786.25	31-07-2006	786.25	13-10-2006
123.	महाराष्ट्र	नांदेड	सीवरेज	अंडर ग्राउंड सीवरेज और सीवरेज शौघन (नांदेड दक्षिण)	4093.00	3274.4	818.60	25-08-2006	818.60	13-10-2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	महाराष्ट्र	नांदेड	जलापूर्ति	उत्तर नांदेड में जलापूर्ति का सुधार	9087.00	7269.6	1818.00	31-07-2006	1817.50	13-10-2006
125.	महाराष्ट्र	नांदेड	जलापूर्ति	नांदेड दक्षिण के लिए जलापूर्ति	4945.00	3956	989.00	25-08-2006	989.00	13-10-2006
126.	महाराष्ट्र	नासिक	सीवरेज	नासिक शहर के लिए अंडर-ग्राउंड सीवरेज परियोजना फेज-I	14846.00	7423	648.00	22-12-2006	648.00	20-02-2007
127.	महाराष्ट्र	नासिक	ठोस कचरा प्रबंधन	नासिक के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	5999.23	2999.615	690.00	22-12-2006	690.00	31-01-2007
128.	महाराष्ट्र	नासिक	जलापूर्ति	जलापूर्ति परियोजनाओं का चल रहा कार्य	5052.00	2526	631.50	10-11-2006	631.50	31-01-2007
129.	महाराष्ट्र	पुणे	निकासी/वर्षा जल निकासी	सीवरेज शौधन प्लांट और पम्पिंग स्टेशन की वृद्धि और अध्यतन	8613.00	4306.5	1076.60	10-05-2006	1076.60	08-06-2006
130.	महाराष्ट्र	पुणे	निकासी/वर्षा जल निकासी	नालों का निर्माण और विकास	9996.00	4998	1249.50	08-09-2006	1249.50	13-10-2006
131.	महाराष्ट्र	पुणे	जल निकास/ बरसाती पानी की नालियां	पुणे में सीवरेज एवं जल निकास का नवीकरण एवं प्रबंधन (वेरीस को बढ़ाना, झीलों का पुनरूद्धार, बायो रीमेडिएसन तथा नाला एवं नदियों का भू--विन्यास)	9778.00	4889	1222.25	08-09-2006	1222.25	13-10-2006
132.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	सड़क नेटवर्क एवं शहरी परिवहन	6232.00	3116	779.00	11-08-2006	779.00	14-09-2006
133.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	पुणे शहर के लिए द्रुत बस परिवहन (फेज-I)	47615.50	23807.75	937.50	25-10-2006	937.50	20-12-2006

134.	महाराष्ट्र	पुणे	सीवरेज	पिंपरी चिंचवाड के लिए सीवरेज प्रस्ताव	11938.88	5969.44	1492.36	25-10-2006	1492.36	20-12-2006
135.	महाराष्ट्र	पुणे	ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन-पिंपरी चिंचवाड	4240.80	2120.4	530.10	22-12-2006	530.10	31-01-2007
136.	महाराष्ट्र	पुणे	जल आपूर्ति	पिंपरी चिंचवाड के लिए जल आपूर्ति प्रस्ताव (4)	35862.00	17931	2500.00	22-12-2006	2500.00	20-02-2007
137.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	शहरी नवीकरण	भुवनेश्वर शहर में बिन्दु सागर हेरिटेज टैंक का संरक्षण	601.31	481.048	120.26	02-02-2007	0	
138.	पंजाब	अमृतसर	जल आपूर्ति	अमृतसर के लिए जल आपूर्ति सीवरेज एवं सीवेज शोधन	17934.00	8967	2241.75	19-09-2006	2241.75	20-12-2006
139.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	जल आपूर्ति	अजमेर शहर के लिए जलापूर्ति	18873.00	15098.4	3774.60	06-10-2006	2400.00	20-12-2006
140.	राजस्थान	जयपुर	सीवरेज	जयपुर के लिए सीवरेज प्रणाली (फेज-I)	7495.97	3747.985	937.00	08-12-2006	937.00	20-12-2006
141.	राजस्थान	जयपुर	सीवरेज	जयपुर सीवरेज परियोजना फेस-II	11086.00	5543	500.00	22-01-2007	500.00	20-02-2007
142.	राजस्थान	जयपुर	ठोस कचरा प्रबंधन	जयपुर के लिए ठोक कचरा प्रबंधन	1319.74	659.87	164.97	08-12-2006	164.97	20-12-2006
143.	राजस्थान	जयपुर	शहरी नवीकरण	चौकरी सरहद, वाल्ड सिटी, जयपुर का शहरी नवीकरण	1159.66	579.83	144.96	25-10-2006	144.96	22-11-2006
144.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	पेरूंगगुडी में 54 एमएलडी क्षमता वाले अतिरिक्त सीवरेज शोधन संयंत्र का निर्माण	3147.98	1101.793	54.95	02-02-2007	0	
145.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	चेन्नई में जलापूर्ति प्रणाली में सुधार	32200.00	11270	2817.50	24-11-2006	2817.50	15-12-2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	चेन्नई में आईटी कारीडोर के साथ जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रणाली अवस्थापना (7 पैकेज)	4177.00	1461.95	365.49	22-12-2006	365.49	23-01-2007
147.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	तंबरम नगरपालिका में जल आपूर्ति का सुधार	3261.60	1141.56	285.39	08-01-2007	114.16	23-01-2007
148.	तमिलनाडु	चेन्नई	जल आपूर्ति	मिंजूर में समुद्री जल डीसेलीमेशन संयंत्र	8780.00	3073	1756.00	02-02-2007	0	
149.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	ठोस कचरा प्रबंधन	कोयम्बटूर के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	9651.00	4825.5	482.55	02-02-2007	0	
150.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति स्कीम में सुधार	11374.30	5687.15	568.72	28-12-2006	568.72	15-01-2007
151.	तमिलनाडु	मदुरै	ठोस कचरा प्रबंधन	मदुरै के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	7429.00	3714.5	929.00	02-02-2007	0	
152.	तमिलनाडु	मदुरै	जल आपूर्ति	मदुरै निगम को जल आपूर्ति, सुधार कार्य एवं प्रणाली सुधार (फेज-I तथा फेज-II)	5931.60	2965.8	741.45	14-07-2006	741.45	18-08-2006
153.	तमिलनाडु	मदुरै	जल आपूर्ति	थिरूपकुंदरम नगर पालिका तथा हरवेपट्टी कस्बा पंचायत के लिए संयुक्त जल आपूर्ति स्कीम हेतु थिरूपकुंदरम नगर पालिका विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	969.57	484.785	48.48	08-01-2007	48.48	23-01-2007
154.	तमिलनाडु	मदुरै	जल आपूर्ति	मदुरै के लिए वैगई नदी पर चेक डैम का निर्माण	477.00	238.5	23.85	22-02-2007	0	
155.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	ठोस कचरा प्रबंधन	मथुरा में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	991.60	793.28	198.32	08-12-2006	198.32	23-01-2007
156.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	ठोस कचरा प्रबंधन	म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	2259.40	1129.7	282.43	08-12-2006	282.43	23-01-2007

157. पश्चिम बंगाल	आसनसोल	ठोस कचरा प्रबंधन	आसनसोल शहरी क्षेत्र में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	4357.27	2178.635	544.66	08-01-2007	544.66	23-01-2007
158. पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जल आपूर्ति	जलाशय, वितरण तंत्र तथा अन्य संबद्ध कार्यों के साथ 7 एमजीडी डब्ल्यूटीपी	2878.00	1439	359.75	28-06-2006	359.75	19-07-2006
159. पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जल आपूर्ति	पश्चिम बंगाल में आसनसोल शहरी क्षेत्र के तहत रानी गंज में 42 एमएलडी जल आपूर्ति	3627.00	1813.5	453.38	25-10-2006	453.38	22-11-2006
160. पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जल आपूर्ति	आसनसोल शहरी क्षेत्र के तहत जमूरिया में 22.7 एमएलडी जल आपूर्ति परियोजना, पश्चिम बंगाल	1453.00	726.5	181.63	28-10-2006	181.63	22-11-2006
161. पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जल आपूर्ति	आसनसोल नगर निगम के लिए जल आपूर्ति स्कीम	8982.96	4491.48	250.00	22-02-2007	0	
162. पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल निकास/बरसाती पानी की नालियां	खरदा, पानी हाटी, नॉर्थ दमदम, दमदम एवं साउथ दमदम के भीतर जल निकास की रुकावट को हटाने के लिए अंतर म्यूनिसिपल स्कीम	4530.14	1585.549	158.55	25-10-2006	158.55	22-11-2006
163. पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल निकास/बरसाती पानी की नालियां	हावड़ा में जल निकास का सुधार	9338.03	3268.311	163.42	08-01-2007	163.42	23-01-2007
164. पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सड़क/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	ईएमबाईपास तथा काजीन-जरूल इस्लाम सरानी के बीच फ्लाई ओवर का निर्माण	3802.00	1330.7	332.67	11-08-2006	332.67	05-10-2006
165. पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सीवरेज	कोलकाता में सीवर सिस्टम का उन्नयन (फेज-I)	9712.00	3399.2	849.80	19-09-2006	849.80	13-10-2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सीवरेज	कोलकाता के लिए मैन इंट्री ब्रिक सीवर सिस्टम का उन्नयन	40291.00	14101.85	1410.19	25-10-2006	1410.19	20-12-2006
167.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	ठोस कचरा प्रबंधन	म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	5658.53	1980.485	198.00	22-01-2007	198.00	14-02-2007
168.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	धापा में जल शोधन योजना, 30 एमजीडी, फेज-I	9875.00	3456.25	864.06	28-06-2006	864.06	19-07-2006
169.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	मौजूदा जल वितरण नेटवर्क के साथ महेशतला भूमिगत जलाशय का समेकन	1717.00	600.95	150.24	28-06-2006	150.24	19-07-2006
170.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	गांधी मैदान, अकरा में भूमिगत जलाशय सह बूस्टर पंपिंग स्टेशन	1066.00	373.1	93.28	28-06-2006	93.28	19-07-2006
171.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	बांस बेरिया में 15 एमजीडी जल शोधन योजना	4492.00	1572.2	393.05	28-06-2006	393.05	19-07-2006
172.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	उलूबेरिया में 10 एमजीडी जल शोधन योजना	4558.00	1595.3	398.83	28-06-2006	398.83	19-07-2006
173.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल आपूर्ति	बरूई पुर नगर पालिका के लिए जल आपूर्ति स्कीम	951.86	333.151	16.66	22-02-2007	0	
					1224443.45	585439.4990	116825.25		106935.60	

सैनिक फार्म को नियमित करना

697. श्री एम. अंजनकुमार यादव:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "सैनिक फार्म" जोकि दिल्ली में धनाढ्य वर्ग की एक अनाधिकृत कालोनी है, को नियमित करने पर भी विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निर्मित सड़कों का निरीक्षण

698. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

डा. के.एस. मनोज:

श्री सुब्रत बोस:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत निर्मित सड़कों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में इस प्रकार बनाई गई सड़कों का जुलाई, 2004 और सितम्बर, 2006 के बीच राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुवीक्षकों द्वारा यादृच्छिक निरीक्षण किए जाने की जानकारी है जैसाकि दिनांक 17 जनवरी, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसे निरीक्षण किए गए और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) प्रत्येक राज्य में निरीक्षण की गई सड़कों की गुणवत्ता कैसी है; और

(च) निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने, यदि कोई है; के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु): (क) से (ङ) जी, हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार, सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। इस कार्यक्रम में एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की परिकल्पना है। कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) पहला स्तर है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि उपयोग की गई सारी सामग्री तथा कार्य निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार है। दूसरे स्तर में गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयां शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। उनसे यह अपेक्षित है कि वे राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित निरीक्षण करें और प्रयोगशालाओं में परीक्षण की जाने वाली सामग्री के नमूने भी प्राप्त करें। राज्य सरकारें इस गुणवत्ता नियंत्रण ढांचे के पहले दो स्तरों के लिए जिम्मेदार हैं। तीसरे स्तर के लिए, कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क कार्यों के निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए.) निगरानीकर्त्ताओं को शामिल करता है। इन लोगों को राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ता (एन.क्यू.एम.) कहा जाता है।

(ग), (घ) और (ङ) जी, हां। जिन राज्यों में जुलाई, 2004 से सितम्बर, 2006 तक राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा निरीक्षण किए गए, उनका विवरण तथा सड़क निर्माण कार्यों को दी गई ग्रेडिंग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) कार्यों की ग्रेडिंग संतोषजनक/असंतोषजनक के रूप में करने के लिए एन.आर.आर.डी.ए. द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं तथा किसी कार्य की गुणवत्ता को असंतोषजनक ग्रेड देने का हमेशा यह अर्थ नहीं है कि सड़क टूटी-फूटी है। राष्ट्र स्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता अपनी निरीक्षण रिपोर्ट (क) राज्य गुणवत्ता समन्वयकों तथा (ख) एन.आर.आर.डी.ए. को प्रस्तुत करते हैं। राज्य सरकार को इन रिपोर्टों पर कार्रवाई करनी होती है तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एन.आर.आर.डी.ए. को भेजनी होती है। असंतोषजनक ग्रेड दिए गए कार्यों के मामले में जहां पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई की गई है तथा निर्धारित पद्धति के अनुसार जांच की गई है, एन.आर.आर.डी.ए. कार्य की गुणवत्ता का ग्रेड सुधारने हेतु आगे की कार्रवाई करती है। गुणवत्ता ग्रेडिंग के मामले में राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं की प्राप्तियों पर राज्यों के साथ प्रत्येक समीक्षा बैठक तथा परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी के प्रयोजनार्थ गठित अधिकार सम्पन्न समिति की बैठकों में चर्चा की जाती है।

विवरण

राष्ट्रस्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा किए गए निरीक्षणों का राज्य-वार सार

क्र. सं.	राज्य	ग्रेडिंग									
		पूरे किए गए कार्य				चल रहे कार्य				कुल संतोष-जनक %	कुल असंतोष-जनक %
		कुल	संतोष-जनक	असंतोष-जनक	असंतोष-जनक %	कुल	संतोष-जनक	असंतोष-जनक	असंतोष-जनक %		
1.	आन्ध्र प्रदेश	580	469	111	19%	485	356	129	27%	77%	23%
2.	अरुणाचल प्रदेश	62	17	45	73%	16	3	13	81%	26%	74%
3.	असम	109	77	32	29%	471	257	214	45%	58%	42%
4.	बिहार	163	37	126	77%	238	59	179	75%	24%	76%
5.	बिहार (एनईएएस)	11	11	0	0%	188	188	0	0%	100%	0%
6.	छत्तीसगढ़	361	285	76	21%	471	254	217	46%	65%	35%
7.	गुजरात	304	203	101	33%	275	148	127	46%	61%	39%
8.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	हरियाणा	20	10	10	50%	36	22	14	39%	57%	43%
10.	हिमाचल प्रदेश	122	100	22	18%	374	168	206	55%	54%	46%
11.	जम्मू-कश्मीर	9	2	7	78%	131	47	84	64%	35%	65%
12.	झारखंड	184	87	97	53%	330	102	228	69%	37%	63%
13.	कर्नाटक	359	291	68	19%	454	214	240	53%	62%	38%

14.	केरल	69	36	33	48%	118	67	51	43%	55%	45%
15.	मध्य प्रदेश	624	541	83	13%	1160	779	381	33%	74%	26%
16.	महाराष्ट्र	331	257	74	22%	378	175	203	54%	61%	39%
17.	मणिपुर	32	20	12	38%	42	18	24	57%	51%	49%
18.	मेघालय	31	19	12	39%	106	26	80	75%	33%	67%
19.	मिजोरम	39	13	26	67%	70	35	35	50%	44%	56%
20.	नागालैण्ड	25	3	22	88%	34	4	30	88%	12%	88%
21.	उड़ीसा	491	406	85	17%	841	384	457	54%	59%	41%
22.	पंजाब	69	51	18	26%	117	47	70	60%	53%	47%
23.	राजस्थान	1207	1077	130	11%	907	708	199	22%	84%	16%
24.	सिक्किम	17	6	11	65%	75	22	53	71%	30%	70%
25.	तमिलनाडु	331	200	131	40%	607	285	322	53%	52%	48%
26.	त्रिपुरा	41	28	13	32%	82	36	46	56%	52%	48%
27.	उत्तर प्रदेश	1281	1004	277	22%	1254	729	525	42%	68%	32%
28.	उत्तरांचल	49	30	19	39%	261	104	157	60%	43%	57%
29.	पश्चिम बंगाल	369	287	82	22%	534	320	214	40%	67%	33%
	कुल	7290	5567	1723	24%	10055	5557	4498	45%	64%	36%

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभान्वित गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार

699. श्री सुग्रीव सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 200 जिलों में राज्य-वार चयनित किए गए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारों की संख्या क्या है;

(ख) इन राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम से कितने परिवार लाभान्वित हुए है; और

(ग) इन राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम द्वारा दिए गए लाभ के कारण कितने परिवार गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) अपेक्षित ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) एन.आर.ई.जी.ए. बी.पी.एल. परिवारों तक सीमित नहीं है। एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत परिवार (चाहे वह बी.पी.एल. अथवा ए.पी.एल. हो) द्वारा रोजगार की मांग किए जाने पर ही रोजगार मुहैया कराया जाता है। एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य 100 दिनों का अकुशल मजदूरी रोजगार मुहैया कराना है। ऐसे रोजगार पर स्थायी रूप से गरीबी उपशमन का प्रभाव केवल दीर्घावधि में परिलक्षित हो सकता है।

विवरण

वर्ष 2006-07 में एन.आर.ई.जी.ए. के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	जिले	अनुमानित ग्रामीण बी.पी.एल. परिवार	रोजगार प्राप्त कर लाभान्वित होने वाले परिवार (परिवार)*
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	742074	1788112
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	3154	16926
3.	असम	7	327241	446981
4.	बिहार	23	3435882	886916
5.	छत्तीसगढ़	11	749873	1045279
6.	गुजरात	6	182806	146943
7.	हरियाणा	2	21279	39128
8.	हिमाचल प्रदेश	2	11967	52632
9.	जम्मू-कश्मीर	3	9567	16079
10.	झारखण्ड	20	1504269	846401
11.	कर्नाटक	5	222979	478767

1	2	3	4	5
12.	केरल	2	57810	60391
13.	मध्य प्रदेश	18	1315731	2582117
14.	महाराष्ट्र	12	880727	353338
15.	मणिपुर	1	6466	17880
16.	मेघालय	2	40703	12642
17.	मिजोरम	2	8673	6666
18.	नागालैंड	1	12788	27800
19.	उड़ीसा	19	1841797	1264957
20.	पंजाब	1	14107	30868
21.	राजस्थान	6	177808	1094229
22.	सिक्किम	1	4264	4111
23.	तमिलनाडु	6	424910	508243
24.	*त्रिपुरा	1	23138	66656
25.	उत्तर प्रदेश	22	2236122	2326348
26.	उत्तरांचल	3	64332	107192
27.	पश्चिम बंगाल	10	2250037	2425415
	कुल	200	16570504	16653017

*नोट: परिवारों को उपलब्ध कराया गया रोजगार जनवरी, 2007 तक राज्य सरकार से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट पर आधारित है।

नई राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्अधिवास नीति

700. डा. एम. जगन्नाथ:

श्री बसुदेव आचार्य:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्अधिवास नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित पक्षों से भी इस संबंध में परामर्श लिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उनसे प्राप्त सुझावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) नई नीति के कब तक लागू होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग,

एक संशोधित पुनर्वास नीति नामतः राष्ट्रीय पुनर्वास नीति-2007 (एन.आर.पी.-2007) का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य विस्थापन को न्यूनतम करना और जहां तक संभव हो, विस्थापन न करने अथवा कम से कम विस्थापन करने संबंधी विकल्पों को बढ़ावा देना, पर्याप्त पुनर्वास पैकेज सुनिश्चित करना तथा विस्थापित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ पुनर्वास प्रक्रिया का शीघ्रता से कार्यान्वयन करना है। यह नीति, इसे अनुमोदित और अंगीकार किए जाने के उपरांत, मौजूदा राष्ट्रीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति-2003 (एन.पी.आर.आर.-2003) का स्थान लेगी।

प्रारूप राष्ट्रीय पुनर्वास नीति-2006 (एन.आर.पी.-2006), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु परिचालित की गई थी तथा लोगों से टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु इसे भूमि संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइटों तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सुविधा केन्द्र, कृषि भवन पर भी उपलब्ध कराया गया था तथा इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की गई है। कुछेक राज्यों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां प्राप्त होने के साथ-साथ काफी संख्या में लोगों से भी टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिन पर कार्यवाही की जा रही है ताकि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति-2007 (एन.आर.पी.-2007) के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा सके तथा मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

अंतरण-मूल्य निर्धारण उल्लंघन

701. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान कई कम्पनियों के विरुद्ध अंतरण मूल्य निर्धारण उल्लंघन (ट्रांसफर प्राइसिंग वायलेशन) के मामलों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी कम्पनियों से कितना कर एवं अर्थदंड का संग्रहण किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस सूचना को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है, एवं इसे क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित किया जा रहा है, एवं इसे संकलन के पश्चात सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

702. **श्री फ्रांसिस फेन्थम:**

श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां लोक सभा एवं राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित परिसीमन कार्य को पूरा कर लिया गया है और अंतिम आदेश को अधिसूचित कर दिया गया है; और

(ख) शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है जहां परिसीमन कार्य को अभी पूरा किया जाना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) परिसीमन आयोग ने संपूर्ण देश में लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों और राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में आज की तारीख तक की गई प्रगति के ब्यौरे सूचित किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

I. वे राज्य जहां परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 के निबंधनों में अंतिम आदेश अधिसूचित कर दिया गया है, निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	राज्य	अधिसूचना की तारीख
1.	गोवा	31-03-2005
2.	पांडिचेरी	31-03-2005
3.	त्रिपुरा	12-05-2005
4.	मिजोरम	27-05-2005
5.	केरल	31-05-2005
6.	राजस्थान	25-01-2006
7.	पश्चिमी बंगाल	15-02-2006
8.	पंजाब	19-06-2006
9.	छत्तीसगढ़	02-06-2006
10.	महाराष्ट्र	31-07-2006
11.	सिक्किम	04-09-2006

क्र.सं.	राज्य	अधिसूचना की तारीख
12.	दिल्ली	20-09-2006
13.	गुजरात	12-12-2006
14.	उड़ीसा	15-12-2006
15.	उत्तर प्रदेश	18-12-2006
16.	उत्तराखंड	28-12-2006
17.	हिमाचल प्रदेश	10-01-2007
18.	हरियाणा	15-02-2007

II. वह राज्य जिसमें लोक बैठकें आयोजित की गई हैं। उस राज्य के संबंध में अंतिम अधिसूचना छह सप्ताह के भीतर जारी किए जाने की संभावना है।

क्र. सं.	राज्य	लोक बैठकों की तारीखें
1.	मध्य प्रदेश	19t, 20, 22 और 26 फरवरी, 2007

III. वह राज्य जिसमें प्रारूप प्रस्ताव पहले ही प्रकाशित कर दिए गए हैं और लोक बैठकों का आयोजन किया जाना नियत है:

क्र. सं.	राज्य	प्रारूप अधिसूचना की तारीख	लोक बैठकों की तारीखें
1.	आन्ध्र प्रदेश	22-01-2007	6, 8, 9, 10 मार्च, 2007

IV. वे राज्य जिनमें प्रारूप प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है और सहबद्ध सदस्यों, यदि कोई हों, से विसम्मत प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं और प्रस्ताव लोक बैठकों के पूर्व जनता से सुझावों के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं।

1. तमिलनाडु

V. वे राज्य जिनमें प्रारूप प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है और सहबद्ध सदस्यों को विसम्मत प्रस्तावों, यदि कोई हों, के लिए भेज दिया गया है:-

1. कर्नाटक

VI. अन्य राज्यों की प्रास्थिति:-

क्र.सं.	राज्य	स्थिति
1.	अरुणाचल प्रदेश	पत्र 1 और 2 के संबंध में सहबद्ध सदस्यों से विचार-विमर्श हो गया है और कार्यकरण पत्र को सहबद्ध सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है।
2.	असम	सहबद्ध सदस्यों के साथ 11 बैठकें आयोजित की गई और प्रारूप प्रस्तावों को शीघ्र अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
3.	बिहार	कार्यकरण पत्र तैयार कर लिया गया है और सहबद्ध सदस्यों के साथ तारीख 16 और 17 मार्च, 2007 को अगली बैठक आयोजित की जानी नियत हैं।
4.	झारखंड	कार्यकरण पत्र तैयार कर लिया गया है और प्रारूप प्रस्तावों को, सहबद्ध सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
5.	मेघालय	साधारण जनता से सुझाव/आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रारूप प्रस्तावों को शीघ्र ही प्रकाशित किए जाने की संभावना है।

क्र.सं.	राज्य	स्थिति
6.	नागालैंड	जिलों के लिए विधान सभा स्थानों का आबंटन करने के लिए पत्र 1 और 2 के संबंध में सहबद्ध सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर लिया गया है और कार्यकरण पत्र को सहबद्ध सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है।
7.	मणिपुर	गुवाहाटी उच्च न्यायालय के तारीख 19-01-2007 के आदेश के परिणामस्वरूप मणिपुर के तीन पहाड़ी जिलों की बाबत नई जनगणना की जानी है। मणिपुर के लिए परिसीमन कार्य उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रास्थगित कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे बार-बार अनुरोध कर रहा हूं। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है। सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभा की बैठक का रद्द किया जाना

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि दूसरे सदन ने सोमवार, 5 मार्च, 2007 को होली के कारण सभा की बैठक न बुलाने का निर्णय लिया है तथा मुझे भी अनुरोध प्राप्त हुआ है कि यह सदन भी ऐसा ही निर्णय ले।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने अभी निर्णय की घोषणा नहीं की है। मैंने नेताओं की बैठक बुलाई तथा आज (2-3-07) को हुई नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सोमवार, 5 मार्च, 2007 को निर्धारित लोक सभा की बैठक को रद्द कर दिया जाए, यद्यपि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।

मुझे आशा है कि सभा इसपर सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, आपको होली की मुबारक।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां काम होने से ही मुबारक होगी, होली की मुबारक नहीं चाहिए!

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय श्री तूफानी सरोज तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऊर्जा कुशलता ब्यूरो (वार्षिक प्रतिवेदन) संशोधन नियम, 2006 जो 9 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 296 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा प्रबंधकों के लिए न्यूनतम

अर्हता) नियम, 2006 जो 23 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 309 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 5812/07)

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदय, मैं श्री जयपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी. 5813/07)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-06 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी. 5814/07)

(3) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल.टी. 5815/07)

(5) (एक) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल.टी. 5816/07)

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मीटिआरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मीटिआरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्री कपिल सिब्बल]

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल.टी. 5817/07)

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अंतर्गत 1 जनवरी, 2005 से 31 दिसम्बर, 2005 की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित किए जाने संबंधी 35वां वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल.टी. 5818/07)

(3) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 16 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या आई.सी. एस.आई. संख्या 7 जो 9 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ निदेशक, जिसे निदेशक (अनुशासन) के रूप में पदाभिहित किया गया है की अध्यक्षता में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में अनुशासन निदेशालय की स्थापना की गयी है।

(दो) जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या आई.सी. एस.आई. संख्या 1, जो 9 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 1 अप्रैल, 2007 से सदस्य तथा अन्य शुल्कों के संशोधन के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 5819/07)

(4) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत कंपनी सचिव गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया तथा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन एवं शर्तें और भत्ते नियम, 2006, जो 5 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 736 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 5820/07)

(5) चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड एकाउंटेंट गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया तथा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन एवं शर्तें और भत्ते नियम, 2006, जो 5 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 735 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 5821/07)

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 जो 7 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 739 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2007 जो 9 जनवरी, 2007 में भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 14 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 5822/07)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं:-

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006, जो 27 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या एफ.सं. एस.ई.बी.आई./एल.ए.डी./डी.ओ.पी./82534/2006 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2006,

जो 27 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या एफ.सं. एस.ई.बी.आई./एल.ए.डी./डी.ओ.पी./83065/2006 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2007, जो 9 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या एफ.सं. एस.ई.बी.आई./एल.ए.डी./डी.ओ.पी./1446/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 5823/07)

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 11/एल.सी./जी.एन./2007/1406, जो 3 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (केन्द्रीय सूचीयन प्राधिकारी) विनियम, 2003 का कतिपय शर्तों के अध्यधीन निरसन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 5824/07)

(3) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक त्रिसूर जिला कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिसूर, केरल पर लागू नहीं होंगे।

(दो) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2008 तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर, छत्तीसगढ पर लागू नहीं होंगे।

(तीन) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनंदगांव, छत्तीसगढ पर लागू नहीं होंगे।

(चार) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी VIII जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक विरुधुनगर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, विरुधुनगर, तमिलनाडु पर लागू नहीं होंगे।

(पांच) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2008 तक कुम्बाकोणम केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, कुम्बाकोणम, तमिलनाडु पर लागू नहीं होंगे।

(छह) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2008 तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, मेढक, आन्ध्र प्रदेश पर लागू नहीं होंगे।

(सात) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2008 तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, महबूबनगर, आन्ध्र प्रदेश पर लागू नहीं होंगे।

(आठ) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक कि कडापा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, कडापा, आन्ध्र प्रदेश पर लागू नहीं होंगे।

(नौ) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक वारंगल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, सुबेदारी, हनामकोंडा, आन्ध्र प्रदेश पर लागू नहीं होंगे।

(दस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, विजयानगरम, आन्ध्र प्रदेश पर लागू नहीं होंगे।

(ग्यारह) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, श्रीकाकुलम आन्ध्र प्रदेश पर लागू नहीं होंगे।

(बारह) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक चित्तूर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश पर लागू नहीं होंगे।

(तेरह) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक नेल्लोर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश पर लागू नहीं होंगे।

(चौदह) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक नालगोंडा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, नालगोंडा, आन्ध्र प्रदेश पर लागू नहीं होंगे।

(पन्द्रह) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक अनंतपुर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, अनंतपुर आन्ध्र प्रदेश पर लागू नहीं होंगे।

(सोलह) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक कुरनूल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश पर लागू नहीं होंगे।

(सत्रह) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक कोलार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, कोलार, कर्नाटक पर लागू नहीं होंगे।

(अठारह) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक मेहसाना जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाना, गुजरात पर लागू नहीं होंगे।

(उन्नीस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अगरतला, त्रिपुरा पर लागू नहीं होंगे।

(बीस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम,

1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, गढ़वाल (कोटद्वार), उत्तरांचल पर लागू नहीं होंगे।

(इक्कीस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक धुले जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, धुले, महाराष्ट्र पर लागू नहीं होंगे।

(बाईस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक नवादा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बिहार पर लागू नहीं होंगे।

(तेईस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक नागपुर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र पर लागू नहीं होंगे।

(चौबीस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक परभनी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, परभनी, महाराष्ट्र पर लागू नहीं होंगे।

(पच्चीस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक वर्धा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, वर्धा, महाराष्ट्र पर लागू नहीं होंगे।

(छब्बीस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक चिकमगलूर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चिकमगलूर, कर्नाटक पर लागू नहीं होंगे।

(सत्ताईस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, आइजोल, मिजोरम पर लागू नहीं होंगे।

(अट्ठाईस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक अदिलाबाद जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अदिलाबाद, आन्ध्र प्रदेश पर लागू नहीं होंगे।

(उनतीस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक जालना जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र पर लागू नहीं होंगे।

(तीस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक उस्मानाबाद जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर लागू नहीं होंगे।

(इकतीस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक जलगांव जिला

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र पर लागू नहीं होंगे।

(बत्तीस) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/01/2006-एसी जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 31 मार्च, 2007 तक बुलढाना जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बुलढाना, महाराष्ट्र पर लागू नहीं होंगे।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 5825/07)

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 761 (अ) जो 20 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य और टर्की में उद्भूत, अथवा वहां से निर्यातित पार्शियली ओरिएंटेड यार्न के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क का विस्तार, उद्ग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 769 (अ) जो 26 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत, अथवा वहां से निर्यातित विशिष्ट सिल्क फैब्रिक के आयातों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 783 (अ) जो 30 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अठारह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 13 (अ) जो 8 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत, अथवा वहां से निर्यातित ट्रिमथिरोपिम के आयातों पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 56 (अ) जो 31 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत तथा वहां से निर्यातित एक्रीलोनाइट्राईल ब्यूटाडाइन रबड़ के आयात हेतु प्रतिपाटन शुल्क की दर को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 64 (अ) जो 6 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा 31 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 120/2002-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 40 (अ) जो 22 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 'विमानपत्तन विकास परियोजनाओं' और 'मेट्रो रेल परियोजनाओं' को आयात के रूप में अधिसूचित करना है ताकि परियोजना आयात के लिए लागू रियायती आयात शुल्क हेतु इन्हें सक्षम बनाया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 83 (अ) जो 14 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत तथा वहां से निर्यातित डी (-) पैरा हाईड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को 14 फरवरी, 2008 तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 84 (अ) जो, 14 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सिंगापुर में उद्भुत तथा वहां से निर्यातित डी (-) पैरा हाईड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को 14 फरवरी, 2008 तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 94 (अ) जो 20 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनका आशय इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया तथा चीनी ताइपेई में उद्‌भूत तथा वहां से निर्यातित पॉलिऐस्टर में फूल्ली ड्रॉन यार्न अथवा फूल्ली ओरियेंटेड यार्न अथवा स्पिन ड्रॉन यार्न अथवा फ्लैट यार्न तथा अन्य यार्न के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 5826/07)

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 764 (अ) जो 21 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 804 (अ) और सा.का.नि. 805 (अ) जो 30 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ताकि उनमें उल्लिखित मदों पर प्रभावी दरों तथा शुल्क को बनाए रखा जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 57 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 2/2005-के.उ.शु.(गै.टै.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 26 (अ) जो 15 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 2006, जो 30 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 780 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) दि 'सेनवेट' क्रेडिट (सातवां संशोधन) नियम, 2006 जो 30 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 781 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2007, जो 8 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 69 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2006, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 771 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) दि 'सेनवेट' क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2007 जो 21 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 100 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** सं. एल.टी. 5827/07)

(6) दि सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 782(अ) जो 30 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त नियमों के निबंधनों के अनुसार शामिल अपराधों, वापस ली जाने वाली सुविधाओं, अधिरोपित किए जाने वाले प्रतिबंधों तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की किस्में विनिर्दिष्ट की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी. 5828/07)

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 32(अ) जो 19 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्डों को 30 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 32/2006-के.उ.शु. (गै.टै.) के अनुसार आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी. 5829/07)

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 755 (अ) जो 14 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 763 (अ) जो 21 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 765 (अ) जो 22 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 784 (अ) से सा.का.नि. 803 (अ) जो 30 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित मदों पर शुल्क की प्रभावी दरें बनाए रखी गई हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 2 (अ) जो 2 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 69/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 10 (अ) जो 5 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत श्रीलंका से उनमें उल्लिखित मूल सीमा शुल्क की रियायती दरों पर टैरिफ दर कोटा विहित करना है।

(सात) सा.का.नि. 11 (अ) जो 5 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 26/2000-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 39 (अ) जो 22 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उनमें उल्लिखित मदों पर सीमा शुल्क को कम किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 44 (अ) जो 24 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 45 (अ) जो 25 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, ताकि 31 दिसम्बर, 2007 तक शून्य सीमा शुल्क पर मक्का के आयात की अनुमति दी जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 46 (अ) जो 25 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 78/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 27 (अ) जो 15 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा क्रमशः 13 अगस्त, 1993 और 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 153/1993-सी.शु. और 5/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) संशोधन विनियम, 2007, जो 7 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 68 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 2154 (अ) जो 26 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तथा आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का.आ. 2155 (अ) जो 26 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 77 (अ) जो 24 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ. 78 (अ) जो 24 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी. 5830/07)

(9) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 1 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 117 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 19 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या एम.बी.जी.बी./एचओ./7576/06 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 13 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.ए.डी./763/2001-2002 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 10 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.आर.एस. (एस एण्ड एफ)/02/2006-07/207 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) असम ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए.जी.वी.बी./पी.ई.आर./इस्ट-बी/08/01/2006 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बड़ौदा इस्टर्न उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 5 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 132 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2005 जो 2 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 06-07/पी.ई.आर./115 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 23 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 144 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 11 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. /12/7/85-आर.आर.बी. में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) चम्बल-ग्वालियर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 11 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 12/7/2006-आर.आर.बी. में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 2 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं./12/7/2006-आर.आर.बी. में प्रकाशित हुए थे।

(दस) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 11 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 331/जी.ओ.आई./ओ-9/ एस.एस.आर./2006 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 11 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 12/7/2006-आर.आर.बी. में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) झारखंड ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 11 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जे.जी.बी./एच.ओ./पर्स/आर.के.एस./3487 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 16 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 50 में प्रकाशित हुए थे।

(10) उपर्युक्त (9) की मद संख्या (एक से छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 5831/07)

(11) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 11क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 783-805 (अ) जो 29 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 5832/07)

(12) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत "विविधता में एकता" के अवसर की स्मृति में निर्मित पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2006 जो 24 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 43 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं. एल.टी. 5833/07)

(13) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 संशोधन विनियम, 2006 जो 18 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.ओ.-ओ.एस.आर./2/2006 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 जो 15 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.आर./ अमेंड/02/2006 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 जो 2 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ./ ओ.एस.आर. और आई.आर./ए/10/50 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 जो 16 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ./ पी/आई.आर./आर.एस./1111 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 जो 11 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2151/ 0089/पी.डी.:आई.आर.डी. (ओ) रेग. 5 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा

(संशोधन) विनियम, 2007 जो 12 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3944 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 5834/07)

(14) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी. 5835/07)

(15) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत भारत में आवास के रूझान और प्रगति (राष्ट्रीय आवास बैंक) नई दिल्ली के 30 जून, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** सं. एल.टी. 5836/07)

(16) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** सं. एल.टी. 5837/07)

अपराह्न 12.02¾ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ इक्यानवां प्रतिवेदन

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, मैं जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान, मिड-डे मील स्कीम तथा समन्वित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 191वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 120वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

***ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह):** महोदय, मैं लोक सभा के दिनांक 01-09-2004 के बुलेटिन भाग-2 द्वारा जारी लोक सभा के आदरणीय अध्यक्ष के निदेश 73'क' के अनुपालन में ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति (पेयजल आपूर्ति विभाग) की 20वीं रिपोर्ट (2005-06) में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति (पेयजल आपूर्ति विभाग) (14वीं लोक सभा) ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए पेयजल आपूर्ति विभाग की अनुदान मांगों की जांच की थी और 18-05-2006 को लोक सभा में अपनी 20वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में 34 सिफारिशें थीं।

20वीं रिपोर्ट में दी गई समिति की टिप्पणियों/अवलोकनों के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण 23-8-2006 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग की ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति को भेजा गया है।

समिति की 34 सिफारिशें मुख्यतः लोक सभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश-73'क' के अंतर्गत समिति द्वारा अपनी पहली और ग्यारहवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, राज्यों के पास खर्च से बची रह गई बकाया राशियों के मुद्दों, ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत अंतर घटक आबंटन और वास्तविक उपलब्धियों, बसावटों के पूर्ण कवर की स्थिति से नीचे चले जाने, स्वजलधारा के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक निष्पादन तथा सामुदायिक अंशदान, स्थिरता, जल प्रबंधन और संरक्षण के मुद्दों, पेयजल योजना के लिए भूजल पर निर्भरता के मुद्दों, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता, ग्रामीण विद्यालयों में पेयजल की स्थिति, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक निष्पादन, मिलेनियम विकास लक्ष्य को पाने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना और नीतियों तथा अन्य

---

*सभा-पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5838/07

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ और अधिक समन्वय करके संपूर्ण स्वच्छता अभियान की गति को तेज करने से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति, मेरे वक्तव्य के साथ लगे अनुबंध में दी गई है, जो सदन के पटल पर प्रस्तुत है। सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ चले जाने से बचने के लिए मेरा अनुरोध है कि अनुबंध में दी गई सामग्री को पढ़ लिया गया समझा जाए।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, आपकी अनुमति से मैं सोमवार, 5 मार्च, 2007 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान किए जाने वाले सरकारी कार्यों की घोषणा करने के लिए खड़ा हूं। इस दौरान निम्नलिखित कार्य किए जायेंगे:-

1. आज की कार्य-सूची से शेष बचे किसी सरकारी कार्य के मद पर विचार करना।
2. खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) विधेयक, 2007 पर विचार करना और पारित करना।
3. राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन करने के लिए सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार करना और पारित करना।
4. रेल बजट 2007-08 पर सामान्य चर्चा
5. चर्चा तथा मतदान:-

   (क) लेखानुदानों की मांगें (रेल) वर्ष 2007-08

   (ख) अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) वर्ष 2007-08

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय और जोड़े जाएं:-

क. जयपुर का गुलाबी नगर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) खोले जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व आदर्श स्थान है।

ख. भारत सरकार के पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने जयपुर की बढ़ती जनसंख्या की अवहेलना कर मिट्टी के तेल और गैस सिलेण्डर का कोटा कम कर दिया है, इसे पुनः बढ़ाया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील - उपस्थित नहीं।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो विषय सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता हूं:-

1. आकस्मिक ओलावृष्टि के कारण देश और मध्य प्रदेश में कृषि उपजों को भारी क्षति पहुंची है। केन्द्र सरकार शीघ्र राहत के उपाय करे। साथ ही डालर चना के निर्यात के शीघ्र प्रबंध कर किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के समुचित प्रबन्ध करें।
2. बजट वर्ष 2007-08 के घोषणा के उपरांत सीमेंट पर उत्पाद शुल्क से सीमेंट के दाम में त्वरित वृद्धि हो गई है। अतएव जनहित में निर्माण लागत कम करने के लिए सीमेंट के बढ़े भावों को कम करने के लिए तत्काल उपाय करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिसिंह चावड़ा - उपस्थित नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को जोड़ा जाए:-

1. उदयपुर जोकि ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है उसे "बी" श्रेणी घोषित किया जाए।
2. होटल व्यवसाय को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं:-

1. पूरे देश में विद्युत पुल के कोटे छत्तीसगढ़ राज्य सहित अनेक राज्यों में 300 मेघावाट की प्रति राज्य

की कटौती होने के कारण किसान, उद्योगपति एवं उपभोक्ता परेशान एवं उदास हैं। विद्युत कटौती समाप्त करने की आवश्यकता।

2. गरीबी रेखा से जीवनयापन करने वाले एवं अति गरीब वर्ग के श्रेणी में आने वाले लोग, मिलने वाले प्रति परिवार 35 किलो चावल, 13 किलो की कमी केन्द्र द्वारा की गई है। पुनः विचार कर 35 किलो चावल दिए जाने की आवश्यकता, जिससे गरीब वर्ग अपने परिवार के साथ सबेरे शाम पेट भर भोजन कर सके।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

(एक) रेलवे में जोन तथा मंडल बनाए जाने के लिए मानदंड निर्धारित किए जाने की आवश्यकता जिससे कि अविवेकपूर्ण तथा मनमाने ढंग से ऐसे जोनों और मंडलों का अनुचित ढंग से गठन रोका जा सके। हाल ही में दक्षिण रेलवे में पालक्काड रेल मंडल के 60 प्रतिशत से अधिक भाग को निकाल करके सलेम रेल मंडल का गठन किया गया है। इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा सीमा में भी तुरंत परिवर्तन किया जाना चाहिए।

(दो) विधायिका में महिला आरक्षण...*(व्यवधान)*

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

(एक) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक स्थायी संसदीय समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता।

(दो) मेडिकल कालेजों तथा डेंटल कालेजों के स्नातकोत्तर कोर्सों में प्रवेश के लिए पी.पी.जी. परीक्षा तथा सी.पी.एम.टी. में अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषयों को शामिल करने का कष्ट करें:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर रेलवे स्टेशन के दक्षिण ढाले पर उपरीपुल का निर्माण किए जाने का कार्य इस मार्ग पर आज बहुत यातायात है, क्योंकि घाघरा नदी पर भागलपुर पुल बन जाने के कारण सारा यातायात इसी मार्ग से गुजरता है।

2. दुर्ग एक्सप्रेस रेल सेवा का ठहराव औद्योगिक क्षेत्र बिल्थरा रोड एवं सलेमपुर में किए जाने का कार्य।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:-

(i) बी.ओ.जी.एल. तथा एच.एस.सी.एल. के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वर्षों से स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (बी.एस.एस.एल.) से प्राप्त लाभ तथा वेतन का भुगतान न किए जाने के कारण बी.ओ.जी.एल. के तीन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है तथा अन्य कर्मचारी मौत के कगार पर हैं। इस विषय पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए तथा इस मामले को तत्काल हल करना चाहिए जिससे कि उन कर्मचारियों को वेतन का शीघ्र भुगतान हो सके जो मौत के कगार पर हैं।

(ii) हमारे देश के बालिकाओं को गम्भीर खतरा है। कुछ बालिकाएं अशिक्षा तथा गरीबी और अमीरी के असामान वृद्धि के कारण तस्करी के जाल में फंसी हुई हैं। कुछ जिलों में 66 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में हो जाता है। जिसके कारण कुपोषण, शिशु मृत्यु दर तथा माता मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है।

अपराह्न 12.10 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य - *जारी*

[अनुवाद]

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड का विलय

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रफुल पटेल एक वक्तव्य देना चाहते हैं। मंत्री महोदय, आप अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

***नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं देश में नागर विमानन क्षेत्र के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर वक्तव्य सभा-पटल पर रखना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

दो राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, देश में नागर विमानन के क्षेत्र में अग्रणीय होने का गौरव रखते हैं। तथापि, पिछले एक दशक में कड़ी प्रतियोगिता तथा नए बेड़े को शामिल करने की इनकी असमर्थता के कारण इनके बाजार हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन क्षेत्र में स्थिरता तथा विलय के रूझान में तेजी आई है जिसके कारण एयरलाइनों के द्वारा सक्रियता में वृद्धि तथा लागत में कमी करना संभव हो पाया है। जैसा कि इस माननीय सदन को विदित है हमारी सरकार ने एयर इंडिया के बेड़े में 68 नए हवाई जहाज और इंडियन एयरलाइस के बेड़े में 43 नए हवाई जहाज शामिल करने की अनुमति दी है। अब मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में सरकार ने इन दोनों एयरलाइनों को एक नई कंपनी में विलयित करने का निर्णय लिया है। यह अनुमान है कि इस निर्णय के परिणामस्वरूप विलय से तीसरे वर्ष के अंत तक कंपनी को 600 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होगा।

हम एक ऐसी एयरलाइन की स्थापना की उम्मीद करते हैं जो कम से कम इस क्षेत्र में किसी अन्य प्रमुख एयरलाइन के समान क्षमता रखती हो। दोनों एयरलाइनों का विलय आगामी दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इन दोनो एयरलाइनों का विलय करने के लिए तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं तत्काल ही आरंभ की जाएंगी तथा आगामी 16 सप्ताह के भीतर एक नाम, एक ब्रांड, एक लोगो, एक कोड तथा एकल वित्तीय व्यवस्था वाली एक कंपनी की स्थापना की आशा है। लगभग 112 विमानों वाली यह नई एयरलाइन, जो अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मार्गों पर कार्य करेगी, कुशलता तथा विश्वसनीयता के स्तरों के नए आयाम बनाएगी तथा इस प्रकार देश में नागर विमानन क्षेत्र को, विशेष रूप से यात्रियों को लाभान्वित करेगी।

इस निर्णय को लेते समय हमारे लिए कर्मचारियों का हित सर्वोपरि रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि कर्मचारियों को न्यायोचित हित, जिसमें उनका वर्तमान मुआवजा स्तर इत्यादि सम्मिलित हैं, की रक्षा की जाए। सभी कर्मचारी विलयित एयरलाइन में कार्य करते रहेंगे और उनकी कोई छंटनी नहीं की जाएगी। जहां तक संभव हो सके कार्यवाही को सुगम बनाने के लिए पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण मापदंड के आधार पर चरणबद्ध तरीके से जंनशक्ति के समेकन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। एक सुपरिभाषित शिकायत निवारक तंत्र की भी स्थापना की जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के सहयोग से एक विश्वस्तरीय एयरलाइन की स्थापना करना हमारा उद्देश्य है।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5839/07

अपराह्न 12.11 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के तेतीसवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 1 मार्च, 2007 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 33वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 1 मार्च, 2007 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 33वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा स्थगित करने से पूर्व मैं आपके व्यवहार पर असंतोष व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी थी। प्रति दिन सभा का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं। मैं सभी पक्षों से आग्रह करता हूं कि सभा में सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा मंगलवार, 6 मार्च, 2007 पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 6 मार्च, 2007/फाल्गुन 15, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री एम. अंजनकुमार यादव श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	61
2.	श्री गिरधारी लाल भार्गव श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	62
3.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री जे.एम. आरुन रशीद	63
4.	श्री काशीराम राणा श्री इकबाल अहमद सरडगी	64
5.	श्री हरिभाऊ राठौड़ श्री फ्रांसिस फैन्थम	65
6.	श्री रेवती रमन सिंह	66
7.	श्री चन्द्रभूषण सिंह श्री गुरुदास दासगुप्त	67
8.	श्री संतोष गंगवार श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	68
9.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री वी.के. ठुम्मर	69
10.	श्री शिशुपाल पटले प्रो. महादेवराव शिवनकर	70
11.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	71
12.	श्री भर्तृहरि महताब	72
13.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	73
14.	श्री एन.एन. कृष्णदास श्री बालेश्वर यादव	74
15.	श्री पुन्नूलाल मोहले	75
16.	श्री पी. मोहन	76
17.	श्री जुएल ओराम	77
18.	डा. एम. जगन्नाथ	78
19.	श्री राम कृपाल यादव श्री दुष्यंत सिंह	79
20.	श्री आलोक कुमार मेहता डा. के धनराजू	80

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	538, 610, 700
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	523, 528, 602, 635, 646
3.	अग्रवाल, श्री धीरेंद्र	531, 580, 603
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	494, 512, 580, 651, 673
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	537, 635, 672
6.	अर्गल, श्री अशोक	617
7.	आठवले, श्री रामदास	530, 605, 634, 682
8.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	515, 576, 631
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	589, 640, 664, 680
10.	बर्मन, श्री हितेन	531
11.	बर्मन, श्री रनेन	535, 536
12.	बसु, श्री अनिल	549, 617
13.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	513, 574
14.	भगोरा, श्री महावीर	546, 607, 695

1	2	3
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	615, 653, 675, 688
16.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	581, 634
17.	बोस, श्री सुब्रत	567, 601, 698
18.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	607
19.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	535, 634
20.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	495, 614
21.	चिन्ता मोहन, डा.	544, 597
22.	चौधरी, श्री पंकज	548, 616
23.	चौधरी, श्री अधीर	527, 601
24.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	601, 608, 635
25.	देवरा, श्री मिलिन्द	522, 579, 633, 635, 661
26.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	557, 561, 583, 596, 606
27.	धनराजू, डा. के.	589
28.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	672
29.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	613, 652, 674, 702
30.	गढ़वी, श्री पी.एस.	689
31.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	564, 606, 638, 679, 692
32.	हसन, चौधरी मुनव्वर	559, 596, 626, 634, 659
33.	हुसैन, श्री अनवर	556, 622, 656, 677, 687
34.	जय प्रकाश, श्री	499, 568, 629, 672
35.	जगन्नाथ, डा. एम.	591, 641, 700

1	2	3
36.	जटिया, डा. सत्यनारायण	588
37.	जयाप्रदा, श्रीमती	592
38.	जिन्दल, श्री नवीन	502, 588, 607, 620
39.	खैरे, श्री चंद्रकांत	508, 572, 597, 648, 670
40.	खन्ना, श्री अविनाश राय	507, 563
41.	खारवेनथन, श्री एस.के.	497, 531, 587 628, 661
42.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	509, 607
43.	कृष्ण, श्री विजय	534
44.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	590
45.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	528, 544
46.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	560, 618, 625, 658
47.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	521
48.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	551
49.	महतो, श्री नरहरि	496, 623
50.	महतो, श्री सुनिल कुमार	531, 636
51.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	501, 581, 634
52.	महताब, श्री भर्तृहरि	588, 639, 663
53.	महतो, श्री टेक लाल	607
54.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	589
55.	माने, श्रीमती निवेदिता	564, 606, 638, 679, 692
56.	मनोज, डा. के.एस.	698
57.	मसूद, श्री रशीद	523, 558, 606, 624, 657

1	2	3
58.	मिडियम, डा. बाबू राव	565, 627
59.	मेघवाल, श्री कैलाश	526, 600, 645, 668, 683
60.	मेहता, श्री आलोक कुमार	589
61.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	550, 619, 654, 676, 686
62.	मो. ताहिर, श्री	540, 589, 611, 643, 666
63.	मंडल, श्री अबु अयीश	532, 669
64.	मुर्मू, श्री हेमलाल	533. 543, 601, 638
65.	नन्दी, श्री अमिताभ	544, 555
66.	नायक, श्री अनन्त	525, 563, 599, 644, 667
67.	नायक, श्रीमती अर्चना	670
68.	निखिल कुमार, श्री	601
69.	ओराम, श्री जुएल	583, 585, 634
70.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	527, 541, 592, 602, 612
71.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	514, 575, 582, 671
72.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	542, 551, 554
73.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	547, 620, 664
74.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	528
75.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	518, 578, 647, 669, 684
76.	पाठक, श्री ब्रजेश	564, 597, 682
77.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	494
78.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	523, 588, 596
79.	पटले, श्री शिशुपाल	523, 540, 564, 586
80.	पिंगले, श्री देविदास	562, 564
81.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	589, 595, 635, 698
82.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	511, 593
83.	प्रसाद, श्री लालमणि	691
84.	राजगोपाल, श्री एल.	503
85.	राजेन्द्रन, श्री पी.	635, 672
86.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	504, 607, 618
87.	राणा, श्री काशीराम	583, 636
88.	राव, श्री के.एस.	544, 545, 649, 693
89.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	553
90.	रावले, श्री मोहन	592
91.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	498, 621, 655, 676
92.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	563, 696
93.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	531, 596, 672, 690
94.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	535, 601, 608, 634
95.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	566, 580, 643, 697
96.	रिजीजू, श्री कीरेन	505
97.	साई प्रताप, श्री ए.	552
98.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	609, 650, 671, 685
99.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	557

1	2	3
100.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	594, 642, 665, 681
101.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	524, 598
102.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	564
103.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	533, 601, 607, 634, 638
104.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	523, 528, 602, 646, 678
105.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	597, 643, 666, 682
106.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	510
107.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	601
108.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	583, 603, 649
109.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	585, 635
110.	सिंह, श्री चन्द्रभान	607
111.	सिंह, श्री दुष्यंत	604, 639
112.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	606, 638, 679, 692
113.	सिंह, श्री मोहन	588, 601, 682
114.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	529
115.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	519
116.	सिंह, श्री रेवती रमन	584, 637, 670
117.	सिंह, श्री सुग्रीव	520, 528, 694, 699, 701

1	2	3
118.	सिंह, श्री उदय	527, 539
119.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	500, 569
120.	सुगावनम, श्री ई.जी.	517, 577, 631, 632, 702
121.	सुमन, श्री रामजीलाल	528, 597
122.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	535
123.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	506, 571
124.	थामस, श्री पी.सी.	516
125.	ठुम्मर, श्री वी.के.	495, 528, 614, 649
126.	तोपदार, श्री तरित बरण	539
127.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	587, 638, 662, 679
128.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	533, 554, 589, 612
129.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	689
130.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	670
131.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	635
132.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	531, 573, 697
133.	यादव, श्री बालेश्वर	570, 630, 660
134.	यादव, श्री गिरिधारी	588
135.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	523, 606
136.	यादव, श्री कृपाल	592

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य		
पृथ्वी विज्ञान		
वित्त	:	61, 62, 63, 65, 67, 70, 71, 73, 77
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	66, 78
विधि और न्याय	:	72, 76, 80
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	
विद्युत	:	64, 68, 69, 79
ग्रामीण विकास	:	74
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	75
शहरी विकास	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	572, 621, 659
पृथ्वी विज्ञान	:	504, 505, 542, 594, 620
वित्त	:	497, 498, 499, 501, 502, 509, 516, 521, 522, 523, 525, 528, 529, 534, 536, 539, 540, 544, 547, 548, 553, 556, 559, 564, 568, 574, 581, 582, 587, 589, 591, 592, 601, 606, 608, 609, 613, 614, 622, 624, 628, 632, 635, 638, 641, 642, 644, 645, 646, 652, 660, 661, 666, 669, 679, 680, 684, 688, 690, 692, 695, 701
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	508, 558, 560, 561, 570, 597, 600, 626, 631, 655, 674
विधि और न्याय	:	513, 527, 530, 552, 583, 586, 623, 640, 668, 672, 693, 702
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	503, 507, 562, 567, 569, 604, 618
विद्युत	:	500, 519, 520, 532, 538, 550, 554, 575, 577, 585, 590, 595, 596, 602, 607, 610, 611, 612, 637, 649, 650, 665, 667, 675, 681, 689
ग्रामीण विकास	:	494, 495, 496, 506, 510, 511, 531, 533, 535, 541, 543, 546, 549, 551, 555, 557, 565, 571, 580, 588, 598, 599,

616, 617, 619, 625, 627, 629, 643, 654, 656, 670, 671, 673, 676, 677, 683, 685, 686, 687, 698, 699, 700

विज्ञान और प्रौद्योगिकी : 517, 518, 524, 537, 545, 578, 605, 615, 647, 651, 662, 694

शहरी विकास : 512, 514, 515, 526, 563, 566, 573, 576, 579, 584, 593, 603, 630, 633, 634, 636, 639, 648, 653, 657, 658, 663, 664, 678, 682, 686, 691, 696, 697

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/25/6/2007 (एन.)

232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के :
प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।